Impact Factor 2022
6.994

February 2022
Year 13(01), Vol. XXIV

ISSN-0976-8149
U.G.C. Journal No. 48216
ISO 9001-2015

Manglam

Half Yearly Journal of Humanities & Social Sciences

मङ्गलम्

मानविकी एवं समाज विज्ञान की अर्द्धवार्षिक शोध-पत्रिका

A Peer Reviewed 'Refereed'Journal

Editor
Dr. Dinkar Tripathi

Manglam Sewa Samiti, Prayagraj (U.P.) India
(Regd. Under Society Registration Act 21, 1860)

सम्पादक, मुद्रक व स्वामी

डॉ० दिनकर त्रिपाठी
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर राजनीति विभाग विभाग
फ़ीरोज़ गाँधी कालेज, रायबरेली–229001 (उ०प्र०) भारत
मो० +91-7398180008
Email- drdinkartripathi@gmail.com
https://www.facebook.com/dinkar.tripathi.i
https://twitter.com/DinkarManglam?t=rFxFgyDITso89Cm5-vud8A&s=08

प्रकाशक

मङ्गलम् **प्रकाशक**

463 / 395 जी शिवम् अपार्टमन्ट
नया ममफोर्डगंज, प्रयागराज–211002 (उ०प्र०) भारत
फोन नं०–+91-9196002888
Email- manglamjoural01@gmail.com
Website- www.manglamallahabad.com
https://www.facebook.com/manglam.joural

कम्प्यूटर ग्रॉफिक्स

संजीव कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर्स, प्रयागराज,(उ०प्र०) भारत
मो० +91-8004422059
Email- computerallahabad@gmail.com

तकनीकि सहयोग

डॉ० (श्रीमती) वंदना त्रिपाठी
मो० +91-9044666672
Email- tripathivandana01@gmail.com

आवृत्ति

प्रथम अंक– फरवरी 28

द्वितीय अंक– अगस्त 31

मूल्य

*** विदेश में–$ 80**

**** देश में – ₹ 600**

मङ्गलम् (अर्द्धवार्षिक द्विभाषीय) शोध पत्रिका में प्रकाशित सामग्री में दृष्टि, विचार और अभिमत लेखकों के अपने हैं, सम्पादक के नहीं। इनमें सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। अतः पत्रिका के सम्पाक एवं प्रकाशक पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। विवाद माननीय न्यायालय, प्रयागराज में ही विचारणीय होंगे।

सम्पादकीय

मानव जीवन में साहित्य, संगीत और कला का विशिष्ट स्थान है। योगिराज भर्तृहरि ने अपने नीतिशतकम् में इन तीनों का माहात्म्य प्रदर्शित करते हुए कहा है कि ''साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात्पशु पुच्छ पिषाण हीनः'' अर्थात् जो व्यक्ति साहित्य, कला और संगीत से रहित होता है, वह पूँछ और सींग रहित साक्षात् पशु ही होता है। इस कथन से सुस्पष्ट होता है कि व्यक्ति के सामाजिक जीवन की सफलता उक्त तीनों में से किसी एक विशेष में उसकी निपुणता के होने पर ही निर्भर होती है। यदि इनसे वह पूर्णतः विहीन है, तो उस व्यक्ति का जीवन मनुष्य का नहीं अपितु दृश्यमान पशु के समान ही होता है। संसार में इन्हीं क्षेत्रों की उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु मनुष्य सतत प्रयास, परिश्रम त्याग एवं तपश्चर्या करता है और साधनारत होता है। सारा जीवन साधना में ही समर्पित कर देता है। यह सत्य तथ्य है कि सम्पूर्ण जीव मण्डल में मानव जीवन ही श्रेष्ठतर होता है। मनुष्य में भी निज भिन्नताएँ और विशिष्टतायें उसकी जन्मजात बुद्धि की विकसित बुद्धिलब्धि (I.Q.) से निर्धारित होती हैं; जिसमें व्यक्ति की निष्ठापूर्ण तपस्या और सतत साधना उसे उसके अभीष्ट साध्य से एकीकृत कर देती है। साधक और साध्य की एकता निश्चयेन क्षेत्र विशेष की चरम सीमा की प्राप्ति कराती है। ज्ञान का कोई भी क्षेत्र चाहे विज्ञान हो, साहित्य हो, संगीत अथवा कला हो; उसमें व्यक्ति की सतत साधना, तपस्या सन्निष्ठा एवं श्रद्धा ही उसे लक्ष्यवान बनाती है।

ज्ञातव्य है कि हमारे देश में अनादि काल से साहित्य संगीत और कला के क्षेत्र में श्रेष्ठ साधकों की न्यूनता नहीं रही है। ऋषि ऋतम्भरा बहुविध विशिष्टताओं में सिद्ध पुरुषों एवं नारियों से महिमा मण्डित होती रही है, जिससे भारतीय ज्ञान किंवा पराज्ञान की परम्परा की नतशिर स्वीकृति पूरे विश्व में प्राप्त रही है। इसी दिव्य परम्परा को अपने विभासमान व्यक्तित्त्व से समलंकृत और अग्रेषित करने वाली भारतरत्न सुरसाम्राज्ञी लता मंगेशकर का नाम सर्वदा स्तुत्य रहेगा। लता मंगेशकर को अपने जीवन में ईश्वर प्रदत्त सुर; लय एवं तालबद्ध कोकिल कण्ठमयी आद्वितीय प्रतिभा ने भारत को ही नहीं अपितु लगभग सम्पूर्ण विश्व को चमत्कृत कर दिया है।

इन्दौर के एक उच्च कुलीन किन्तु आर्थिक रूप से सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर लता ने अपने कुलवंश और अपनी दम्पति को धन्य कर दिया। उनके माता–पिता धन्य इसलिए हुए; कि उन्होंने लता जैसे पुत्री को जाया है। पण्डित दीनानाथ मंगेशेकर मराठी जगत में सुख्यात शास्त्रीय गायक तथा

रंगमंच के अभिनय कर्ता थे। माता शेवंती की कोख को पवित्र करने वाली लता अपनी मीना, आशा और ऊषा तीनों छोटी बहनों और हृदय नाथ (छोटे भाई) में सबसे बड़ी थीं। उनकी तीनों बहनें भी संगीत के क्षेत्र में लोक प्रियता और प्रसिद्धि प्राप्त रही हैं। गोवा के मंगेशकर उपनाम प्राप्त परिवार ने अपनी पैतृक निष्ठा के जुड़ाव के कारण बाद में मंगेशकर उपनाम अपने नाम से जोड़कर लिखने लगा। कालान्तर में इन्दौर में रहने लगा। लता ने भी अपने परिवार की निष्ठा और परम्परा के अनुपालन में अपना उपनाम ''मंगेशकर''लिखना स्वीकारा था। लता जी के जन्म के बाद परिवार वालों ने उनका नाम हेमा रखा था, किन्तु पिता पण्डित दीनाथ मंगेशकर ने ''भावबन्धन'' नामक नाटक की लोकप्रिय भूमिका करने वाली अभिनेत्री लतिका नामक कन्या के नाम के आधार पर 'हेमा' के स्थान पर अपनी बेटी का नाम लता रख दिया, जो सारे संसार में अपनी स्वरतन्त्रियों के अद्भुत प्रकम्पन के अनुशासन और अभ्यास से उद्भूत सुरीलीध्वनि; संध्वनि तथा रागीय आरोह अवरोह की सिद्ध ताल बद्धता से संगीत का आह्लादपूर्ण चमत्कार भर दिया। उनकी सुरीली आवाज आज भला किसे नहीं आनन्दित करती है?

संगीत के क्षेत्र की 36 भाषाओं में लगभग 50 हजार गानों को अनुपम आवाज से संगीत के क्षेत्र को अवदानों से श्रेष्ठता प्रदान करने वाली भारतरत्न स्वर कोकिला लता जी ने 92 वर्ष की उम्र में 06 फरवरी सन् 2022 ई० रविवार के दिन मुम्बई के बीचकैंडी अस्पताल में प्रातः 8.12 बजे अपनी अन्तिम साँस लेकर सबको शोकाकुल कर दिया। मङ्गलम् समिति परिवार अपने अन्तस् की गहराई से स्वर साम्राज्ञी की दिव्यात्मा को अनन्त शान्ति प्रदान करने के लिए परमात्मा से प्रार्थी है।

'मङ्गलम्' शोध जर्नल का यह वर्ष 13 (01),Vol.XXIV, फरवरी 2022 संख्यायित पुष्प अपने विज्ञ अन्वेषकों; विचारकों एवं अध्येतृजनो के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए सुधी मनीषियों से सुझाव एवं सुधार की सादर अपेक्षा करता है।

दिनकर त्रिपाठी

(डॉ० दिनकर त्रिपाठी)

सम्पादक

Manglam-Year 13(01),Vol. XXIV,Feb. 2022
ISSN-0976-8149

विषयानुक्रम

सम्पादकीय

क्र०सं०	शोधपत्र / लेखक	पृष्ठ
1.	**Israel-Hamas War 2021: Can a Divided World Resolve The Palestinian Dispute?** *-Dr. Sanjay Gupta*	01-19
2.	**Covid-19 and Its Impact On Health: India's Experience** *-Dr. Basanti Kumari Nayak*	20-29
3.	**Diaspora in India's Foreign Policy: A Study of Modi Government Policy** *-Dr. Santosh Kumar Singh*	30-36
4.	**The Comparative Study of the Magic Realism in the selected works of Toni Morrison and Shahrnush Parsipur** *-Shivani Vishwakarma*	37-43
5.	**Soviet Instruments of Intervention** *-Dr. Mohd. Shahid*	44-49
6.	**Ban on Chinese Apps in India : Problem & Solution** *-Dr. Ashok Kumar Rai*	50-57
7.	**A Study Of Behavior Of Student In Reference To employed And Unemployed Mothers** *-Dr. Shailendra Prasad Pandey* *-Rajarshi Mani Tripathi*	58-66
8.	**Mee Too Movement: An Effort To ProvideJustice For Women Against Sexual Exploitation** *-Dr. Swapnil Tripathi* *-Shaumya Sharma*	67-77
9.	**To Study The Impact Of Organizational Commitment On Life Satisfaction Of The Employees** *-Monika Ranjan* *-Dr. ShailendraPrasad Pandey*	78-83
10.	भारतीय स्वतंत्रता–संग्राम और झारखण्ड की जनजातियाँ *-डॉ० नियति कल्प*	84-91
11.	स्वामी सहजानन्द का नव्य विशिष्टाद्वैत वेदान्त *-डॉ० नितिश दूबे*	92-97
12.	औपनिवेशिक भारत में किसानों की समस्याओं के विभिन्न रूप : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन *-डॉ० धीरज कुमार चौधरी* *-हिमांशु त्रिपाठी*	98-106
13.	भारत में जेंडर भिन्नता : एक जनांकिकीय अध्ययन *-डॉ० निरंजन कुमार सिंह*	107-111
14.	शिवानी के उपन्यासों में नारी–छवि -डॉ० ऋचा सुकुमार	112-117

15. महाभारत में वर्णित राजधर्म की समसामयिक प्रासंगिकता 118-123
-डॉ० ऊदल कुमार
16. वर्तमान भारत में महिला सशक्तीकरण 124-129
-डॉ० कविता कन्नौजिया
17. प्रकृतिवाद के सिद्धांत एवं प्रभाव 130-134
-डॉ० अज़रा बानो
18. दक्षिण एशिया में चीन की साफ्ट पावर की नीति : एक विश्लेषण 135-144
-हरेन्द्र विश्वकर्मा
19. आचार्य विनोबा भावे की नई तालीम संबंधी विचार एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 145-148
-डॉ० अभिनव सिंह
-डॉ० इंद्रमणि
20. महात्मा गाँधी की समाजवाद एवं साम्यवादी विचारधारा 149-155
-डॉ० समरेन्द्र बहादुर सिंह
21. राष्ट्र निर्माण में महिला स्वास्थ्य जागरूकता की आवश्यकता 156-160
-डॉ०पुष्पेन्द्र सिंह
22. भारतीय–लोकतंत्र की उपलब्धियाँ एवं चुनौतियों 161-167
-डॉ० रीतू शाही
23. सप्तकेतर कवि : काव्य वैशिष्ट्य 168-172
-डॉ० करुणा गुप्ता
24. महाभारत में वर्णित अस्त्र विज्ञान एवं उनका वैशिष्ट्य 173-179
-डॉ० प्रीति राठौर
-शिखा कुशवाहा
25. जनपद अम्बेडकर नगर में श्रमशक्ति संघटन– एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 180-190
-दीपक विश्वकर्मा
-डॉ० राणा प्रताप यादव
26. एसिड अटैक, एक चाह विद्रूपित करने की : एक सामाजिक विधिक अध्ययन 191-198
-डॉ० स्वप्निल त्रिपाठी
-रमेश चन्द्र
27. अयोध्या के नागेश्वरनाथ मन्दिर का प्राचीन इतिहास 199-205
-डॉ० दिवाकर त्रिपाठी
-संदीप मिश्रा
28. श्रीमद् भगवत गीता का महत्त्व महाकाव्यकाल के विशेष सन्दर्भ में 206-208
-डॉ० प्रदीप कुमार शर्मा
-डॉ० प्रतिभा भगत
29. भारत की अखण्ड मौलिक एकता (सूफी संतो के विशेष सन्दर्भ में) 209-213
-हुमैरा इकबाल
30. ब्रिटिश औपनिवेशीकरण के उपरान्त कृषि का बदलता स्वरूप 214-218
-डॉ० दिवाकर त्रिपाठी
-राजबीर
31. भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन (न्यायपालिका के विशेष सन्दर्भ में) 219-224
-श्रीप्रकाश यादव
32. विवादों के समाधान में महात्मा गांधी का दार्शनिक चिन्तन 225-228
-डॉ० अशोक कुमार सिंह

Manglam-*Year 13(01),Vol.XXIV,Feb.2022*
ISSN-0976-8149, P-01-19

Israel-Hamas War 2021: Can a Divided World Resolve The Palestinian Dispute?

Dr. Sanjay Gupta*

Abstract

The present paper comes in the wake of the deadly May 2021 Israel-Hamas war. Widespread destruction of lives and property marked the bloody 11-day conflict, which was the most gruesome after the Israel-Hamas conflict of 2014. While briefly exploring the roots of the Israel-Palestine imbroglio and the peace process, the paper focuses its attention on the current war between the two and finds deep divisions and trust-deficit galore within the global community and in the Arab world over their reactions and relations with Israel. Though the Arab world roundly condemned the 'Israeli aggression', it was mostly notional as there were no diplomatic rumblings or snapping of ties with Israel. Scathing observations and punitive resolutions were passed in the OIC meet, the lead organization of the Islamic countries, but without any follow-up action. The detestation for Hamas, a designated terrorist organization, was vivid and that failed to generate a united global response against the perceived 'Israeli aggression'. The paper highlights India's attitude towards war and points out the vital stakes involved for the country in the resolution of the West Asian crisis. While calling for upholding cease-fire and promoting de-escalation, India has maintained its traditional stand for a 'two-State solution', but with a difference. The strategic change in India's official stand was consequent to the advent of the Modi government in 2014 and the upswing in India's relations with Israel and the entire Arab world. The paper concludes with findings that a fragmented global and Arab politics is at the root of the non-resolution of the Palestine issue. It ends with a note that India and the world will continue to strive to find a peaceful and amicable solution to the Israel-Palestine problem, in line with the 'two-State Solution', which Israel however rejects at the moment.

***Keywords*:** Israel, Palestine, Hamas, Arab, War, Ceasefire, De-escalation, Peace Process, UN, USA, OIC, India

Deadly war once again broke out between Israel and Hamas in May 2021. Unabated violence rocked Israel and Gaza. The orgy of death and destruction perpetrated from both sides, with bombs, missiles and rockets raining over each other incessantly for 11-long days resulted in hundreds of deaths and wide spread destruction on both sides. Though the roots of violence are embedded in the long struggle of the Palestinians for an independent State of Palestine, the instant provocation in the present case

****Professor, Department of Political Science, University of Lucknow, Lucknow (U.P.)***

ostensibly came from a judgment of an Israeli lower court calling for the eviction of Palestinians of East Jerusalem's Sheikh Jarrah neighbourhood to make way for the Israeli settlements. However, the Supreme Court, on the request of the Attorney General, put on hold the hearing slated for May 9, which also marked the "Jerusalem Day", celebrated by the Israelis, commemorating the victory of Israel in the 6-day Arab Israeli War of 1967, the re-unification of Jerusalem (East and West Jerusalem) and Israel's regaining the control of Old City from Jordan following the war. Infact, tension had been brewing since the beginning of the Ramadan in mid-April over Israeli police putting restrictions on the 'Iftar' evening gatherings of Palestinians at the walled Old City's Damascus Gate in East Jerusalem.

Palestine is not a sovereign independent state and hence doesn't exercise full and independent control over its territories of West Bank and Gaza. However, by the 1998 proclamation, the State of Palestine was recognized by 138/193 UN member-states and two non-member states. In November 2021, a General Assembly resolution upgraded Palestine to "non-member observer state" status in the United Nations.

As a quick recap, Palestine, which was ruled by the Ottoman Syria Empire until 1917, came under the occupation of the British Army in 1917 following the victory of the Allied forces in World War I, defeating the Ottoman ruler. Consequently, Britain was granted a mandate for Palestine in April 1920 at the San Francesco Conference, which was approved by the League of Nations in July 1922. Significantly, the League's mandate contained provisions for establishing a Jewish national homeland in Palestine. This provision came into effect in 1923. In a way, this was the realization of the British Government's Balfour Declaration of 1917 during the First World War, which publicly gave the call for the establishment of a 'national home for the Jewish people' in Palestine. This sowed the seeds of discord between the Palestinians and the Jews. The decades from 1920s to 1940s witnessed a steady flow of Jews coming and settling in Palestine. In addition, Hitler's genocide brought thousands of fleeing Jews to this area.

At the end of the British Mandate in 1948, the United Nations approved a resolution calling for the partition of the British-ruled Palestine Mandate into separate Jewish and Arab states, with a Special International Regime for the city of Jerusalem. The plan, accepted by the Jewish leaders and rejected by the Arab side, however, never took off the ground. Upon the termination of the mandate on 14 May 1948, the British left Palestine, leaving incomplete the resolution of the Palestine issue. David Ben Gurion,

the Chairman, of the Jewish Agency, proclaimed the State of AIsrael on the intervening night of May 14, 1948, establishing the first Jewish State in 2000 years. This was fiercely opposed by its neighbouring Arab states, namely Egypt, Transjordan, Iraq and Syria who invaded and attacked the newly established State of Israel. By the time the first Arab-Israel war ended in March 1949, the following year Israel controlled most of the territory, while Jordan occupied the West Bank and Egypt Gaza. Though skirmishes continued between the Palestinians and Israelis, the next major was fought between the two in 1967, popularly called as the "6-day war", in which Israel defeated the combined armies of Egypt, Syria and Jordan; and captured the West Bank, East Jerusalem, the Gaza Strip, the Golan Heights and the Sinai Peninsula.

To break the logjam and resolve the contentious Palestine issue, several efforts have been made over the years, such as the Oslo Accords of 1993, Camp David Summit, 2000; President Clinton's peace measures; Taiba Summit, 2001; the European Union's peace reforms; and the Abraham Accords of September 2020. However, all these peace initiatives met with failures, largely due to the intransigent attitude of both Palestine and Israel, the mutual lack of trust between them and the lopsided character of peace efforts. East Jerusalem and the determination of the Palestinian borders have always been among the most vexed issues, and they still remain so. Additionally, the politics of big powers has also negated the possibility of a long lasting and a viable two-State solution, acceptable to both Israel and Palestine. No wonder, all proposals met with rejection, sometimes by Palestine and at other times, by Israel.

The war and its implications

The 11-day deadly violence not only set the clock back by several years but also brought out a sharply divided world, with divisions visible within the Arab world, the non-Muslim world, the United Nations and the Organisation of Islamic Conference (OIC). With divisions galore at all levels, questions are being raised whether there can be a durable peace between Israel and Hamas? Can a two-State solution be realized? Can future wars between the two be stopped from occurring?

The grim data available on war destruction testifies that around 250 Palestinian civilians, including women and children were killed and thousands wounded and crippled. The elimination of hundreds of Hamas's fighters, including top 25 handlers was an additional set-back for Gaza's ruling Hamas government. The 11-day relentless bombing of Gaza by Israel flattened a

large part of the city, high rise buildings, including 769 housing and commercial units, besides leaving thousands of people homeless and displaced, who have been forced to take shelter in the UN-run schools. Power stations, electric supply lines and desalination plants were extensively hit by the bombing, severely crippling hospitals and their services. Power availability went down from the pre-violence period of 12 hours to 4-5 hours post-war. According to the United Nations, approximately 8000,000 people in Gaza do not have regular access to clean piped water, as nearly 50 percent of the water network was damaged in the Israeli attack.[1] It is pertinent to observe here that the 2021 Israel and Hamas war was less devastating as compared to the previous wars of 2008 and 2014, when Israeli troops entered Gaza. While in 2008, around 1391 Palestinians were killed, including large number of women and children, around 2310 Palestinians lost their lives in the 7 weeks war of 2014. In contrast, the Israeli casualties were much lesser.

In consistently opposing Israel's actions against Jerusalem, together with launching deadly attacks on Israel, not presumably expected by Israel itself, Hamas has earned the support, sympathy and goodwill of countries like Turkey and Iran and has thus forced the Israel-friendly Arab countries to come out with denunciations for Israel. To that extent, pressure has been built-up on the Arab countries for the Palestinian cause, notwithstanding Hamas being viewed with suspicion and negation by several Arab countries.

The violence, further, gave Hamas an opportunity to showcase its firepower against Israel and to prove that the Palestine President Mahmud Abbas is incapable to forcefully take up the Palestinian cause with Israel. While, an ageing President Abbas faces anti-establishment sentiments, Hamas sees an opportunity in the violence for itself to establish its government in West Bank, in addition to its current hold in Gaza. Though Hamas suffered major damages in the current war, it massively gained in popularity, thereby boosting its future electoral chances. Hamas is expected to gain rich political dividends in the now-suspended future elections to the Palestinian legislature and the Presidency [2]

The latest round of conflagration between Israel and Hamas has once again established the reality of a divided world, notwithstanding the great emphasis lain on peace since the last 75 years of the Palestine issue. To be sure, it has exposed the deep chinks and intense mistrust between Israel and its Arab neighbours. Despite years of negotiations, mediation and confidence building measures by global powers, the hostilities are still

simmering between the belligerent nations. After 2014, this was the deadliest war between Israel and Hamas, baying for each other's blood and bent upon erasing each other's existence from the map of the world!

With this war, the process of normalization of relations between Israel and its estranged Arab neighbours has suffered a setback. The Donald Trump-brokered Abraham Accords of September 2020, which set in motion the advent of peace in the volatile West Asian theatre, has taken a beat as the Arab world condemned the Israeli aggression and called for punitive action against Israel by the world community.

Ceasefire and Victory claims by Hamas and Israel

The ceasefire declared between the warring sides following an intense diplomatic effort was proclaimed as a victory be each party over the other. In particular, the so-called victory celebrations indulged-in by Hamas reflected, more than anything else, its deep aversion and intolerance for Israel. Though the ceasefire continues, it remains too fragile as both Hamas and Israel see their respective victories in the ceasefire. Their attitude has given rise to two pertinent questions: One, does the ceasefire mark a victory for one and a defeat for the other, as being claimed by both but principally by Hamas? Two, how long the ceasefire would hold on? Following the 11-day bloody conflict between Israel and Hamas, the bloodiest since 2014 violence, the ceasefire declaration saw Hamas broke into jubilation and proclaiming its victory over Israel. It congratulated its fighters and its war division Al Qasam Brigade and other smaller militant groups such as Islamic Jihad and termed the ceasefire as a "humiliating defeat" for Israel and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in particular, asserting "….We have the right to rejoice despite the pain, wounds, destroyed homes and martyrs."[3]

While confirming the ceasefire, Hamas released an official statement declaring victory. It said: "We were able, with the help of God, to humiliate the enemy and its army, whose leadership boasted of killing children and destroying residential towers". Its representative, Abu Obeida said: "We fought in the resistance, the battle of the Sword of Jerusalem, in defence of Jerusalem with all honour, will and pride, on behalf of an entire nation." Notwithstanding Hamas's victory claims, Jerusalem still remains under Israel's occupation and sovereignty. The victory proclamation and celebrations by Hamas would have been meaningful if Jerusalem had fallen and came under the Palestinian government, which is the main objective of the Palestinian movement. Secondly, it is to be remembered that a ceasefire was brokered following massive and non-stop live media and television

coverage of Palestinian destruction by the Israeli warplanes, resulting in large scale human casualties in Gaza. The eyes of the entire world got fixated over Palestine's mauling by the Israeli aggression, prompting international powers to mediate to stop the further devastation of Gaza and victimization of people. As such, the cessation of hostilities cannot be interpreted as a victory for Hamas. The victory trumpets can, at best, be seen as moral boosting of its cadres and fighters.

Joining hands with Hamas were the Jordanians, who euphorically celebrated with gunfire the "victory of the resistance" against Israel. Thousands of demonstrators carried banners reading: "Jerusalem is the symbol of victory", congratulations on the victory of the resistance", "the resilience of Gaza led to victory", "Death to Israel" and "Let's trade the olive branch for the gun".

Similar to the claims of Hamas, Israel too claimed victory. Prime Minister Netanyahu hailed Israel's bombardment of Palestinian armed groups in Gaza as an "exceptional success", saying "we have achieved our goals in the operation". Defending the Israeli aggression against the Islamic militant government and jihadi groups of Gaza, he asserted "the public doesn't know everything" about Israel's gains in the operation "and neither does Hamas."[4]

While many in Israel were rooting for the toppling of the Hamas government, observers hold that the "lack of a decisive winner doesn't amount to a loss, since Israel's strategy is to wage a long-term campaign of deterrence." The so-called victory for Israel is being viewed by many as the return of it's long-term policy of "mowing the grass", implying periodic Israeli military operations against the Palestinian militants in Gaza to weaken their military capabilities, if not totally destroying the militant organizations.[5]

Despite these labored arguments and justifications, the assertion of an Israeli victory seems meaningless and invalid. Contrary to popular perceptions in Israel, Hamas proved its strength and launched unabated rocket attacks, lobbing around more than 4000 projectiles into Israel, many of which were successful in crossing the border and managed to reach as far as Tel Aviv. Though Israel managed to destroy around 90 percent of rockets mid-air, the fact it could not stop the unabated barrage of rockets till the very last proves the military capability and grit of Hamas remain unconquered.

Even after the establishment of a truce, tensions persist between Israel and Hamas. Exuding confidence, Ezzat El-Reshiq, a member of the Hamas

political bureau, told the news agency, "It is true the battle ends today but (Israeli Prime Minister Benjamin) Netanyahu and the whole world should know that our hands are on the trigger and we will continue to grow the capabilities of this resistance." Just 24 hours into the ceasefire, tensions broke out as Israeli police stormed the Al Aqsa mosque after the Friday prayers. Citizens reported about the loud buzzing of Israeli Drones in the Gaza sky.[6]

The fragility of the ceasefire could be gauzed by none other than the Palestine Foreign Minister Riyad al-Maliki, who told Al Jazeera "there are no guarantees. No guarantees at all that the ceasefire between Israel and Hamas would hold. Because, Israel, proclaims that the ceasefire is unilateral. That they have taken that decision on their own…."[7]

Before going into ceasefire, both Israel and Hamas issued a note of caution. While Israel said: "The reality on the ground will determine the continuation of the campaign", Hamas retorted the success of (of ceasefire) "depends on how much Israel is ready to respect the Palestinians' rights." Reports speak of grave provocations by Hamas, with the latest being Yahya Sinwar, a top Hamas militant leader, posing a photograph with a son of a dead militant of the Al-Qasam Brigade. In the photo, the child is seen in camouflage clothing and holding an AKS-74U assault rifle in his hands and is carried by Sinwar during a demonstration in Gaza city. The Israeli army posted the video on the twitter, saying "Does it look like an organization that wants peace?" Hamas leadership also took out a military parade in the Gaza city, showcasing its stock of rocket arsenals and missiles, and fighters dressed in full fighting gears and seated atop tanks, with a rapturous public cheering the militants.

Global reactions in a divided world

As usual, the response of the world over the present Palestinian conflict is clearly divided with countries displaying their traditional biases toward their preferred allies along the expected lines. But while, the division between the West and the East is clearly marked, the sting was missing from many of the Arab countries in their responses. Reactions ranged from extreme to moderate in the Arab world, sending out a mixed message that while they denounce the Israeli actions, the political and diplomatic relations with the Israel will remain unaffected and that did happen as there were ruptures in the diplomatic relations of the Arab countries with Israel.

Displaying a moderate response, Saudi Arabia, which has not yet

normalized its relations with Israel but has tacitly approved the growing proximity of its Gulf allies with Israel, said, "….it rejected Israel's strategy of evicting dozens of Palestinians from their homes" (in the Jarrah neighbourhood in East Jerusalem). Slightly raising the pitch were the Emirates and Bahrain who condemned the Israeli raids on the Al Aqsa Plaza housing the sacred Al Aqsa mosque and the Dome of the Rock. Expressing concerns, Abu Dhabi asked Israel to "take responsibility for a de-escalation" of violence. On its part, Morocco asserted that it was viewing the developments with "deep concern" and that their King Mohammed regarded "these violations inadmissible and fuelling tensions"[8]

Likewise Egypt and Jordan, which have diplomatic relations with Israel, have been relentlessly pursuing for ceasefire between Israel and Hamas. Though condemning Israeli operations, Egypt considers Hamas as an outlawed branch of the Muslim Brotherhood and a danger to the region. The United States designated Hamas as a "Foreign Terrorist Organisation" and outlawed it in October 1997. Hence for many, little sympathies are attached with Hamas. Not surprising, the government-controlled media in the UAE and Bahrain did not cover the violent flare-up non-stop like the other media channels in the region.

Notwithstanding their moderate response countries like Saudi Arabia, UAE, Egypt, Jordan, Bahrain and Qatar enjoying friendly ties with the United States and having improved relations with Israel are simultaneously feeling the heat of the Israeli aggression more than any other else. Iran, Israel's bête noire and Turkey, both who deadly opposed Israel's aggression, have turned the tables on their Arab rivals.

Iran, in sharp contrast, represents the case of radical countries, who view the Israeli aggression as a grave challenge to the Palestinian cause, urging them to "confront the enemy". Upping the ante, Iran's supreme leader Ayatollah Khamenei called upon the Palestinians to "build up their fighting power to stop Israel's brutality." Condemning Israel's military actions against Palestinians, he warned that "Zionists understand nothing but the language of force, so the Palestinians must increase their power and resistance to force the criminals to surrender and stop their brutal attacks."

However, Turkey seems to have surged ahead in condemning Israel. It lashed out at countries remaining silent over the "cruelty" unleashed by Israel over the Gaza Strip and the holy shrines of the old city of East Jerusalem. Calling Israel a "terror state", it said: "Those who remain silent or openly back Israel's bloodshed should know one day it will be their

turn."[9]

Turkey, which of late, was in the process of mending its ties with Israel and had held several rounds of meetings with the Israeli intelligence officials, launched a barrage of denunciations and verbal accusations, terming Israel as a "terror state" and called upon the international community to give a "strong and a deterrent lesson to Israel." Quite contrary to its overtures to Israel, it has consistently refused to hold Hamas a terrorist organization. The Turkish President Erdogan infact hosted a Hamas delegation led by its leader Ismail Haniyeh in August 2020, provoking strong resentment by Israel. The latest Israeli military action will stall Turkey's efforts to bridge its relations with Israel, as seen by the increasing number of meetings between the Israeli and Turkish intelligence officials. In addition, Turkey has solicited the global support calling for an "international force to protect Palestinians from the Israeli aggression" and to called upon the leaders of the Islamic nations – Malaysia, Qatar, Jordan, Kuwait, Azerbaijan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, Northern Cyprus and the Russian President Putin, with whom he has a hate-love relationship.[10] However, observers view Turkey's outbursts more in light of its ambitions of donning the mantle of Khalifa of the Muslim world and positioning itself as a principal power in the Arab world than for its any real concern for the Palestinian cause.

As ever, the latest round of violence between Israel and Palestine witnessed partisan politics by big powers. Statements issue by the United States at the very beginning of the conflict justifying Israel's seemingly disproportionate use of power against Hamas in Gaza, while vehemently criticizing the latter, clearly reflected the partisan stand of the United States and an indication to Israel to go ahead with its ruthless retaliatory strike against Hamas, which resulted in scores of killings of Gaza civilians. In his telephonic talks with Benjamin Netanyahu, the Israeli Prime Minister, the U.S. President Joe Biden extended his "strong support" to Israel while declaring that the latter has the "right to defend itself against rocket attacks from Hamas and other terrorist groups in Gaza."[11]

Following the suit of the United States, its allies too extended outright support to Israel, with the German Foreign Minister Heiko Maas saying, "The rocket attack on Israel is absolutely unacceptable and must end immediately. Israel, has in this situation , the right to self-defence. This escalation of violence can be neither tolerated nor accepted." Adopting a seemingly balanced approach, the European Union asserted "Palestinian rocket attack into Israel were "totally unacceptable" and called upon all

sides to aim for a de-escalation and to prevent more civilian casualties. However, the EU foreign policy chief Joseph Borrell also condemned the evictions of Palestinian families in East Jerusalem, calling them illegal and saying they only served to fuel tensions. Giving a general message, the British Prime Minister Borris Johnson expressed its deep concern at the growing violence and called for urgent de-escalation of the hostilities between the two belligerent nations. In the same vein, the Russian President Putin urged Israel and the Palestinians to halt fighting and "called on the parties to de-escalate tensions and peacefully resolve the emerging issues."[12]

The same discord and divisions were marked even with the Organisation of Islamic Countries (OIC), a conglomeration of 57 Islamic countries of the world. This was witnessed in the emergency meeting of the Organisation of Islamic Conference (OIC) held virtually on May 16. Members, while denouncing the Israeli aggression, indulged in mutual blame game and accused each other for warming-up to Israel. Slamming Saudi Arabia, Iranian Foreign Minister Mohammed Javed Zarif observed: "The massacre of Palestinian children today follows the purported normalization….This criminal and genocidal regime has once again proven that friendly gestures only aggravate its atrocities."[13]

While some Arab countries like Egypt, Turkey and Jordan already have diplomatic relations with Israel for several decades, new entrants recognizing or moving towards Israel were at the receiving end. Thus, Bahrain, Morocco, Sudan and the UAE were targeted by Turkey and Iran for recognizing/normalization of relations with Israel under the US-brokered 2020 Abraham Accords. Anguished by these countries, the Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu joined Iran's Zarif in lashing out and saying: "There are a few who have lost their moral compass and voiced support for Israel", he said. "If there are half-hearted statements within our own family, how could we criticize others? Who will take our words seriously?" The classical contradiction being that while Ankara itself has close diplomatic and bilateral ties with Israel, it criticized others for being close to Israel.[14]

India's Response: Ambiguous or 'Craftsmanship'!

In sharp contrast, India's response to the current conflagration has been marked by extreme caution, pragmatism and national interest. India's statements at the UN Security Council Open Debate and at the UN General Assembly debate left observers and analysts guessing and perplexed about India's actual position on the war. While some called India's UN address as 'pro-Palestine', others interpreted it as 'tacitly backing Israel'. While

some termed it 'ambiguous', others described it as 'a treatise in craftsmanship'. These varied interpretations stem out of India's geo-political constraints and the New Delhi's indirect but crucial stakes in the West Asian politics.

In order to comprehend India's stand on the subject, it is important to bear in mind that India enjoys intensely close relations with both Palestine and Israel. Palestine has always been an emotive issue and an article of faith for India's foreign policy for long. India was among the first countries to recognize the State of Palestine in 1988 and has, since then, continued to extend humanitarian aid and assistance. Besides, India has liberally contributed to the creation of infrastructure by way of building hospitals, schools and libraries.[15] During Covid-19 pandemic too, India supplied critical medicines and medical equipments as part of Covid-19 assistance to Palestine.

Similarly, relations with Israel, though established in 1992, have moved on from strength to strength since then. Today, the relations between the two are all-encompassing, with an ever-increasing bilateral trade touching US$ 4.14 billion (*excluding defence*) during the period April 2020 – February 2021 with the balance of trade being in India's favour. Likewise, the defence ties over the years, have touched an all-time high, with Israel emerging as the second largest supplier of arms for India and the latter its largest purchaser [16]

India's response to the current cauldron should, thus, be seen against this background where it had to walk a tight rope and balance its relations with both countries. India's stand needs to be deciphered through its UN Security Council's Open Debate on May 16 and its UN General Assembly statement on May 20. India's permanent representative to the United Nations, T.S. Trimurti's address at the open debate on the Middle-East situation in the UN Security Council on May 16 implied much more than what met the eye. In his address, he referred to two things, which displayed India's pro-Palestinian stand and may have dismayed Israel. First, while reaffirming India's long-held position for an independent State of Palestine, he said, "….India reiterates its strong support for the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution." Second, his address made it clear that the violence began in East Jerusalem, saying, "our deep concern over the violence in Jerusalem, especially on Haram esh-Sharif/Temple Mount during the holy month of Ramzan and about the possible eviction process in Sheikh Jarrah and Silwan neighbourhood in

East Jerusalem." India's observation was not off-the-mark as the foregoing account clearly highlights the intense tensions that started building-up with the Israeli actions in evicting the Arab families from Jerusalem's neighbourhood. India also urged both sides to "refrain from attempts to unilaterally change the existing status quo, including in East Jerusalem and its neighbourhood" and called for "the historic status quo at the holy places of Jerusalem, including Haram-esh-Sharif/Temple Mount must be respected." Here, again it implied that India was putting Israel in the dock as it was the latter who unilaterally attempted to change the status quo by forcefully evicting the Palestinians families and deploying security forces at the Al Aqsa compound. Without calling out names, India conveyed the message that the eviction of the Palestinian families has to be stopped by Israel. Supposedly, India's stand irked Israel as Benjamin Netanyahu did not tweet the Indian flag among flags of 25 countries he tweeted with thanks, from the United States to Albania, that he said were "resolutely standing with Israel and supporting our right to self defence".

However, notwithstanding the above, there was much more meaning to what was read out by the Indian ambassador and that perhaps raised the eyebrows of many an analyst. The hidden message contained in the address, according to analysts, reflects India's pro-Israel tilt and its acute geo-strategic importance for India. For instance, India's detestation for Hamas was manifested in its condemnation for the Gaza rocket attacks without a corresponding criticism for the Israeli counter-attack. This subtly conveyed India's message that attacks by a non-State actor (Hamas) against a State is simply unacceptable and liable to be repulsed with full force. Without naming Hamas, to avoid giving legitimacy to the terrorist organisation, India instead used the word "firing from Gaza" (and not Hamas), thus saying: "India formally 'condemns' indiscriminate rocket firings from Gaza targeting the civilian population in Israel". India's condemnation of the Gazan strikes was in stark contrast to the international response that sought to create a perception of the Israeli aggression. Here, it is pertinent to note that India's condemnation was directed at the actions of a "non-State" actor (Hamas) against a State (Israel). Thus implicitly, India supported the retaliatory action by Israel, clearly sending the message that Israel reserves the right to retaliatory strike in self-defence. As India too is suffering from the scourge of terrorism, it extended its tacit support to Israel's action.[17]

Secondly, while reaffirming India's support for a Palestinian State, it was silent on issues of East Jerusalem and the Israeli-Palestinian borders.

The omission of these two important terms marks India's clear departure from its long-held Indian position that East Jerusalem will be the capital of the proposed independent State of Palestine and the pre-1967 borders will determine the future Israeli-Palestine borders. The earlier position under the UPA government, as expressed by then Prime Minister Prime Minister Man Mohan Singh in November 2013, was that India supported "the Palestinian cause and called for a negotiated solution resulting in a sovereign, independent, viable and united State of Palestine, with East Jerusalem as its capital, living within secure and recognised borders, side by side at peace with Israel".[18] This position was reaffirmed by then President Pranab Mukherjee, in October 2015. It was, thus, not a sudden change emanating from this war, rather it evolved with the inception of the Modi government in May 2014.This new position was manifested, when India hosted the visiting Palestinian President Mahmoud Abbas in 2015. Prime Minister Modi then obliquely conveyed this in his statement, which did not mention the Jerusalem and the border issues: He thus said: "[W]e hope to see the realisation of a sovereign, independent, united and viable Palestine, coexisting peacefully with Israel."[19] While paying a return visit to Ramallah in 2018, Modi again reaffirmed this new position without any direct reference to the borders or Jerusalem. Thus, it's no wonder why ambassador Trimuti's address did not contain any reference to the twin issues of East Jerusalem and the Israel-Palestine border.

A careful reading of ambassador Trimuthi's address further reveals the hidden part. While expressing shock at the loss of scores of lives, the statement does not make any reference to the disproportionate use of force by Israel that took a heavy toll of casualties. Further, Trimuthy's statement twice mentions Haram-esh-Sharif but each time the reference comes with a hyphenated Haram-esh-Sharif/Temple Mount. This diplomatic language subtly conveyed the message that while the Palestinian control over Haram-esh-Sharif is accepted, the Israeli claim over Temple Mount cannot be disputed. There can be no exclusive Palestinian control over the entire Haram-esh-Sharif as Temple Mount lies under the Jewish control. The statement, infact, reflects the need for a negotiated settlement between the two, while conveying Israel's legitimate claim over the Temple Mount. And to top it all, not even once the address makes any reference to the H-factor. This clearly signals India's disdain for Hamas, a terrorist organization, and also conveys India's policy of not extending legitimacy to outlawed organizations, like Hamas. Even when India spoke of a "just Palestinian

cause" and its "unwavering commitment to the two-State solution", it was referring to the Palestinian Authority, and not the Gaza government of Hamas. India has always recognized the Palestinian Liberation Organisation (PLO) as the true representative of the Palestinians and not Hamas- the terror outfit. and this position reflected once again, in Trimurti's address: "These incidents have once again underscored the need for immediate resumption of dialogue between Israel and Palestinian authorities. The absence of direct and meaningful negotiations between the parties is widening the trust deficit between the parties." Thus, while backing the PLO as the Palestinian's legitimate body, India called for the resumption of the dialogue between the PLO and Israel [20]

Ambassador Trimuti's address amply reflects that India has attempted to walk a thin rope, delicately balancing its relations with both Israel and Palestine, for it can neither afford to antagonize the Arab world, nor can it bear to lose the vital all-round Israeli support and friendship. However, analysts are divided over India's response and are yet deciphering the real intent and message behind it.

Challenges ahead

The situation is grave and challenges manifold. The Middle-East politics, involving Palestinian issue, is complex and difficult to be understood, as a number of regional and global actors, and visible and hidden forces directly/indirectly affect the Palestinian politics. Though over decades, several peace proposals have been worked out, unfortunately each time it has failed. This, according to Prof. Shashi Shukla, a noted scholar on West Asian politics, is due to "diametrically opposite perspectives of the two parties (Israel and Palestine) to the dispute on issues like border security, Jewish settlements, refuges and Jerusalem. There cannot be a lasting solution till these issues are amicably resolved." This is unanimously felt by all concerned, including Israel and Palestine. In the current perspective, a viable solution to the vexed Palestinian problem calls for both immediate and long-term measures.[21]

To begin with, certain peace-building measures (CBMs) need to be initiated at the earliest. Prime among them being reversing the proposed eviction of Palestinians from the Jarrah neighbourhood of East Jerusalem, which is the immediate cause of current conflagration; facilitating the observance of religious rights of Palestinians over the Al Aqsa mosque and other holy shrines and resolving the dispute over land rights in the old city Jerusalem on an urgent basis. [22]

These issues have been taken-up in the ongoing truce between Israel and Hamas, though serious provocations from both sides have given nightmares to the powers monitoring the ceasefire. These actions have to be matched with relevant concessions, starting from Israel, by way of easing blockade of Gaza to allow humanitarian relief, fuel and other goods to enter the Gaza city. It is to be noted that Gaza is blockaded by two of its neighbours, Israel and Egypt. Israel maintains that its national security necessitates imposing tight controls over its borders with Gaza to prevent Hamas from getting military hardware and increasing its military strength. Egypt, on the other hand, suspects that Hamas is close to Muslim Brotherhood, a radical Muslim organization of Egypt and hence, any nexus between the two will hamper its own security.

Along with Israel, Hamas too needs to play its part, restraining militants and protestors from attacking Israel. This process needs to be backed by exchanging of prisoners captured by either side in the war. Responsibility also falls on the shoulders of western and Arab mediators to ensure the smooth continuation of ceasefire and its observance by both the warring sides. During the ceasefire negotiations, Hamas had warned the mediators to ensure the "protection of Al-Aqsa mosque in Jerusalem and ending the eviction of several Palestinians from their home in East Jerusalem", describing it as "a red line". It issued a tacit warning about the resumption of hostilities, saying "What comes after the battle of 'Sword of Jerusalem' is not like what came before because the Palestinian people backed the resistance and know that the resistance is what will liberate their land and protect their holy sites." [23]

As a long-term measure, the reconstruction of the Gaza city is a major priority for the international community. However, issues have cropped-up with the United States' announcement of providing a "rapid humanitarian assistance", along with other international stakeholders, for the reconstruction of Gaza as it comes with a rider saying the humanitarian aid would be coordinated with the West Bank Mahmud Abbas government. "in a manner that does not permit Hamas to simply restock its military arsenal". This is because Hamas is considered as a terrorist organization by both Israel and the United States. With the rejection of direct aid to the Gaza government, indications are that this could snowball into a major controversy as Hamas, who is at loggerheads with the Abbas government, may disapprove of the U.S. assistance.

Further, the United States' reconstruction efforts could hit a wall as

international donors, in the absence of any guarantees ruling out the resumption of war at a future date, would not like to invest their funds into Gaza reconstruction. Highlighting this concern, Dennis B. Ross, a veteran American negotiator of peace efforts between Israel and the Palestinians and Middle East Policy for atleast four U.S. Presidents, noted that "international donors would probably be wary without enforceable assurances that any investments would not go to waste as they all but certainly would if the group later reignited hostilities that would draw a harsh response from Israel." [24]

Similar views were expressed by a 2017 Brookings Institution analysis, which concluded that the "reconstruction effort largely failed because of intractable political opposition to Hamas not only from Israel but also from Egypt, which opposes the militants' ties to the Muslim Brotherhood." The study disclosed that international donors were "slow to send money they had committed to the 2014 rebuilding effort in Gaza. The vast majority of donations that were unfulfilled, three years after the ceasefire, had been pledged by Arab states in the Persian Gulf that also opposed Hamas's ties to the Muslim Brotherhood." Notwithstanding Muslim Brotherhood has renounced violence, it is believed they have links with extremist groups, including Hamas. [25]

Summary

Though the afore-mentioned challenges are stupendous, they are not insurmountable. Progress has taken place though at a snail's pace. The western and Arab negotiators to the current ceasefire agreement amply realize that the non-resolution of the underlying causes of dispute will lead to the war once again. Past efforts by international community to reconcile the deep divide between Israel and Palestine and to bring them to the negotiating table were not totally a waste of time and efforts. The fight for an independent State of Palestine, alongside the State of Israel under the 'Two-State' solution has met with some success. While for long, Israel squarely disapproved the very idea of an independent Palestinian State and the latter too rejecting the existence of a Jewish State of Israel, consistent efforts of the international community bore fruits as Palestine gave an indirect recognition to the 'Two-State' solution in 1988. The Palestinian Declaration of Independence of November 15, 1988, which referenced the UN Partition Plan of 1947 and UN resolutions since 1947, in general, was interpreted as an indirect recognition of the State of Israel and support for a two-state solution.[26] From the Israeli side, the melting of ice began with the Oslo Accords of 1993, where Israel acknowledged the PLO negotiating team

as "representing the Palestinian people", in return for the PLO recognizing Israel's right to exist in peace, acceptance of UN Security Council resolutions 242 and 338 and its rejection of "violence and terrorism." [27]

On balance, the only solution to the vexed Palestinian dispute is the peace process, which has to be carried forward beyond the point the progress already achieved. India has vital stakes in the resolution of the Israel-Palestine imbroglio, as India enjoys close relations with both countries. Though India's relations with Palestine precede with that of Israel, the latter has emerged as an all-time friend for India, from trade-commercial relations to the net security provider. At the same time, Palestine is a window for India to strengthen its credentials with the Arab countries, where around 9 million Indian citizens reside and work, and who said billions of dollars of foreign remittance to India annually. For any lasting solution to the Palestinian issue, the aspirations of the Palestinians will necessarily have to be taken into consideration and given a concrete shape. Alongside, the trigger points need to be capped, for with persisting sores there can be no healing. This can be fructified only through the largely-accepted 'Two-State Solution', which however, is not acceptable to Israel at the moment. Nothing can better conclude the above discussion on a realistic note than the words of Prof. Shukla who observes that "the fact of the matter is that Israel is no longer a pariah state and the Palestinian issue has lost its emotive value and ideological appeal. The regional dynamics have changed totally. Israel is now seen as a partner, if not an ally, and the Arab states have accepted the reality of Israel as a regional power. It is to be seen, however, as upto what extent Turkey and Iran are willing to go and take up cudgels on behalf of the Palestinians." [28] These pragmatic observations of scholars provide a ray of hope in the settlement of the century-old Israel-Palestine conflict.

References

1. *"Gaza: Daunting rebuilding task after 11 days of Israeli bombing", Al Jazeera, May 21, 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/5/21/thousands-of-gazans-return-to-destroyed-homes-after-israel-truce*
2. *Palestinians postpone long-awaited elections in West Bank and Gaza. The Washing Post, April 30, 2021. https://www.washingtonpost.com/world/palestinians-delay-elections/2021/04/29/5fd1dfa0-a903-11eb-a8a7-5f45ddcdf364_story.html*
3. *Erin Cunningham and Antonia Noori Farzan, "Why both Israel and Hamas are claiming victory", The Washington Post, May 21, 2021. https://www.washingtonpost.com/world/2021/05/21/hamas-israel-gaza-war-victory/*

4 *Erin Cunningham and Antonia Noori Farzan, "Why both Israel and Hamas are claiming victory", The Washington Post, May 21, 2021. https://www.washingtonpost.com/world/2021/05/21/hamas-israel-gaza-war-victory/*

5 *ibid*

6 *Tom O'Connor, "Israel, Hamas Both See Victories as Fighting Follows Gaza Ceasefire Agreement", May 20, 2021. https://www.newsweek.com/israel-hamas-both-see-victories-fighting-follows-gaza-ceasefire-agreement-1593493*

7. *ANI News, "Israeli Police storm Al-Aqsa Mosque after Friday prayers; fragile ceasefire holds", May 22, 2021.https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0M4nCYt-6osJ:https://www.aninews.in/news/world/middle-east/israeli-police-storm-al-aqsa-mosque-after-friday-prayers-fragile-ceasefire-holds20210522103256+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=in*

8. *Arab countries allied with Israel 'hostages of the conflict and its upheavals', May 12, 2021. https://www.france24.com/en/middle-east/20210512-arab-countries-allied-with-israel-hostages-of-the-conflict-and-its-upheavals*

9. *Erdogan, "Turkey won't remain silent over Israeli strikes in Gaza." Al-Monitor, May 14, 2021. https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/erdogan-turkey-wont-remain-silent-over-israeli-strikes-gaza*

10. *Riya Baibhawi, "Israel-Palestine Conflict: Turkish Prez Rallies Global Support Over Conflict with Hamas", May 14, 2020. https://www.republicworld.com/world-news/middle-east/israel-palestine-conflict-turkish-prez-rallies-global-support-over-conflict-with-hamas.html*

11. *Biden calls Netanyahu, says Israel has right to defend itself, May 16, 2021. Business Standard. https://www.business-standard.com/article/international/biden-calls-netanyahu-says-israel-has-right-to-defend-itself-121051600045_1.html*

12. *World reacts as violence escalates in Israel-Gaza conflict", May 12, 2021, France 24. https://www.france24.com/en/middle-east/20210512-world-reacts-as-violence-escalates-in-israel-gaza-conflict*

13. *Dawn, "Muslim States Slam Israel—and each other's ties to it", May 16, 2021. https://www.dawn.com/news/1623952*

14. *ibid*

15. *Ministry of External Affairs, "India-Palestine Relations", Government of India, April 2015. https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Updated_Note_on_India-Palestine_Relations_for_MEA_Website.pdf*

16. *Pieter D. Wezeman, Alexandra Kuimova and Siemon T. Wezeman (2021), "Trends In International Arms Transfers, 2020", SIPRI Fact Sheet 2021, March 2021. https://sipri.org/sites/default/files/2021-*

03/fs_2103_at_2020.pdf

17. *Manjari Singh, "Israel-Hamas Conflict: Deciphering the Indian Response", June 21, 2021. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:83rXJl0k0QQJ:https://www.claws.in/israel-hamas-conflict-deciphering-the-indian-response/+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=in*
18. *Ministry of External Affair , "Statement by Permanent Representative of India during the Security Council Open Debate on 'the situation in the Middle East, including the Palestinian Question", 23 July, Available at:https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?*
19. *Stanly Johny, "At UN, India supports Palestine, but without specifics", The Hindu, May 17, 2021. https://www.thehindu.com/news/international/analysis-at-un-india-supports-palestine-but-without-specifics/article34579059.ece*
20. *Sreemoy Talukdar, "Gaza conflict: India's statement at UNSC gives tacit support to Israel and delegitimises Hamas as Palestine's voice", First Post, May 20, 2021. https://www.firstpost.com/india/gaza-conflict-indias-statement-at-unsc-gives-tacit-support-to-israel-and-delegitimises-hamas-as-palestines-voice-9638491.html*
21. *Prof. Shashi Shukla, "The UN in the Israel-Palestine Conflict", Lecture at the Centenary Celebrations of the Political Science Department, University of Lucknow, (India), November 25, 2020.*
22. *Yan M.T. Downie," Cease-fires can be fragile, and short-lived, with underlying disputes unresolved.", May 21, 2021.http://www.ganjampost.in/2021/05/21/cease-fires-can-be-fragile-and-short-lived-with-underlying-disputes-unresolved/*
23. *U.S. News, "Hamas to Keep Finger on Trigger After Ceasefire, Says Official", May 20, 2021. https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-05-20/hamas-to-keep-finger-on-trigger-after-ceasefire-says-official*
24. *Lara Jakes, "U.S. Looks to Rebuild Gaza, but Aid Could Hinge on Hamas's Rocket Arsenal". May 20, 2021. https://www.nytimes.com/2021/05/20/us/politics/israel-gaza-hamas-biden-netanyahu.html*
25. *ibid*
26. *Mohamed Rabie, "The U.S.-PLO Dialogue: The Swedish Connection", Journal of Palestine Studies , Volume 21, 1992, Issue 4, pp. 54-66. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2307/2537663?journalCode=rpal20*
27. *Kim Murphy, "Israel and PLO, in Historic Bid for Peace, Agree to Mutual Recognition : Mideast: After decades of conflict, accord underscores both sides' readiness to coexist. Arafat reaffirms the renunciation of violence in strong terms.", Los Angeles Times, September 10, 1993. https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1993-09-10-mn-33546-story.html*
28. *Prof. Shashi Shukla, ibid*

Manglam-Year 13(01),Vol.XXIV,Feb.2022
ISSN-0976-8149, P-20-29

Covid-19 And Its Impact On Health: India's Experience

*Dr. Basanti Kumari Nayak**

Abstract

The covid-19 is a major health crisis that has changed life of millions in India as well as Odisha.World Health Organization(2020) expressed its concern over the pandemic's physical and mental health consequences. The self-isolation and quarantine due to the pandemic have affected normal activities, and livelihood of people that lead to loneliness, anxiety and depression. The lockdowns around the country led to an increase in domestic violence. The recent survey by Indian psychiatric society shows a twenty percentage increase in mental illnesses since the outbreak of corona virus in India(Loiwal 2020).Psychologists predict that there is a increase in cases of depression suicide and crime. I used secondary source of data to show the physical and mental health of people. In my last section I want to highlight social wellbeing because health is a state of physical mental and social wellbeing. Lastly I want to propose how to improve the mental health of people.

Keywords - Covid-19,Mental Health,Well being

Introduction

"The microbe that felled one child in a distant continent yesterday can reach yours today and seed a global pandemic tomorrow"- Nobel Laureate Joshua Lederberg

The predictive warning by Nobel laureate Joshua Lederberg in one of his lectures way back in 1988 has proved true with the outbreak COVID-19 pandemic.

We humans always want to be spared from poverty and death (disease stricken death) but there is no escape route when a pandemic of Covid-19 magnitude engulfs the humanity forcing neighbourhoods, cities to stay isolated for the longest period of time without any social and economic activities. History reveals that the world has witnessed many Pandemics but those have been either country or region specific where as COVID-19 has been an exceptional threat to humanity with millions of lives lost across countries and the healthcare system of the most advanced nations failing to respond swiftly and effectively in containing and mitigating the spread of the deadly virus. The pandemic has exposed how vulnerabilities in the healthcare system capacity can have profound implications on health, economy and

Assistant Professor, Department Of Economics, Satywati College , Delhi University, Delhi

social life. In a crisis of such speed and ferocity, one wave following the other and with new variants more infectious than that of the first and second wave spreading across countries, the world economy is severely affected with forecasts and projections going haywire. The world economy was estimated to contract by 4.3% in 2020 as per World Bank report and 3.5% as per IMF estimation . During these exceptional period of uncertainty, the global economy is projected to grow 5.5 percent in 2021 and percent in 2022. The 2021 forecast is expected to go up by 0.3 percentage point relative to the previous forecast, reflecting expectations of a fully vaccinated workforce helping to strengthen economic activity later in the year and additional policy support in a few largeer economies.

Though this crisis is a short- run phenomenon, but it has left an ineradicable dent on the humankind by the loses we have experienced.Covid-19 left people with no choice but between life and livelihood .In the world , more than 200 countries got affected and more than 47 lakhs precious human lives were lost..Harvard epidemiologist, Marc Lip stitch's warning that the corona virus will infect up to 70% of humanity within a year has proved a reality.

India is world's third worst hit country with millions getting infected and more than 5 lakhs death reported and the healthcare capacity stretching beyond its efficiency in tackling the deadly crisis.

The pandemic which proved to be a health emergency worldwide shook the healthcare systems of many countries to its core. According to the World Health Organization(WHO), there is no health without mental health . Physical Health, Mental Health and social well being were challenged by the virus forcing countries to succumb to the threat posed by Covid. Physical and mental health go hand in hand and they are not exclusive of each other. Without mental health, there is no physical health. Health is not just a matter of being alive or living a long life but living in good health (Anguish Deaton, 2012).

Good health has been shaken by this pandemic, that is why it is very difficult for India to achieve its Sustainable Development Goal no.3 (SDG)- Ensure healthy life, promote well being for all at all ages. UN revealed that the increase in intensity of the pandemic not only increases mortality and morbidity but also results in gradual erosion of state's healthcare capacity and increases poverty.

Methodology

For clinical studies related to Covid crisis, Secondary data has been utilised. These data were analysed with the focus on how covid-19 has its impact on mental ,health physical health and well being of the people in India . Government reports and recently published literature from Government and other resources has been used.

Objectives

The paper has Four objectives, the First one is why the health sector got starked and its impact on the population of the country. People from every strata suffered a lot.

The second, the factors which are responsible for allowing the mental health crisis is also elaborately discussed.

The Third objective-not only physical and mental health was disturbed but also the social well being of the country took a hit.

The Fourth objective of this paper includes some suggestions as to how to strengthen the public health sector in India.

Review of literature

A study done by Ishita Goyal et al.(2021)- "Effects of covid-19 pandemic in India: an analysis of policy and technological interventions", found that low spending on health by the government resulted in the public health sector being hard hit due to the pandemic.

The study done by Arafa Ahmand et al.(2020) "Psychological impacts of the covid-19 pandemic on the public in Egypt"found that depression ,anxiety and stress of the participants were found increasingly severe.

The study done by Tanver Rahman et al.(2021) -"An anxiety during the covid-19 pandemic among the residence of an urban slum in North India."Findings were 3.5% of the residents suffering from depression and 2.5% from anxiety.

Usama Rehman et al.(2020)- "Depression anxiety and stress among Indians in times of covid-19 lockdown". The findings proved that the depression anxiety and stress increased during these times.

Verma and Mishra (2020) found in their study that the stress and depression in the Indian population was also due to increase in unemployment during the pandemic.

Study done by M.Mohan Kumar et al.(2020)-"Impact of covid-19 pandemic on adolescent health in India". The study says that the young

minds are suffering due to their interrupted amenities for education, nutrition and mental health.

Kavita Singh and others (2021)-their study find that people having chronic conditions have been affected severely both socially and financially by the pandemic.

The novel corona virus which is declared as health emergency by WHO induced global recession and it has outweighed all the financial crisis of the past. Under this pandemic, India experienced negative growth due to the longer lockdown period. This teaches us trade off between lives and livelihoods, in the short run it is a challenge in front of the government which one to choose.

The nation wants to choose lives because the human principle advocated eloquently in the Mahabharata that "saving a life that is in jeopardy is the origin of Dharma". The prime minister also declared that "Jaan hai to Jahan hai". Hence the government valued human life more than the temporary economic crisis. ILO, FAO and WHO jointly stated that Covid-19 has great impact not only on people's livelihood but also on their health. Novel corona virus proved to be a onslaught on the health sector of the country. It created health crisis because of very low expenditure on health as well as poor planning. Health, which is a very important element of human development index (HDI) have always been neglected by developing countries like India.

Tables,Figures and Graphs

Table1- Health Expenditure(% GDP in India and some selected countries)

Country	Year	Health Expenditure% of GDP)
India	2018	0.96
China	2018	3.02
Brazil	2018	9.51
Russia	2018	3.16
South Africa	2018	8.25
UK	2018	7.86
USA	2018	8.51

Source- World Bank Datatbase,WHO

The Table 1 highlights the health expenditure of selected countries Not only India's percentage of health expenditure with respect to GDP is low but also per capita health expenditure is low too.

The second wave has taught us a good lesson that it is high time we invest in our healthcare, boost the health insurance sector India so that people can invest to secure good health and can face with ease a crisis situation like this.

India is the third worst hit country because the per capita health expenditure to the percentage of GDP is very low in comparison to other developed and BRICS countries .

Table2 - Current Health Expenditure per capita(US $)

Country	Year	Health Expenditure% of GDP)
India	2018	72.83
China	2018	501.06
Brazil	2018	848.39
Russia	2018	609.01
South Africa	2018	525.96
UK	2018	4315.43
USA	2018	10,623.85

Source- World Bank Datatbase,WHO

Second table gives a glimpse of per capita expenditure of India and some selected countries. If we look at the table 1 and 2, India's per capita expenditure is so low in comparison to other countries- if you compare India with other BRICS countries the per capita health expenditure of India is lowest among all other countries. From this table we know that India's health sector is in a state of underdevelopment. This is the reason that India is one of the worst hit countries in the second wave. That is why the health crisis further creates socio economic crisis.

Mental Health

Pandemic has had great impact on the health of the people in every strata. The health impact is combined with physical health and mental health. Some studies highlight that mental health of the population is a large concern of the government. Soumitra Pathore , director of centre for mental health law and policy told that India is going to face another crisis that is mental

health crisis.

Corona virus trigger the mental health crisis in India (Business Line). Recent survey by the Indian psychiatric society (IPS) found that number of mental illness cases had increased by 20% since the lockdown and at least one in five an additional case.

During covid-19 people experienced fear of getting infected with the virus resulting in stress anxiety and depression.

Reason for fears stigma was found because of large number of citizens being hospitalized due to covid-19 and the rising death figures.Stress anxiety and depression in urban areas was due to uncertainty and insecurity of the future. The reason of uncertainty and insecurity among the people was due to rise in unemployment owing to the sudden lockdown announced by the Indian government. Such type of situation increased mental health issues of the people. Mental health is affected by financial distress, loneliness and lack of movement.

The World health organisation defines mental health by focusing not only on the absence of mental illness but also it defines mental health as the state of well being in which every individual realises his or her own potential, can cope with the normal stress of life and can work productively and fruitfully and is able to contribute to her or his community.

Table3- Unemployment Rate in India

Sep 2021	6.68	8.45	5.8
Oct 2020	7.02	7.18	6.95
Nov 2020	6.50	7.07	5.24
Dec 2020	9.06	8.84	9.15
Jan 2021	6.52	8.09	5.81
Feb 2021	6.89	6.91	6.85
Mar 2021	6.50	7.27	6.15
Apr 2021	7.97	9.78	7 .13
May 2021	11.84	14.72	10.55
June 2021	9.17	10.08	8.75
July 2021	6.96	8.32	6.34
Aug 2021	8.32	9.78	7.64

Source- CMIE

According to the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) report, during covid-19 unemployment rate has jumped both in urban and rural: Urban unemployment jumped to 7.64 in August 2021 from 6.34 in July. In the second wave 10 million people lost their jobs, 97% of households' income declined. The rural unemployment in July was 6.75 due to this 400 million workers in India in the informal sector came under the risk of falling deeper into poverty during the crisis(ILO).

The international labour organisation reports that unemployment both in rural and urban deepened. CMIE report says that 1.5 million jobs were lost in August in India.

In the post corona period 136 million jobs are still at risk (Das,2020). Following graph 1 and table 3 highlights the unemployment rate of urban, rural and India as a whole.

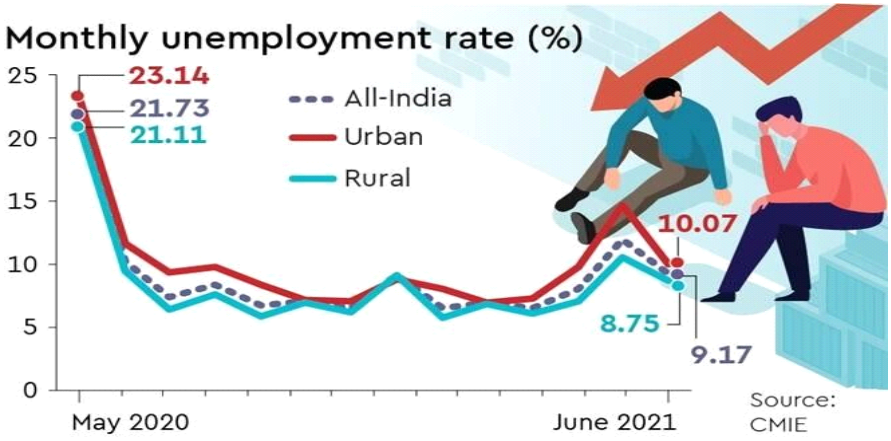

From the Table.3 and graph 1 unemployment rate had increased both in urban and rural which means job loss leads to income loss. Unemployment is one of the factors that leads to depression anxiety and stress. Due to lock down people stayed at home with work burden leading to economic instability and domestic violence(DV).Women were more vulnerable and subject to domestic violence. Earning family members when remained unemployed, they lost social ties (Schnider et al.2016) due to stress created by the pandemic. Again stress and financial insecurity has resulted in increasing alcohol consumption which works as a fuel for domestic violence. The recent survey by Indian psychiatric society shows a 20% increase in domestic violence by male counterpart in the household. Domestic violence cases Rose under covid-19 and it was reported that 15 to 30% rise in domestic violence cases worldwide under the period of covid-19. National commission for women reported that there was a hundred percent rise in complaints of domestic violence cases under the pandemic. The cases which were 552 in May 2021 rose to 730 in June 2021.

Not only domestic violence but also the increase in suicide cases was reported during the covid-19 pandemic. A recent article published in JAMA Psychiatry suggests that covid-19 increased the risk of suicide from 200 to 343 cases. Suicides were due to fear of infection, loneliness and financial insecurity.The lockdown forced most of the people stay in their houses resulting in zero human interaction which lead to loneliness and depression which further became a huge reason for people trying to end their lives.

The younger generation which includes mostly the students suffered a lot during the pandemic too. This was mostly because of the interrupted amenities like education, nutrition and health.

The nationwide lockdown that was imposed to control spread of covid infections the young children could not interact with their peers and it resulted in zero human interaction. Where they should have gone to schools and colleges they ended up studying alone at home on virtual platform.With the increase in death tolls and their near ones being affected by the virus too took a toll in their mental health due to various family issues.

Elderly people were the most vulnerable to this virus because they were the ones who could contract the virus easily. They were also very anxious, agitated, stressed and withdrawn during the outbreak of the pandemic or also while in Quarantine. That is why World health organization declared so many mental and psychological considerations during the covid-19 outbreak.

The older people were more vulnerable to covid-19 due to their weak immunity. Higher covid-19 mortality rate was found in the older population also due to comorbidity

Wellbeing refers to all the things that are good for a person which includes health and happiness as the two major components in the well-being of an individual.During pandemic both these components were eroded and hence people experienced and are still experiencing pain, stress, anxiety , depression and loneliness.Because of these reasons the wellbeing of the people is being affected which is resulting in the well-being of the society as a whole being eroded due to this pandemic.

To get out of the pandemic blues the government needs to implement very good policies to help the citizens overcome this state of misery. This paper highlights some policy implications:

Policy Implications

Covid-19 has taught us a lesson that we should spend more on our healthcare. The National health policy 2017 recommends 2.5 percentage of GDP or Rupees 3800 per capita (2017 price) is appropriate spending for good health. My suggestions are following

1. Health should be a public good no Public Private Partnership (Govt. should invest more to increase health infrastructure.
2. Opening more hospitals
3. Govt should strengthen the Rural and Urban safety net
4. Universal Basic Income to people those who are below poverty line.

References

1. *Economic Survey : Vol I, Chapter 1 : "Saving Lives and Livelihoods Amidst a once- in -a - centuray Crrisis "*2020
2. Das ,G (2020).*"136 million jobs at risk in post corona India"*. Livemint.Retrieved 2020
3. www.businesstoday.in
4. www.cmie.com/kommon
5. Ahmed Arafa et al.(2021): *Psychological impacts of the COVID-19 pandemic* on the public in Egypt, community mental health journal 57,64-69
6. Debnath R, Bardhan R. *India nudges to contain COVID-19 pandemic: a reactive public policy analysis using machine-learning*

based topic modelling. PLoS One. 2020;15(9):e0238972.

7. www.who.int/publications/i/item/covid-19-strategy-update-14-april-2020
8. www.worldometers.info/coronaviru
9. Rehman U et al (2021):*Depression, anxiety and stress among Indians in times of Covid-19 lockdown* Community mental health journal 57, 42-48, 2021
10. Rehman,Shahnawaz MG and N H Khan *COVID-19: Lockdown across India, in line with WHO guidance.* UN News. 24 Mar 2020
11. Singh k et al.(2021)- *Health, psychosocial, and economic impacts of the COVID-19 pandemic on people with chronic conditions in India*: a mixed methods study BMC public health.
12. Tanver Rehman et al.(2021):Prevalance of depression and anxiety during the COVID-19 pandemic on the residents of an urban slum in North India.
13. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32567466
14. Verma S and Mishra A (2020): *'Depression, anxiety, and stress and socio-demographic correlates among general Indian public during COVID*-19,Int j SoC psychiatry,Dec 66(8):756-772 doi:10,1777/ 00207640 20934508.
15. www.who.int/india/emergencies/coronavirus-disease-(covid-19)/ind.

Manglam-Year 13(01),Vol.XXIV,Feb.2022
ISSN-0976-8149 , P-30-36

Diaspora in India's Foreign Policy: A Study of Modi Government Policy

*Dr. Santosh Kumar Singh**

Abstract

In the age of liberalisation, privatisation, and globalisation, the 18 million Indian diaspora isconsidered as an important element. Many people have migrated from India to abroad since long time. They are performing key role to develop and grow India, especially in the light of economic activities—trade, investment, remittances, transfer of technology and skills, development of cultural linkages with foreign countries etc. They also performs anchor role to establish the strategic ties between the nations with the help of lobbying as India has witnessed during the Kargil conflict, nuclear tests and Indo-US civil nuclear. In this regard we can see that since 2014, India has witnessed a proactive Modi government policy to engage Indian diaspora through various activities. Thus, this paper has done the study the various recent initiatives and activities of Modi government to engage Indian diaspora across the world. Along with this, it has also done the study of impact and role of various government policies.

Key Words:

Diaspora, Remittances, Foreign Policy, Diplomacy, Modi Government

Introduction

In 2021, India has received the highest remittance around $87 billion as mentioned by the World Bank. However, the significance of diaspora does not stop with the remittances but extends to the share and transfer of knowledge, resources, performing the unofficial role of Indian ambassadors and pursue the India's interest at other part of the world too. Due to the globalization, the global economic system has transformed, the gap between the people have also reduced along with this the rapid transport, business relationship and socio-cultural ties between the country enhanced. The communication technologies have reduced the time and space. Eventually, they have emerged as an 'inevitable link' between their home and host lands along with major political and economic implications for both sides.

Globally the role of global diaspora has increased exponentially, in this case the role of Indian Diaspora has grown as animportant component in India's foreign policy. It has been evolved as a strategic asset for India in contemporary globalised era. According to the United Nations report, the Indian diaspora is the world's largest numbers of migrants that is 18 million

Assistant Professor Depertment of Political Science Sri Venkateswara College University of Delhi, Delhi

Indian people are residing outside the home country (PTI, 2021). The Indian diaspora is dispersed more than 136 countries in the world. on the basis of L M Singvi's high level committee recommendation in 2001, Government of India has taken the initiative to engage the Indian diaspora.

Diaspora in foreign policy

The term diaspora represents the migration of people from homeland to host land. In the Greek Language the term diaspora represents the Jews expelled from many countries in the world. In contemporary era the term diaspora is associated with the people who are living Away from home nation. some scholars have defined the home-nation as motherland, whereas the host nation represents the country where the people are working as a host-nation. In the context of India the term diaspora is used as Non-Resident Indians (NRIs), Persons of Indian Origin (PIOs) and Overseas Citizens of India (OCI). In 2015 the PIO and OCI card holders were merged under one category into the OCI. On the basis of high level committees recommendation the Government of India has established the special ministry to increase the diaspora that is MOIA (ministry of overseas Indian affairs) but later on in 2016 the ministry was merge with the ministry of external affairs (MEA) (The Hindu, 2016).

since the 2003, the Government of India has realised the potential and role of Indian diaspora to address their role and contribution in terms of India should evolve as a powerful nation in the world economically and politically. The activities related to Indian diaspora communities have intensified appears to gain a new dimension within this context. To see the dynamic role of Indian diaspora under the regime of Shri Atal Bihari Vajpayee and Shri Narendra Damodar Modi the India has witnessed focused policy on Indian diaspora population.

The Indian diaspora has played important role to establish the bilateral and the multilateral relations between the countries, for example, to establish the Indo-US nuclear deal the Indians in America has played determinant role to sign the agreement at the end of America. Apart from this the diaspora has also played the role to establish the multilateral diplomacy, for example to establish the strategic relationship in G-20, G-77, IBSA, G-4, BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation), IOR-ARC(Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation), and BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa)etc, It has played a significant role to establish the ties between the nations. It

was Shri Atal Bihari Vajpayee who laid the foundation stone to establish the mutual benefits linkages. It was Shri Vajpayee, who laid the foundation structured of diaspora policy.

Diaspora in Modi's Foreign Policy

In 2014, after winning the 16th Lok Sabha election, the Modi government has invited the neighbouring countries heads to participate in the formation of government in India. the Modi government has realised significant role and contribution of Indian diaspora in not only the end of development of India but also to establish the India's Strategic ties with the multiple nations in the world. the government has also understood the fact that the Indian diaspora population can be very helpful to lobby for the India intern to protect and promote the India's national interest In terms of investment, trade ties, political diplomatic relations, create India image in front of the world. This thing can be very well track by the P. M Modi's Visit to the Australia, United Kingdom, United States, Canada and Fiji to connect the ties and relationship with Indian diaspora in these countries.

Consolidate Political Power :To show the power and role of Indian diaspora, the Modi government has organised mega programs whenever he visited to the any country in the world. as it can be tracked from his visit to the United States of America in September 2019. during this visit, he had organised event at Houston in September 2019. According to the Washington Post Newspaper in this event around 50,000 people gathered (Kapur, 2019). This gathering represents the support and solidarity with the homeland i.e. India. In this event, the Indian origin people gathered to meet Indiad¶ 's Prime Minister Modi along with to communicate the messagefor the homeland. In this event, Modi met with the representatives of community people such as local Sikhs, Kashmiri Pandits and Bohras. in this meeting, he has tried to listen their problems and suggested the initiatives and measures should be taken by Indian government.

India's Prime Minister Modi have always taken the special initiative special bond with Indian people whenever he stayed outside India. he has always broken the protocol to interact with the Indian community people either it was a case of Australia, Britain, Rome, Malaysia and the USA visit. These activities by the India's Prime Minister have established unique ties between home nation and the host nation.

Cultural Linkages: the unique factor of Indian diaspora is their cultural relationship with the home nation. it has been observed that the diaspora

population has always kept the values, living style, language with themselves. as it has been observed, in the 18 million Indian diaspora population that they have kept the distinct Indian identity with themselves. it represents the tip cultural an emotional attachment by the Indian diaspora population with mother land i.e., India.

in the contemporary era, India has started carrying forward the traditional practices and the activities at the international level. in this light India has tried to celebrate the yoga day as international yoga day. India has witnessed support from all the countries to establish the 21st of June as an international yoga day. during the visit at United Kingdom in 2014-Madison Square he proposed the idea to celebrate the yoga day, where he received the enormous support from the gathered Indian diaspora.

Along with this, the Prime Minister Modi Always try to connect the Indian diaspora population with more cultural norms such as talking about the traditional Indian system and customs. with these traditional and customary things the Indian diaspora population have always associated themselves with the India. this thing has created the cultural affinity and the ties between the Indian diaspora people with their homeland. Such as, when Japanese Prime Minister Shinzo Abe came to India Modi took him to Varanasi – the cultural city of India. There Modi introduced the famous Hindu religious ritual called the Ganga Aarti. This shows how Indian government is trying to promote India's rich culture and heritage to its allies.At the 2017 PravasiBharatiya Divas in Bengalur, Modi announced that India is moving from "brain drain to brain gain", making his vision clear — that "there is only one dream (within all of us): Bharatiyata".

Economic advantage: the Indian diaspora is providing the highest remittances to India. do you think the Covid-19 time India has received the $87 billion. in 2018 India has received the remittances$78.6 billion. It is a substantial increase of remittances. India has witnessed that since 1990s it is continuously increasing. the highest number of remittances contributed from the Gulf region (Middle-East) countries that is around 50 percent. Thus, it can be found that the Indian dyes for a population is playing a clinical role to strengthen the Indian economy and its monetary reserves.

If we can do the analysis off limit tenses in India on the basis of state wise, it can be found that around 60% off total remittances goes to the Karnataka, Tamil Nadu Kerala, and Maharashtra. In which Kerala shares the largest remittances that is around 20 percent.

Issues and Challenges

The Indian diaspora performs anchor roll to establish the bilateral and multilateral relationship between the countries. apart from that it also plays the role to emerge India is an economic power. But there are some grey areas in the India's diaspora engagement and policy. As it has been seen that the Modi government have failed to produce the desired result in terms of large investment and economic participation.

Due to the diverse Indian diaspora population, it is tough for the Indian government to establish the unique policy for each member nation. along with this it has also been noticed that most of the Indian diaspora population are settled in the gulf region. This Indian diaspora population is performing the duty at this region. It has also been found that most of the Indian diaspora population is new diaspora rather than the old diaspora. The challenge of the policy also remains in deeper engagement of the Indian diaspora, heterogeneous in social, economic and demographic characteristics, across the world.

Conclusion

At the end it can be said that the Indian diaspora can play anchor role to achieve the India's national interest along with protection of interest of Indian diaspora population. The Indian diaspora population is playing very important role to establish the economic relationship between the home nation and the host nation and provide the remittances to the India. as it has been found that India's Prime Minister Modi has tried to increase the Indian diaspora politically, culturally, economically and strategically. In the era of globalization, diaspora emerged as a soft power in the area of foreign policy. Most of the nations for example Israel, China are using the diaspora as a tool to protect and promote their national interests.

References

1. *A. Gangopadhyay, "India's Policy towards its Diaspora: Continuity and Change", India Quarterly, Vol 61, No. 4, (2005), p.101.*
2. *Ajay Dubey, "India and the Indian Diaspora" in David Scott eds., Handbook of India's International Relations (UK: Routledge, 2011), p.256*
3. *Ali Ahmed et al, Net Security Provider: India's Out of Area Contingency Operations, IDSA Task Force Report (New Delhi: Magnum Books, 2012). http://idsa.in/book/NetSecurityProviderIndiasOutofAreaContingencyOperations. Accessed on 21 June 2014.*
4. *article8943319.ece, (Accessed on 22 September, 2019).*

5. *Chaulia, Sreeram (2016), "How Modi Mobilizes the Indian Diaspora", The Globalist, rethinking Globalization, Available at: https://www.theglobalist.com/narendramodi-indian-diaspora-politics-india/, (Accessed on 22 September, 2019).*
6. *Kapur Devesh, (29th September 2019), The Indian prime minister and Trump addressed a Houston rally. Who was signalingwhat?,Wahington Post accessed from https://www.washingtonpost.com/politics/2019/09/29/prime-minister-modi-india-donald-trump-addressed-huge-houston-rally-who-was-signaling-what/*
7. *Kapur D (2010), "Diaspora, Development, and Democracy: The Domestic Impact of International Migration from India". Princeton University Press:Princeton, N*
8. *Kapur, Devesh. 2010. Diaspora Development and Democracy: The Domestic impact of International migration from India, New York: Princeton University Press*
9. *Khadria, B. Indian Diaspora in International Relations: 'Tinker, Tailor, Soldier, Spy', or A 'Great Off-White Hope' of the New Century?, Working Paper No. 12 (IMDS Working Paper Series) http://www.jnu.ac.in/library/IMDS_Working_Papers/IMDS_Dec_2009_WP_12_33-420001.pdf, Accessed on 6 October, 2013*
10. *Lahiri, Swaroopa (2017), "Soft Power-A Major tool in Modi's Foreign Policy Kit", Journal of South Asian Studies, 05 (01): 39-47*
11. *Lal, Brij V. 2006. The Encyclopedia of the Indian Diaspora, Singapore, Kuala Lumpur, Paris: Editions Didier Millet*
12. *Maini, Tridivesh Singh (2016), "Can Soft Power Facilitate India's Foreign Policy Goals?, The Hindu Centre for Politics and Policy Centre, Available at:http://www.thehinducentre.com/the-arena/current-issues/*
13. *Mohan, Raja (2014), "Modi's Diplomacy: Yoga, Democracy and India's Soft Power", Carnagie, Available at: http://carnegieindia.org/2014/12/15/modi-s-diplomacy-yoga-democracy-and-india-s-soft-power-pub-57521, (Accessed on 22 September, 2019).*
13. *Motwani, Jagat K. et al. (eds.). 2003. Global Indian Diaspora: Yesterday, Today and Tomorrow, New York: Global Organization of People of Indian Origin.*
14. *Nye, Joseph S Jr (1990), "Soft Power", Foreign Policy, 80 (Autumn):153-171.*
15. *Pavitra K M (2019), Remittances to India: Where does the money come from and What does it mean?, accessed from https://factly.in/remittances-to-india-where-does-the-money-come-from-and-what-does-it-mean/*
16. *PTI (16th January 2021), At 18 million, India has largest diaspora in the world: UN, Hindustan Times, 16th January 2021, accessed from https://www.hindustantimes.com/world-news/at-18-million-india-has-largest-diaspora-in-the-world-un-101610780174277.html*

17. *Rao, Rajkamal (2016), "Our Diaspora has lot to offer", Business Line, September 2, 2016.*
18. *Sharma, J.C., India's foreign policy, National Security and Development- The role of Diaspora, an unpublished manuscript.*
19. *Sushma Swaraj, "Statement by External Affairs Minister in Rajya Sabha on 'Plight of Stranded Workers from India in Iraq", Ministry of External Affairs, Government of India (4 August 2014) http://www.mea.gov.in/Speeches*
20. *The Hindu (22nd September 2016), 'Overseas Indian Affairs Ministry, MEA merged. accessed from https://www.thehindu.com/news/national/Overseas-Indian-Affairs-Ministry-MEA-merged/article13986483.ece*
21. *Vadodera, N E .1994. BJPForeign Policy Agenda for the Future, BharatiyaJanata Party Publication, New Delhi.*
22. *Zhiqun Zhu, "Two Diasporas: Overseas Chinese and Non-resident Indians In Their Homelands' Political Economy", Journal of Chinese Political Science, Vol 12. No 3 (Fall 2007), pp.281-296.*

Manglam-Year 13(01),Vol.XXIV,Feb.2022
ISSN-0976-8149, P-37-43

The Comparative Study Of The Magic Realism In The Selected Works Of Toni Morrison And Shahrnush Parsipur

*Shivani Vishwakarma**

Abstract

This study would give a glimpse of how these novels could have used supernatural and fantastical elements in the chapters and scenes to fabricate a world that is all positive. Besides, the presence of concurrent truth and reality parallel going in readers' mind, supernatural and transmitting through the authors would be emphasized in the study.

Key Words

Black community, fiction, adult narration, refuge, slavery, tradition, unbound, feminist.

Methodology

This is a comparative and explanatory research and the information related to the title "The Comparative Study of the Novel Toni Morrison and Shahrnush Parsipur" would be collected from the text of their novels.

Research Question

At any given time somewhere around the globe something is not going right. Whereas we see men in the front line, fighting wars, revolting against a regime, saving their family or being the victims/accused of a troubled time; what women were facing, how women were experiencing the trubulence?

Objective

- To explore the concept of truth as depicted by the authors.
- To appraise the lives of women in the times when turbulence took place, as the writers that this paper will be studying and their protagonists are women.

Magic Realism is closely associated with Latin American and Caribbean culture from the 1920s and 1930s through the "boom" Period of the Latin American novel in the late 1950s and 1960s though the term "Magic Realism" was originally introduced by the German art critic Franz

** Research Scholar, Department of English Chitamber School of Humanities and Social Science Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology and Science, Prayagraj*

Roh in 1925 to characterize post expressionist art. Gerald Martin call Latin American novel of this time (1920s – 1970s) "the Latin American new novel" which, he asserts, was "a sui generis version of European modernism that, alone among world literature, rose fully to the challenge of its times". Unlike Europe, however, Latin America has never had a classical (bourgeois) realism in its illiteracy history, and so with their unique history, Latin American writer wrote literally "new" fiction that was Magic Realism, different stories from 19th century realism and early 20th century modernism,

Magic Realism describes a work of fiction, where fantasy slips into everyday life. However, the focus is not on the fantastical element of the story, so much as on what those elements mean for the character. Fantasy often acts as an extended metaphor, externalizing some sort of internal conflict or moral quandary in the protagonist's life. All of this to say: modern writer can find inspiration throughout history. The use of fantasy to tell stories is as old as story telling itself-- perhaps fantasy is even innate to the human experience. For example, fables that we used to listen to as a child.

After traversing the age here the readers adore the larger- than- life characters, mythological settings and an ideal way of living; literature has always been a medium to evoke emotions, awe and something laugh.

Tragedy (catharsis) has always been an integral part of every 'literary age' Shakespeare to Hardy, hamartia and destiny; audience/reader liked and still liking the inherent pain those were carried. Hamlet, Othelo (both the characters from Shakespeare), Tess, Jude (from the novel by Thomas Hardy) and Gregor Samsa (Franz Kafka), all of them depicted pain and Misery in their own ways. Some took fatal flaw to avoke the agony, some took destiny to meet their painful end and some depicted affliction rather in a unique way such as, metamorphosis and showed existential crisis as never before.

What is Magic Realism? Imagine you're putting dinner in the oven, but when you open the door, you find it frosted over and occupied by tiny skiers. Alternately, imagine a woman discoverers and she can cry fabric (Instead of water), so she starts a sewing business where she knots her tears into dresses. Or think of a scenario where you read a novel by while walking inside the mind of the writer. This odd blending of the supernatural and fantastical elemental and the mundane constitutes the element of supernatural and fantastical elements realism, a wonderful genre for writer of all paths. Presence of magic/supernatural elements by the way for readers

to interpret and alternative reality of their own; a reality that is contrast with the normal word.

To study Magic Realism and its aspect regarding accepting the truth, we have to to have a systematic way/method to read it further. The truth a particular novel is subscribing to must have a past, most likely an unfortunate past; for example: Salman Rushdie's Midnight's Children, theme of creation vs. destruction on the night of Indian independence (creation of India as a sovereign nation and destruction of into another nation through partition), or if we take Toni Morrison's *Beloved*, depicting the history of slavery with it. (Ohio 124)' in *Beloved* can be seen not only as a house, rather a world that contains history of slavery, civil war and lots of emotions in itself with a true story of Margaret Garner. Tracing past truth behind the novels and to get a present context of it would facilitate our perception. Subsequently, going through the authors' life, he/she experienced any of the written truth! If yes, then how intensely it impacted his/her writing. Further, consciously reading the novel and see what supernatural and fantastical elements has been used and how it has been restricted by the reality.

Chloe Anthony Woodford Morrison (born February 8, 1931 and died August 5, 2019), known as Toni Morrison was an American novelist essayist, book editor and college Professor. Toni Morrison graduate from Howard University with a B.A. In English and post graduate from Cornell University with a M.A. in English American Literature. In 1951 she returned to Howard university was married and had two children before divorcing in 1964. Morrison became the first black female editor in fiction at New York City. She was awarded the Nobel Prize in Literature and Pulitzer Prize in fiction 'Shahrnush parsipur was born in Tehran, Iran in 1946 the daughter of an attorney in the justice Ministry. She expressed an interest in literature from an early age.

Toni Morrison (1931-2019) the most important American novelist since Faulkner, the most significant American woman writer And Shaharsnush parisipur and the most widely read African American public intellectual of the last half century. Her influence as a writer, critic editor, teacher and scholar profound. She changed the face of literature and literary criticism in the U.S. in not worldwide. Yet despite the ever expanding field of Morrison scholarship no book tracing her critical reception has existed until now. Morrison worked brilliantly in many genres fiction of course novels and short stories. Morrison performance fiction and non-fiction on historical, social and political methodology that recognizes and embraces rather than

ignores the African American presence in U.S. Literature and thus transformed American academics attitude towards American and African novels. The story of Morrison and Shahrnush Parsipur achievement in making a home for herself and for other woman characters and the people of colour in the story bedrock of white male American novel in best of the literary.

Toni Morrison, original name Chloe Anthony Woodford, (born February 18, 1931, Lorain, Ohio U.S. died August 5, 2019, Bronx, New York), American writer noted for her examination of black experience within the Black community. She received the Nobel Prize for Literature in 1993. Morrison's first book, The Bluest Eye (1970) , is a novel of initiation concerning a victimized adolescent Black Girl who is obsessed by white standards of beauty and longs to have blue eyes. This novel compels us to rethink ab out the society that we have constructed, relations are the themes that depicts the trust picture possible/ The critically acclaimed Beloved (1987) which won a Pulitzer prize for fiction, is based on the true story of a runaway slave who, at the point of recapture, kills her infant daughter in order to spare her a life of slavery. The helplessness of as mother, cruelty of other humans, child's longing for love, insecurity and a background of slavery and civil war. Her novels invoke emotions that readers do not know that exist.

Toni Morrison's the Bluest Eye (1970), takes us to the life of Pecola, an African American girl from an abusive home. Eleven - years – old Pecola equates beauty and social acceptance with whiteness; she therefore longs to have "the bluest eye." An account of the years after the Great Depression as experienced by the masses. Author used multiple narrations and its variations by Claudia when she was nine years old and also her adult narration. This provides us different perspective of the novel. Questions of race and gender and at the centre of the Bluest eyes. In a 2004 Interview, Morrison explained that in the bluest eye, she set out to remind her readers "how hurtful a certain kind of internecine racism is." Here, Morrison's writing is 'so precise, so faithful to speech and so charged with pain and wonder that the novel becomes poetry "(The New York Times).

Beloved (1987), Toni Morrison based this novel on the true story of a Black slave woman, Margaret Garner, who in 1856 escaped from a Kentucky plantation with her husband, Robert, and their children. They sought refuge in Ohio, but their owner and law officers soon caught up with the family. Before this recapture, Margaret killed her young daughter to prevent her return to slavery. In the novel, Seethe is also a passionately

devoted mother, who flees with her children from an abusive owner known as "School teacher." They are caught, and, in an act of supreme love and sacrifice, she too tries to kill her children to keep them from, slavery. Only her two-years- old daughter dies, and the school teacher, believing that Seethe is crazy, decides not to take her back. Seethe later has "Beloved" inscribed on her author's tombstone. Although she had intended for it to read "Dearly Beloved" she did not have the energy to "pay" for two words. The ghost of "Beloved" appears in the house. The only truth that mattered to her was that, her mother murdered her and now living with her siblings. She also older as the time passes. The way she longs for the love of her mother, her helplessness and pain give chills to the readers. Beloved offers a harrowing look at slavery and its lasting impact. The intensely shocking and moving narrative was written in a variety of voices and lengthy fragmentary monologues, which, like the character of Beloved herself, are sometimes ambiguous. If we look at truth, ghost of "Beloved" is nothing but the ghost of a brutal past. In Mari Evans 1984 book black Woman Writers, Toni Morrison states that to her best art "is unquestionably political and irrevocably beautiful at the same time", a standard many readers believe she has met in all of her work.

Shahrnush Parsipur was born in Tehran in February 17, 1946. She started her literary career when she was sixteen, writing short stories and articles. While serving as the producer of the Rural Woman, a socially inclined weekly program for the National Iranian TV, she resigned from working for that organization, in view of protesting against the meaninglessly cruel torture and execution of two journalist-poet activists by SAVAK. She was imprisoned for few months. Due to the problems associated with the revolution in Iran in 1979, she could not complete her education in France, and had to return to Iran, where she ended up in the Islamic Republic of Iran's political prison, for four years and seven months.

As soon as she was released from jail she published her novel Touba va Maanayeh Sahab/ Tauba and meaning of night (1989) which has brought her a lot of pain amongst the book reader in Iran. After her father's death, fourteen-year-old Tauba takes her family's financial security into her own hands by proposing to a fifty-two-year-old relative. But, intimidated by her outspoken nature, Tauba's husband soon divorces her. When she marries again it is to a prince with whom she experiences tenderness and physical passion and bears for children- but their relationship sours when he proves Unfaithful. Touba is granted a divorce, and as her unconventional life

continuous, she becomes the matriarch of an ever-changing household of family member and refugees. It explores the ongoing tensions between rationalism and mysticism, tradition and modernity, male dominance and female will- all from a distinctly Iranian viewpoint. Defying Western Stereotypes of Iranian women and expectation of literary form, this beautiful novel reflects the unique voice of its author as well as an important addition in Persian Women's writing. As the booklist commented, Pursipur's Novel carries the reader on a mystical and emotional odyssey spanning eight decades of Iranian cultural, political and religious history, replete with juxtapositions of mysticism historical fact, Pursipur's novel is a rewarding and enlightening encapsulation of her country's recent past.

Women without Men (1989) is staged against the backdrop of the 1953 coup, which is never directly cited, but allowed it in three Chapters, and it is the allusion to the suspension of the rule of law that the novella's main characters, each escaping the houses that bind them, find their way to a new home in a garden in Karaj, a City situated at the base of the alborz mountains. Five women set out to escape the oppressive restriction of family and social life in contemporary Iran. A prostitute, a wealthy, middle-aged housewife, to seemingly desperate "old maids" and a woman whose career ended after her boss asked her out share a common quest for independence that may be fulfilled in a garden villa. Through murder, suicide, even rape, as well as love, contemplation, and spiritual transformation, these woman escape the narrow confine of family and Society, only to face new challenges, The echoed upheaval in the home and homeland is followed by stabilization of social order that nearly reconfigures, re-inscribes and conserves the law to which the subjects of the novella are subjected as Mita ghosh wrote in her article name Women, unbound (in the Hindu) Extraordinary though its premise is and unusual its treatment with generous does of magical realism producing some beautifully lyrical passages, a sense of deja vu persists as the novella draws to an end; why, we wonder, does it remind us of those angst-ridden protagonists and and the never-unveiled mysteries that drive their compulsions? Pursipur is seen in western countries primarily as a feminist writer, but she want to be known not as a feminist but as a free woman. She writes about hot-button issues like lousy marriages and female virginity, Iranian historical background, human identity, pain and trauma parsipur has seen all of her book - eight works of fiction and a Memoir - band in her native land.

Conclusion

Authors that this work will be focusing on belong to the 20th century world that has seen an enough change, destruction, development revolution in version operations fight wars, ideas, exploration. Both Toni Morrison and Shahrnush Parsipur have shared same age but in different nation; both struggling and trying to overcome whatever they or their people had faced and still facing somewhat physiological impact of that. We can trace the truth of their respective worlds through their writings. Both of them have been concerned for their bold (we should treat this as honesty) for their work in times and again. It is obvious for them to write about women as they are closer to the reality that they faced but their work are not a mere comment are on women and their anguish rather they have observed history, politics and present in it.

References

1. *Morrison, Toni. Beloved. Vintage Books, UK. 2005.*
2. *Morrison, Toni, The Bluest Eye. Penguin Books. 2019.*
3. *Parsipur, Shahrnush. Woman without Men. Translated by Faridoun Farrokh. The Feminist Press, New York City, 2011.*
4. *Parsipur, shahrnush. Touba and the Meaning of the Night. Translated by Havva Houshm and, Kamran Talattof. The Feminist Press CUNY, 2008.*
5. *Hudson, W.H. An Introduction to the Study of English literature. Maple Press Pvt. Ltd. 2016.*

Manglam-Year 13(01),Vol.XXIV,Feb.2022
ISSN-0976-8149, P-44-49

Soviet Instruments of Intervention

Dr. Mohd. Shahid *

Abstract

The relationship between the Soviet Union and Eastern Europe which emerged after World War-II was shaped by a complex of factors.The means of Soviet domination are various. Most obvious and perhaps most decisive are the Council for Mutual Economic Assistance (Comecon), the Warsaw Pact and the Brezhnev Doctrine.

KeyWords: *Soviet, Intervention, Instruments, Communist, Comecon, Warsaw Pact and Brezhnev Doctrine.*

The means of Soviet domination are various. Most obvious and perhaps most decisive are the Council for Mutual Economic Assistance (Comecon), the Warsaw Pact and the Brezhnev Doctrine.

The Council for Mutual Economic Assistance (Comecon)

What the Cominform was designed to do in the way of enforcing uniformity in the "informational" sphere, the Council for Mutual Economic Assistance (Comecon) was intended to accomplish in the economic arena. Moscow has used Comecon to promote economic integration and thereby political stability and institutionalization of its authority in the bloc. A crude imitation of the European Recovery Program, it helped to ensure Soviet access to East European resources and to bind the economies of these countries more closely to that of the USSR. The Council of Mutual Economic Cooperation (Comecon) was formed in January 1949 largely as a response to the Marshall Plan. It too was an instrument under Stalin for economic exploitation, although its main activity was originally limited to coordinating trade among the satellites. The founding members were the Soviet Union, Poland, Hungary, Bulgaria, Romania and Czechoslovakia. They were joined subsequently by Albania (which broke away in 1961), East Germany in 1950, Mongolia in 1962, Cuba in 1972, and Vietnam in 1950, the rouble became the standard currency for international transactions within Comecon, making the USSR the arbiter of all rates of exchange.

At Khrushchev's behest, in June 1962, a programmic document, "The Basic Principles of the International Socialist Division of Labour", was adopted in November, Khrushchev pushed for a supranational entity

* ***Associate Professor, Department of Pol. Science, Ganpat Sahai P.G. College, Sultanpur (U.P.)***

capable of rationalizing and transforming the economies of the bloc:

We must move more boldly toward establishing a single planning agency for all countries that belong to the council for Mutual Economic Assistance. This planning agency should be empowered to draw up joint plans and settle organizational questions so as to coordinate the development of the countries of the socialist system."[1]

At first Comercon was little more than a paper organization: it held only two meetings prior to the death of Stalin on 5 March, 1953. After 1956 more life was breathed into the organization, which the USSR sought to develop into a closed trading system under its control. But by the 1970s some members, notably Romania, Poland and Hungary, had succeeded in shaking loose to some extent from the restrictions of the system and built up sizable trading relations with capitalist economies."[2]

The Warsaw Pact: Soviet Military Policy in Eastern Europe

Russia has always felt vulnerable to military pressure ever since its people tried to setup a national state in the vast plains of the northern parts of the Eurasian land mass. Lacking natural defences, the Russians found their territory overrun by Tartars and Mongols from the east, by Truks from the South and attacked by Poles, Swedes, French and Germans from the West. This experience fostered in the Russians a deep sense of the need to amass military power and to entrust their survival exclusively to their own military effort.

In June 1953, the first of a series of upheavals among Russia's satellites was crushed in East Germany. The Post-Stalin period of flexibility over Germany drew to a close with the signature by the Western allies of the Paris Agreement, 23 October, 1954, which came into force in May 1955 and which restored sovereignty to the German Federal Republic and provided for her entry into NATO. The Soviet response was to convene a conference in Moscow from 29 November-- 2 December 1954 attended by Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, the German Democratic Republic (East Germany), Poland, Rumania and the Soviet Union. They jointly declared that if the Paris Agreements were ratified they would adopt measures to safeguard their security. On 6 May 1955, the day after the ratification of the Paris Agreements, the Soviet Union denounced the Anglo-Soviet Alliance Treaty of 1942. On 14 May 155, the same eight communist states"[3] signed the Treaty of Friendship, Co-operation and Mutual Assistance

known as the Warsaw Pact.

Though formally a military alliance protecting the bloc against external threats, the Warsaw Pact mainly serves an intrabloc policing function. This has been acknowledged by Soviet General Sergei Shtemenko"[4], who shortly before his death in April 1976 wrote in an article commemorating the WTO's twenty first anniversary that alliance plays an important role in suppressing counter revolutionary activity against members of the "socialist community"; he mentioned Czechoslovakia as a case in point. The pact is also used by Moscow to pressure a reluctant member to go along with the consensus view, to persuade bloc members to join with it in isolating a dissident member (for instance, excluding Albania from participation because of its pro-Beijing policies from 1961 to 1978), to rebut Chinese accusations that the USSR is a disintegrating rather than integrating influence within the Communist world, and to encourage a sense of common interest among the members.

As Leonid Brezhnev, objecting to the liberalization in Czechoslovakia in 1968, told the Czechoslovak leadership at that time:

Your country is in the region occupied by Soviet soldiers in World War II. We paid for this with great sacrifices and we will never leave. Your borders are our borders. You do not follow our suggestions, and we feel threatened-- we are completely justified in sending our soldiers to your country in order to be secure within our borders. It is a secondary matter whether or not there is an immediate threat from anyone; this is an issue of principle, which will hold, (as it has) since World War-II, 'forever'.[5]

The Warsaw Pact is the most important multilateral treaty between the communist states under Soviet leadership both militarily and politically. The treaty refers to a political consultative committee which has the power to setup auxiliary bodies. Militarily it formalized arrangements for Soviet control dating probably three years earlier to about August 1952, when a decision was taken to re-equip the satellite armies and place them under Soviet command. In accordance with the agreement reached in May 1955, the following January a United Military Command was established with headquarters in Moscow. A Soviet officer, Marshal Konev, became commander-in-Chief, and the Defence Ministers of participating countries were to be deputy commander-in-Chief. Joint military exercise have been held in member countries since the autumn

of 1961.

In November 1956, Soviet troops crushed Hungarian resistance after the Hungarian Government of Imre Nagy on 1 November 1956, had seceded from the Warsaw Pact. The Soviet Union moved back into Hungary just as the Western Suez involvement was reaching its culmination.

The limitations of independence and of the alleged equality of Communist States were again exposed when on 21 August 1968, the Soviet Union and the other European Warsaw Pact countries (except Romania) acting as Socialist allies, invaded Czechoslovakia, itself a member of the Warsaw Pact. The reformist communist government of Alexander Dubcek was deposed, and a more pliant pro Soviet regime installed. According to Pravda, the 'allied socialist' troops together with the Soviet Union, i.e., the Warsaw Pact countries, had 'as solemn commitment-- to stand up in defence of the gains of socialism.[6] Participants of the Warsaw Treaty Organization were involved, for to tolerate a breach in this organization would contradict the vital interests of all the member countries, including the Soviet Union. Although the Czech Government denounced the invasion as illegal and Romania also condemned it, Czechoslovakia by the end of August 1968, was occupied and forced to submit. The Soviet justification on the basis of limited sovereignty within the socialist community became known as the Brezhnev Doctrine.

The Brezhnev Doctrine

The Communist countries, notably the USSR have evolved a new socialist international law overriding the conventional law which takes into account new developments in international relations. Lenin first propounded this theory in February 1918, by stating that the interests of socialism are higher than the interest of the right of nations to self-determination.

Within a few weeks after the march into Prague the method behind Brezhnev's madness became apparent; it is embodied in the doctrine of "limited sovereignty" of Communist countries, the "Brezhnev Doctrine", as it has come to be known. It had been expressed in rather vague terms in the August Bratislava communiqué, then reiterated more precisely by a Soviet theorist using the pseudonym sergei Kovalev, in a 26 September article in Pravda.

"There is no doubt", he wrote, "that the peoples of the socialist countries and the Communist parties have and must have freedom to determine their country's path of development. However, any decision of theirs must have damage neither socialism in their own country nor the fundamental interests of other socialist countries, nor the worldwide worker's movement--. This means that every communist Party is responsible not only to its own people but also to all socialist countries and to the entire Communist movement". In view of the fact that Moscow considers its own "model" of Communism as the only acceptable one, if follows naturally that Communism is "imperiled" whenever there is a deviation from the Soviet path."[7]

The Soviet justification for the invasion of Czechoslovakia appeared in Pravda on September 26, 1968. Quickly dubbed the "Brezhnev Doctrine", it proclaimed the inherent right of the Soviet Union to be the sole Judge and jury of when the limits of permissible autonomy in the socialist world had been exceeded and to intervene as it saw fit to preserve socialism. While reaffirming the principle of "many roads to socialism", it insisted that no action "should do harm either to socialism" in the country or party involved---or to the fundamental interests of other socialist countries and of their entire working class movement which is striving for socialism. This means that each Communist Party is responsible not only to its own people but also to all the socialist countries and to the entire Communist movement- just as, in V.I. Lenin's word, someone living in a society cannot be free of that society, so a socialist state that is in a system of other states constituting a socialist commonwealth cannot be free of the common interests of that commonwealth.

Two months later, speaking in Poland, Brezhnev declared

Affirmation and defence of the sovereignty of states that have taken the path of socialist construction are of special significance to us Communists-- And when external and internal forces hostile to socialism try to turn the development of a given socialist country in the direction of restoration of the capitalist system, when a threat arises to the cause of socialism in that country-a threat to the security of the socialist commonwealth as a whole- this is no longer merely a problem for that country's people, but a common problem, the concern of all socialist countries-- Let those who are wont to forget the lessons of history and who would like to engage again in recarving the map of Europe know

that the borders of Poland, the GDR and Czechoslovakia, as well as of any other Warsaw Pact member, are stable and inviolable. These borders are protected by all the armed might of the socialist commonwealth. [8]

According to the Brezhnev Doctrine, Socialist countries cannot go beyond the communist orbit. Therefore, if any socialist country wants to be independent of Soviet influence, other Communist countries have a right to intervene."[9]

The USSR's intervention in Czechoslovakia in August 1968 deplored by all right thinking people of the world, and only proved that, until a more equitable order was established, the smaller states would only serve as factors in the grand design of the super powers."[10]

References

1. *Pravda, November 20, 1962.*
2. *Klaus Von Beyme; The Soviet Union in World Politics, 1987, pp. 97-98.*
3. *Albania had defected from the Pact in all but name as a result of her alignment with China. In December 1961, Soviet diplomats and aid were withdrawn and all political relations ended. But Albania cannot be stressed as an example. She was able to follow such an independent course only because she had no Soviet troops on her geo-political position, because she had no Soviet troops on her territory and because she was willing to align her-self with the Great Power- still nominally aligned with the Soviet Union.*
4. *Alvin Z. Rubinstein; Soviet Foreign Policy Since World War II :* Imperial and Global (2*nd* *ed.), 1958, p.102.*
5. *A Ross Johnson; "The Warsaw Pact: Soviet Military Policy in Eastern Europe" in Sarah Moiklejohn Terry (ed.); Soviet Policy in Eastern Europe; Yale University Press, New Haven & London, 1984; pp. 255-56.*
6. *J.A.S., Grenville and Bernard Wasserstain; The Major International Treaties Since 1945, 1987, p.140.*
7. *John Dornberg; Brezhnev: The Masks of Power, 19774; P. 229.*
8. *Francis Anthony Boyle; World Politics and International Law, p. 278, See Richard J. Erickson; International Law and Revolutionary State, 1972, pp 68-69.*
9. *See Soviet Land, December 1968.*
10. *M.P. Tandon; Shorter International Law (5th ed.), 1975, p. 87.*

Manglam-Year 13(01),Vol.XXIV,Feb.2022
ISSN-0976-8149, P-50-57

Ban on Chinese Apps in India : Problem & Solution

*Dr. Ashok Kumar Rai**

All round development of any country is possible only when its internal security is strong. For the sovereignty, integrity and security of country, it is necessary that important information should not be passed on enemy countries. This is one of the major current legal issues in India. The government banned 59 Chinese mobile applications to counter the threat posed by these applications to the country's "sovereignty and security, "as per a press release shared by the Indian government in June 2020. Several popular apps such as TikTok, WeChat, Helo, ShareIT, Clubfactory, etc. were included in the list. The press release also mentioned that the applications are "prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, the security of the state and public order" by exposing sensitive user data to malicious third parties as per investigations conducted by the Indian Cyber Crime Coordination Centre. The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), in new notices to the apps last week, has said their answers and clarifications following the ban were found to be inadequate. As a result, the temporary block has now been made permanent. The apps were blocked under section 69 A of the Information Technology Act and relevant provisions under IT rules 2009. On September 2, the government had banned 118 more apps and in November it blocked 43 new Chinese mobile apps in the country, including shopping website AliExpress. The list of banned Chinese apps so far also includes PUBG Mobile, Snack Video, Cam Card, WeWorkChina and WeDate. An official familiar with the matter said the decision to impose a permanent ban is aimed at the 59 Chinese apps for now.

The Ministry of Information Technology, invoking it's power under section 69A of the Information Technology Act read with the relevant provisions of the Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by Public) Rules 2009 and in view of the emergent nature of threats has decided to block 59 apps (see Appendix) since in view of information available they are engaged in activities which is prejudicial to sovereignty and integrity of India, defence of India, security of state and public order. Over the last few years, India has emerged as a

* *Head & Dean, Faculty of Law, K.S. Saket P.G. College Ayodhya, (U.P.)*

leading innovator when it comes to technological advancements and a primary market in the digital space.

At the same time, there have been raging concerns on aspects relating to data security and safeguarding the privacy of 130 crore Indians. It has been noted recently that such concerns also pose a threat to sovereignty and security of our country. The Ministry of Information Technology has received many complaints from various sources including several reports about misuse of some mobile apps available on Android and iOS platforms for stealing and surreptitiously transmitting users' data in an unauthorized manner to servers which have locations outside India. The compilation of these data, its mining and profiling by elements hostile to national security and defence of India, which ultimately impinges upon the sovereignty and integrity of India, is a matter of very deep and immediate concern which requires emergency measures.

The Indian Cyber Crime Coordination Centre, Ministry of Home Affairs has also sent an exhaustive recommendation for blocking these malicious apps. This Ministry has also received many representations raising concerns from citizens regarding security of data and risk to privacy relating to operation of certain apps. The Computer Emergency Response Team (CERT-IN) has also received many representations from citizens regarding security of data and breach of privacy impacting upon public order issues. Likewise, there have been similar bipartisan concerns, flagged by various public representatives, both outside and inside the Parliament of India. There has been a strong chorus in the public space to take strict action against Apps that harm India's sovereignty as well as the privacy of our citizens.

On the basis of these and upon receiving of recent credible inputs that such Apps pose threat to sovereignty and integrity of India, the Government of India has decided to disallow the usage of certain Apps, used in both mobile and non-mobile Internet enabled devices. These apps are listed in the attached appendix. This move will safeguard the interests of crores of Indian mobile and internet users. This decision is a targeted move to ensure safety and sovereignty of Indian cyberspace.

If we talk about the foreign policy of India, the relations of neighbouring countries namely India with China and Pakistan take the first place in our mind. We hear news from time to time about the deals regarding trade with countries. But besides that, the Indo-China relations are always been in the headlines due to their territorial disputes. On 29th June 2020, India banned

59 Chinese Apps and under section 69 a of IT Act the famous TikTok app was also banned as by reasoning that it is threat to national security and has cause disturbance in ones personal privacy. The government issued an explanation that these apps are illegally exporting data to locations outside India or to other neighbouring countries. It didn't mention the relation of apps with China, but these apps are mostly having an origin in China or have a major part of investments from companies situated in China or we can say by Chinese.

What is the impact of the ban?

- Some apps on the banned list are very popular in India.
- The TikTok app, especially, has over 100 million active users in the country.
- About 30% of TikTok's downloads is said to be coming from India.
- Google-owned YouTube has more users in India than TikTok.
- But TikTok was seen as having more potential in terms of personalisation of content and overall influence.
- TikTok made relentless push into India's hinterland. Evidently, the app supports over 15 Indian languages.
- This enabled the app to work on regional talent in a very personalised manner.
- New social media platforms like Helo and Likee, as well as video chat app Bigo Live, are immensely popular among Indians who are not comfortable in English.
- These users will have to look for substitutes.
- Also, most of these platforms have Indian creators, for many of whom this is the only source of income.
- Many of these apps have offices and employees in India, and a few thousand jobs could be at stake now.

India may be the first country to ban Chinese apps but it is not the first one to raise concerns about the privacy and security .The Ministry of Information Technology has received many complaints from various sources, including several reports about misuse of some mobile apps available on Android and iOS platforms for stealing an private data in an unauthorised

manner to servers and that to have been checked when have locations outside India, the government said in a statement. "The compilation of these data, its mining and profiling by elements hostile to national security and defence of India, which ultimately have a deep impact upon the sovereignty and integrity of India, is a matter of very deep and immediate concern, which requires emergency measures that was the major reason why the Government…has decided to disallow the usage of certain Apps, used in both mobile and non-mobile Internet enabled devices," it said. Government spokesperson said that Google's Play Store and Apple's App Store have been directed to remove the apps.

China says that India's actions could be in violation of the World Trade Organisation (WTO) rules. Reacting to the development, Chinese Embassy in New Delhi said, "India's measure selectively and discriminatorily aims at certain Chinese apps on ambiguous and far-fetched grounds, runs against fair and transparent procedure requirements, abuses national security exceptions, and [is suspected] of violating the WTO rules. It also goes against the general trend of international trade and e-commerce. And the interests and the market competition in India." So, Chinese could file a formal complaint at the WTO.

China is India's largest trade partner after the US and our dependence on China extends well beyond the technical space. The app ban will certainly have an impact on the holding of the companies. For example, if we see or we take an example of world famous app TikTok ,when it comes to TikTok, 30% of total people using this entertainment app comes from India and this naturally harms its parent company. The impact on China's economy will be obviously negative but as we all know we cant predict other nations economy as exact . Suitable Response to Chinese Border Aggression: Since India will not like to physically engage China, a bigger and more powerful enemy, this virtual response is a suitable reply.Opportunity for Indian Entrepreneurs: China has protected and promoted its own entrepreneurs by banning global apps and softwares for decades. A quick glance at the mobile apps and websites banned in China throws up names such as WhatsApp, Google, Facebook, Twitter, Instagram, Netflix, YouTube, BBC, The New York Times and even Quota. This ban provides opportunity to Indian app makers.Signals innovative thinking by Modi Government: The ban is aimed at the local audience, an audience which is increasingly baying for blood after the Chinese incursion. To that extent, the ban will help address some of their need for 'action' by the government.

India's Ministry of Information Technology has said the ban was the result of "many complaints from various sources" about apps that were "stealing and transmitting users' data in an unauthorised manner". Many of the Chinese apps have been linked to controversies over data privacy, and have been accused of sharing sensitive information with the Chinese government. US senators have even called for an investigation into TikTok, which fiercely rejects such claims. This is a huge step taken by Indian government to make India a independent country and promote Vocal for local and make in India programs which were initiated to make India a self reliant country which was dependent on china for most of its things . This step was taken after an intensive investigation by the ministry. Apart from India , countries like Australia, Germany , The united Kingdom and also The United states of America have also raised privacy and security concern with Chinese apps and adopted strict cybersecurity protocols for protection This step will help Indian companies and startups to make new customers and increase its user base. Many Indian companies have already started working on to build alternatives for the banned apps . This will also help in development of IT sector in India . The main aim of banning these apps were to keep the critical data of the users safe within the Indian borders . The RBI convinced many companies like Patym , WhatsApp, Google to setup their cloud storages/databases in India so that the data can be kept within Indian Borders only , which was earlier being stored outside India in cloud databases . This move will bring more investment to the data centres in India. This step is a kind of revenge taken by Indian Government from Chinese government for not handling the sensitive and critical of the users properly and mishandling the data of the users. India is in need of a proper data protection law so that next time someone will have to think twice before misusing the data of the users. The Personal Data Protection (PDP) bill ,2019 was the first step taken by the Indian government to domestically legislate on the issue of data protection .Thus , the ban on Chinese apps have brought into light many issues about data privacy and securities. Being a responsible citizen of India, we should all stop using these apps and support the decision of our government and make India a stronger country both economically and politically too.

The reasons in support of the ban may be valid, but the larger question is whether a sweeping ban over 267 apps is in accordance with the procedure established under law. Since immediately after the first ban, Government issued a detailed questionnaire to the entities controlling the

banned apps, seeking disclosure of the data centres, data collection practices, procedures and operations, it seems that the ban is a possible pre-emptive step to protect the national security and sovereignty of India.

The legal due process for issuing a blocking order involves much more than mere issuance of blocking orders under Section 69-A of the IT Act. The Government must comply with the Blocking Rules issued pursuant to Section 69-A read with Section 87 of the IT Act. Interestingly, the Blocking Rules provide for a detailed procedure from receipt of a complaint in writing to setting up a committee for the examination of the request, the issuance of a show-cause notice to the content creator and/ or intermediary until the final stage of issuing an order directing the blocking of the offending information. The only exception to the adherence of this detailed procedure is in case of an emergency where a blocking order can be imposed expeditiously on the receipt of a complaint. In all such instances of emergency, blocking requests must be brought before the committee for consideration not later than 48 hours of the issuance of a blocking order, which then recommends whether the blocking order is sustainable.

The manner of imposition of the bans, in the backdrop of the Blocking Rules, raises unanswered questions on adherence of the 'procedure established under law.' Firstly, the actions undertaken under the Blocking Rules must be based on complaints received in writing. Secondly, the complaints received by the Department of Information Technology of the Government must be resolved expeditiously within the outer limit of seven days. While the first limb i.e., receiving complaints from users is clarified in the Press Release, it fails to answer the other pertinent question concerning compliance with the Blocking Rules. Whether the detailed procedure in terms of rendering expeditious decisions on each of the complaints within the timeline of 7 days as per the Blocking Rules has been adhered to, is also unclear. Further, the Blocking Rules mandate for a case-to-case analysis of the complaints received, which is absent as the Government has banned a total of 267 apps, in three clusters, within a time span of 6 months. Lastly, it is also unclear if the banned apps have ever been given a detailed order or in the least a show-cause notice to explain their position *vis-à-vis* the alleged violations. It seems that the first ban imposed on 59 apps, in the exercise of emergency powers, was ratified by the Committee on July 01, 2020, within 48 hours of the press release. However, whether such a ratification is in place for the bans imposed in the following months is unclear.

India is yet to pass a robust data privacy law and the latest version of

the draft gives wide powers to government intelligence agencies – much like the Chinese legal framework. We can conceptualize a holistic digital strategy that closely evaluates all foreign influence in our core information infrastructure rather than continuously reacting to external events. Global power projection begins at home; we need to get our own policies right first. New Delhi must ensure that the victims of India's geo-economic enthusiasm are not Indian citizens and consumers.

Thus, the ban on Chinese apps have brought into light many issues with regard to data privacy and security. With this, it makes a strong point given by India to the world about taking bold steps to secure the country's sensitive data. The timing of the ban makes it prudent to analyse this move in the geopolitical context of the clash between the Indian and Chinese military in Galwan Valley. This ban will act as a caution for all the tech companies to follow the rules and to store the data locally. And this is also a great opportunity for the Indian companies to launch and upgrade their apps as alternatives to the banned apps. Being responsible citizens of the country, we should all pledge to not use these apps and support the decision of our government to make India a stronger country, both economically and politically too! Many of the Chinese apps have been linked to controversies over data privacy, and have been accused of sharing sensitive information with the Chinese government. US senators have even called for an investigation into TikTok, which fiercely rejects such claims.

This step will counter China's efforts to become a tech giant. The banned apps have a large user base in India. This move can also urge other nations to look into the matter of data security and can in turn have a deep impact on China. Also, this would give a support to the China plus one policy. This step will also reduce India's digital dependency. And Indian startups and the established companies will be greatly benefitted in gaining user base. This will bring about the downloads of many more Indian apps and would promote our Prime Minister's effort of going vocal for local. People have already started using Indian alternatives for these apps and are quite happy with the performance.

The move of the government has brought hope in the hearts of the citizens that the government will not sit quietly if the other country does not respect India and will give a befitting reply to it in need and the present step of banning the apps is the proof of it. It is a kind of revenge taken by the government of India from Chinese government for mishandling the Indian user's data and their unnecessary steps taken on the border area to raise

disputes. This step of Indian government is supported by the other countries like France and the USA. Though this move is widely appreciated on the world level but it is not free from cons as China will not sit quietly on this but overall if we focus on this it has more positive sides than the negative side like, this move gave Indians a chance to shine and show their talent in app development and help the country to bring up the economy which has slowed down due to pandemic and encourages the Aatmanirbhar Bharat initiative of the central government whose motive is to motivate the Indians to work on their skill and not to depend on anyone for any kind of support.

So from all these initiatives we can hope for the better future of our country, a country which will be free from foreign interventions in the economic spheres and will become more a self reliant country.

References

1. *www.economictimes.indiatimes.com*
2. *Press Information Bureau Government of India "Government Bans 59 mobile apps which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defence of India, security of state and public order" 29 JUN 2020.*
3. *Chetna Sangha and Siddarth Sogani "Ban On Chinese Apps In India"13/ Feb. /2021.*
4. *Ministry of Electronics & IT "Government Blocks 118 Mobile Apps Which are Prejudicial to Sovereignty and Integrity of India, Defence of India, Security of State and Public Order" 02 SEP 2020.*
5. *Anti - Suit Injunctions: Delhi High Court Shows the Way*
6. *Enforcement Directorate's power of freezing bank accounts - Delhi High Court prescribes Dos & Don'ts.*
7. *Virtual Spaces and the Metaverse : The 'next big thing'. **
8. *Prerna, 'Ban On Chinese Apps: Need And Impact' 20 feb. 2021. https://www.legalserviceindia.com/legal/article-3504-ban-on-chinese-apps-need-and-impact.html.*
9. *https://talentbattle.in/blogs/group-discussion/ban-on-chinese-apps-in-india-group-discussion-essay-writing*

Manglam-Year 13(01),Vol.XXIV,Feb.2022
ISSN-0976-819, P-58-66

A Study Of Behavior Of Student In Reference To Employed & Unemployed Mothers

*Dr. Shailendra Prasad Pandey**
Rajarshi Mani Tripathi * *

Abstract

The purpose of our present study is to explore the effect of gender relationship between Altruism and Emotional Intelligence among undergraduate students belonging to the employed and non-employed mothers and to examine the power of emotional intelligence to predict altruism through this relationship. Emotional intelligence is the capacity to identify and regulate one's own emotion as well as the emotion of other.

Altruism refers the selfless concern for welfare of other people by doing something simply out of a desire to help without any return. A total of 60 samples were selected purposively from the M. L. K. P. G. College, Balrampur (U.P.). In order to collect the information, Altruism Scale (Dr. S. N. Ray & Dr. S Singh), and Emotional intelligence Inventory (S. K. Mangal), he obtained data were analyzed for Product Moment correlation and t test. Results revealed that there was a positive correlation between emotional intelligence and Altruism. girl students of both employed and non-employed mothers are more altruistic and emotionally intelligence than the boy students of employed and non-employed mothers respectively and result also infers that the boys and girls student together that is belonging to employed mothers and those of non- employed mothers differ significantly in respect of altruism and emotional intelligence .this difference goes in favor of children of non- employed mothers.

Keywords

Altruism, emotional intelligence, employed mothers, non- employed mother, undergraduate student, higher education

Introduction

Emotional intelligence is the capacity to identify and regulate one's own emotion as well as the emotion of others. according to Mayer & Salovey, 1997 ¯Emotional intelligence is the ability to perceive emotions, to access and generate emotions so as to assist thought, to understand emotions and emotional knowledge, and to reflectively regulate emotions so as to promote emotional and intellectual growth. Thus, in emotional intelligence

** Associate Professor Sant Tulsi Das P.G. College Sultanpur (U.P.)*
***Research Scholar Dr. Rammanohar Lohiya Awadh University Ayodhya (U.P.)*

three skills are inherent which are the awareness of own and other's emotions, applying own emotion in practical field and regulating own emotion as well as others' emotion. On the other hand, altruism refers the selfless concern for welfare of other people by doing something simply out of a desire to help without any return. ¯Altruism is behavior motivated by concern for others or by internalized values, goals, and self-rewards rather than by the expectation of concrete or social rewards, or the desire to avoid punishment or sanctions, Eisenberg et al. (1999). Therefore, to provide the selfless help to the persons who are in difficulties at first an altruistic person has to understand their problems with their empathetic feelings. the components of altruism. Again, empathy is also a component of emotional intelligence (Goleman, 1999). Therefore, it is natural that more the empathy of a person the more is his/her altruism as well as emotional intelligence.

So it is assumed that there would have a natural relationship between altruism and emotional intelligence. Working women can manage a little time for their wards and so the transmittance of the values, ethics, social liabilities, emotions etc. to their wards from them are also little in magnitude as well as in strength. Comparatively, the non-working educated women have more time to spare for their wards where the values, ethics, social liabilities, emotion are more opened to be cultured which can bring forth the altruism and emotional intelligence in a great manner.

Therefore, it is assumed that there lie some differences in altruism as well as in emotional intelligence between the children of working and those of non-working mothers. In the above logical backdrop, the present study is undertaken preceding some review of literatures in this field. Emotional Intelligence differs from IQ in that it is a flexible set of skills that can be acquired and improved with practice — you can develop high emotional intelligence even if you aren't born with it.' (Bradberry, 2014)

Review Of Ltterature

Charbonneau D (2002) to explore the relationship between emotional intelligence and pro-social behaviors in adolescents. 134 adolescents involved in a 6-week training camp organized by the military were taken for the investigation. Self-rating on emotional intelligence and peer rating on pro-social behavior were followed for the purpose. The result showed that ratings of emotional intelligence had significantly correlated with Altruism.

Hing Keung (2005) showed that significant gender difference in antisocial behavior but not in pro-social behavior existed. There was positive

association between delinquent behavior and masculinity but in the case of pro-social behavior positive association was found with both the gender Salarzehi (2011) examined the relationship between Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behavior on a sample of 122 staffs and employees of Medical Science University in Iran through the process of multi-factors regression analysis. Their result indicated that conscientiousness, sportsmanship, civic virtue, courtesy, and altruism; the variables of Organizational Citizenship Behavior were strongly related to Emotional Intelligence. The authors also found that Emotional Intelligence can be used as the predictors of conscientiousness and altruistic behaviors of the personnel.

Anna Drebera (2012) made an investigation on gender difference in performance for altruism, risk and competition in math and word search among adolescents. They showed that boys were less altruistic and more risk taking than girls. In their study on altruism, empathy and spirituality,

Thomas Huber (2012) found that altruism and empathy was related to each other and relationship between altruism and empathy as well as altruism and spirituality was complex and multi-directional. There was a strong association between altruism and spiritual experiences succeeded by spiritual cognitions. Non-religious spiritual cognitions and spiritual experiences were the most potent predictors of both empathy and altruism respectively.

Hyun Jung Lee (2013) made a study on the relationship between emotional intelligence and altruism among South Korean central government officials. The study revealed that there was a significant and positive association between the factors of emotional intelligence and altruistic distant behavior. Altruistic-local behavior was associated with factors of awareness of others‘ emotions as well as management of one‘s own emotions. Individuals with high emotional intelligence performed both altruistic-local behavior and altruistic-distant behavior in the workplace, regardless of their personal connections. Relationship between Altruism and Emotional Intelligence among Adolescent... Print ISSN: 0976-7258 391 Online ISSN: 2230- 7311 Pokorski (2013) in their study ¯Altruistic Aptitude: Age Dependent Influence of Temperament and Emotional Intelligence examined the distinct dimensions of temperament and emotional intelligence and their associations with the level of pro-altruistic aptitude in two distant age groups, young (20-29 years) and senior (60-79 years) persons. The result indicated that there was a strong relation between the emotional intelligence and the

altruistic behavior of both young and senior subjects though there was a general decrease in the characteristics of emotional intelligence of senior group. The author proved that high emotional intelligence can be used as a good predictor of altruistic aptitude of a person. Another investigation was done by Muzamil Jan et al. (2013) to assess the emotional intelligence among girls studying in professional colleges in the Kashmir region. The results indicated that majority of girls had high self-awareness with medium level of empathy. It was also observed that girls had high self-motivation with their medium level of emotional stability.

Majority of girls had high level of self-development but their value orientation was found to be medium level. The author also showed that commitment and altruistic behavior among girls was at medium level but self-esteem among girls was observed at high level.

Mandal M.B. and Mehera, C. (2016) investigated on relationship between altruism and interest in literature of the students at higher secondary level. They obtained that the girl students were more altruistic and more interested in literature than boy students. But, altruism and interest in literature of urban students were higher than those of rural students. They also obtained the positive co-relation between altruism and interest in literature and on the basis of this co-relation they worked out a regression equation which indicated that interest in literature could be used as a predictor of altruism.

Objectives

To determine the Gender difference and relationship between altruism and emotional intelligence of the undergraduate student of employed as well as of non- employed mothers.

Hypotheses

I. There exists no significant difference between the undergraduate adolescent girl and undergraduate adolescent boy both of in their altruism.

II. There exists no significant difference between the undergraduate adolescent girl and undergraduate adolescent boy both of in their emotional intelligence.

III. There exists no significant difference between undergraduate adolescent girl children and undergraduate adolescent boy children both of employed mothers & non- employed mothers in respect of their altruism.

IV. There exists no significant difference between undergraduate adolescent girl children and undergraduate adolescent boy children both of employed mothers & non- employed mothers in respect of their emotional

intelligence.

V. There exists no significant correlation between Altruism & Emotional intelligence.

Variables

Dependent Variable:

Altruism & Emotional intelligence

Independent Variables

Gender, employment and non-employment status of Mothers Methodology:Participants: A sample of 60 adolescent boys and girls of UG level belonging to both employed and non-employedmother groups (education level—graduate/post graduate) in equal numbers was drawn purposively from Balrampur City. BalrampurDistt. is a part of Devipatan division as well as the historic Awadh regions. Located on the banks of the West Rapti River Balrampur is known for the temple of Pateshwari Devi, a Shakti Pitha. The territory which the present Balrampur covers was a part of the ancient Kosala kingdom.

Tools: Following tools were used for collecting data in the study

Altruism Scale: This Scale is used to measure the Altruism. It was developed by Dr. S. N. Ray & Dr. S Singh, published by National Psychological Corporation (NPC) Agra It consists of 37 highly discriminating items. Each item elicits a response of „Yes or „No . Each „Yes response contribute to higher Altruism. The authors had administered this scale on respondent's age ranged 14 to 19 years The split-half reliability was found to be 0.49 Further they obtained a reliability of 0.84 through test-retest. According to the authors the scale provided a high content validity and face validity.

Emotional intelligence Inventory (EII-MM):This Inventory is used to measure theEI. It was developed byS. K. Mangal and ShubhraMangal, published by National Psychological Corporation (NPC) Agra(2012). It consists of 80 highly discriminating items. Each item elicits a response of ¯Yes , ¯? or ¯No . The authors had administered this scale on respondent's age ranged 18 to 58 years. The split-half reliability was found to be 0.49 (N=60) which yielded an index of reliability of 0.70. Further they obtained a reliability of 0.84.

Procedure

After collecting the necessary tools and selecting sample, the Altruism

scale and Emotional intelligence Inventory was administered on sample according to the instructions given in the inventories.

Results

The statistical data has been presented in the table

Particular	Altruism			Emotional intelligence		
	M	SD	T	M	SD	T
Boys	32.11	5.35	2.427	125	10.25	6.284
girls	35.16	9.49		135.25	9.38	
Non-employed mothers Children	38.93	9.38	3.473	131.89	9.59	5.008
Employed mothers Children	34.25	6.94		126.27	9.82	
Correlation between EI and A	N= 30	r=.62	P=0.01			

Discussion

Based on our research results, the following facts appear. The research result is inferred that girl students of both employed and non-employed mothers are more altruistic than the boy students of employed and non-employed mothers respectively. So, it can be stated that the value of altruism of undergraduate Girl student is greater than that of undergraduate boy students. so rejected of our null hypothesis .It is supported by the findings of Anna Drebera et al. (2012) and Mandal M.B and C. Mehera (2016) . Now, it can be argued that the cause behind the girls' higher altruism value compared to boys is their (girls') more empathetic feelings because the empathy level of girls is more than that of boys. Result also infers that the boys and girls student together that is belonging to employed mothers and those of non- employed mothers differ significantly in respect of altruism and this difference goes in favor of children of non- employed mothers. The reasons behind these are discussed below. Mothers have a big role in upbringing their wards. The children acquire the values both personal and social basically from their mothers directly and indirectly. As the children are more attached with their mothers from their births they are more influenced by their mothers' behaviors, thoughts and education. Therefore, an educated non- employed mother can develop her children's emotion, empathy, ethics and other mental instincts through some greater ways. On the other hand, a employed mother has a little time to spare for her children. So, she cannot

influence well on her children's mental and moral development. Hence, the children of non- employed mothers are more open minded, empathetic and morally developed in comparison of employed mothers' children implying there intelligenceby the former to be more altruistic. Research finding can be stated that undergraduate boy and girl students of both employed and non-employed mother differ in respect of emotional intelligence. The girl student have are more emotionally intelligent than those of boy's student. It is supported by the study of Geng, Liuna, Li, Shasha, Zhou, Wenjun(2011) & Syeda Shahida Batool & Christopher Alan Lewis (2020) Result also infers that the boys and girls student together that is belonging to employed mothers and those of non- employed mothers differ significantly in respect of emotional intelligence and this difference goes in favor of children of non- employed mothers.The arguments behind the above findings are stated bellow. An important thing is that girls are more attached to their mothers and share many problems with them compared to boys. On the other hand the boys who get less attachment with their mothers get more openness from outsides compared to the girls who have less scope to expose themselves. As a result, the development of emotional intelligence and values takes place through different ways for boys and girls. Now, if mothers are employed they cannot give sufficient time to their children especially to girl children and so, the employed mothers' girl children's emotional intelligences cannot be developed well. Therefore, it is natural to have the significant difference between undergraduate girl children of employed mothers and those of non- employed mothers in respect of emotional intelligence. Results revealed that there was a positive correlation between emotional intelligence and Altruism. It is supported by the study of Charbonneau D. and Nicol A.A. (2002) result also shows that in positive correlation between emotional intelligence and Altruism.

Conclusion

Our study seeks for the relationship between altruism and emotional intelligence among the adolescent (undergraduate) wards of employed and non-employed mothers. Sample comprised of 60 undergraduate students is taken from M.L.K.P.G. College Balrampur . The main points revealed by the study are as follows. Adolescent girls are more altruistic than adolescent boys. No significant difference exists between undergraduate adolescent boys and undergraduate adolescent girls in respect of emotional intelligence. Š undergraduate student of employed mothers differ significantly with the undergraduate student of non- employed mothers in respect of altruism as

well as of emotional intelligence. There exists positive co-relation between altruism and emotional intelligence which implies that the more emotional intelligence a person has the more he/she will be altruistic.

References

1. *Ashkanasy, N. M., &Daus, C. S.. Rumors of the death of emotional intelligence in organizational behavior are vastly exaggerated. Journal of Organizational Behavior, 26, 2005*
2. *Batson, C.D. and Oleson, K.C. 1991. Current Status of the Empathy-Altruism Hypothesis. Review of Personality and Social Psychology, 12: 62-85.*
3. *Beal, D. J., Weiss, H. M., Barros, E., &MacDermid, S. M. (2005). An episodic process model of affective influences on performance. Journal of Applied Psychology, 90, 1054– 1068.*
4. *Charbonneau, D. and Nicol, A.A. 2002. Emotional Intelligence and Pro-social Behaviors in Adolescents. Psychol Rep., 90(2): 361-70.*
5. *Drebera, A., Emma, V. Essenb. and Eva, Ranehillc. 2012. in Bloom: Gender Differences in Preferences among Adolescents. Social Science Research, Network, 35(734): 88- 97. Online Available: http:/ / ssrn.com/abstract=1804278.*
6. *Eisenberg, N., Leon, R. and Roth, K. 1983. Pro-social Development: A Longitudinal Study. Developmental Psychology, pp. 846-855.*
7. *Huber, J.T. and Douglas A. MacDonald. 2012. An Investigation of the Relations between Altruism, Empathy, and Spirituality. Journal of Humanistic Psychology*
8. *Muzamil, J., Hyder, A. and Ruhi, N. 2013. An Assessment of Emotional Intelligence among Girls Students Studying in Professional Colleges. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR JHSS), 1(6): 22-26.*
9. *Geng, Liuna; Li, Shasha; Zhou, Wenjun(2011) Social Behavior and Personality: an international journal, Volume 39, Number 3, 2011, pp. 309-319(11)*
10. *Hyung, L.J. 2013. The Relationship between Emotional Intelligence and Altruism among South Korean Central Government Officials. Social Behavior and Personality, 41 (10).*
11. *Keri A. Pekaar, Dimitri van der Linden, Arnold B. Bakker &Marise Ph. Born (2017) Emotional Intelligence and job performance: The role of enactment and focus on others' emotion Human Performance, Volume 30 - Issue 2-3*
12. *Ma, K. Hing, 2005. The Relation of Gender-Role Classifications to the Pro-social and Antisocial Behavior of Chinese Adolescents. Journal of Genetic Psychology, 166(2):189- 202.*
13. *Mukul, M.B. and Mehera, C. 2016. A Study on Altruism and Interest in Literature at Higher Secondary Level. American Journal of Educational Research, 4(9): 689-694, Newark. 14. Pokorski, M., Faron-Lasyk, A. and Borecki, L. 2013. Altruistic aptitude: age-*

dependent influence of temperament and emotional intelligence. Adv Exp Med Biol, 788: 375-83.

14. *http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-6627- 3_51.*
15. *Rashmi, S., Sharma, D.K. and Sushil, C.S. 2010. A Comparative Study of Altruism Among the Boys and Girls of Joint and Nuclear Families. Journal of Mental Health and Human Behavior, 15(2): 88-90.*
16. *Salarzehi et al. 2011. A Survey of Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behavior in Iran. International Business and Management, 3(1).*
17. *Toussaint, L. and Jhon. R. Webb. 2005. Gender Differences in the Relationship between Empathy and Forgiveness. J. Social Psychology, 145(6): 673-685.*
18. *Mukul Baran Mandal and ChitralekhaMehera (2017) Relationship between Altruism and Emotional Intelligence among Adolescent Children of Working and Non-working Mothers Educational Quest: An Int. J. of Education and Applied Social Science: Vol. 8, Special Issue, pp. 389-398*

Manglam-Year 13(01),Vol.XXIV,Feb.2022
ISSN-0976-8149, P-67-77

Mee Too Movement: An Effort To Provide Justice For Women Against Sexual Exploitation

Dr. Swapnil Tripathi *
Shaumya Sharma **

Abstract

'Mee Too' Movement is a movement through which it is tried to provide justice for each and every women of any class against the sexual violence, sexual exploitation, sexual abuse, and sexual exploitation of female Bollywood stars. And even this movement played very important role against then Chief Justice of India. Even though it cannot be said the allegation was true or false but it is very clear that, this movement is energetic and powerful for women to save their respect and honour.

Keywords: Women, Sexual Violence, Sexual Exploitation, Sexual Abuse, Sexual Exploitation of Bollywood Stars.

Introduction

In India the 'Mee Too'Movement, is a manifestation of the international'Mee Too' movement which was erupted like a volcano in the year of 2018 and is still going on. The Mee Too movement haunted all the sphere like of Governmental organization, Media Houses and most drastically exposed the Bollywood industry. The Indian Mee Too movement was initiated in October 2018, when Actress Tanushree Dutta brought allegation of Sexual harassment against Actor Nana Patekar in the film Industry[1].

Origin of Mee Too Movement

The Mee Too movement was launched by Tarana Burke which began as a social phenomenon in the year of 2017, October as a hastag started by Alyssa Milano who is an American Actress by sharing her sexual assault story against Harvey Wein Stein. After few days later women across the world started to reveal their sexual assault story. In India the Mee Too sparked when Tanushree started to speak against Actor Nana Pateker as the stories began to reveal from Actor Alok Nath to journalist and politician Mr. Akbar, after allegation against Harvey Weinstein the use of the Mee

**Assistant Professor, Faculty of Law, Nehru Gram Bharati (Deemed To Be University) Prayagraj (U.P.)*
***Research Scholar, Faculty of Law, Nehru Gram Bharati (Deemed To Be University) Prayagraj (U.P.)*

Too hastag on social media spread like a wild fire in India[2].

Mee Too Movement In India

Sexual harassment is commonly referred to by the word eve-teasing, a team described as misleading, Tame and diluting the seriousness of the crime. In response to me too there have been attempts to teach Indian Women about their work place rights and safe reporting, as well as Educating men about. The scope of the problem some have likened Mee Too to a 2012 social movement which followed a violent gang rape in New Delhi. Several list of alleged rapists and harassers started spreading on social media in India including the list which initially included the names of about 60 highly respected academic man. The list was posted on 24 Oct 2017, by activist Raja Sarkar, who alleged they personally confirmed every incident[3].

This list has resulted in criticism against Mee Too because the alleg tions were unverified before. They started spreading on social media, few of the victims from the list have come forward to explain. They were ignored, mistreated or related against when they tried to pursue action against Sarkar, as the list, says that she posted it only 18 names to warn her friends about professors and academies in order to avoid mostly upper caste men and had no idea it would become so popular. A second list came out a week later that was made by women from lower caste background and included more names, bringing the total upto around. Twelve prominent Indian feminists dismissed the list in a formal letter, saying they understand that the justice system is typically tilted against victims, but unverified claims make things harder for the feminist movement. Writers Rhea Dangwal and Namarata Gupta responded that most victims from the list were poor students who tried to go through official channels, without success or recourse, while every single man on the list has the ability to defend himself socially and legally[4].

Mee Too Movement In Bollywood Industry.

(a)Tanushree Dutta's Allegations

In 2018 Tanushree Dutta's allegation against Actor Nana Patekar became a catalyst for the me too movement in India. Tanushree Dutta gave an interview to T.V. and described about the sexual harassment which she faced in the year of 2009 at the set of movie Horn ok please[5]. But in June 2019 the Maharashtra police closed the case after informing the court that there were no evidence which could be produced to prosecute Patekar[6].

(b) Arjun Sarja

Shruti Hariharan a actress of Kannand cinema revealed multiple instances of actor Arjun Sarja's misbehaviour towards her. The Actress that Arjun had made unwelcome advance towards her during the making of nibunati by other changing[7].

(c) Kailash Kher

Kailash Kher, the Playback Singer and Music Composer was called out for sexual misconducts by multiple women during Indian Mee Too movement 2018.[8]

(d) Rajat Kapoor

In October 2018, Rajat Kapoor was accused of sexually harassing two women. Responding to the allegations Kapoor apologised for his actions.[9] His movie Kadakh was dropped from the MAMI Film Festival following the allegations.[10]

(e) Anu Malik

On 21 October 2018, singer/composer/TV show judge Anu Malik was asked to step down from judging the reality TV show Indian Idol -10 after being accused of sexual harassment from multiple women. An assistant producer on Indian Idol 5, Danica D'Souza, has been reported as saying that the producers knew of Malik's harassing behaviour, but previously had not taken it seriously enough. D'Souza noted that "They knew he abused power but nothing came of it. In fact, they told us all to take precaution by not meeting him alone."[11]

Malik himself released a statement: "I, Anu Malik, have decided to take a break from Indian Idol as I am currently unable to focus on my work, my music and the show".[12] In the 1990s, singer Alisha Chinai had also accused Malik of molesting her, but faced legal challenges in doing so. She filed a case against him and demanded 2,660,000, whereas in return, Malik had filed a defamation case asking for 20,000,000 from Chinai. Chinai eventually won the legal battle in an "unprecedented landmark verdict", and a restraining order was passed against Malik. She vowed to never work with Malik again but eventually forgave him, and sang for him in a song in the film Ishq Vishq, which Malik musically directed. Both of the two later judged a season of Indian Idol together.[13]

Malik returned to the Indian Idol in 2019 and accusers expressed their anger all over again[14] Neha Bhasin and Shweta Pandit had also accused

Malik of inappropriate behaviour.[15]

(f) Sajid Khan

In October 2018 Saloni Chopra spoke about being sexually harassed by Sajid Khan. In an interview aired on youtube channel of Zoom Saloni Chopra detailed her account of sexual harassment and misconduct by Sajid Khan. She also spoke about Sajid Khan sexually harassing other women in front of her.[16] He is yet to comment on these allegations. In wake of these allegations several Bollywood bigwigs publicly distanced themselves from him. He was also replaced by Farhad Samji as Director for Housefull 4. In December 2018, the Indian Film and Television Directors Association (IFTDA) announced that it was suspending Sajid Khan for a year due to the multiple sexual harassment allegations, by actresses Saloni Chopra and Rachel White and journalist Karishma Upadhyay.[17]

After staying away from public eye for a year Sajid Khan returned to social media on April 16, 2020.[18]His Instagram account as of June 24, 2020 has blocked users to post any comments.

2.Mee Too Movement And News media

After multiple allegations of sexual harassment, psychological torture, and sending explicit material, the resident of the Times of India (a leading publication in the country), K.R. Sreenivas, resigned on 13 October 2018.[19]

On 8 October, Prashant Jha stepped down as the Chief of Bureau and Political of the Hindustan Times, a leading daily newspaper, after charges of sexual harassment was filed against him by a former employee.[20]

On 14 October 2018, film director Nishtha Jain, in a Facebook post, accused The Wire anchor Vinod Dua of stalking, slobbering, and sexually harassing her in June 1989. Dua's daughter Mallika Dua said that she will let her father fight his battle and will stand by him.On 17 October, Dua, in a statement on the sexual harassment accusation against him, mocked the #Mee Too movement as "trivial" in an election year in the latest episode of his The Wire show 'Jan Gan Man Ki Baat'. Dua said he was suspending his show for a week for The Wire to probe the sexual harassment allegation against him.[21]

On 10 October, Stalin K of Video Volunteers was accused by an intern from the Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, of sexual misconduct. Subsequently, TISS has issued an advisory dissociating itself from him and Video Volunteers. After this, several other instances of sexual harassment have also surfaced in the media, and they are currently under

investigation by the ICC of Video Volunteers.[22]

3. Politics and law Minister of State (MOS) of External Affairs

In October 2018, M.J. Akbar, India's Minister of State for External Affairs, was accused of sexual harassment by several female colleagues.[23] At least ten allegations have emerged against Akbar, the first public servant in high office to be accused.Akbar's colleagues, including Smriti Irani and Maneka Gandhi, have acknowledged the online testimonies against him and called for a probe. The Ministry of Women and Child Development announced that a panel would be set up to examine the existing legal framework for harassment at work.[24]

In mid-October, a 41-page letter was written to Delhi's Chief Metropolitan Magistrate by Akbar, who accused journalist Priya Ramani of defaming him on scandalous grounds. Ramani said that she was "deeply disappointed" with Akbar's decision to take legal action against her. Ramani faced up to two years in prison if Akbar was successful in the criminal defamation case. Bhawana Bisht, writing and editor of *SheThePeople.TV*, described the case against Ramani as an example of a SLAPP lawsuit and "a way to drag the women to court and intimidate them until they withdraw."On February 10, 2021, *The Quint* published an overview of the defamation case in anticipation of the verdict on February 17, 2021.[25]

On 16 October, journalist Tushita Patel (wife of Aakar Patel, director of Amnesty International India) published an article on scroll.in detailing instances of sexual harassment by Akbar during meetings with him in the early 1990s, when Akbar was the Editor -in-chief of the Deccan Chronicle, and Patel was a senior sub-editor. In a calmly indignant tone, Patel narrated separate incidents in which Akbar indecently exposed himself to her, and also forcibly kissed her, leaving her traumatized. She ended the article affirming the power of the solidarity and union of his female victims, who would be vocal against him in court proceedings: "The same sisterhood of solidarity that held our hands through the darkest times of our lives will come out only because you continue to be brazen. We are not confused, conflicted or vulnerable any more. Our time to speak is now – when we don't have to run to a police station to lodge a complaint before anyone would give us a hearing." M.J. Akbar resigned from the post of Minister of State for External Affairs on 17 October, having decided to fight in a personal capacity the allegations made against him.[26]

On 18 October, the Editors Guild of India posted an official statement that requested Akbar to withdraw his defamation case against his accusers,

and also offered legal and other support to any of the affected women (present or in the future) in his case or others: "If any of them were to need legal advice or assistance, the Guild will do the best it can to help and also appeal to eminent lawyers to represent them."[27]

On 18 October, Akbar's hearing for his defamation case began at the Patiala House Courts in Delhi. Akbar himself was not present, but was represented by Senior Advocate Geeta Luthra. Advocate Luthra said that "at this stage all that she has to show is that Akbar's reputation had suffered, and that the allegedly defamatory remarks were read by others." The court said that it would record his statement on 31 October 2018.[28] On February 17, 2021, the court dismissed Akbar's complaint against Priya Ramani, stating the charges had not been proven.[29] In the ruling, Judge Ravindra Kumar Pandey wrote, "Despite how well respected some persons are in the society, they in are contrary intheir personal lives, which shows their extreme cruelty against the females," and "The time has come for our society to understand the sexual abuse and sexual harassment and its implications on victims." Pandey continued, "The woman cannot be punished for raising (her) voice against the sex abuse on the pretext of criminal complaint of defamation, as the right of reputation cannot be protected at the cost of the right of life and dignity of woman as guaranteed in the Indian Constitution."[30]

4. National Students Union of India (NSUI) national president

On 16 October 2018, Rahul-Gandhi, president of the INC, accepted NSUI national president Fairoz Khan's resignation after a letter was sent saying he was accused of sexual harassment. He was accused by a female member of the INC from Chhattisgarh. INC had ordered a three-member committee to investigate the matter. Khan denied the charges but stated he was stepping down as it was hurting the party's image. Later Three member committee found him innocent. The woman had first complained against Khan to Rahul Gandhi in June 2018. She also demanded protection, as she feared for her life.[31]

5.Sexual Harassment Allegations against Chief Justice of India

In April 2019, Chief Justice of India Ranjan Gogoi was accused of sexual harassment by a former Supreme Court of India employee.[32] A three-judge internal investigation committee had given him clean chit[33] but was severely criticised for being opaque, unfair and one-sided, thus violating principles of natural justice.[34] Gogoi described the allegation as an attempt to hamper the independence of the judiciary and a danger to democracy.[35]

Several eminent personalities from legal fraternity[36]including two retired Supreme Court justices questioned the in-house panel's decision.

In an opinion piece written in the Indian Express titled "A One Sided Justice",[37] Justice Madan Lokur had commented that the Court was driven by an "institutional bias" while dismissing the allegations raised by the woman. Justice Jasti Chelameswar had said that the Supreme Court did not follow due process while hearing the sexual harassment charges against the Chief Justice of India.

Expressing personal thoughts sometimes it feels while thinking upon the subject principle of natural justice that No matter how impactful the offender is, no matter how rigorous punishment would be imposed upon him but then also the principle of natural justice cannot be ignored by any of the authority, tribunal, or court present in this world. If the principle of natural justice is overlooked in any case then ti of no use of the principle of natural justice is overlooked in any case then it of no use of having this court system in any corner of the nation which could not provide the rightful justice to the victim and their kin.

6. Education Symbiosis Centre for Media and Communication

Alumni of the Symbiosis Centre for Media and Communication (SCMC) in Pune took to social media to share accounts of harassment by some faculty members and their seniors; about 25 students and alumni of the college shared their ordeals, charging two faculty members and some senior students with harassment and molestation.[38]They also said that the institution failed to take concrete action against the accused faculty members. Soon afterwards, SCMC authorities issued an apology on Facebook and promised an investigation by the Internal Complaints Committee (ICC).[39]

Dr. Vidya Yeravdekar, principal director of Symbiosis Society, said that the Symbiosis University Management is "doing its best to abide by UGC rules." He noted that a "high power internal complaints committee, consisting of the vice-chancellor, dean, registrar and the director of the institution, has been constituted." The committee, he said, will take necessary steps to investigate any claims and consequences.[40]

On 21st October, the university decided to send Anupam Siddhartha, director of SCMC, on leave pending an inquiry. In the days prior, a petition had been signed by 106 students, both current students and alumni of SCMC, who gave "graphic details of years of alleged harassment and abuse at the hands of the SCMC director," as reported by NDTV. Vidya Yeravdekar,

principal director of SIU, said, "There was already an internal complaints committee, which had been set up to look into the allegations raised in the past, some of which were against Siddhartha. Some of the allegations were shocking and we immediately referred it to the ICC, who called him on Saturday for investigations. Based on the recommendation of the ICC, which has said that he should stay away from campus duties pending an inquiry, he will be sent on leave from Monday."[41] The sexual harassment case was demised after a three month long investigation, though he was charged with disciplinary excessive issues.Sreeram Gopalkrishnan was then appointed the director of Symbiosis Centre for Media & Communication (SCMC). [42]

7. November 2018 Caravan Magazine Investigations

The November 2018 issue of *Caravan*, a prominent Indian news magazine, investigated at length three prominent cases of workplace sexual harassment: involving entertainment behemoth, Only Much Louder, prominent television journalist and anchor, Gaurav Sawant, and another famous artist, Jatin Das.[43]

The charges against Only Much Louder[44] - famous for starting the NH7 Weekender and the power behind comedy groups All India Bakchod and East India Comedy - included serial charges of sexual harassment against the company's co-founder, Vijay Nair. The story also detailed how the company failed in its internal handling of sexual harassment charges that came to its notice.[45]

The same cover story also detailed a account of sexual misdemeanor by TV anchor, Gaurav Sawant,[46]against journalist Vidya Krishnan. As per the account published in the magazine, Krishnan alleged that during a reporting trip to the Beas in Punjab, Sawant tried to repeatedly molest her. In the article, Krishnan says to Nikita Saxena, the author of the said article, "I was really excited about being counted, being sent from *Pioneer* with all the supposedly senior journalists," Sawant, who had earlier reported on the Kargil war in 1999, was part of the entourage Krishnan was travelling with. In the Army jeep, Sawant allegedly touched Krishnan on her right shoulder and slowly moved his hands to her breast, later on pretending as if nothing had happened. "When the group returned to their hotel rooms in the evening, Vidya says she received a message from Gaurav that he wanted her to come to his room. When Vidya tried to brush him off politely, Gaurav reportedly said that what he had in mind was 'nothing naughty' and he 'just wanted to get into a bathtub with her.' Gaurav then came to her room

unexpectedly, she says, and dropped his pants and tried to sexually assault her. She tried to push him away, but could not, Vidya says." "I felt like he was overpowering me, which is why in my panic I started screaming," Vidya's response managed to drive Gaurav off, who pretended as if nothing had happened the next day.[47]

Criticism

Journalists Seema Mustafa expressed Encouragement for Women who were posting their sexual assault stories. But she felt that movement lacks internal criticism. The Talveeu Singh of the Indian Express has criticizedas the Me Too movement needs more nuanced and richer conversations which have space for debate, disagreement and dissent. The movement needs for debate, disagreement and dissent. The movements needs deeper forms of Engagement and a collective will to develop a self critical discourse which can generate essential kind of Intellectual spade work. Mustafa also criticized the Mee too movement's in ability to differentiate between a man who is guilty of Rape and Sexual Assault from a man who sokicited a women with a drink, or an unacceptable text message, arguing the offers the same punishment for all. Krishna also criticized by saying "This remains a challenge of Great importance for India's me too, which it has not yet- succeeded in overcoming". Mustafa and Singh both said that the current movement in India is "Exclusive, elite and metropolitan in nature", failing to represent ordinary Indians. Mustafa also said that Me Too movement as too subjective, arbitrary and without responsibility. She also stated about the mob mentality as the accusation on social media deny the accused a proper chance to defend themselves.

References

1. *"India's MeToo: Some of the sexual harassment charges that have surfaced this month".*
2. *"MeToo Movement India - Everything You Need To Know About The #MeToo Movement". popxo.com. 29 October 2018.*
3. *"Women in India are also saying MeToo". PBS NewsHour. 19 October 2017. Archived from the original on 6 January 2018.*
4. *"Raya Sarkar and All The List's Men". Medium. 24 October 2017. Archived from the original on 6 January 2018.*
5. *"Nana Patekar Has A History Of Assaulting Women: Tanushree Dutta". Headlinestoday.org. Archived from the original on 26 September 2018.*
6. *"MeToo movement: Police closes Nana Patekar's sexual harassment case filed by Tanushree Dutta - Times of India ". The Times of*

India. 13 June 2019. 7. "Sruthi Hariharan accuses Arjun, says he misbehaved with her!". Sify.

7. *"MeToo in India: Singer Kailash Kher faces fresh allegations of sexual harassment from multiple women- Entertainment News, Firstpost". Firstpost. 11 October 2018.*
8. *"MAMI Drops Rajat Kapoor's Kadakh And AIB Production From Film Fest Line-Up". NDTV.com..*
9. *"MAMI Drops Rajat Kapoor's Kadakh And AIB Production From Film Fest Line-Up". NDTV.com..*
10. *www. in.news.yahoo.com. Retrieved 27 February 2019.*
11. *"Sony TV breaks silence on Anu Malik's 'Indian Idol' exit". in.news.yahoo.com.*
12. *"India Today Anu Malik Nov 2019".*
13. *"India Today Anu Malik Nov 2019".*
14. *"Hindustan Times Anu Malik Nov 2019". November 2019.*
15. *www.youtube.com*
16. *"MeToo: Film Body Suspends Sajid Khan for One Year Over Sexual Harassment Allegations". News18. 12 December 2018.*
17. *www.instagram.com/aslisajidkhan/*
18. *www.Thenewsminute.com. 13 October 2018.*
19. *www. Thenewsminute.com. 8 October 2018.*
20. *www.firstpost.com. Archived from the original on 17 October 2018.*
21. *"MeToo Allegations Hit Video Volunteers' Stalin K. Padma as Several Women Come Forward". The Wire. Retrieved 18 October 2018.*
22. *The Indian Express. 10 October 2018. 24. The Indian Economist". M.dailyhunt.in.*
23. *Saran, Mekhala (10 February 2021).*
24. *MeToo fallout: MJ Akbar resigns as minister of state for external affairs - Times of India ".*
25. *www.NDTV.com. Retrieved 27 February 2019.*
26. *www.in.news.yahoo.com.*
27. *All India (17 February 2021). ""Ray Of Hope": Bollywood Celebrates Priya Ramani's Acquittal In Defamation Case". NDTV. Press Trust of India.*
28. *Mitra, Esha; Yeung, Jessie; Suri, Manveena (18 February 2021).*
29. *www.ndianexpress.com. 16 October 2018.*
30. *"Former Supreme Court Employee Alleges Sexual Harassment by Chief Justice Gogoi".*

31. *"Justice Bobde panel gives clean chit to CJI in sexual harassment probe". The Hindu. 6 May 2019.*
32. *"Justice Bobde panel gives clean chit to CJI in sexual harassment probe". The Hindu. 6 May 2019.*
33. *"Sexual Harassment Allegations Against CJI: SC Says Bigger Plot to Deactivate Office of CJI". 20 April 2019.*
34. *Dave, Dushyant (7 May 2019). "A miscarriage of justice". The Hindu.*
35. *"A one-sided justice". 22 May 2019.*
36. *The Indian Economist". M.dailyhunt.in.www.M.dailyhunt.in.*
37. *India Today. Retrieved 16 October 2018.*
38. *"Symbiosis Center for Media & Communication". Facebook.com.*
39. *"Symbiosis asks director to go on leave after 106 students complain of harassment". 21 October 2018.*
40. *The Hindustan Times. 17 May 2019.*
41. *Women speak out against Gaurav Sawant, Jatin Das and Vijay Nair's OML". The Caravan. Retrieved 8 December 2018.*
42. *Sharma, co-authored by Surabhi Kanga, Bhanuj Kappal, Arnav Das. "How Only Much Louder failed the women in its ranks". The Caravan.*
43. *Sharma, co-authored by Surabhi Kanga, Bhanuj Kappal, Arnav Das. "How Only Much Louder failed the women in its ranks". 46.*

    -Saxena, Nikita. "Journalist accuses primetime anchor Gaurav Sawant of sexual assault". The Caravan. Retrieved 8 December 2018.
47. *www.thenewsminute.com. 13 November 2018.*

Manglam-Year 13(01),Vol.XXIV,Feb.2022
ISSN-0976-8149, P-78-83

To Study The Impact Of Organizational Commitment On Life Satisfaction Of The Employees

*Monika Ranjan**

Dr. ShailendraPrasad Pandey ***

Abstract

In organizational behaviour, organizational commitment is a individual's psychological attachment with organization, whereas life satisfaction (LS) is the way people show their feelings, mood, emotions and how people feel about their directions and choices for the future . Life satisfaction involves a positive attitude towards life. The aim of the study was to investigate the relationship of organizational commitment and life satisfaction with government employees of Delhi. A total of 40 government employees (20 male and 20 female) participated. Dr.Ramji Srivastava's life satisfaction scale and Dr.Anukool M. Hyde & Mrs. Rishu Roy's organizational commitment scale were administered. Organizational commitment and life satisfaction was found significantly not correlated, no significant difference between male and female employees of organizational commitment and no significant difference between male and female employees of life satisfaction. The effect of organizational commitment on life satisfaction was found not correlated.

Keywords- Organizational Commitment, Life Satisfaction, Gender and Government Employees.

Introduction

Organizational commitment-In industrial psychology, organizational commitment is an employee's psychological attachment to the organization. Organizational psychologist give many different definitions of organizational commitment and have developed many different scales to measure them. An example of this work is Meyer and Allen's model of organizational commitment, which was developed to integrate the many different definitions of commitment prevalent in the literature. Meyer and Allen's model has also been criticized because this model is not consistent with empirical findings. This may not be fully applicable across the customer behaviour domain what conclusion Meyer and Allen's model was trying to reach was also debated. The premise behind these studies was to find ways to improve how employees feel about their job and the organization so that these employees can be more commitment to their organization. Organizational

**Research Scholar Dr. R.L. Avadh University, Ayodhya (U.P.)*
***Associate Professor S.T.D.P.G. College, Kadipur Sultanpur, (U.P.)*

commitment predict job variable such as OCB, turn over and job performance certain factor such as job stress, job insecurities, job satisfaction, job burn-out, empowerment and employability have been shown to be associated with a employee's sense organizational commitment.

Theory of organizational commitment-Meyer and Allen (1991) The three-component model of organizational commitment was created to explain that there are three components of commitment that according to different psychological states. Meyer and Allen constructed this model for two reason: first- " to aid in the interpretation of current research" and second- " to aid as a framework for future research". Mercurio (2015) reviewed empirical and the theoretical studies on organizational commitment and extended this model. Mercurio believes that affective or emotional commitment, is the core of organizational commitment.

1.Affective commitment- Affective commitment is the positive emotional attachment of the employeeto the organization. Meyer and Allen, Affective commitment as the 'will' component of organizational commitment. An employee who is affectively committed with the organization identifies strongly with the goal of the organizational commitment with the organizationthis employees because he "wants to". This organizationalcommitment can be influenced by many different demographical characteristics- gender, age, education and tenure but these effects are neither consistent nor strong.

2.Continuance commitment- Continuance commitment is the 'need' component or the profit versus looses of working in an organization. Things like social costs (friendly/warm relationship with co-workers) and economic costs (such as pension after retirement) would be the cost of losing organizational membership.

3.Normative commitment- The employee is committed and stay with the organization because of the feelings of responsibility. This is the last component of organizational commitment. These feelings can arise from the stress placed on an employee before and after joining an organization. For example, the organization invests resources in training an employee who feels a 'mora' responsibility to put effort on the job and 'pay of debt' of the organization.

Life satisfaction- Life satisfaction of any individual is the way in which individual show their emotions (mood, feelings and how they feel about the choices and future. Mood, satisfaction from relationship, self

concept, goal achievable and self-perceived ability to deal with one's daily life. Life satisfaction involves a favourable attitude towards life rather than an assessment of one's current feelings. Life satisfaction has been measurement in relation to a person's degree of education, economic status, social relationship, residence, experience among many other subjects of a person's life. Satisfaction of life is an important part of subjective well-being. There are two factors- internal and external- that contribute to an individual's subjective well-eing and life satisfaction.

Problem of the study

1. To find out the relationship between organizational commitment and life satisfaction.

2. To find out the significant difference between male and female employees on the variables of organizational commitment and life satisfaction.

Rational of study- As a person thinks- life satisfaction is the most important part of any person's life because satisfaction of life affects every aspect of a person's life and another variable is organizational commitment is the most important factor of a organization because when organizational commitment becomes low of employees towards their organization, then problem like unrest in organization, job burn out and stress and many other problems raise up in the organization.

Research work between life satisfaction and organizational commitment has not been done much. So I decided to conduct the research on this problem, in order to determine all the nuances related to these concepts and remove the knowledge gap in these fields.

Objectives of study

The following objectives of the study have been set-

1. To study the relationship between organizational commitment and life satisfaction of employees.
2. To study the gender difference of life satisfaction.
3. To study the gender difference of organizational commitment.

Hypothesis

Keeping in view the current research problem, the outline of possible proposed solution is evidenced by the hypothesis, the answer of which will be provided by the current research-

1. There would be a positive relationship between organizational commitment and life satisfaction of employees.

2. There will be a significant difference between male and female employees of organizational commitment.
3. There will be a significant difference between male and female employees of life satisfaction.

Method

Variables- Independent variable- Organizational commitment, gender Dependent variable- life satisfaction

Sample- A total of 40 government employees (20 male and 20 female) in Delhi in the present study.

Instruments

Organizational commitment scale(Dr.Anukool M. Hyde &Mrs. Rishu Roy) : This scale consists 30 items in four dimensions- I. Belongingness, II. Job satisfaction, III. Optimism and IV. Quality of work life (in 8 factors). This scale is five point scale from strongly agree to strongly disagree. This scale is in Hindi language. Reliability of this scale was found to be 0.89 and validity of this scale was found 0.94 by authors.

Life satisfaction scale (Dr.Ramji Srivastava): This scale consists 60 items related to six areas, viz.,Health, Personal, Economic, Marital, Social and Job. The responses are to be given in Yes/no. This scale is in Hindi language. Reliability of this scale was found to be 0.84 by author.

Procedure

In this research work first I went to a government organization. Then I selected 20 male and 20 female employees by quota sampling method. Then I administered the scale oforganizational commitment and life satisfaction at one of those employees. Similarly bothscale were administered on the remaining subjects. Then I got the data by using this way.

Statistics

In this present study, pearson r correlation has been used to find the correlation between the two variables (organizational commitment and life satisfaction) and t-test has been used to examine the gender difference of both the variables.

Result

Correlation between organizational commitment and life satisfaction: Correlationof organizational commitment and life satisfaction[r=.23]are not significantly correlated. It means both variables are independent variables.

Table 1: Correlation coefficient of organizational commitment and llfe satisfaction

Variables	R value	Df Result	Discussion
Organizational commitment .05>0.23 Life satisfaction	0.23	38.01>0.23Significantly	not correlated

.***Gender differences in organizational commitment:*** **No significant difference was found in the effect of gender differences on organizational commitment.**

Table 2: Mean SD and t-value of organizational commitment in term of gender

Variable	Gender	Mean	SD	t-value	Df	Result	Discussion
Organizational commitment difference	Male (n=20)1	13.4	9.35	0.85	38	. 01>.85	Nosignificant
	Female (n=20)	110.85	9.54				.05>.85

Gender differences in life satisfaction : **No significant difference was found in the effect of gender differences on life satisfaction.**

Table 3: Mean SD and t-value of life satisfaction in term of gender

Variable	Gender	Mean	SD	t-value	Df	Result	Discussion
Life satisfaction difference	Male (n=20)	47.35	11.65	0.19	38	.01>.19	No significant
	Female (n=20)	46.7	9.67				.05>.19

Discussion and conclusion

This research work aimed to investigated the relationship between organizational commitment and life satisfaction among government employees in Delhi. Research on life satisfaction and its relation with organizational commitment were conducted on government employees. Result of the present study, there is no positive correlation between organizational commitment and life satisfaction. Both variables are independent. Satisfaction of life is an important construct of positive psychology. Present study finding showed that life satisfaction does not increase when organizational commitment increase and life satisfaction does not decrease when organizational commitment decrease.Gender effect was not found significant on organizational commitment and mean score of male employees are higher than female employees. Organizational commitment is important to organization because of the desire to retain a strong force. Gender effect was not found significant on life satisfaction and mean score of male employees higher than female employees. Level of life satisfaction are associated with physical and mental health.

References

1. *commitment, o. (n.d.). questionPro. Retrieved fromhttps:// www.questionpro.com/blog/organizational-commitment/ /#:~:text= Organizational% 20commitment% 20is%20defined% 20as,he% 2Fshe% 20is%20working%*
2. *www.Life_satisfaction*
3. *stress, o. (n.d.). wikipedia. Retrieved fromhttps://en.wikipedia.org/ wiki/Occupational_stress#:~:text= Occupational%20stress%20is%20 psychological%20stress,are% 20excessive%20or%20too%20low.*
4. *Shulemaan, D. M. (2012). Statistics in psychology education and other social science. MotilalBanarsidas.*
5. *Aviad Bar Haim- Organizationd. Commitment A case of Unrewarded Behavior; Word Scientific Publication.*
6. *P.Na. Kanchana, Job Satisfacttion on predictor of Organi zationd commitment, LAP Lambut Acadimic Publisher, 2013.*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-84-91

भारतीय स्वतंत्रता–संग्राम और झारखण्ड की जनजातियाँ

*डॉ० नियति कल्प **

सारांश

झारखंड बिहार प्रदेश का जनजाति बहुल विभाजित राज्य है, जिसका अभ्युदय भारत के 28वें नवोदित राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 ई. को हुआ। झारखण्ड के अन्तर्गत कुल 31जनजातियाँ हैं । जब तक झारखंड की धरती पर अंग्रेजी शासन–व्यवस्था के पद–चिह्न अंकित नहीं हुए थे यहाँ की जनजातियाँ शांति, सुख, आनंद और असीम सादगी का जीवन व्यतीत कर रही थीं । लेकिन उनके आगमन के पश्चात् ही उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के विविध नियमों–परिनियमों, और विधि–विधानों के कुचक्रों से उन्हें लगातार आहत और प्रताड़ित करने की कोशिश की । जनजातियों के बीच विद्रोह की भावना का सूत्रपात 1772 ई. मेंतिलका माँझी द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष से होता है । भारतीय स्वाधीनता का प्रथम संग्राम भी झारखंड क्षेत्र के रोहिणी नामक गाँव से 12 जून 1857 ई. को प्रारम्भ हुआ । संताल विद्रोह के बाद1895 ई. में प्रारम्भ बिरसा आंदोलन भूमि से लेकर धार्मिक समस्याओं के विरुद्ध एक सबल जनसंघर्ष था । देखा जाय तो झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लगभग डेढ़ सौ वर्षों का है । 1772 ई. मेंतिलका माँझी के आंदोलन से प्रारंभ होकर 1947 ई. तक (भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति तक) इसे देखा जा सकता है ।

झारखंड बिहार प्रदेश का जनजाति बहुल विभाजित राज्य है, जिसका अभ्युदय भारत के 28वें नवोदित राज्य के रूप में 15नवंबर 2000 ई. को हुआ। अलंघ्य पहाड़ियों , अखण्ड अरण्यों और झाड़–झंखाड़ से परिपूर्ण रहने की वजह से ही इसे झारखंड नाम से अभिहित किया गया । झारखण्ड–निर्माण के पूर्व इस क्षेत्र–विशेष की पहचान छोटा नागपुर नाम से थी । इस क्षेत्र–विशेष के लिए अकबरनामा' 'आइन–ए–अकबरी' , 'जहाँगीरनामा' तथा प्राचीन संस्कृत साहित्य में कोकरा, कोकराह, अर्कखण्ड, कीकट प्रदेश, पुण्ड्र आदि जैसे नाम उपलब्ध होतेहैं । झारखण्ड नाम का पहला उल्लेख 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपट्ट अभिलेख में किया गया है । श्रीचैतन्य चरितामृत में भी झारखण्ड का नामोल्लेख है ।[1] झारखण्ड के अन्तर्गत कुल 31जनजातियाँ अपनी–अपनी भाषा, संस्कृति और गरिमा मयी प्रतिष्ठा के संरक्षण में सदियों से सदैव तत्परऔर सजग हैं । इनमें से संताल, मुंडा, खड़िया, उराँव, हो आदि की प्रमुखता है । संख्या की दृष्टि से संतालों की संख्या सर्वाधिक है और इनकी अधिकाधिक अवस्थिति संताल परगना के अन्तर्गत है । यद्यपि झारखण्ड का यह प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से और सम्पदा से परिपूरित है, लेकिन प्रारंभिक काल से ही यह उपेक्षित, अशिक्षित, अविकसित और तिरस्कृत रहा है,

**सहायक प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची, (झारखंड)*

जिसके संस्कार–परिष्कार और विकास–उत्थान की सचेष्टता आज भी दृष्टिगत होती है ।

अमूल्य खनिज पदार्थों और वन संपदा से आपूरित झारखंड का यह प्रदेश अतिशय समृद्ध है । यहाँ की जनजातियों की उनके सहज, सरल, और निष्छल स्वभाव के कारण एक अलग पहचान है । झारखंड के गठन, शैक्षिक,–सामाजिक उत्थान, आर्थिक और सांकृतिक तथा बौद्धिक विकास में यहाँ की जनजातियों की महती भूमिका रही है ।

जल, जंगल, और जमीन को अपने जीवन का केन्द्र मानकर यहाँ की जनजातियाँ परिश्रम पूर्वक सदियों से अपना जीवन– यापन करतीआर ही हैं । इन्हें न आवश्यकता से अधिक की लाल साहैऔर न ही वे किसी प्रकार के अतिरिक्त लोभ और लालच से ग्रसित हैं । प्राकृतिक संपदाओं को अपना अमूल्य धरोहर मानने वाली ये जन–जातियाँ प्रकृति को ही ईश्वर का स्वरूप मानती रही हैं । सरहुल, सोहराई, बाहा, बुरु, माघे, फागू, करमा आदि पर्वइन की धार्मिक आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक गरिमा के अभिव्यंजक हैं ।

संस्कृत की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि जीवन में किसी विपदा के आने के पूर्व तक ही भयभीत और प्रकंपित रहने की जरूरत है , लेकिन जब विपदा सामने उपस्थित हो जाय तो उसका मुकाबला अत्यंत ही धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए । झारखंड की जनजातियों के इस ऐतिहासिक और साहसिक स्वतंत्रता–संघर्ष को इसी संदर्भ में देखने–परखने की आवश्यकता है । अंग्रेजी सत्ता के लगातार अन्याय, अत्याचार और अमानुषिक व्यवहार से त्रस्त होकर जनजातियों ने अपनी एकजुटता से स्वतंत्रता की आग को प्रदीप्त किया । प्रत्येक व्यक्ति और समूह में अत्याचार सहन करने की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है । सीमा के अतिक्रमण के पश्चात् जो ज्वाला उससे निःसृत होती है, वह सबको भस्मीभूत करने की क्षमता रखती है । अंग्रेजी सत्ता की अहर्निशद मनकारी नीति से प्रताड़ित और आक्रोशित जनजातियों ने अपनी परंपरागत हथियारों की शक्ति–धार की विध्वंसक–क्षमता से उन आततायियों को देश छोड़ने के लिए विवश करदिया । निश्चित तौर पर समूह में एक बड़ी शक्ति और ताकत अन्तर्निहित होती है जिसे सहज रूप में पहचान पाना अत्यंत ही कठिन है । जनजातियों की दीर्घा वधि से संचित पीड़ा की अभिव्यक्ति उनके आक्रोशजन्य रक्तपात से हुई ।

स्वतंत्रता मानव–जीवन का एक ऐसा अद्‌भुत प्रकाश है, जिससे समग्र मानव–जाति का बौद्धिक उन्नयन और मानसिक विकास संपृक्त है । स्वतंत्रता जीवन का शुक्ल पक्ष है तो परतंत्रता उसका कृष्ण –पक्ष । प्रत्येक व्यक्ति और जाति में जन्मजात स्वतंत्रता की आकांक्षा और प्रवृत्ति विद्‌यमान रहती है और पशु–पक्षी

भी इसके अपवाद नहीं हैं । सचमुच आजादी जीवन का विशाल प्रकाश–पुंज है और गुलामी दुःख पूर्ण घड़ी की करुण कहानी । आजादी मानव जीवन को संतुलित, व्यवस्थित और उत्साहित करती है । इतिहास साक्षी है कि गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ समाज विकास से बहुत दूर चला गया है । फलतः विकास–पथ पर अग्रसर होने के लिए आजादी की आकांक्षा का व्युत्पन्न होना सहज स्वाभाविक है। इसी भावऔर विचार को लक्षित करते हुए प्रेमचंद ने 'खुचड़' कहानी में लिखा है– " जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है" ।[2] सचमुच स्वतंत्रता जन–मन की प्रबल पुकार है, जन–मानस के सम्मिलित प्रयास की दमदार अनुगूँज है, स्वाभिमान की प्रवहमान गंग धार है , सरस और समृद्ध तथा जीवंत जीवन की असली पहचान है । अंग्रेजों के अमानुषिक अत्याचार और जमींदारी आतंक के विरुद्ध झारखंड की जनजातियों ने जिस साहस पूर्ण एकजुटता, आत्मबल और संघर्षपूर्ण एक निष्ठता का प्रदर्शन किया है वह सर्वथा स्तुत्य और प्रशंसनीय है । अत्याचारोंऔर अनैतिक कुचक्रों की अंतहीन वर्षा और आँधी–तूफान के फलस्वरूप मानव–जीवन में इसी प्रकार का उबाल–उफान प्रकट होता है ।

जब तक झारखंड की धरती पर अंग्रेजी शासन–व्यवस्था के पद–चिह्न अंकित नहीं हुए थे यहाँ की जनजातियाँ शांति, सुख, आनंद और असीम सादगी का जीवन व्यतीत कर रही थीं । लेकिन उनके आगमन के पश्चात् ही उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के विविध नियमों–परिनियमों, और विधि–विधानों के कुचक्रों से उन्हें लगातार आहत और प्रताड़ित करने की कोशिश की । उल्लेख्य है कि अंग्रेजों ने इस कार्य–प्रणाली को जितना सुगम और आसान समझा था , वास्तविकता ठीक इसके विपरीत दीख पड़ी । सीधे–सादे झारखंड की जनजातियों के मध्य राजस्व वसूली और अपनी क्रूर कानूनी व्यवस्था को लागू करने में अंग्रेजी सरकार को विविध कठिनाइयों और संकटों का सामना करना पड़ा ।

अंग्रेजों की रीति–नीति और उनके शोषण–चक्र की अपरिमित यातना से व्यथित यहाँ की जनजातियों में असंतोष की प्रबलल हर उन्हें धीरे–धीरे आंदोलित करने लगी । सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाली इन जन जातियों के बीच विद्रोह की भावना का सूत्रपात 1772 ई. मेंतिलका माँझी द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष से होता है ।[3] तिलका माँझी ने जमीन और फसल पर स्थानीय वासियों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की । गाँव–गाँवमें इस आंदोलन के संदेश का प्रतीकबना सखुआ का पत्ता, जिसे प्रत्येक घर में घुमा–घुमा कर गाँव के लोगों के मध्य आंदोलन का संदेश दिया गया । अंग्रेजी सरकार ने जनमानस के मध्य बढ़ते हुए इस विद्रोह की चिनगारी को देखते हुए भागलपुर मेंतिल का माँझी को फाँसी की सजा दे दी । तिलका माँझी चौक पर इस आंदोलन कारी की स्थापित मूर्त्ति अपनी संघर्ष–गाथा से आज भी जनमानस को अभिप्रेरित कर रही है ।

1800 ई. में चेरो आंदोलन की ज्वाला भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भड़क उठी । चेरो अर्थात् स्थानीय जागीर दारों से जब उनकी जमीनें हथियाली जाने लगीं, तब उन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ अपने संघर्ष का मोर्चा खोल दिया । स्मरणीय है कि इस आंदोलन का नेतृत्व चेरो भूषण सिंह ने किया था । 1802 ई. में इन्हें अंग्रेजों द्वारा फाँसी की सजा दे दी गयी ।

सन् 1831में झारखंड की जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त रूप से विद्रोह कर दिया जिसे 'कोल विद्रोह' की संज्ञा प्रदान की गयी । कोल विद्रोह का मुख्य कारण उनकीजमीनों का उनके हाथों से निकल जाना था । अंग्रेजी सरकार द्वारा इस विद्रोह को दबाने का भरसक प्रयास किया गया, जिसका नेतृत्व सिंद राय और बिंदराय मानकी ने किया था । सैनिकों द्वारा की गयी कार्रवाई के पश्चात् 1832 ई. में इस विद्रोह को दबा पाने में अंग्रेज सफल रहे । कोल–विद्रोह के दमन के पश्चात् ही अंग्रेजी सरकार का आधिपत्य इस क्षेत्र विशेष पर संभव हो सका ।

कोल विद्रोह के करीब चौबीस वर्षों के बाद 30जून 1855 ई. में संताल विद्रोह की चिनगारी सुलग उठी । "संताल आंदोलन–हूल–कोई विद्रोह मात्र नहीं था वरन् अपनी अस्मिता, स्वायत्ता और संस्कृति के लिए वनपुत्रों का मुक्तिकामी संघर्ष था" ।[4] संताल जनजाति शांत और सहज–सरल स्वभाव की रही है और जिनकी अधिकाधिक संख्या संताल परगना के अंतर्गत है। हजारीबाग, मिदनापुर और वीरभूम आदि स्थानों में भी इनका निवास स्थान है । इनका मुख्य पेशा कृषि और शिकार करना रहा है जिनसे इनका जीविकोपार्जन होता है । लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के कारण ही इनकी कृषि योग्य भूमि जमींदारों के कब्जे मेंचली गयीं । 'स्थायी जमींदारी प्रथा' के खिलाफ हुए इस संघर्ष को हो संताल विद्रोह के नाम से जाना जाता है ।[5] जमींदारों की माँग पर अधिक लगा न चुकाने में असमर्थ होने पर यह जनजाति अपनी भूमि छोड़ कर राजमहल की पहाड़ियों पर जा बसी । परिश्रमी संताल यहाँ की बंजर धरती को कृषि योग्य बनाकर अपना जीवन–यापन करने लगे, परंतु जब जमींदारों की निगाह यहाँ की भूमि पर पड़ी तो उन्होंने यहाँ भी अपना दावा–दखल कर संतालों पर लगान वसूली के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया । इन जन जातियों के अन्तर्मन को इस हस्तक्षेप ने भी आहत किया । इन क्षेत्रों में गोरों और गैर–जनजातियों को 'दिकू' नाम दिया गया था, जिनमें बंगाल के महाजनों और व्यापारियों की संख्या अधिकाधिक थी । कर्ज वसूल ने के क्रम में ये दिकू संतालों से बहुत अधिक ब्याज वसूला करते थे । जनजाति यों में असंतोष का यह भी एक कारण था । वहीं दूसरी ओर पुलिस थाने, गरीब और निरीह संताल जनजाति के शोषण के केन्द्र बन चुके थे । लाचार और विवश लोगों की सुरक्षा और हिफाजत के स्थान पर इनका व्यवहार उनके साथ शोषकों वाला साबित हो रहा था । गरीबों का साथ देने के

बजाय वे जमींदारों और व्यापारियों का साथ दे रहे थे । इतना हीन हीं, आयेदिन शासकों द्वारा बहू–बेटियों की इज्जत और सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। संतालों के शोषण–चक्र की सूची में अत्याचार के और भी अनेक पृष्ठ जुड़ गये, जब संतालों के पालतू जानवरों को भी मुफ्त में उठाकर उनके द्वारा ले जाया जाने लगा। फलतः अत्याचार सहते–सहते संतालों के मन में लंबे समय से असंतोष की सुलगती ज्वाला ने सहन शीलता के बांध तोड़ दिये और तब उनके विद्रोह की विकराल अग्नि प्रज्वलित हो उठी । यह पूर्णतः सच है कि कभी–कभार विवशपूर्ण स्थितियों में हथियार उठाने की जरूरत महसूस होती है । कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय अपने परिशांत जीवन को दग्ध और आन्दोलित करना न हीं चाहता, लेकिन परिस्थितियाँ जब उसे विवश कर देती हैं तो वह पूरी तरह से अशक्त और निरूपाय हो जाता है । राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इसी भाव का अभिव्यंजन कुरुक्षेत्र की निम्न पंक्तियों में किया हैः–

"रुग्ण होना चाहता कोई नहीं
रोग लेकिन आ गया जब पा सहो
तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या ?
शमित होगा वह नहीं मिष्टान्न से" ।[6]

कोई भी व्यक्ति रुग्ण होना नहीं चाहता, लेकिन रोग ग्रस्त हो जाने पर उसे तिक्त औषधि का सेवन करना ही पड़ता है । ठीक उसी प्रकार अमानुषिक अत्याचार के विरुद्ध शत्रु– दमन के निमित्त हथियार उठाना भी लाजिमी ही है ।

संताल आंदोलन का नेतृत्व संताल परगना के भोगना डीह के चार भाइयों ने मिलकर कियाः– सिद्धू, कान्हू, चाँद और भैरव । ये चारों भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के जनक थे । संताल विद्रोह के मूल में मुख्यतः महाजनों और सूद खोरों के शोषण और जुल्म के खिलाफ भयानक आक्रोश था । अपने परंपरागत हथियारों, धनुष–तीर, भाला, बर्छा से लैस होकर इन्होंने अपने समाज के स्वाभिमान की रक्षा के लिए विद्रोह की घोषणा कर दी । इन्होंने शोषक वर्ग और सरकारी संपत्तियों पर भी हमला किया । अपने विद्रोह को सफल बनाने के लिए संतालों ने सिद्धू को अपना राजा, कान्हू को मंत्री , चाँद को प्रशासक और भै रवको सेनापति बनाकर एक नये संताल राज्य की घोषणा कर दी । इस विद्रोह को दबाने–कुचलने की भर पूर कोशिश की गयी । संतालों के पास भले ही आधुनिक हथियारों का अभाव था, पर उन मेंवीरता, धैर्य, आत्म विश्वास और साहस की कमी नहीं थी । आजादी के निमित्त इन्होंने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया । परंतु अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे आधुनिक हथियार संताल योद्धाओं की पराजय का कारण बन गया । इस युद्ध में चाँद और भैरव अंग्रेजों की गोली के शिकार हो गये और हजारों लोग शहीद

हुए । साथ ही कुछ लोगों के विश्वास घात के कारण सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजी सरकार ने पकड़ लिया और उन्हें फाँसी की सजा दी गयी । " सिद्धू और कान्हू लड़ते हुए मारे गये या उन्हें फाँसी पर लटकाया गया, इस बात पर बहस अभी बाकी है" ।[7] परंतु इस घटना से विद्रोह की अग्नि बुझने के स्थान पर और भी प्रदीप्त हो उठी। ब्रिटिश ासरकार ने संतालों को आत्म समर्पण की सलाह दी, परन्तु जब संतालियों पर उनकी धमकी और चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने मार्शल लॉलागूकर उनके दमन के लिए पच्चीस हजार सैनिकों की फौज तैयार कर दी । कुशल नेतृत्व का अभाव और आधुनिक हथियारों की कमी के कारण हजारों संतालियों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी । अंग्रेजों की इस दमन कारी नीति के बाद संताल–विद्रोह का अंत हो गया । लेकिन संताल–हूल राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का एक गौरवशाली अध्याय रहा है । यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का जीवंत प्रतीक है ।

यद्यपि संतालियों का यह विद्रोह अंग्रेजों के हथियारों के समक्ष शिथिल हो गया, परंतु 'संताल विद्रोह' ने संपूर्ण भारत वर्ष में आगामी विद्रोहों का मार्ग प्रशस्त कर अंग्रेजी शासन–व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिह्न खड़ा कर दिया । सच है कि संताल समाज की चेतन शीलता ने ही उन्हें आजादी के लिए अभिप्रेरित किया । अन्याय और शोषण के विरुद्ध उन्होंने समवेत रूप में अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया । फलतः इनकी सम्मिलित शक्ति के समक्ष अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीति परास्त हो गयी ।

भारतीय स्वाधीनता का प्रथम संग्राम भी झारखंड क्षेत्र के रोहिणी नामक गाँव से 12जून 1857 ई. को प्रारम्भ हुआ । संताल विद्रोह के बाद 1895 ई. में प्रारम्भ बिरसा आंदोलन भूमि से लेकर धार्मिक समस्याओं के विरुद्ध एक सबल जन संघर्ष था । साथही, आदिवासी और विशेष रूप से मुंडा समाज की आंतरिक बुराइयों को दूर करने का इसमें भरपूर संदेश भी था । बिरसा ने मुंडा समाज को एक सूत्र में बाँधने का जो अथक प्रयास किया, निःसंदेह वह अंग्रेजी शासन के लिए भयानक सरदर्द बन गया । बिरसा की कुशल नेतृत्व क्षमता ने अंग्रेजी व्यवस्था की सुदृढ़ जड़ को हिलाकर रख दिया । ब्रिटिश सरकार को अच्छी तरह ज्ञात था कि झारखंड में भाषा, धर्म, संस्कृति और राजनीति के तार एक दूसरे से संपृक्त हैं और यह व्यवस्था सदियों पुरानी है । फलतः उस व्यवस्था पर चोट किये बिना, अंग्रेजी शासन के साम्राज्यवाद के विस्तार का सपना भी अधूरा औरअकल्पनीय था ।

बिरसामुंडा ने 'अंग्रेजों वापस जाओ' का बुलंद नारा देकर मुंडा उलगुलान का कुशल नेतृत्व किया । विदेशी सत्ता के विरोध में जैसे झारखंड का समस्त भूभाग अपनी मुक्ति के लिए छटपटाहट का अनुभव करने लगा। बिरसा की कर्मनिष्ठता, लोकप्रियता और विश्वसनीयता का यह आलम था कि उन्हें बिरसा भगवान कहा

जाने लगा । बिरसामुंडा के आंदोलन की कार्य–प्रणाली और उसके बढ़ते तेवर से घबराकर अंग्रेजों ने बिरसामुंडा को 1895 में गिरफ्तार कर लिया । महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में बिरसा को 1898 ई. में मुक्त कर दिया गया । परंतु जेल से बाहर आते ही उनके आंदोलन में अप्रत्याशित तेजीआ गयी । 1900 ई. के आंदोलन में हमले के दौरान बिरसामुंडा पुनः तीन फरवरी को गिरफ्तार कर लिये गये। तबीयत बिगड़ जाने के कारण 9जून 1900 ई. को उनकी मृत्यु जेल में ही हो गयी । इतने विराटऔर प्रभावकारीआंदोलन का नेतृत्व करने वाले बिरसामुंडा ने महज पच्चीस वर्षों की आयु पायी । परंतु इस अल्पायु में भी उन्होंने वह काम कर दिखाया जिसे देश का जन–मन कभी भी विस्मृत नहीं कर पायेगा । अपनी 'झारखण्ड' नामक पुस्तक में पत्रकार हेमंत ने लिखा हैः– " बिरसा आन्दोलन पूर्ण राजनीतिक स्वाधीनता आन्दोलन के रूप में प्रकट हुआ । अंग्रेज हुकूमत बिरसा आन्दोलन को सरदार विद्रोह की कड़ी के रूप में देखती थी" ।[8]

1912 ई. में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य की स्थापना के पश्चात् झारखंड क्षेत्र में पुनः राष्ट्रीय स्वतंत्रता अंदोलन में तेजी आगयी । 1913–14 ई. में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत गुमला जिले से हुई । विगत आंदोलनों से अलग यह आंदोलन मुख्यतः धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में उपस्थित हुआ । परंतु जल्द ही यह आंदोलन स्वशासन के अधिकार , लगान का विरोध, और समाज में सभी लोगों की समानता के अधिकार के आंदोलन के रूप में तबदील हो गया । टाना भगत के समर्थकों का मूलमंत्र अहिंसा और असहयोग ही था ।

देश मे इसी समय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गाँधी द्वारा किया जा रहा था। गाँधीजी के कार्यों एवं उनके व्यक्तित्व से टाना भगत अत्यंत ही प्रभावित हुए । विचार–साम्य के कारणही, प्रथम मुलाकात के बादही, टाना भगत उनके समर्थक हो गये । स्थानीय रूप में प्रारंभ हुआ टाना भगत आंदोलन जल्द ही राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिणत हो गया। निःसंदेह, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में टाना भगतों का योगदान अप्रतिम है ।

देखा जाय तो झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लगभग डेढ़ सौ वर्षों का है । 1772 ई. मेंतिलका माँझी के आंदोलन से प्रारंभ होकर 1947 ई. तक (भारतमें स्वतंत्रता की प्राप्ति तक) इसे देखा जा सकता है । हालाँकि बाद के वर्षों में झारखंड के एक अलग राज्य के रूप में गठन के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ, जिसे हम स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञातो नहीं दे सकते, परंतु अपनी अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए किये गये इस संघर्ष गाथा का स्मरण हमारे लिए आह्लादकारी और गौरव–बोध से सम्पृक्त है ।

पराधीनता और गुलामी जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप और कलंक है ।

प्राचीन काल से ही भारत परतंत्रता के दंश और पीड़ा को अनवरत झेलता रहा और उसकी मनोकांक्षा सदैव खुले प्रांगण में साँस लेने की बनी रही । निःसंदेह, अपरिमित संघर्षों और कष्टों–बाधाओं के झंझावातों को पार करने के पश्चात् ही हमें यह आजादी हस्तगत हुई । इस संदर्भ में हमें उन अनगिनत जनजातियों के अमर शहीदों के साहस , धैर्य और समर्पण की प्रशंसा करनी होगी, जिन्होंने देश–हित के निमित्त हँसते–मुस्कुराते अपने प्राणों की आहुति दे दी । सम्पूर्ण देश आज उनकी कर्मनिष्ठता, संकल्प–शक्तिऔर उनके बलिदानी व्यक्तित्व को सादर नमन करता है। उनका बलिदान शिक्षित करता है कि हमें कभी भी अन्याय , दमन और शोषण के विरुद्ध सिर नहीं झुकाना चाहिए । जनजातीय समाज की यह खूबी है कि वे जिस कार्य विशेष के प्रतिअन्तर्मन से समर्पित, संलग्न, एकजुट और निष्ठावान हो जाते हैं, उस कार्य में उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त होजाती है। उनके समक्ष प्रबल से प्रबल शत्रु भी अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है । निरंतर कर्मशीलता, प्रबल संगठनात्मक शक्ति, आस्था, निष्ठा, ईमानदारी, दृढ़ता और संघर्ष शीलता उनके जीवन की सफलता के मूलमंत्र हैं ।

सन्दर्भ

1. *डॉ0 नागेश्वर सिंह जनजातीय भाषाएँ और ईसाई मिशनरी , पृ.–3*
2. *प्रेमचन्द्र मान सरोवर चौथा खण्ड, खुचड़, राजा पॉकेट बुक्स ,2019 पृ. 62*
3. *कुमार बीरेन्द्र आदिवासी विमर्श और हिन्दी साहित्य ,पैसिफिक पब्लिकेशन दिल्ली 2013 पृ.–25*
4. *कुमार बीरेन्द्र आदिवासी विमर्श और हिन्दी साहित्य , पैसिफिक पब्लिकेशन दिल्ली 2013 पृ.–27*
5. *हेमन्त झारखण्ड ,निगम प्रकाशन, नई दिल्ली 2001 पृ.–45*
6. *रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र, संस्करण 1998 पृ.–16 द्वितीय सर्ग, भाग–4 राजपाल पब्लिकेशन दिल्ली 2004,*
7. *कुमार बीरेन्द्र पैसिफिक पब्लिकेशन, दिल्ली, 2013 आदिवासी विमर्श और हिन्दी साहित्य , पृ.–30*
8. *हेमंत, झारखण्ड , निगम प्रकाशन नई दिल्ली 2001 पृ.–46*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-92-97

स्वामी सहजानन्द का नव्य विशिष्टाद्वैत वेदान्त

*डॉ० नितिश दूबे**

आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित निर्विशेष, निर्गुण ब्रह्म के विरूद्ध रामानुज चित् तथा अचित् से विशिष्ट ब्रह्म को स्वीकार करते हैं उनका परब्रह्म नारायण ही जगत् का अभिन्ननिमित्तोपादान है।

''नारायण परम् ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः।
नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः।।

इसके अनन्तर भी आचार्य निम्बार्क, मध्व, अणु भाग्य के रचयिता आचार्य वल्लभ ज्ञानमार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को ही अधिक श्रेयस्कर एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए सहज मानते हैं। इनमें अचिन्त्यभेदाभेदवाद के प्रतिपादक स्वामी चैतन्य, भागवत् पुराण पर क्रमसन्दर्भ नामक भाष्य लिखने वाले आचार्य जीव गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण आदि का नाम प्रमुख है। सर्वजन इष्ट भक्तिमार्गी वैष्णवाचार्यों की परम्परा में एक अन्य महत्वपूर्ण दार्शनिक आचार्य का नाम है–स्वामी सहजानन्द। अयोध्या तहसील के प्रसिद्ध पाण्डेय परिवार में श्री सहजानन्द का जन्म ई0 सम्वत् 1781 की 3 अप्रैल को छपइया नामक छोटे से ग्राम में हुआ। कालान्तर में इन्हें ही भगवान् स्वामीनारायण के नाम से प्रसिद्धि मिली।

श्री स्वामिनारायण सेश्वर वेदान्त वर्तमान युग में किसी नूतन परिचय की अपेक्षा नहीं रखता है। श्री सहजानन्द स्वामी ने जिस धर्म अथवा सम्प्रदाय की स्थापना की वह कोई नवीन मत, धर्म या सम्प्रदाय नहीं है। यह विशुद्ध भागवत अथवा एकान्तिक वैष्णव धर्म है। जिसकी प्राचीनता के विषय में रंचमात्र भी सन्देह का अवकाश नहीं है क्योंकि पाणिनि जैसे प्राचीन आचार्य भी इस मत से परिचित थे।[1] मैंने अपने प्रस्तुत शोध पत्र के लेखन के केन्द्र में भगवान् स्वामिनारायण के वचनामृत को आधाररूप में ग्रहण किया है। श्री स्वामिनारायण सेश्वर वेदान्त में आठ शास्त्रों को अतिप्रमाण रूप में स्वीकार किया गया है जिनका ज्ञान सम्प्रदाय में निष्ठा रखने वाले साधनों के लिए अनिवार्य है। ये आठ शास्त्र निम्नवत् हैं–वेद, व्याससूत्र, श्रीमद्भागवत पुराण, महाभारत का विष्णुसहस्रनाम, भगवत्गीता, विदुर नीति, स्कन्दपुराण के विष्णु खण्ड का वासुदेव माहात्म्य तथा अन्तिम आठवां शास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति है।[2]

श्री सहजानन्द स्वामी ने विशुद्ध भागवत धर्म की पुनःस्थापना करने के साथ ही जन–जन में उस सात्त्विकता को व्याप्त करने के लिए सतत् प्रयास किया तथा सफलता भी प्राप्त की। तत्कालीन समाज में सती–प्रथा, निरक्षरता, अन्धविश्वास, बाल विवाह, दुर्व्यसनों आदि का आधिक्य हो गया था, जिसका लाभ अनेक छद्म

* *एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग, डी. ए–वी. (पी.जी.) कालेज, (उ०प्र०)*

धर्मगुरु अपने भ्रष्ट आचरण के परिपोषण द्वारा प्राप्त कर रहे थे। धर्म के नाम पर हिंसा, हिसक यज्ञों, पंचमकारों के सेवन की प्रवृत्ति तथा पाखण्ड का वातावरण तीव्रता से पल्लवित–पुष्पित हो रहा था। श्री सहजानन्द स्वामी ने गुजरात को सर्वप्रथम अपना कार्यक्षेत्र बनाया तथा अनेकानेक कठिनाईयों का सामना करते हुए धार्मिक तथा सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। एक वैचारिक क्रान्ति को जन्म देकर उन्होंने नीति, धर्म तथा सदाचार पूर्ण जीवन को आदर्श मानने वालेनये स्वच्छ समाज की रचना की।

सहजानन्द स्वामी जो सम्पूर्ण जगत् में भगवान् स्वामिनारायण के नाम से प्रसिद्ध हुए अपने गुरु श्री रामानन्द स्वामी से दीक्षित होने के पूर्व 'घनश्याम' नाम से जाने जाते थे। श्री रामानन्द स्वामी ने दीक्षा देने के बाद इन्हें श्री नारायण मुनि नाम प्रदान किया। श्रीस्वामिनारायण सेश्वर वेदान्त पर श्री रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत मत का तथा श्री बल्लभाचार्य के वैष्णव मत का अत्यधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। श्री स्वामिनारायण ने स्वयं बल्लभाचार्य को ''सर्ववैष्णवराज–श्री वल्लभाचार्य''[3] (वैष्णवराज) की संज्ञा दी हैं। पुनः उनके सत्पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी ने जिन दिवसों को व्रतों के दिवस के रूप में निर्धारित किया उन्हीं दिवसों को श्री स्वामिनारायण ने भी पालन हेतु मान्यता प्रदान की।

श्री स्वामिनारायण, श्री बल्लभाचार्य के साथ ही आचार्य रामानुज को भी अपने दर्शन में अत्यधिक महत्त्व देते हैं। 'मतं विशिष्टाद्वैत में'[4] । श्री रामानुजाचार्य कृत श्री भाष्य ही उन्हें अध्यात्मशास्त्र के रूप में स्वीकार्य हैं। शिक्षापत्री में स्पष्ट रूप से उद्घोषित है ''शारीरकाणां भगवत्गीतायाश्चाचगम्यताम। रामानुजाचार्य कृतं भाष्यमाध यत्मिकम् मम।''[5] श्री रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्टद्वैत मत में चित्, अचित् तथा ईश्वर इन तीन तत्वों को माना है जबकि श्री स्वामिनारायण पाँच तत्वों को स्वीकार करते हैं–परबह्म, अक्षरब्रह्म, ईश्वर, जीव तथा माया। यह पाँच अनादि तत्त्व हैं। आचार्य रामानुज के विशिष्टद्वैत मत से प्रभावित होने के बाद भी श्री स्वामिनारायण की दार्शनिक अवधारणायें मौलिक तो हैं ही साथ ही सन्निकट रहने पर भी तत्त्वमीमांसीय सिद्धान्तों में विशिष्टाद्वैत मत से भिन्न हैं। श्री स्वामिनारायण ने परब्रह्म के मानवरूपधारी साकार स्वरूप पर श्री रामानुजाचार्य की अपेक्षा बहुत अधि ाक बल दिया है। उन्होंने पुरुषोत्तम के मानवरूपधारी स्वरूप की भक्ति को मोक्षप्राप्ति का साक्षात साधन बताया है। आचार्य रामानुज ने भी पुरुषोत्तम के मानवरूपधारी स्वरूप को मिथ्या नहीं माना है किन्तु ''श्री स्वामिनारायण ने अपनी तत्त्वमीसांसा और धर्ममीमांसा में परब्रह्म के मानवरूपधारी स्वरूप को जो अद्वितीय स्थान प्रदान किया है उसके फलस्वरूप साधना का क्रम अत्यन्त ही व्यापक, उदार, सुसाध्य तथा सरल हो जाता है।[6]

श्री स्वामिनारायण के मत में सर्वोच्च स्थान पर परब्रह्म की स्थिति है। परब्रह्म

पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवान् हैं–

स श्रीकृष्णः परं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः।
उपास्य इष्टदेवो नः सर्वाविर्भावकारणम्।।[7]

श्री कृष्ण भगवान् की मनुष्याकार मूति का ध्यान करने वाले भक्तों की दृष्टि अन्यत्र कहीं नहीं भटकती। श्री स्वामिनारायण ने अपने उद्‌बोधन में बताया है कि ''कोटि–कोटि चन्द्रों, सूर्यो तथा अग्नि का तेजसमूह है। वह तेज समूह समुद्र जैसा दिखाई पड़ता है। ऐसे ब्रह्म रूप, तेजोमय भगवान् स्वयं अवतार धारण करते हैं। ये भगवान् क्षर–अक्षर से परे हैं और समस्त कारणों के भी कारण हैं। ऐसे अनन्तकोटि अक्षररूप मुक्तजनों द्वारा सेवित चरणकमल वाले भगवान् ही स्वयं दया करके जीवों का परमकल्याण करने के लिए अभी प्रकट प्रमाण रूप में आप सबके सामने दृष्टिगोचर होकर साक्षात् विराजते हैं। इसलिए उस धाम में स्थित मूर्ति तथा श्रीकृष्ण की इस प्रकटमूर्ति में अधिकतर सादृश्य है।[8] प्रिय हरिभक्तों को परमेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण के महात्म्य को समझाते हुए श्री सहजानन्द स्वामी ने श्री कृष्ण द्वारा किये गये कथन का उल्लेख किया कि श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं कि, ''मैं निर्गुण हूँ तथा जो भक्तजन मेरे सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं वे भी निर्गुण हो जाते हैं। अतः कामभाव, द्वेषभाव, भयभाव, सम्बन्धभाव तथा स्नेहभाव में से जिस–जिस भाव द्वारा जिन जीवों ने उन श्री कृष्ण भगवान् का आश्रय ग्रहण किया वे निर्गुण हो गये। इसलिये वे श्रीकृष्ण भगवान् निर्गुण हैं।''[9] श्री स्वामिनारायण मत में पुरुषोत्तम भगवान् में कोई दोषाभाव सम्भव नहीं है। वचनामृत में भी सहजानन्द जी कहते हैं कि जिस साधक को उन भगवान् के स्वरूप का सत्समागन द्वारा दृढ़ निश्चय हो जाता है उसका जीव द्वितीया के चन्द्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ता रहता है। भगवान् सम्बन्धी पूर्ण निश्चय होने के पूर्व तक वह जीव अमावस्या के चन्द्रमा की तरह कला रहित खद्योत के समान हो जाता है। इसके पश्चात् जब तक वह जैसे–जैसे परमेश्वर की महिमा के सहित निश्चय को प्राप्त करता है वैसे–वैसे वृद्धि को प्राप्त होकर वह जीवात्मा पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान हो जाती है। तब उसे इन्द्रियाँ या अन्तःकरण भ्रमित नहीं कर पाता। इस ज्ञानमय स्थिति में परमेश्वर चाहे जैसे भी चरित्र प्रकट करें, तो भी साधक को भगवान् में किसी भी प्रकार का दोषाभास नहीं होता। ऐसा निश्चयवान भक्त निर्भय हो जाता है।

श्रीकृष्ण ही उपास्य इष्टदेव एवम् समस्त अवतारों के कारण है। जीव तो अणु के समान सूक्ष्म, चिद्रूप, ज्ञाता तथा ज्ञानशक्ति द्वारा समग्र शरीर में व्याप्त है। अभेद्य, अच्छेद्य, अजर, अमर आदि लक्षणों से युक्त है।[10] श्री स्वामिनारायण ने जीव का मूल स्वरूप ''चैतन्य सत्ता मात्र'' बताया है। अत्यन्त ही सहज ग्राह्य चुम्बक तथा लौह के उदाहरण के द्वारा उन्होंने जीव के स्वरूप को समझाया है। यदि जीव सकार हो तो वह करचरणादि युक्त हुआ तब श्रीमद्‌भागवत के दशम स्कन्ध में वेद

स्तुति के अध्याय में ऐसा कहा गया है कि भगवान् ने जीव के कल्याण के लिए उस जीव की बुद्धि, इन्द्रियों, मन एवम् प्राण का सृजन करने का क्या कार्य है? अतः स्पष्ट है कि जीव–स्वरूप स्वभाव से तो सत्तामात्र तथा चैतन्य तत्त्व है और अनादि–अज्ञान रूप कारण शरीर से युक्त है। जैसे चुम्बक लोहे की खींचकर उसके साथ चिपक जाता है वैसे ही उस जीव का भी चिपकने का स्वभाव है। इसलिये मायिक स्थूल–सूक्ष्म द्योतक दोनों शरीर उसके साथ चिपक जाते हैं और वह जीव अज्ञानवश उन शरीरों में अपनापन मान बैठता है, परन्तु वास्तव में यह जीव, शरीर जैसा नहीं है।[11] अज्ञान की निवृत्ति हो जाने के उपरान्त जीव का इन तीनों मायिक देहों के साथ संग छूट जाता है। बाद में यह जीव केवल चैतन्य सत्ता मात्र रहता है। इसके पश्चात् भगवान् की इच्छा से ही इस जीव के लिए भगवान् की भूमि आदि आठ प्रकार की प्रकृतियों से भिन्न चैतन्य प्रकृतिजन्य देह का निर्माण होता है। उस देह से युक्त होकर ही वह भगवान् के अक्षरधाम में रहता है।[12]

श्री स्वामिनारायण मत में जीव में स्वभावरूप में कोई भी कुलक्षण नहीं है। जीवात्मा तो चार अन्तःकरण, दस इन्द्रियों तथा पाँच प्राणों के सदृश्य ही इस देह में है। वह तो सबका नियन्ता है। ऐसा न मानने पर ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्वामि जी बताते हैं कि ''देह में जो जीव है वह यह जानता है कि कामक्रोधादि बुरी प्रवृत्तियाँ मेरे जीव के साथ जुड़ी हुयी है। इस प्रकार जो कामादि प्रवृत्तियाँ जिसमें मुख्य रूप से रहती हैं उन प्रवृत्तियों के योग से वह अपने जीव को काम, क्रोधा तथा लोभ आदि कुलक्षणों से युक्त मानता है। परन्तु जीव में तो उनमें से यह एक भी कुलक्षण नहीं है। वास्तव में जीव ने मूर्खता के कारण उन्हें अपने में समाया हुआ मान लिया है।[13]

इस देह में बुद्धि नखशिखापर्यन्त व्याप्त होकर रही है। वह बुद्धि समस्त इन्द्रियों की क्रिया को एककालावच्छिन्न रूप से जानती है तथा बुद्धि में जीव व्याप्त होकर रहता है। उस जीव के ज्ञातृत्त्व के कथन में बुद्धि के ज्ञातृत्त्व के कथन का भी समावेश हो जाता है। उस जीव में परमात्मा साक्षी रूप में रहे हैं। अतएव साक्षी के ज्ञातत्त्वभाव में जीव का ज्ञातृत्त्व भी समाविष्ट हो जाता है।[14]

श्री स्वामिनारायण सेश्वर वेदान्त के अक्षरातीत पुरुषोत्तम भगवान् ही सबकी, उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के कर्ता हैं। वही सबके कारण हैं। जो कारण है वह अपने कार्य में व्यापक होता है तथा उससे अलग भी रहता है। इसलिये उन सबके कारण पुरुषोत्तम भगवान् की दृष्टि से देखा जाये तो उनके सिवा अन्य कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। वे भगवान् कृपा करके जीवों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को दर्शन देते हैं। सामान्य बुद्धि से चिन्तन करने से यह प्रतीत होता है कि मायिक वस्तुओं द्वारा मायिक पदार्थों का ही बोध हो सकता है। अतः यदि मायिक अन्तःकरण तथा इन्द्रियों द्वारा भगवान् को बोधगम्य किया जाये तो भगवान् भी

मायिक सिद्ध हो जायेंगे। किन्तु ऐसा नहीं है। वस्तुतः अक्षरातीत पुरुषोत्तम भगवान् माया से परे है।

सामान्य मेघा से युक्त साधकों को जीव एवम् बुद्धि का सम्बन्ध स्पष्ट करने के लिए श्री सहजानन्द जी ने अत्यन्त सहजता से ग्राह्य अग्नि एवम् वायु के दृष्टान्त का आश्रय लिया है। जिस प्रकार जब अग्नि की ज्वाला वायु के प्रभाव से घटती–बढ़ती है तो अग्नि तो दृष्टिगोचर होती है किन्तु वायु नहीं दीख पड़ती । कण्डा अग्नि के सम्पर्क से जलने लगता है किन्तु वायुविहीन स्थान पर रखने पर वह मात्र धुआं ही फैला पाता है। पुनः जैसे बादल आकाश में वायु द्वारा ही चलते हैं किन्तु बादलों में व्याप्त वायु का दर्शन नहीं होता, वैसे ही ज्वाला, धुयें और बादलों के स्थान पर बुद्धि को समझना चाहिए एवम् वायु के स्थान पर जीव को जानना चाहिए। स्वामि जी कहते हैं कि, ''यह जीव बुद्धि द्वारा जानता है और वह बुद्धि ही समस्त ज्ञान का कारण है और सबसे बड़ी है। अतएव वह बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, श्रोत्रेन्द्रिय, नेत्रों, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वा, वाणी, त्वचा, हाथों, पैरों, शिश्न तथा गुदा में रही है। इस प्रकार बुद्धि नखशिखापर्यन्त इस शरीर में व्याप्त होकर रहती है। उस बुद्धि में जीव रहा है परन्तु वह ज्ञात नहीं होता, अकेली बुद्धि ही प्रतीत होती है।''[15]

यहाँ एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शंका एवम् उसके समाधान का उल्लेख करना सर्वथा प्रासंगिक होगा। श्री सहजानन्द जी के अनुयायी भक्त स्वयं प्रकाशानन्द स्वामी ने जीव, ईश्वर तथा अक्षरब्रह्म के सन्दर्भ में जिज्ञासा प्रकट की, कि ये तीनों अन्वय और व्यतिरेक भाव से कैसे हैं? पुनः पुरुषोत्तम भगवान् को अन्वय और व्यतिरेक भाव से किस प्रकार जानना चाहिए? शंका का समाधान करते हुए श्री सहजानन्द जी ने बताया कि जन्म–मरण को भोक्ता जीव का जो स्वरूप है वह अन्वयरूप है और अछेद्य, अभेद्य, अविनाशी जीव के स्वरूप को व्यतिरेक समझना चाहिए। विराट, सूत्रात्मा तथा अव्याकृत शरीरों में एक रस होकर निवास करने वाले ईश्वर का अन्वय स्वरूप है तथा पिंड–ब्रह्माण्डों से परे सच्चिदानन्द भाव द्वारा जो निरूपण किया गया है उसे ईश्वर का व्यतिरेक स्वरूप जानना चाहिए।[16]

श्री स्वामिनारायण सेश्वर वेदान्त में जीव स्वरूपतः निराकार है। शंका उठती है कि तब उस जीव में भगवान् अलिंग भाव (निराकार) से अथवा मूर्तिमान होकर किस स्थिति में रहते हैं? समाधान करते हुए श्री स्वामिनारायण का मानना है कि भगवान् तो इन्द्रियों, देवता, अन्तःकरण तथा जीव में उनके आश्रयभाव से रहते हैं। श्रीकृष्ण भगवान ने यही बात उद्धव द्वारा गोपियों से कहलायी थी कि ''मैं तो तुम सबके समीप हूँ। जैसे ब्रह्माण्ड में रहने वाले पंचमहाभूत ही सबकी देहों में रहते हैं वैसे ही इस मथुरा में उसी प्रकार रहता हूँ जिस प्रकार महाभूत विशेष रूप से ब्रह्माण्ड में रहते हैं। जैसे ये भूत जीवों के शरीरों में सामान्य रूप से रहते हैं। वैसे

ही मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं दृष्टिगोचर भी नहीं होता। मुझमें तुम सबकी चित्रवृत्ति का निरोध हो जाए, इसलिये मैं नहीं दिखाई पड़ता परन्तु रहा तो मैं मूर्तिवान हूँ।''[17]भगवान् स्वामिनारायण का मानना है कि जीव, पुरुष, अक्षर तथा पुरुषोत्तम का तेज प्रकाशभाव से तो सजातीय है इसलिये उनके प्रकाश के भेद करने में कोई भी समर्थ नहीं है, तथापि भेद तो अतिशय है फिर भी उस भेद को देखने में कोई समर्थ नहीं हो पाता। जिस पर स्वयं भगवान् कृपा करते हैं उसके फलस्वरूप उसकी ऐसी प्रकाशमय दिव्य देह तैयार होती है कि वह यह समझ लेता है कि यह मैं हूँ यह पुरुष है तथा यह अक्षर है और इस सबसे विलक्षण ये पुरुषोत्तम है। इस प्रकार यह जीव सबको पृथक रूप से देखता है तथा इनके प्रकाश को भी विलक्षण रूप से देखता है, परन्तु अन्य कोई भी उस प्रकाश को देखने में समर्थ नहीं होता।

सन्दर्भ

1. *विद्यार्थी, पी.वी. वचनामृत की भूमिका, पृष्ठ–6*
2. *वचनामृत, स्वामी नारायण अक्षरपीठ अहमदाबाद पृष्ठ–562*
3. *भगवान श्री स्वामी नारायण शिक्षापत्री, स्वामी नारायण, राजकोट, 2010 पृष्ठ–81*
4. *शिक्षापत्री, पृष्ठ–121*
5. *शिक्षापत्री, पृष्ठ–100*
6. *वचनामृत, भूमिका, श्री स्वामी नारायण गुरूकुल प्रकाशन राजकोट पृष्ठ–8*
7. *शिक्षापत्री, पृष्ठ–108*
8. *वचनामृत, श्री गढडा अंत्य प्रकरण, पृष्ठ–31*
9. *वचनामृत, वरताल, श्री स्वामी नारायण गुरूकुल प्रकाशन राजकोट पृष्ठ–18 (उद्धव सम्प्रदाय)*
10. *ह्रस्थः अणुसूक्ष्मश्चि द्रूपो ज्ञाता व्याप्याखिलाम् तनुम्। ज्ञानशक्त्या स्थितो जीवो ज्ञेयः अच्छेद्यादिलक्षणः।। शिक्षापत्री, पृष्ठ–105*
11. *वचनामृत गढडा, मध्य प्रकरण, श्री स्वामी नारायण गुरूकुल प्रकाशन राजकोट पृष्ठ–66*
12. *वचनामृत गढडा, मध्य प्रकरण, श्री स्वामी नारायण गुरूकुल प्रकाशन राजकोट पृष्ठ–66*
13. *वचनामृत, मध्य प्रकरण, श्री स्वामी नारायण गुरूकुल प्रकाशन राजकोट पृष्ठ–12*
14. *वचनामृत, कारियाणी प्रकरण, श्री स्वामी नारायण गुरूकुल प्रकाशन राजकोट पृष्ठ–4*
15. *वचनामृत, कारियाणी प्रकरण, श्री स्वामी नारायण गुरूकुल प्रकाशन राजकोट पृष्ठ–1*
16. *वचनामृत, सा., श्री स्वामी नारायण गुरूकुल प्रकाशन राजकोट पृष्ठ–5*
17. *वचनामृत, लोया प्रकरण, श्री स्वामी नारायण गुरूकुल प्रकाशन राजकोट पृष्ठ–15*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-98-106

औपनिवेशिक भारत में किसानों की समस्याओं के विभिन्न रूप : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ० धीरज कुमार चौधरी *
हिमांशु त्रिपाठी **

सारांश

औपनिवेशिक शासन के आगमन के पहले किसानों की स्थिति अच्छी थी परन्तु शासक बदलाव के साथ नये शासक वर्ग ने किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अत्याधिक भूराजस्व वसूली, अकाल की समस्या, गरीबी, बेरोजगारी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषि उत्पादन में कमी इत्यादि तथ्य किसानों के समक्ष समस्याओं के रूप में औपनिवेशिक शासन का प्रतिफल था। समय–समय पर ब्रिटिश सरकार द्वारा नये नीतियों को लाया गया ताकि साम्राज्यवादी लक्ष्यों की पूर्ति हो सके परन्तु कांग्रेस की स्थापना के बाद राजनीतिक विकास क्रम में राष्ट्रीय आंदोलन से किसान जुड़े और अपनी समस्याओं को शोषण विरोधी मानकर औपनिवेशिक शासन के प्रति कांग्रेस के साथ मिलकर प्रतिरोध किया जिसका प्रतिफल स्वतंत्रता के रूप में मिलता है।

प्रमुख बिन्दु– मुगल शासन, व्यापार–वाणिज्य, औद्योगिक पूँजीवाद, कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि उत्पादन, अकाल, गरीबी, बेरोजगारी, जमींदारी, राजस्व व्यवस्था, कांग्रेस, राजकीय आदेश।

औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापना के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक नयी व्यवस्था के तहत शोषण प्रक्रिया को अंजाम दिया। पहले कृषि व्यवस्था के केन्द्र में गावों का महत्वपूर्ण स्थान था। गावों में व्यवस्था का रूप आत्मनिर्भर था। कृषिगत प्रक्रिया स्वपूंजी निर्माण के लिए था। व्यापारिक गतिविधियों का दायरा सीमित था। ज्यादातर उत्पादन स्वंय के उपभोग के लिए था परंतु मुगलो के समय बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। भारत फारस की खाड़ी से मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे और गुलाब जल, अरब से कहवा, सोना दवाएँ और शहद, चीन से चाय, चीनी मिट्टी और रेशम, तिब्बत से सोना, कस्तूरी और ऊनी कपड़ा, सिंगापुर से टिन, इण्डोनेशियाई द्वीपों से मसाला, इत्र, चीनी, अफ्रीका से हाथी दाँत और यूरोप से कपड़ा, तांबा, लोहा और सीसा जैसी वस्तुएँ आयात करता था। भारत के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तु सूती वस्त्र था। सूती वस्त्र के लिए भारत सारी दुनिया में मशहूर था और उनकी हर जगह मांग थी। भारत कच्चा रेशम और रेशमी कपड़ा, लोहे का सामान, नील, शोरा, अफीम, चावल, गेहूँ, चीनी, काली मिर्च और अन्य मसाले रत्न और औषधियो का निर्यात करता था।[1]

* एसोसिएट प्रोफेसर, ईश्वर शरण पी0जी0 कालेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज (उ०प्र०)
** *शोध छात्र, ईश्वर शरण पी0जी0 कालेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज* (उ०प्र०)

भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद पारंपरिक सांमतवादी प्रथा में ठहराव आया। नए शासन वर्ग ने राज्य की आय तथा क्षेत्र के विस्तार के लिए नई नीतियो के विकास पर बल दिया। मो0 बिन तुगलक द्वारा दीवान–ए–कोही की स्थापना; कृषि प्रक्रिया के सुधारों के लिए एक कदम था। किसानों को समय–समय पर तकावी ऋण की व्यवस्था की गयी। इस प्रकार के प्रयासो के अर्न्तगत किसानों की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार तो नहीं परंतु आंशिक रूप से कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुआ। बरनी विभिन्न प्रकार की फसलों की सूची उपलब्ध कराता है। भारत में उत्पन्न नींबू तथा संतरो का विदेशो में काफी नाम था। 10 वीं शताब्दी से यहां के फल अरब के रास्ते यमन तथा सीरिया को ले जाया जाता था इसके अतिरिक्त भारत से अरब देशो में इन फलो के स्थानांतरण के बिना वहां पर इनका उत्पादन संभव भी नहीं हो पाता। अतः इन फलो का भारत से निर्यात हुआ था। अन्य वस्तुओं में हीरे, कागज, पुस्तकें, चंदन, अंबर, लाल मोती मुख्य थे। काला नमक, पान सुपारी आदि भी भारत से बाहर जाते थे। भारत में बनी शक्कर व मिश्री का निर्यात सिंध के रास्ते अरब देशो को होता था। मध्यकाल के चीनी यात्रियों ने भी भारत में गन्ने का उत्पादन का उल्लेख किया है। भारत में नील का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। इसका निर्यात विभिन्न देशो में किया जाता था। भारत से जड़ी बूटियों के निर्यात का हवाला चीनी यात्रियो ने दिया है। बावर भी इसका वर्णन करता है। समरकंद की मंडियों में भारतीय मसालो की बहुतायत का वर्णन मिलता है। इस प्रकार के तथ्य यह दर्शाते हैं कि मध्यकाल के आरंभिक दौर में किसानों की स्थिति अच्छी थी। उनका व्यापारिक वर्गों के साथ अच्छा तालमेल था। यही कारण है कि औपनिवेशिक शासन के आगमन के पहले भारत के किसान समृद्ध अवस्था में थे।[2]

13 वीं सदी के मध्य में शासक वर्ग के बदलने के साथ शासकीय नीति में बदलाव आया। साम्राज्य विस्तार के लिए आय के लिए भूराजस्व तथा बाजार व्यवस्था के माध्यम से किसानों के समक्ष विभिन्न समस्याएँ जो कि अलाउद्दीन खिलजी के मस्तिष्क की उपज थी। इस बात का अंदाजा हम अमीर खुसरो, इब्नबतूता और बरनी के विवरणों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं तो उनकी (किसानों) की स्थिति बद्दतर होने के साथ–साथ व्यापारी वर्ग भी खराब स्थिति में पहुँच गये।

मुस्लिम शासन के दौरान शासकीय अधिकारी के रूप में जमींदार, अमीर वर्ग तथा स्थानीय स्तर के अधिकारी, चौधरी पटेल, मुकद्दम आदि भूराजस्व तथा कर संरचना के अर्न्तगत थे। शासक वर्ग द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे जागीरों के स्थानांतरण द्वारा इन पर अंकुश रखा जाता था ताकि किसानो और आम वर्गों का शोषण न हो पाए। मुगल काल के दौरान किसानों की स्थिति में सुधार के लिए शेरशाह के अग्रगामी के रूप मे कुछ संशोधनों के साथ शेरशाह के नीतियों को जारी

रखता है। आइन–ए–दहशाला के माध्यम से राजस्व के लिए नया प्रारूप तैयार कराता है। किसानों को समय पर ऋण के लिए हुण्डी के प्रचलन को बढ़ावा देता है। साथ ही नगदी फसलों के रूप में कर चुकाने का विकल्प प्रदान करता है। औरंगजेब के समय मुगल दक्कन की समस्या मे उलझ कर जागीरों के अंधाधुंध वितरण की समस्या उत्पन्न हुयी। मुगल काल के अंतिम समय में किसान शासक वर्ग के प्रति विभिन्न माध्यमों से चाहे वह धार्मिक, राजनीतिक रूप में हो या आर्थिक रूप से प्रतिरोध करने लगे। इरफान हबीब ने दिखाया है कि राज्य की मुगल व्यवस्था एक समझौते पर आधारित थी। किसानों के पास अधिशेष को शासक वर्ग ले लेता था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बड़े किसान इस प्रकार के बोझ को सह सकते थे, परंतु वही छोटे किसान अधिकाधिक अपने को उत्पीड़ित समझने लगे। आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रो मे भूराजस्व की मांग एक होती थी। औरंगजेब के अंतिम समय में जमींदारों की स्वामी भक्ति किसानों के साथ मिलकर मुगल साम्राज्य के विरूद्ध हो गयी। किसानों से अपने सामुदायिक संबंधो के कारण जमीदार किसानों को अपने साथ मुगल सत्ता के विरूद्ध लामबद्ध कर पाए। किसानों के लिए जमींदार नेतृत्व की समस्या को हल कर देते थे। मराठा सरदारों ने किसानों की शिकायतो का लाभ उठाया, उत्तर भारत में जाट किसानों को जमीदारों ने संगठित किया। पंजाब में सिख विरोधी गुट खड़े हुए। राजस्थान में राजपूत सरदारो ने अपनी वफादारी वापस ली। इन सबसे अलग हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि औपनिवेशिक शासन के आगमन से पहले किसानों की स्थिति उस समय से अच्छी थी।[3]

आर्यों के समय से ही भारतीय ग्राम स्थानीय स्वाशासन तथा भूमि कर से संबंधित कई कार्यों को करते थे। कुछ लोगो का विचार है कि पूर्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुगल काल में भूमि पर पूर्ण स्वामित्व किसी का नहीं था। सभी वर्गों का भूमि से संबंध रखने वालो का अधिकार था। भूमि पर संरक्षण उसे तब तक मिलता रहता था जब तक कि वह स्वामी को परस्पर निश्चित किया हुआ भाग देता रहे। पाटिल, ग्राम का प्रधान, मामलतदार आदि शासक वर्ग की ओर से नियुक्ति समाहर्ता का कार्य करते थे। वह स्थानीय दण्डनायक का कार्य भी करते थे। विशेष कार्यों जैसे भूमि का वितरण, सिंचाई की सुविधा, कर निर्धारण आदि कार्यों का संचालन ग्राम पंचायतो के माध्यम से किया जाता था। इसमें स्थानीय रीति रिवाजों का ख्याल रखा जाता था। अंग्रेजो के द्वारा बंगाल तथा मैसूर विजय के बाद भारत के प्रशासन से अधिकाधिक लाभ के लिए प्रयास किया। और राजस्व के मुख्य स्रोत के लिए भू राजस्व पर ध्यान दिया। अंग्रेज सरकार ने पारंपरिक व्यवस्था में ठहराव लाकर भू राजस्व के लिए तीन नये पद्धतियों को भारत में लागू किया। स्थायी बन्दोबस्त इसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बनारस जैसे

क्षेत्र शामिल थे। इसके अर्न्तगत जमींदार, किसान और अंग्रेजी कंपनी भू राजस्व प्रक्रिया का अंग बन गयी और राजस्व वसूली का दायित्व जमींदारो को दिया गया। रैय्यत वाड़ी व्यवस्था के अर्न्तगत किसानों से प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश अधिकारी जुड़ गये। वहीं महालवाड़ी व्यवस्था के तहत गांव के महाल को आधार बनाया गया यह उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध में लागू था। बाद में विभिन्न संशोधनों के माध्यमों से जैसे–1822, 1833 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से राजस्व प्रक्रिया के लिए नियम बनाए गये। सहारनपुर नियम के आधार पर लार्ड डलहौजी ने 50: कर वसूलने का सुझाव दिया। भूराजस्व व्यवस्था के उपरोक्त नियमावली राजस्व वसूली के लिए लायी गयी थी। परिणामतः किसानों की स्थिति लगातार बद्तर होती गयी। प्रौद्योगिकी, पूंजी निवेश के लिए उनके पास स्रोतो की कमी रही, ऋण्ग्रस्तता का शिकार वह होते रहे, साहूकार, जमींदारी तथा कभी–कभी ब्रिटिश अफसर भी किसानों का पारिवारिक शोषण करते थे।[4]

रजनी पाम दत्त ने इण्डिया टुडे में अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण प्रक्रिया को तीन चरणों के माध्यम से दर्शाया है। पहले चरण के अर्न्तगत कालक्रम 1757–1813 को दर्शाया है। इन्होंने इस चरण के अर्न्तगत वाणिज्यवाद के विकास को बताया है। इसमें अत्याधिक भूराजस्व वसूली तथा भारतीय संसाधनो के निर्यात के माध्यम से अधिशेष प्राप्ति पर बल दिया है। द्वितीय चरण 1813–1857 को औद्योगिक पूंजीवाद को दर्शाया है। इसक अर्न्तगत कच्चे माल तथा मुक्त व्यापार की नीति को प्रोत्साहित कर ब्रिटेन को औद्योगिक रूप से दक्ष बनाना था। 1857 के बाद का चरण वित्तीय पूंजीवाद कहलाता है। इसमें भारतीय साम्राज्य में कुछ निवेश के माध्यम से एक बाजार विकसित करने का ध्येय था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसान कहीं न कहीं प्रत्येक चरण के दौरान ब्रिटिश सरकार की विभिन्न नीतियों से शोषण का शिकार बने। इस प्रक्रिया का ध्यान हमें 1857 के विद्रोह में दिखाई पड़ता है। 1853 में रेलवे का विकास किसानों की शोषण का नया रूप था। देश के विभिन्न भागो तक ब्रिटिश वस्तुओं की पहुच सुनिश्चित करना था ताकि भारत में एक विस्तृत बाजार का निर्माण कर सके। परिणामतः भारत में स्थानीयता का लोप होने लगा। किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्थानीय शिल्पों का पतन प्रारंभ हुआ। कृषि पर निर्भरता लोगों की बढ़ती गयी। रोजगार का संकट उत्पन्न हुआ। इस प्रकार के समस्याओं का प्रतिरोध बाद मे किसान आंदोलनों में दिखाई पड़ता है। तभी तो रोटी और कमल का प्रतीक के रूप में चुनाव 1857 के विद्रोह में किया जाना किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए नया तथ्य के प्रयोग की बात सामने आती है।

किसानों की समस्याओं के रूप मे अकाल की समस्या प्रचीन काल से ही एक विकट समस्या के रूप मे विद्यमान थी। ऋग्वेद में वर्षा के लिए प्रार्थना, अथर्ववेद

में अधिक वर्षा के, सूखे के कारण फसलों के नष्ट होने तथा जातक कथाओं में अकालों का विवरण मिलता है। मध्यकालीन इतिहास में 1291 में दिल्ली और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच अकाल का उल्लेख मिलता है। 1327–1362, 1396 में दक्षिण भारत में, 1398 में तैमूर के आक्रमण के बाद उत्तर भारत में अकालो का उल्लेख मिलता है। औपनिवेशिक शासन की स्थापना का बाद भारत में हर साल अकालो की तीव्रता में बढ़ोत्तरी होती चली गयी। 1768 में वर्षा के अभाव में, 1764–1770 में बंगाल में अकाल पड़ा। 1790–1793 में हैदराबाद, गुजरात, उड़ीसा के उत्तरी भागो में भीषण अकाल पड़ा। राजपूताना में 1796 का अकाल सर्वाधिक भीषण था। 1807 में मद्रास और कर्नाटक क्षेत्रों में अकाल पड़ा। 1815–1832 के बीच भारत के किसी न किसी भाग में अकाल का प्रकोप रहा। शताब्दी का सबसे भीषण अकाल 1837–1838 के दौरान दिल्ली–इलाहाबाद के बीच का भाग तथा संपूर्ण राजपूताना इससे प्रभावित हुआ। 1861–1866 के बीच उड़ीसा का अकाल, 1873–74 का बंगाल, बिहार, उड़ीसा का अकाल, 1878–79 में बिहार के कुछ भागों में अकाल पड़ा। 1943 में बंगाल में फिर से अकाल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक भारत में बार–बार अकाल औपनिवेशिक नीतियों का प्रतिफल था। ब्रिटिश सरकार को केवल अपने से मतलब था। अंग्रेजों को राजस्व वसूली तथा अधिशेष प्राप्ति से मतलब था। परिणामतः किसान भुखमरी तथा विभिन्न बीमारियों का शिकार बन गए। अंग्रेजो द्वारा अकाल पर विभिन्न आयोगो का निर्माण किया गया परन्तु इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। किसानो की स्थिति इतनी बद्तर हो गयी थी कि फसल के नष्ट होने से लोगो के पास इतना धन नही था कि कुछ महीने भोजन प्राप्त कर सके। आंखों के सामने पूरा गांव समाप्ति की अवस्था में चले जाते थे इस प्रकार कह सकते है कि किसानों को ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति ने समस्याओं का जाल बुनकर उनको पंगु बना दिया जिसका प्रतिफल आज किसानों की समस्याओं के रूप में विभिन्न तथ्य सामने आते हैं।[5]

ब्रिटिश सरकार की नयी आयात नीति जो वित्तीय पूंजीवाद के दौर मे शुरू हुयी थी; भारतीय किसानों की समस्याओं के नये रूपो को जन्म दिया। रानाडे ने कहा था कि आज वस्त्रों के लिए भारतीय लोग दूर के मालिको पर निर्भर हो गये जो देश 50 वर्ष पूर्व अपने लिए कपास का उत्पादन करता था। भारतीय नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में विभिन्न वक्तव्यों के माध्यम से दर्शाया है कि अर्थव्यवस्था के कृषि संबंधो और उद्योग संबंधी क्षेत्रों के संतुलन में विकार ने और इसके फलस्वरूप औद्योगिक ह्रास ने न केवल राष्ट्रीय आय के एक बड़े तथा महत्वपूर्ण स्रोत को नष्ट कर दिया। लाखों कारीगरों को आजीविका के लिए कृषि पर अधिकाधिक निर्भर होने को विवश भी किया है। इस पर किसानों तथा रोजगार के बीच नयी समस्या का सूत्रपात हुआ।

इन्हीं समस्याओं के क्रम में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भारत की आत्मा रूपी किसान के ऊपर मण्डराते हुए जड़ता और उदासीनता के बादलों को हटने पर ही देश का उद्‌ार किया जा सकता है। हमें अवश्य ही उन बादलों को हटाना होगा और इसके लिए हमें अपने आय को किसानों के साथ जोड़ना होगा और हम अनुभव करना होगा कि किसान हमारा है और हम किसान के हैं। इसी तथ्यात्मक सोच ने भारतीयों के मन में किसानों की समस्याओं का नया रूप सामने आया और आगे राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणो में किसानों की क्रमिक भागीदारी बढ़ती गयी।[6] 1918 में असहयोग आन्दोलन के दौरान संयुक्त प्रान्त में किसान सभाओं की स्थापना हुयी थी जिनका प्रारम्भिक उद्‌देश्य निम्नलिखित था–

(क) जमीदारों और किसानो के बीच की असमानता को नियंत्रित करना तथा उनके बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना।

(ख) किसानों को सामाजिक और राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में शिक्षित करना।

(ग) ऐसा कानून तैयार करना जो किसानों के लिए लाभदायक हो। ऐसे कानूनों को बदलना जो उनके हितों के प्रतिकूल हों।

(घ) किसानों की हर प्रकार के गैर–कानूनी कृत्यों से रक्षा करना।

(ङ) किसानों के बीच ऐसी शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना जो उनके लिए लाभदायक हो।

(च) ग्राम पंचायतों की किसानों द्वारा स्थापना, जो उनकी उन्नति के विभिन्न तरीकों को सुझाए।

(छ) शासक और शासित के बीच आपसी विश्वास और मुधर सम्बन्ध कायम करना।

(ज) ऐसा अन्य संवैधानिक उपाय करना जो खेती–किसानी के कल्याण के लिए काम करे।[7]

1891 में नागपुर में हुए अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रसंग की चर्चा करते हुए निर्णयात्मक स्तर में घोषणा की। भूराजस्व प्रशासन की अविवेक पूर्ण पद्धति देश में किसानों की दरिद्रता, ऋणग्रस्तता और भुखमरी की व्यापकता के कारणो में से एक था। अतः जो किसान पहले अन्न उपजाता था आज वही ब्रिटिश काल में भुखमरी का शिकार था। ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी समस्या गांव के साहूकार अथवा कर्ज देने वाले थे। 19 वीं सदी के अंतिम चरण में ग्रामीण कर्जदारों की संख्या इतनी बढ़ गयी कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में विषमता का मूल कारण बना। ग्रामीण ऋणग्रस्तता साहूकार द्वारा वसूली जाने वाली, आसमान को छू देने वाली व्याज की दर ने किसानों की समस्याओं के दो नये रूपों को जन्म दिया।

व्याज के भुगतान किसान की आय का बहुत बड़ा भाग हड़प जाते थे और किसान प्रायः ऋण की वापसी में असर्मथता के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर किसानों की भूमि हल न चलापाने वाले ऋणदाता साहूकारो के हाथ में चली जाती थी। इस प्रकार किसान साहूकार की मरजी पर पट्टेदार बन गया और इसका परिणाम हुआ कि कृषि और कृषक दोनों की स्थिति बढ़ततर हो गयी।[8]

औपनिवेशिक काल के दौरान दीर्घ काल तक सरकार द्वारा कृषि को सुधारने का प्रयास नहीं किया गया। औपनिवेशिक ढाँचे ने कृषि में अनियमिताओं को जन्म दिया। अधिक दीर्घ स्तर पर जाते हैं तो 1893 से 1946 तक जार्ज ब्लिन द्वारा प्रस्तुत कृषि से संबंधित आकड़े तो ठहराव यहाँ तक कि पतन का चित्र तैयार करते हैं। 1893–96 को आधार वर्ष मारने पर 1936–46 के बीच फसलों के उत्पादन का दस वर्षीय औसत इस प्रकार था–खाद्यानो के लिए 93, वाणिज्यिक फसलों को लिए 185, और कुल कृषि उत्पादन के लिए 110। 1921 में जनसंख्या में परिवर्तन के साथ प्रति व्यक्ति उत्पादन की दर वस्तुतः गिरने लगी। 1936–46 तक उत्पादन की यह दर सभी फसलों के लिए 80 और खाद्यान्न फसलों के लिए 68 रह गयी। अमिय वागची की पूरक गणनाए 1900–05 से 1935–40 तक की अवधि में प्रति एकड़ उत्पादन का वही नमूना दर्शाता है। नकद फसलों का प्रति एकड़ मूल्य 36.7 रूपये से मामूली सा बढ़कर 37.9 रूपये हो गया था जबकि खाद्यान्न फसलों का मूल्य 25. 4 रूपयों से बढ़कर 37.9 रूपये हो गया जबकि खाद्यान्न फसलों का मूल्यों 25.4 रूपये से घटकर 22.7 रूपये और सभी फसलों का मूल्य 27.6 रूपये से घटकर 26. 3 रूपये रह गया। इतना ही महत्वपूर्ण वह अंतर है जो व्लिन के बृहतर बंगाल के क्षेत्र में होने वानी तीव्र गिरावट एवं पंजाब और मद्रास में होने वाली थोड़ी बहुत प्रगति के बीच दिखायी देता है। इसके लिए बिटिश सरकार की अनुचित पूर्ण नीतियां थी।

1929 में मंदी के कारण कृषि उपजो की कीमते काफी गिर गयी थी यह 50ः या इससे भी ज्यादा थी। इसी के फलस्वरूप करों के बोझ और लगान से किसानों की स्थिति बदहाली की स्थिति हो गयी। लेकिन सरकार न तो अपना टैक्स कम करने को तैयार थी और न जमीदांरो को यह कहने को वे लगान की दरे कम कर दें। दाम तथा औद्यौगिक उत्पादन भी गिरा लेकिन उतना नहीं जितनी खेती की पैदावार का। अतः कुल मिलाकर किसानों की स्थिति यह हो गयी कि उन्हें टैक्स, लगानों और ऋणों का भुगतान तो मंदी के पहले की दरों पर करना पड़ रहा था लेकिन उनकी आय लगातार कम होती जा रही थी। इस प्रकार यह समस्याएँ औपनिवेशिक नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किये।[9]

औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषि का अगला महत्वपूर्ण लक्षण कृषि का व्यवसायीकरण था। इस काल में ब्रिटिश नीति ब्रिटेन की आवश्यकताओं के लिए

भारत के कृषि उत्पादन इस्तेमाल के लिए थी। अब तक भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर और स्थानीय आवश्यकता भर के लिए उत्पादन में दिलचस्पी रखी थी। समूचे मध्ययुग में कृषि में अतिरिक्त पैदावार होती रही थी जिसे सामन्त वर्ग या शासक वर्ग अधिग्रहित कर लेता था या विनिमय कर देता था। ऐसा नहीं था कि कृषि के विकास के कारण बेचने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में आ रहे कृषि उत्पादन के पीछे सरकार द्वारा राजस्व की नगद रूपयों में वसूली थी। इसके अतिरिक्त फसल बेंचने से मिली रकम अक्सर सूदखोरों और जमींदारों के जेब में पहुँचती थी। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि इस व्यवसायीकरण को सरकार द्वारा थोपा गया है। अतः इसमें कृषि व्यवस्था के अन्तर विरोधों को हल करने के बजाय उन्हें और अधिक तीव्र बनाया है। फसल कम पैदा होना तथा खराब हो जाना इसके साथ जुड़े थे। 1860 के दशक में कृषि विभाग स्थापित करने की बात कही गयी थी परन्तु इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया।

आदिवासी जातियों द्वारा किए गए विरोध किसानों के विरोध–आंदोलन के समान ही थे किंतु उनकी कुछ अपनी विशेषताएँ थी। ये जातियाँ दुर्गम पहाड़ी और वन्य क्षेत्रों में रहती रही है। आदिवासी बाहरी संसार का विरोध तभी करते हैं जब मैदानों की बढ़ती आबादी के कारण वहां के लोग आदिवासी क्षेत्रों में बसने लगते हैं और सरकार जंगली लकड़ी काटने पर नियंत्रण लगाती है। सभी आदिवासी अपने और बाहरी लोगों के बीच का अंतर स्पष्ट करने के लिए उसे विशेष नाम से पुकारते थे। छोटानागपुर में इन बाहरी लोगों को 'दिकू' कहा जाता है जिसका तात्पर्य उन लोगों से से है 'जो परेशान करते हैं– बाहर वाले, पूँजीपति, साहूकार ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था के बाद स्थानीय जमींदार या राजा द्वारा आदिवासी रैयतों पर दबाव डालने, फलस्वरूप, उनके द्वारा विरोध करने और सरकार द्वारा सैनिक कार्यवाही करने का घटनाक्रम का पहला उदाहरण 1790 में पलामू में देखने को मिलता है। कठोर प्रशासन के विरूद्ध ऐसा ही विरोध 1817 में गोंड़ आदिवासी, 1817–25 में बम्बई प्रेसिडेंसी में भीलों ने किया था। किसानों को जमीन के अंधाधुध लगान और देखभाली से बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1860 के दशक में कानून बनाया जिससे रैय्यतों को थोड़ी राहत मिली किंतु आदिवासियों की समस्याओं को नहीं सुलझाया गया वरन् उन्हें अमरीका के रेड इंडियन आदिवासियों की भाँति आरक्षित क्षेत्रों में बंद करके रखा गया। किसानों और आदिवासियों की 'दीर्घक्रांति' बराबर चलती रही और जब–जब असंतोष असाधारण रूप से तीव्र हुआ तब–तब विद्रोह भी होते रहे।[10]

सन्दर्भ

1. चन्द्र विपिन, आधुनिक भारत का इतिहास, ओरिएंट बलैकस्वान, नई दिल्ली 2016, पेज नं0 24,25
2. वर्मा, हरिश्चन्द्र, मध्यकालीन भारत भाग–1, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली, 2015 पेज नं0 405,407
3. बंधोपाध्याय, शेखर, प्लासी से विभाजन तक, ओरिएण्ट बलैकस्वान, 2019, पेज नं0 8,9,10
4. ग्रोवर, बीएल, मेहता अलका, पाल यश, आधुनिक भारत का इतिहास, एस0 चन्द्र0, नई दिल्ली, 2018 पेज नं0 159–162
5. शर्मा, डा0 कालूराम एंव व्यास, डा0 प्रकाश, आधुनिक भारत का राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास, भाग 1,2 पंचशील प्रकाशन जयपुर, 2011, पेज नं0 289–293
6. चन्द्र विपिन, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली 2019 पेज नं0 41, 188
7. कुशवाहा, सुभाष चन्द्र, अवध का किसान विद्रोह, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2018 पेज नं0 63
8. चन्द्र विपिन, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली 2019 पेज नं0 221
9. सरकार सुमित, आधुनिक भारत (1885–1947) राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 2018, पेज0 नं0 54,55
10. शुक्ल, राम लखन, आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्व विद्यालय, 2015 दिल्ली पेज नं0 145, 146, 147, 185, 186, 187

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-107-111

भारत में जेंडर–भिन्नता : एक जनांकिकीय अध्ययन

*डॉ० निरंजन कुमार सिंह **

जेडर–भिन्नता अथवा जेंडर–गैप का अर्थ है महिला और पुरूष में अंतर जो विशेष रूप से सामाजिक, राजनैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उपलब्धियों अथवा अभिवृत्तियों में परिलक्षित होता है। जेंडर–भिन्नता एक सार्वभौमिक तथ्य है और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2006 में पहली बार ग्लोबल जेंडर–गैप इन्डेक्स (GGGI) के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों में महिला और पुरूष में अंतर की रैकिंग की गयी थी। तब 115 देशों में भारत की कुल मिलाकर रैंकिंग 98 थी। 2021 के ग्लोबल जेंडर–गैप रिपोर्ट में 156 देशों में भारत की रैंकिंग 140 है। यह रिपोर्ट पुरूष और महिला भिन्नता को चार मौलिक मापदण्डों– (i) आर्थिक सहभागिता व अवसर (ii) शिक्षा प्राप्ति (iii) स्वास्थ्य व उत्तरजीविता और (iv) राजनैतिक सशक्तिकरण के आधार पर मूल्यांकन करता है।

प्रस्तुत अध्ययन का एकमात्र उद्देश्य भारत और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जेंडर–भिन्नता का सम्यक विश्लेषण करना है।

अध्ययन में प्रयुक्त आँकड़े द्वितीयक स्रोत से जुटाये गये हैं। इसमें भारतीय जनगणना की रिपोर्ट, विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। साथ ही सम्बन्धित विषय से जुड़े अन्य अध्ययनों का भी पुनरावलोकन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में जेंडर–भिन्नता को प्रमुख सूचकांकों के आधार पर इनके विभिन्न स्वरूपों के सन्दर्भ में समझने का प्रयास किया गया है यथा : यौन–अनुपात, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण आदि।

अध्ययन की प्रमुख प्राप्तियाँ इस प्रकार है–

यौन–अनुपात

भारत में यौन–अनुपात कुल मिलाकर महिलाओं के प्रतिकूल है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 940 है। 2001 की तुलना में यह थोड़ा अधिक जरूर है परन्तु सबसे चिन्ताजनक पहलू यह है कि 0–6 आयु वर्ग में यौन–अनुपात घटा है। 2001 में 927 से घटकर 2011 में यह 914 हो गया। केरल (1058) और पाण्डिचेरी (1001) ही दो ऐसे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश हैं जहाँ यौन–अनुपात महिलाओं के अनुकूल है।

**एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, फीरोज गाँधी कालेज, रायबरेली, (उ०प्र०)*

हरियाणा (877), जम्मू–कश्मीर (883), पंजाब (893) उत्तर प्रदेश (908), बिहार (916), गुजरात (918), महाराष्ट्र (925), राजस्थान (926) और मध्य प्रदेश (930) ऐसे बड़े राज्य हैं जहाँ यौन–अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी कम है। यह बड़ी विडम्बना है कि इसमें से पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात भारत में सबसे धनी राज्यों में से हैं जहाँ प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में यौन–अनुपात के सन्दर्भ में जेंडर–गैप सबसे कम है।

न्यून शिशु और वयस्क यौन–अनुपात को देश में महिलाओं की धुँधली स्थिति के लिये प्रमुखता से सूचक माना जाता है। मित्रा[1] (1979) ने घटते यौन–अनुपात को महिला उत्पीड़न के विभिन्न तरीकों से सम्बद्ध किया है। आनुभविक साक्ष्यों से प्रदर्शित होता है कि कम यौन–अनुपात और उच्च महिला एवं मातृ–मृत्यु–दर में उच्च सह–सम्बन्ध है (कोल[2], 1991)। अकादमिक साहित्य में उपरोक्त के तीन व्याख्या उपलब्ध हैं– 1. सांस्कृतिक व्याख्या, 2. गिरती खाद्य उपलब्धता और बढ़ती गरीबी के बीच पोषण में विभेद एवं 3. सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर खर्च घटाये जाने के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य सेवाओं तक विभिन्न सोपान्तरित पहुँच।

शिक्षा और जेंडर–भिन्नता

साक्षरता

भारत में 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 82.14 प्रतिशत पुरूषों की तुलना में महिलाओं में साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है। विभिन्न जनगणना रिपोर्टों के अध्ययन में यह भी स्पष्ट है कि इसमें सामाजिक श्रेणी, धर्म, क्षेत्र और ग्रामीण–नगरीय अधिवास के आधार पर भी काफी अंतर है। बड़े राज्यों में महिला साक्षरता राजस्थान (52.66%), बिहार (53.33%), झारखंड (56.21%), जम्मू–कश्मीर (58.01%), उत्तर प्रदेश (59.26%), आंध्र प्रदेश (59.74%), मध्य प्रदेश (60.02%) और छत्तीसगढ़ (60.59%) राष्ट्रीय औसत से भी कम है। केरल में महिला साक्षरता सर्वाधिक (91.98%) है जबकि राजस्थान में यह सबसे कम (52.66%) है। यानी अधिकतम और न्यूनतम में 39.32% का अंतर है। महिला और पुरूष साक्षरता दर में कुल भिन्नता 2001 में 21.68% से घटकर 2011 में यह 16.68% रह गया है।

सकल नामांकन अनुपात (GER)

सकल नामांकन अनुपात, स्कूल में नामांकित बच्चों और स्कूल जाने वाले आयु वर्ग के समस्त बच्चों का अनुपात है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2014 में जारी ''स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्कूल एजुकेशन''[3] 2011–12 के अनुसार सकल नामांकन अनुपात से जुड़े कुछ अति महत्वपूर्ण आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं :

सकल नामांकन अनुपात (GER) 2011–12

क्लास व आयु समूह	सकल श्रेणी			अनु0 जाति			अनु0 जनजाति		
	बालक	बालिका	सकल	बालक	बालिका	सकल	बालक	बालिका	सकल
I-V (6–10वर्ष)	105.8	107.1	106.5	121.7	123.6	122.6	117.8	115.6	116.7
VI-VIII (11–13वर्ष)	82.5	81.4	82.0	89.8	91.3	90.5	76.8	74.1	75.5
IX-X (14–15वर्ष)	69.0	63.9	66.6	74.5	72.9	73.7	56.7	50.6	53.8

उपर्युक्त तालिका से सकल नामांकन अनुपात में जेंडर–भिन्नता स्पष्ट देखी जा सकती है। पुनः राज्यों में भी सकल नामांकन अनुपात में काफी अंतर है। उदाहरण के लिए एक तरफ जहाँ प्राथमिक कक्षाओं (I-V) में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात का राष्ट्रीय औसत 107.1 है, वहीं यह असम में 77.3, जम्मू–कश्मीर में 86.2, बिहार में 86.6, आन्ध्र प्रदेश में 87.7 व हरियाणा में 90.0 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं में कम जी.इ.आर. यह स्पष्ट करता है कि बालिका शिक्षा की राह में अनेक बाधायें हैं।

'स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्कूल एजुकेशन''[3] 2011–12 से निर्मित निम्न तालिका ड्राप आउट रेट की स्थिति का बयान करता है :

ड्राप आउट रेट 2011–12 (प्रतिशत में)

क्लास	सकल श्रेणी			अनु0 जाति			अनु0 जनजाति		
	बालक	बालिका	सकल	बालक	बालिका	सकल	बालक	बालिका	सकल
I-V	23.4	21.0	22.3	22.3	24.7	23.5	36.1	34.4	35.3
I-VIII	41.5	40.0	40.8	43.3	36.4	40.2	57.3	57.1	57.2
I-X	48.6	52.2	50.3	55.0	55.6	55.3	64.4	67.6	65.9

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 में क्लास I से VIII के बीच अनु0 जाति के बालकों में बालिकाओं की तुलना में सबसे ज्यादा ड्राउप आउड रेट है। परन्तु आगे चलकर (क्लास I से X के बीच) इनमें बालकों और बालिकाओं का ड्राप आउट रेट लगभग बराबर हो जाता है।

(क) उच्च शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा से ज्यों–त्यों ऊपर बढ़ते हैं वैसे–वैसे विशेष रूप से महिलाओं में ड्राप आउट रेट में गुणात्मक वृद्धि होती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय[4] के एक जानकारी के अनुसार प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की ड्राप आउट की औसत दर 2018–19 में 47 प्रतिशत थी, जबकि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर यह 17.3 प्रतिशत थी। अध्ययन[5] यह भी स्पष्ट करते हैं कि उच्च–स्तर पर महिलायें

ज्यादातर कला अथवा मानविकी पढ़ती हैं। उन्हें विज्ञान, तकनीकी अथवा कौशल आधारित शिक्षा ग्रहण करने से हतोत्साहित किया जाता है। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों महिलायें जॉब मार्केट में किनारे कर दी जाती हैं।

स्वास्थ्य और जेंडर–भिन्नता

जॉन[6] (1995) ने राष्ट्रीय सर्वेक्षण आंकड़ों (1990) का उपयोग स्वास्थ्य में जेंडर आधारित प्रमुख विभेद को दिखलाने में किया है। महिला शिशु इस मामले में ज्यादातर शिकार होती हैं और यह प्रवृत्ति सबसे ज्यादा–उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब में देखने को मिलता है। भल्ला[7] (1995) ने यह बतलाया है कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में अस्पताल में कम लाया जाता है और यदि लाया भी जाता है तो बीमारी की आखरी अवस्था में।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल के सेम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) ऑफिस द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2019 में शिशु मृत्युदर (IMR) – पुरूष : 36 / 1000, महिला : 35 / 1000 था। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता (सरवाइवल) के मानकों के लिहाज से भारत का स्थान 111 वाँ है।[8] भारत में महिलायें (57 वर्ष) पुरूषों (56 वर्ष) से मात्र एक साल ज्यादा जीवित रहती हैं। जबकि यू.एन. द्वारा अमल में लाये जा रहे जेंडर–संबंधी वैकासिक सूचकांक के अनुसार स्त्री और पुरूष के बीच आयु–संभाविता के बीच 5 वर्ष का अंतर होना चाहिए। परिवार नियोजन के स्थायी साधन में पुरूषों में वासेक्टोमी और महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी किया जाता है। परन्तु भारत में 93 प्रतिशत ट्यूबेक्टोमी होता है जबकि वासेक्टोमी कम खतरनाक प्रक्रिया और आसानी से होने वाला होता है।[9]

अर्थव्यवस्था और जेन्डर भिन्नता

वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला कार्य सहभागिता दर 25.51 प्रतिशत है जबकि पुरूष कार्य सहभागिता दर 53.26 प्रतिशत – अर्थात् यह गैप 27.75 प्रतिशत है। अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि भारत में रोजगार में लगभग सभी स्तरों पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। पुरूषों की तुलना में महिलाओं में कार्य सहभागिता दर कम है और शहरों में यह असंतुलन अधिक देखा जाता है। एक अध्ययन[10] के अनुसार, मुम्बई में कार्य–शक्ति सहभागिता दर जहाँ पुरूषों में 53.7 प्रतिशत थी वहीं महिलाओं में यह 10.7 प्रतिशत थी।

GGG रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में महिला की औसत वार्षिक आमदनी (1518 अमेरिकी डालर) पुरूष की आमदनी (4960 अमेरिकी डालर) की तुलना में दो तिहाई कम है। एक अध्ययन[10] के अनुसार महिला–पुरूष पारिश्रमिक (वेज) अनुपात शहरी भारत के असाक्षर महिलाओं में 0.59 और साक्षर महिलाओं में 0.82 था।

निष्कर्ष व सुझाव

वैश्विक मानचित्र पर देखें तो भारत में जेन्डर–भिन्नता काफी अधिक है। इस भिन्नता को कम करने के लिए आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं में आमूल–चूल सुधार करने की जरूरत है। महिलाओं को विभिन्न संवर्गों में बाँटकर हमें प्राथमिकता तय करनी होगी।

सन्दर्भ

1. *मित्रा, ए.– इम्प्लिकेशन्स ऑफ फॉलिन्ग सेक्स–रेशिओ ऑन इंडियाज् पॉपुलेशन, बाम्बे : ऐलाइड प्रेस, 1979*
2. *कोल – इक्सेस फीमेल मॉर्टेलिटी एंड द बैलेन्स ऑफ दी सेक्सेज इन पापुलेशन : ऐन एस्टिमिट ऑन दी नम्बर ऑफ मिसिंग फीमेल्स, पॉपुलेशन एण्ड डेवलपमेंट रिव्यू, वॉल्यूम 17(3), 1991*
3. *स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्कूल एजुकेशन 2011–12, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ प्लैनिंग, मॉन्टिरिंग और स्टैटिस्टिक्स, नयी दिल्ली, 2014*
4. *द हिन्दू, फरवरी 5, 2021*
5. *ट्रसजी, साल्वोमिर : व्हाई डू फीमेल चूज टू स्टडी ह्यूमैन्टिज ऑर सोशल साइन्सेज, व्हाइल मेल प्रेफर टेक्नालॉजी ऑर साइन्स : सम इन्ट्रा पर्सनल एण्ड इण्टर पर्सनल प्रेडिक्ट्स, सोशल साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, 2020 https://doi.org/10.1007/s11218-020-09551-5*
6. *जॉन, ई. वेयर जूनियर(1995)– नेशनल सर्वे ऑफ फंक्शनल हेल्थ स्टेटस, 1990*
7. *भल्ला, ए. – अनइवेन डेवलपमेन्ट इन द थर्ड वल्ड : ए स्टडी ऑफ चाइना एण्ड इण्डिया, बेसिंगस्टोक, 1995*
8. *GGG रिपोर्ट 2011*
9. *कृष्णा राज : फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इण्डिया–लिस्टस् ए नम्बर ऑफ ग्रास–रूट्सपब्लिकेशन्स 2000, https://w.w.w.fpaindia.com/fpaipublic.htm.*
10. *देशपाण्डे, एस एण्ड देशपाण्डे, एल– 'जेंडर–बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द अरबन लेबर मार्केट : इन टी. पपोला एण्ड ए. शर्मा (सं.), जेंडर एण्ड, इम्पलाइमेंट इन इण्डिया, नयी दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस, 1999*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-112-117

शिवानी के उपन्यासों में नारी–छवि

डॉ० ऋचा सुकुमार*

सारांश

शिवानी हिन्दी साहित्य जगत की एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार है। साठ और सत्तर के दशक में उनके द्वारा लिखे उपन्यास हिन्दी पाठकों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है और आज भी लोग उन्हें बहुत चाव से पढ़ते हैं। उनके सभी उपन्यास नारी प्रधान रहे हैं। उन्होंने नारी जीवन के लगभग सभी पहलुओं का वर्णन अपने उपन्यासों में किया है। एक नारी के जीवन में कई ऐसे उतार–चढ़ाव के क्षण आते है जिसमें वह कई मनोभावों से होकर गुजरती है शिवानी जी ने नारी के अन्तर्मन में उठने वाली हर लहर को बहुत ही खूबसूरती के साथ पन्नों पर उकेरा है। इस शोध आलेख में उनके उपन्यासों में समायी नारी की इसी यथार्थ छवि को अभिव्यक्त करने का छोटा सा प्रयास किया गया है।

मूल शब्द– शिवानी, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, नारी अन्तर्मन की कुशल चितेरी, सर्वप्रिय–सर्वसम्मान्य, महीयसी 'गौरा पंत'

17 अक्टूबर, 1923 को विजयदशमी के दिन राजकोट (गुजरात) में जन्मी शिवानी हिन्दी साहित्य में एक अनन्य हस्ताक्षर बनी। उनका पितृ–दत्त नाम गौरा पन्त था। 'शिवानी' उनका उपनाम, साहित्य नाम है, जिसे उन्होंने स्वयं धारण किया। गुरूदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर किशोरी शिष्या गौरा पन्त को 'गोरा' कहकर पुकारते थे। शिवानी जी ने एक परिपूर्ण जीवन जिया। वे अभिजात एवं सुसंस्कृत कुल में जन्मी थीं। जन्मना प्राप्त उस सुसंस्कृत–अभिजात जीवन को उन्होंने और–और अन्तः ऋद्ध बनाया। किन्तु उनमें मिथ्या गर्व गुमान और दिखावटी आडम्बर कभी नहीं उपजा। सहज उदारता, मधुरिमा से आपूर्ण सुमुखता और अकृत्रिम स्नेह–सिक्त सद्व्यवहार ने उन्हें सर्वप्रिय–सर्वसम्मानन्य महीयसी महिला की महिमा–गरिमा से आमण्डित बनाये रखा। श्रेष्ठ मनुष्य अनहंकारी होता ही है। शिवानी–जैसा महिम्न जीवन विरलों को ही मिलता है।

शिवानी ने प्रभूत मात्रा में साहित्य सर्जना की। वे मनोरंजक कथा गढ़ने में सिद्धहस्त थीं। यह गुण उन्हें बाँग्ला लेखकों से मिला था। गुरूदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर की तो वे शिष्या ही थीं। महान कथा–शिल्पी शरदचन्द्र चट्टोपाध्याय का भी उन पर विशेष प्रभाव था। अगर शरदचन्द्र जी का प्रभाव न भी पड़ा होता, तो भी सम्भवतः शिवानी जी नारी–चरित्र का ही अंकन करती। आखिर उनकी अनुभव–सीमा नारी–संस्तृति को ही तो परिधित करती थी। किन्तु शरदचन्द्र के प्रभाव ने उन्हें करूणा–क्लिन्न अवश्य बनाया। इसी कारण शिवानी के विविध नारी–पात्र अपनी प्राण–प्रस्पन्दता में अविस्मरणीय बन गये। शिवानी के नारी–पात्र विद्रोह भी करते

* *डी० लिट्० (हिन्दी) एसोशिएट प्रोफेसर, हिन्दी–विभाग हेमवती नन्दन बहुगुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लालगंज, प्रतापगढ (उ०प्र०)*

हैं और परिस्थितियों से ऊपर उठने का प्रयास भी, किन्तु अपने चारित्रिक संघटन में विश्वसनीय लोक–सामान्यता के धरातल पर नहीं पहुँच पाते। यह शिवानी का अपनी सीमा है। उनका सम्पूर्ण जीवन एक विशेष परिवेश में व्यतीत हुआ उन्हें कभी खुरदुरे यथार्थ से जीवन में रू–बरू नहीं होना पड़ा। शिवानी जी इतनी शीलमयी थी कि वे आज के–से जटिल–ग्रन्थिल–उच्छल– उच्छृंखल पात्रों की सर्जना कर ही नहीं सकती थी।

शिवानी के सम्पूर्ण लेखन के केन्द्र में नारी है उन्होंने अपनी साहित्य–संस्तृति में नारी को सचेत अस्मिता प्रदान की। उन्होंने नारी–विमर्श का बड़ा शोर–शराबा मचाये बिना ही दुःखी, सन्तप्त और विषम स्थिति में पड़ी नारी को नयी जीवन–चेतना से अन्वित बनाया। शिवानी के उपन्यासों में नारी के स्वरूप में कहीं भी कृत्रिमता नहीं दिखाई पड़ती। उनके नारी पात्र कोई आसमान से उतरी हुई अप्सराएँ नहीं, बल्कि अपने आस–पास की जिन्दगी से ली हुई नारियाँ हैं। उन्होंने सामान्य स्त्री और उसके सुख–दुख को अपने उपन्यासों का मूल कथ्य बनाया। डॉ0 प्रभाकर क्षेत्रिय ने शिवानी के साहित्य में स्त्री–दृष्टि पर विचार करते हुए लिखा है– ''शिवानी जी के साहित्य में आमतौर पर जो स्त्री की विवशता है, जो एक स्त्री का उत्पीड़न है, वो भी प्रकट हुआ। स्त्री के भीतर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है, गुण है स्त्री की महत्ता है, वो भी रेखांकित हुई। उसकी उदारता, उसका शील, उसकी संवेदना यहाँ तक कि उसका सौन्दर्य। स्त्री अपने सम्पूर्ण रूप में शिवानी जी के साहित्य में आयी है। वो अपनी विवशता से लेकर अपनी उदारता और अपनी महत्ता तक की सीमाओं को छूती है। उसके भीतर करूणा का तत्त्व अपने सबसे ज्यादा प्रधान तत्व है।'' [1]

उनकी उपन्यास–संसति में 'मायापुरी' की शोभा, 'चौदह फेरे' की अहल्या, 'कृष्णकली' की कृष्णकली, 'भैरवी' की चन्दन, 'श्मशान चम्पा' की चम्पा, 'कैंजा' की नन्दी तिवारी, 'विषकन्या' की कामिनी, 'माणिक' की नलिनी मिश्रा, 'रथ्या' की बसन्ती, 'सुरंगमा' की सुरंगमा तथा राजराजेश्वरी, 'अतिथि' की जया, माया, 'कालिन्दी' की कालिन्दी, अन्नपूर्णा, 'घण्टा' की लक्ष्मी, 'चल खुसरो घर आपने' की कुमुद और गोदी, 'ज्येष्ठा' की पिरी, 'तीसरा बेटा' की सावित्री, 'पूतोवाली' की पार्वती तथा 'विवर्त' की ललिता आदि स्त्री–छवियों को देखा जा सकता है। यह सभी स्त्रयाँ उपन्यासों में कहीं माता के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, कहीं पुत्री भगिनी, बुआ, सखी, दासी, वेश्या और कहीं प्रेमिका आदि के रूप में दिखायी देती हैं। शिवानी ने अपने उपन्यासों में स्त्री के मानस के अन्दर घट रहे द्वव्द्व का गहन मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। उन्होंने स्त्री–पात्रों को अपने उपन्यासो में किसी योजनाबद्ध तरीके से निर्मित करके नहीं, बल्कि आम जन–जीवन से उठाया है। वे नारी–स्वरूप को अपनी ओर से नहीं गढ़ती, बल्कि समाज में जो नारी है उसी को

अपने उपन्यासों में स्थान देती हैं। उनके नारी–पात्रों में अच्छाई, बुराई, कमजोरी, मजबूती सभी कुछ मिल जाएगी। शिवानी शुरू से ही अधुनातन नारी–स्वातन्त्रय की परिकल्पना की हियायती नहीं थीं। उनका मानना था घर पर रह कर भी स्त्री अपना अस्तित्व स्थापित कर सकती है। शिवानी के अनुसार–''औरतों ने हमेशा ही संघर्ष किया है और वे पुरूष से बेहतर साबित होती रही है। अपने आपको इतना उन्नत करो कि वे चीज तुम्हें खुद–ब–खुद मिल जाए, जो तुम छीन कर पाना चाहती हो। कुछ पाने के लिए पहले उसकी पात्रता तो हासिल करो। छीन कर कभी कुछ नहीं मिलता।''[2]

शिवानी जी ने अपने उपन्यासों नारी के विविध रूपों को बिना आडम्बर और बनावट के ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हुए भी जबरदस्ती आदर्श की भट्टी पर नहीं चढ़ाया और न ही उनको नीचता के कुएँ में धकेला। उन्होंने अपने उपन्यासों में स्त्री को जो छवियों चित्रित की है, वे एक–एक मानक की तरह ली जा सकती है। उन्होंने वात्सल्यमयी माँ, विमाता, उपेक्षित माँ की छवि तथा विशिष्ट माँ की छवि को अपने उपन्यासों में चित्रित किया। वात्सल्यमयी माँ की छवि में 'कालिन्दी' उपन्यास की अन्नपूर्णा ऐसी ही माँ है, जिसने अपने अनुभव से जान लिया किया एक स्त्री का जीवन कैसे अनुभव से जान लिया किया एक स्त्री का जीवन कैसे सहज रूप में बीत सकता है। वह अपने जीवन में आये हुए कष्टों और अनुभवों को अपनी बेटी के साथ बाँटना चाहती है जिससे उसका जीवन अच्छा हो सके। इसी तरह उन्होंने 'कृष्णकली' 'चल खुसरो' घर आपने', 'पूतोंवाली' 'तीसरा बेटा' आदि में भी माँ की छवि को चित्रित किया है। 'तीसरा बेटा' उपन्यास में माँ के शाश्वत रूप का चित्रण हुआ है जो अपने बेटे के अलावा, एक अनजान शिशु का पालन करती है जो उसे मानवता के उच्च शिखर पर ले जाता है। गंगा अपने लालन–पालन करने वाली माँ के मरने के बाद भी इस तरह महसूस करता है–''आज भी वह इसी निःस्वार्थ प्रेम और क्षमा का संदेश होठों पर लिए किसी प्राचीन देवालय के गर्भगृह में प्रतिष्ठित देवी–मूर्ति–सी, मानवता के उच्चतम शिखर से उसे उसी वात्सल्य से एकटक निहार रही है।''[3] शिवानी ने नारी की महत्ता स्थापित करते हुए कहा है– ''भारतीय संस्कृति ने नारी में मातृत्व भाव की श्रेष्ठता प्रतिपादित कर यह सिद्ध कर दिया है कि सनातन मातृत्व ही नारी का यथार्थ स्वरूप है।[4]

शिवानी ने 'चौदह फेरे' 'घण्टा', 'मायापुरी', आदि उपन्यासों में नारी के प्रेमिका रूप को चित्रित किया है। शिवानी ने अपने उपन्यासों में त्याग करने वाली प्रेमिकाओं को प्रमुख स्थान दिया है। ऐसा लगता है इसके माध्यम से वे व्यापक पाठक समाज को बताना चाहती हैं कि प्रेम में पाने की अपेक्षा त्याग से ही जीवन भास्वर बनता है। त्याग का यह स्वरूप उनके उपन्यास 'घण्टा' की नायिका लक्ष्मी में देखा जा सकता है। उसने नायक देवेन्द्र से सिर्फ प्रेम किया, उसका प्रतिदान

कभी नहीं माँगा। देवेन्द्र के बीमार पड़ने पर उसके स्वस्थ्य होने के बाद घण्टा चढ़ाने की मनौती मानी थी। जबकि देवेन्द्र उसकी सेवा के बदले उसे पैसे देने की बात कहता है। लक्ष्मी अन्त तक प्रेमिका के सारे गुण–धर्म को अन्त तक निभाती रही। लेकिन हृदय में यत्न से बाँधी गयी भावना बस में बैठे–बैठे फूटकर निकल गयी– ''हृदय में उमड़ती वेदना का यत्न से बाँधा गया बाँध सहसा टूट–कर रह गया और आँसू की बूँदे गोदी के घण्टे को टप–टप भिगोती, चढ़ाने वाली के लाख न चाहने पर भी उसका नाम, पता, सन्, तारीख अमिट अक्षरों में स्वयं ही खोदती चली गयी।''[5]

शिवानी के दूसरे उपन्यास 'मायापुरी' की शोभा भी प्रेम में त्याग का महिमा को ही प्रमुख मानती है। इसके अतिरिक्त उनके उपन्यासों में पत्नी छवि जया (कृष्णकली), पुत्री–छवि कृष्णकली (कृष्णकली), बुआ–छवि रूक्की (शमशान–चम्पा) सखी–छवि माधवी (कालिन्दी), वेश्या–छवि, मुनीर (कृष्णकली) माणिक (कृष्णकली) दासी अथवा परिचायिका–छवि कुमुद (चल खुसरो घर आपने) आदि स्त्री–छवियों से हिन्दी पाठक–समाज को परिचित कराया।

शिवानी ने अपने सभी उपन्यासों में नारी–जीवन के दर्द की मर्मान्तक झाँकी प्रस्तुत की है। ''शिवानी की रचनाओं को पढ़कर हृदय में पीड़ा का सागर हिलारे लेते लगता है। सारा दर्द समन्दर के ज्वार–भाटे के समान उफनाकर बाहर आ जाएगा, अनजानी छटपटाहट होने लगती है।''[6]

शिवानी ने अपने उपन्यासों में नारी के विविध स्वरूप को चित्रित किया है जिसने नारी अस्मिता को एक नयी पहचान दी है। शिवानी के उपन्यासों में देखा जाए तो मानसिक प्रवृत्ति और स्वभाव के आधार पर स्त्री–छवि की तीन कोटियाँ है। उत्तम कोटि की नारी–छवि में कुमुद (चल खुसरो घर अपने) नन्दी तिवारी (कैजा) कालिन्दी (कालिन्दी), चम्पा (शमशान चम्पा) तथा मध्यम कोटि में ललिता (विवर्त) पिरी (ज्येष्ठा), शुभ्रा (शपथ) है। निम्न कोटि की नारी–छवि में कामिनी (विषकन्या), उमा (चल खुसरो घर आपने) है। शिवानी के उपन्यासों में नारी की विद्रोही–छवि भी चित्रित है जो रूढ़ सामाजिक व्यवस्था और वाहयाडम्बर का विरोध करती है। ऐसी स्त्री–छवि में बसंती (रथ्या) है। स्त्री की त्रासद–छवि के रूप में राजलक्ष्मी (सुरंगमा) है, तो विवश स्त्री–छवि के रूप में चन्दन (भैरवी) है। यौन कुण्डित स्त्री छवि के रूप में नालिनी मिश्रा (माणिक) है। शिवानी के उपन्यासों में एक ओर जहाँ परम्परागत स्त्री के दर्शन होते हैं वहीं आधुनिक स्त्री भी है जो स्त्री के स्वतन्त्र अस्तित्व की वकालत करती है ऐसी स्त्री पितृसत्तात्मक समाज से बगावत करती है और संघर्ष द्वारा अपने अधिकार को हासिल करती है। ऐसी स्त्री–छवि में राजराजेश्वरी (भैरवी) जया (अतिथि) है।

शिवानी की लेखनी ने अनेक विशिष्ट नारी चरित्रों की सर्जना की है। इस संदर्भ में डॉ0 तृप्ति वसाक मजूमदार लिखती है– ''नारी के अबाध–अनैतिक सम्बन्धों के प्रति उन्होंने अविश्वास तथा अनास्था प्रकट की है तो दूसरी ओर निष्काम प्रेम के पूर्ण सम्पर्ण के प्रति उनकी श्रद्धा की भावना को सहज रूप में देखा जा सकता है। अपने उपन्यासों में ऐसे वासना–रहित गम्भीर प्रेम की छटा उन्होंने दिखायी है, जो हृदय को उद्वेलित करती है पर अशांत नहीं। उनके अनुसार मानव जीवन जितना अधिक आधुनिक होता जा रहा है उतना ही अधिक अपने साथ दैनंदिन नवीन समस्याओं को लपेटता जा रहा है। इन्हीं समस्याओं का प्रतिफलन हुआ शिवानी के उपन्यासों में।''[7] शिवानी ने अपने उपन्यासों में नारी–पात्रों को संघर्ष करने वाला बनाया है। उनका मानना है स्त्री की लड़ाई को एक स्त्री बखूबी लड़ सकती है। 'अतिथि' उपन्यास में जया पुरूष–समाज के सामने कहती है– ''मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। मैं कभी कोई आपत्ति नहीं करूँगी। मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरे भी माँ–बाप हैं, घर है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँगी, ऐसा दृढ़ विश्वास भी है मुझे।''[8]

शिवानी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से जड़ता तोड़ी है। उनके कई स्त्री पात्रों ने सदियों से बने–बनाये खाँचे को तोड़ा है। इस मायने में शिवानी के प्रगतिशील दृष्टिकोण और स्त्री के प्रति उनकी चिन्ता को देखा जा सकता है। हिन्दी उपन्यास में स्त्री को मुख्य केन्द्र में रखकर प्रमुखता से लेखन की शुरूआत ही शिवानी से ही होती है।

शिवानी स्त्री–पुरूष–सम्बन्धों में सामंजस्य की हिमायती है। शिवानी का मानना है कि एक स्वस्थ समाज के लिए स्त्री पुरूष में सामंजस्य बेहद जरूरी है। दरअसल शिवानी एक ऐसी लेखिका थीं जिनका साहित्यिक अवदान सदा महार्घ माना जाएगा। उन्होंने अपने कथा साहित्य, संस्मरणों, रेखाचित्रों, निबन्धों और कला–संस्कृति आदि कई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। संगीत, साहित्य, कला सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान देकर गम्भीर और लोकप्रिय लेखिका बनी।

शिवानी के उपन्यासों की भाषा उनके उपन्यास की विषयवस्तु जैसी ही उत्कृष्ट श्रेणी की है। स्वस्थ, सशक्त, प्रभावोत्पादक भाषा सूत्र में कथाकार शिवानी ने बड़े यत्न और विश्वास से अपने गहन अनुभवों के विचित्र मोतियों को एक के बाद एक पिरोया है। ''भावुकता एवं मार्मिकता शिवानी की भाषा की चरम श्रेष्ठता का अनुपम उदाहरण है। माँ की ममता का क्रन्दन हो अथवा प्रेमिका के हृदय की करूण आरती, उनकी भाषा के विशाल वक्ष में सभी पूर्णतः विलीन होकर सही व्यंजना का रूप पाते हैं। '' उनकी सूक्ष्म दृष्टि, सशक्त भाषा एवम् नारी चरित्रों को जीवन्त बना देने के नैपुण्य ने उन्हें एक सफल उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्रदान की है। वह नारी मन की कोमल भावनाओं की कुशल चितेरी है। पीड़ित प्रताड़ित, विषाद में डूबी

हुई नारी के प्रति उनकी संवेदना सर्वविदित है। वास्तव में शिवानी हिन्दी–साहित्य जगत की की प्रख्यात लेखिका, कुशल चितेरी एवं समाज सेविका रही है। शिवानी हिन्दी साहित्य जगत की एक सशक्त हस्ताक्षर है। उनका महत्व सदैव अक्षुण्ण बना रहेगा।

सन्दर्भ

1. *डॉ0 प्रभाकर क्षेत्रिय, नागरिक उत्तर प्रदेश (संयुक्तांक) : जून– नवम्बर 2003, पृ0–44*
2. *डॉ0 रंजना श्रीवास्तव वही–वही पृ0 17*
3. *शिवानीः तीसरा बेटा, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, पृ0– 100*
4. *शिवानी : जालक (संस्मरण) सरस्वती विहार, नयी दिल्ली 2001, पृ0 215*
5. *शिवानीः घंटा, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 1980 पृ0– 130*
6. *डॉ अनीता श्रीवास्तवः नागरिक उत्तर प्रदेश (संयुक्तांक) : जून–नवम्बर 2003 पृ0 12*
7. *डॉ0 तृप्ति वसाक मजूमदार, शिवानी के उपन्यासों का आलोचनात्मक अध्ययन, सार्थक प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2001, पृ0 – 154*
8. *शिवानी : अतिथि, हिन्द पाकेट बुक्स प्रा0लि0, नई दिल्ली, 2006, पृ0– 171*

10. डॉ0 मनु प्रकाश, नागरिक उत्तर–प्रदेश, पृ0–7

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-118-123

महाभारत में वर्णित राज धर्म की समसामयिक प्रासंगिकता

*डॉ० ऊदल कुमार **

जगत के निर्मात ब्रहमा की कोई भी सृष्टि हो या ब्रहमनिर्मित मानव की कोई कृति हो, सबका कुछ न कुछ उद्देश्य है इस दृष्टिकोण से विचार करने पर कृष्ण द्वैपायन व्यास विरचित लोकपूजित समग्र ज्ञान संनिवेशित महाभारत की सोद्दश्यता भी सर्वथा स्पष्ट है। महाभारत में वर्णित राजधर्म निश्चित रूप से लोक व्यवस्थापक धर्म शास्त्र का अभिन्न अंग है। किसी भी समाज के व्यवहार परिचालन में धर्मशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजधर्म भी धर्मशास्त्र का अंश होने से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस प्रकार समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अपना–अपना धर्म होता है, उसी प्रकार लोक का भौतिक नियन्ता राजा या शासक का भी अपना धर्म होता है जिसे राजधर्म की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। राजा का मुख्य कार्याधिकारी अपने अधिकार या कर्तव्य का यथोचित रूप से पालन करे, यह राजधर्म का समुज्ज्वल पक्ष है। राज्य एक सुविस्तृत इकाई होता है। अतः राजा अपनी सहायता के लिए परम निपुण व राजभक्त सेवकों या कर्मचारियों की नियुक्ति करता है इस प्रकार सेवक आदि भी राज्य के अंग होते है एवं राज्य के सुव्यवस्थापन तथा सुसंचालन में इनकी भी अहम भूमिका होती है, ऐसी स्थिति में यह भी शासक या राजा का धर्म बनता है कि राजकर्मचारियों आदि का चयन बड़ी निपुणता व चतुराई के साथ निष्पक्षता का आश्रय लेते हुए करे ताकि पद के अनुरूप राज्य कार्य पूर्ण मनोयोग व श्रद्धा के साथ करके प्रजा का हित सुनिश्चित कर सके।

उपर्युक्त के आलोक में यदि हम विचार करें तो पाते हैं कि महाभारत में वर्णित राजधर्म आज भी प्रासंगिक है क्योकि वहाँ बताया गया है कि लोक व्यवस्था का सबसे बड़ा कार्याधिकारी राजा था शासक किस प्रकार अपने कर्तव्यों के पालन का दायित्व निष्ठापूर्वक निभाये। महाभारत में पदे पदे उन राज्यादर्शो का समावेश किया गया है जिससे प्रजा हित संवर्धन संभव हो सके।

वर्तमान परिवेश में विश्व में अनेक प्रकार के दल या विचार जहाँ अपने को सर्वश्रेष्ठसावित करने में लगे हुए है। ऐसी परिस्थिति में राजधर्म पथप्रदर्शक राजशास्त्र जैसे ग्रंथों एवं राजधर्म प्रतिपादक आचारशास्त्रों के उपदेशों या विचारों की आवश्यकता अवश्य हो जाती है, जो शासक का पथ प्रदर्शक व मार्गदर्शन कर सके। शासन व्यवस्था का पथ प्रदर्शन व मार्गदर्शन कर सके। शासन व्यवस्था का चाहे जो स्वरूप हो– राजतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक लेकिन नैतिक मूल्य चिरस्थायी

**असिस्टेंट प्रोफेसर आचार्य नरेन्द्र देव किसान पी० जी० कालेज, बभनान, गोण्डा(उ०प्र०)*

प्रकृति के होते है। उनका उल्लंघन किसी भी दशा में लाभप्रद नही हो सकता है, व्यवस्था घातक ही होता है। अतः शासक वर्ग को यह प्रयास करना चाहिए कि निर्धारित राज्यादर्श का किसी भी परिस्थिति में अवमानना व उल्लेघन न होने पाये।

महाभारत काल में प्रजावर्ग पर शासन करने वाले चाहे जो भी राजा हुए हों, परन्तु उनका राज्यादर्श–कथमपिक्षीण नही था। प्रजावर्ग के प्रति समुचित कर्तव्यों का यथेष्ट पालन करने में वे कतराते नही थे। यहाँ तक कि हम यदि लोकदृष्टि में अन्यायी के रूप मे निन्दित राजा दुर्योधन की बात करें तो यह पाते हैं कि शासक के रूप मेंसामान्यजन या प्रजाजन के प्रति दुर्योधन कहीं से भी निष्ठुर या अन्यायी नही था, वल्कि अपने समस्त भाइयों दुःशासन आदि के समय प्रजावर्ग के समुचित कल्याण व उत्थान के प्रति सदैव सचेष्ट रहता था। वनपर्व में आया है कि राज सिंहासन पर आरूद होने के पश्चात् दुर्योधन अपने वीर भाइयों के साथ रहकर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य युद्ध मे शोभायान वाले सूतपुत्र कर्ण, शकुनि से मिलकर निरन्तर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए इस पृथ्वी का शासन करने लगा।[1]

आगे लिखा है कि दुर्योधन सदैव अपने अधीन रहने वाले राजाओं का प्रिय करने लगा और प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा श्रेष्ठ ब्राहमणों का भी स्वागत सत्कार करता रहा।[2] दुर्योधन एक दूरदर्शी शासक था। यद्यपि उस पर अन्यायी व अहंकारी होने का आरोप लगता है तथापि यह अन्याय व अहंकार उसका जातीय या वंशीय मामला था। प्रजावर्ग से इसका कोई लेना देना नही था। अब हम कुछ ऐसे दृष्टान्तों पर दृष्टिपात करेंगे जिसमें प्रजाहित के लिए राजा को क्या करना चाहिए और वे आज भी किस तरह प्रासंगिक है।

शांन्तिपर्व में जब युधिष्णिर भीष्म से कहते हैं कि हे भरतश्रेष्ठ आपने पूर्व पुरूषो द्वारा आचरित तथा सज्जन सम्मत जिन श्रेष्ठ राजधर्मो का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है उनको इस प्रकार संक्षेप मे बताइए, जिससे उनका विशेष रूप से पालन हो सके। इस पर भीष्म कहते है–

रक्षणं–सर्वभूतानामिति क्षात्रं परं मतम्।
तद् यथा रक्षणं कुर्यात् तथा श्रृणु महीपते।[3]

भूपाल क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है समस्त प्राणियों की रक्षा करना, परन्तु यह रक्षा का कार्य कैसे किया जाय, उसे बता रहा हूँ सुनो।

यथा वर्हाणि चित्राणि विभर्ति भुजगाशनः।
तथा वहुविधं राजा रूपं कुर्वीत धर्मवित्।।[4]

जैसे सांप खाने वाला मोर विचित्र पंख धारण करता है उसी प्रकार धर्मज्ञ राजा को समय–समय पर अपना अनेक प्रकार का रूप प्रकट करना चाहिए। राजा को मध्यस्थ भाव से रहकर तीक्ष्णता कुटिल नीति अभयदान, सत्य, सरलता तथा

श्रेष्ठ भाव का अवलम्बन करना चाहिए।ऐसा करने से वह सुख का भागी होता है जिस कार्य के लिए जो हितकर हो उसमे वैसाही रूप प्रकट करे। उदाहरण के लिए अपराधी को दण्ड देते समय उग्र रूप और दीनों पर अनुग्रह करते समय शान्त एवं दयालु रूप प्रकट करे। इस प्रकार अनेक रूप धारण करने वाले राजा का छोटा सा भी कार्य भी विगडने नही पाता है और जिस प्रकार शरद ऋतु के मोर बोलता नही है, उसी प्रकार राजा को मौन रहकर सदा राजकीय गुप्त विचारों को सुरक्षित रखना चाहिए। वह मधुर वचन बोले, सौम्य स्वरूप से रहे, शोभा सम्पन्न होवे और शास्त्रो का विशेष ज्ञान प्राप्त करे। बाढ़ के समय जिस ओर जल बहकर गांवो को डुबा देने का संकट आने की सम्भावना हो, उन्हे सुदृढ बनाने और बन्द करने के लिए राजा को सतत सावधान रहना चाहिए। जैसे पर्वतो पर वर्षा होने से जो पानी एकत्र होकर नदी या तालाब के रूप मे रहता है उसका उपयोग करने के लिए लोग उसका आश्रय लेते है, उसी प्रकार राजा को सिद्ध ब्राहमणों का आश्रय लेना चाहिए तथा जिस प्रकार धर्म का ढोंगी सिर पर जटा धारण करता है, उसी तरह राजा को भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा से उच्च लक्षणों को धारण करना चाहिए।

नित्यमुद्यतदण्डः स्यादाचरेद् प्रमादतः।
लोके चायव्ययौ दृष्ट्वा बृहद्बृक्षमिवास्त्रवत्।।[5]

राजा को चाहिए कि वह सदा अपराधियों को दण्ड देने के लिए उद्यत रहे, प्रत्येक कार्य सावधानी के साथ करे, लोगों के आय व्यय देखकर ताड़ वृक्ष से रस निकालने की भांति उनसे धनरूपी रस ले अर्थात् जैसे उस रस के लिए पेड़ को काट नही दिया जाता उसी प्रकार प्रजा का उच्छेद न करे। राजा अपने दल के लोगों के प्रति विशुद्ध व्यवहार करे। शत्रु के राज्य में जो खेती की फसल हो, उसे अपने दल के घोडो और बैलों के पैरों से कुचलवा दे अपना पक्ष बलवान होने पर ही शत्रुओं पर आक्रमण करे और अपने में कहाँ कैसी दुर्बलता है, इसका भली भाँति निरीक्षण करता रहे। शत्रु के दोषो को प्रकाशित करे और उसके पक्ष के लोगों को अपने पक्ष में आने के लिए विचलित कर दे। जैसे लोग जंगल से फूल चुनते है, उसी प्रकार राजा बाहर से धन का संग्रह करे।पर्वत के समान ऊँचा सिरकरके अविचल भाव से बैठे हुए धनी नरेशों को नष्ट करे। उनको जताए बिना ही उनकी छाया का आश्रय ले अर्थात् उनके सरदारों से मिलकर उनमें फूट डाल दे और गुप्त रूप से अवसर देखकर उनके साथ युद्ध छेड़ दे। जैसे मोर आधी रात के समय एकान्त स्थान मे छिपा रहता है, उसी प्रकार राजा वर्षा काल में शत्रुओं पर चढ़ाई न करके अदृश्य भाव से ही गुण को अपनाकर स्त्रियों से अलक्षित रहकर विचरे।

आत्म संयमनं वुद्धया परवुद्धयावधारणम्।
वुद्धया चात्म गुणप्राप्तिरेतच्छास्त्रनिदर्शनम्।।[6]

केवल अपनी बुद्धि से मन को वश में किया जाता है। मन्त्रीआदि दूसरों की बुद्धि के सहयोग से कर्तव्य का निश्चय किया जाता है और शास्त्रीय बुद्धि से आत्मगुण की प्राप्ति होती है यही शास्त्र का प्रयोजन है।

राजा को चाहिए कि वह मधुर वाणी द्वारा समझा वुझाकर अपने प्रति दूसरे का विश्वास उत्पन्न करे। अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करे तथा अपने विचार और बुद्धि से कर्तव्य का निश्चय करे।

सान्त्वयोगमतिः प्राज्ञः कार्याकार्यप्रयोजकः।
निगूद बुद्धेर्धीरस्य वक्तव्ये वा कृतं तथा।।[7]

राजा में सबको समझावुझाकर युक्ति से काम निकालने की बुद्धि–होनी चाहिए वह विद्वान होने के साथ–साथ लोगों को कर्तव्य की प्रेरणा दे और अकर्तव्य की ओर जाने से रोके अथवा जिसकी बुद्धि गूढ या गम्भीर है, उस धीर पुरूष को उपदेश देने की आवश्यकता ही क्या? वह बुद्धिमान बुद्धि मे वृहस्पति के समान होकर भी किसी कारणवश यदि निम्न श्रेणी की बात कह डाले तो उसे चाहिए कि जैसे तपाया हुआ लोहा पानी मे डाल देने से शान्त हो जाता है उसी तरह अपने शान्त स्वभाव को स्वीकार कर ले।

इस प्रकार हम देखते है कि उर्पयुक्त बातें आज के परिवेश में उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी उस समय थी। कोई भी शासक यदि महाभारत में उपदिष्ट इन बातो पर अमल करेगा तो निश्चित रूप से सफल शासक सिद्ध होगा जैसे कि राजा के लिए कहा गया है–

धर्माणाम विरोधेन सर्वेषां प्रियमाचरेत्।
ममायमिति राजा यः स पर्वत इवाचलः।।[8]

राजा को चाहिए कि सबका प्रिय करे, किंतु धर्म मे वाधा न आने दे। प्रजागण को ''यह मेरा ही प्रियगण है'' ऐसा समझने वाला राजा पर्वत के समान अविचल बचा रहता है। जैसे सूर्य अपनी विस्तृत किरणों का आश्रय ले सबकी रक्षा करते है, उसी प्रकार राजा प्रिय और अप्रिय को समान समझकर सुदृढ उद्योग का अवलम्बन करके धर्म की ही रक्षा करे।

राजा को किस प्रकार के लोगो को राज कर्मचारी के रूप में नियुक्त करना चाहिए इसके बारे में जो बाते कही गयी है वे आज भी प्रासंगिक है–

कुलप्रकृति देशानां धर्मज्ञान मृदुभाषिणः।
मध्ये वयसि निर्दोषान् हिते युक्तानविक्लवान्।।
अलुब्धाञ्शिक्षितान् दान्तान् धर्मेषु परिनिष्ठितान्।
स्थापयेत् सर्व कार्येषु राजा धर्मार्थरक्षिणः।।[9]

जो लोग कुल स्वभाव और देश के धर्म को जानते हों, मधुर भाषी हों, युवावस्था में जिनका जीवन निष्कलंक रहा हो, जो हित साधन में तत्पर और घबराहट से रहित हो जिनमें लोभ का अभाव हो, जो शिक्षित, जितेन्द्रिय धर्मनिष्ठ तथा धर्म एवं अर्थ की रक्षा करने वाले हो, उन्ही को राजा अपने समस्त कार्यो में लगावे।

इस प्रकार राजा सदा सावधान रहकर राज्य के प्रत्येक कार्य का आरम्भ और समाप्ति करे। मन मे संतोष रखे और गुप्तचरों की सहायता से राष्ट्र की सारी बातें जानता रहें। कर संग्रह के बारे में दिशा निर्देश है जो कि वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिक है।

कालं प्राप्तमुपादद्यान्नार्थ राजा प्रसूचयत्े।
अहन्यहनि संदुह्यान्मही गामिव बुद्धिमान्।।[10]

बुद्धिमान राजा समय पड़ने पर ही प्रजा से धन ले। अपनी अर्थसंग्रह की नीति किसी के सम्मुख प्रकट न करे जैसे बुद्धिमान मनुष्य गाय की रक्षा करते हुए ही उससे दूध दुहता है उसी प्रकार राजा सदा पृथ्वी का पालन करते हुए ही उससे धन का दोहन करे और जो धन राज्य की सुरक्षा करने से बचे उसी को धर्म और उपयोग के कार्य में खर्च करना चाहिए शास्त्रज्ञ और मनस्वी राजा को कोषागार से संचित धन से द्रव्य लेकर भी खर्च नही करना चाहिए। जैसे मधुमक्खी क्रमशः अनेक फूलों से रस का संचय करके शहद तैयार करती है, उसी प्रकार राजा समस्त प्रजा जनों से थोड़ा द्रव्य लेकर उसका संचय करे। इसलिए राजा को चाहिए कि वह सारी प्रजा पर अनुग्रह करते हुए ही उससे कर वसूल करे। वह दीर्धकाल तक प्रजा को सताकर उस पर बिजली के समान गिराकर अपना प्रभाव न दिखाये। विद्या तप तथा प्रचुर धन ये सब उद्योग से प्राप्त हो सकते हैं। वह उद्योग प्राणियों मे बुद्धि के अधीन होकर रहता है अतः उद्योग को ही समस्त कार्यो की सिद्धि का पर्याप्त साधन समझे।

इस प्रकार हम देखते है कि महाभारत मे वर्णित राजधर्म आज भी प्रासंगिक है। एक शासक को प्रजा का हित संवर्धन तो करना ही चाहिए साथ ही साथ उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राजा के भी धर्म अर्थ काम की सिद्धि होती रहे। परन्तु केवल अपने अर्थ की वृद्धि पर ही उसका ध्यान केन्द्रित नही होना चाहिए यदि लोभ नामक गुण प्रबल हो जायेगा तो विनाश निश्चित है। यही नहीं महाभारत यह भी बताता है कि यदि राजा किसी कारण वश निम्न श्रेणी की बात कह डाले तो उसे चाहिए कि शान्त भाव से उसे स्वीकार कर ले। यदि हम वर्तमान मे राजधर्म पर दृष्टियात करें तो देखते है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र दामोदर दास मोदी के राजनीतिक सूझ प्रबल है जब उन्होने किसान आन्दोलन जो कि 11 माह

से अनवरत चल रहा है और किसान मानने को तैयार नहीं है तब शान्त भाव से उन्होने स्वीकार किया कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गयी है कि हम किसानों को समझा नही पाये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत के उपदेश आज भी प्रासंगिक है। शासक को महाभारत में उपदिष्ट बातों पर अमल करना चाहिए और जो शासक शुद्ध बुद्धि से महाभारत में कथित बातों को मन में अवधारित करता है वह एक सफल शासक सिद्ध होता है।

सन्दर्भ

1. *महाभारत वनपर्व 257/25,26*
2. *दुर्योधन प्रिये नित्यं वर्तमानो महीभृताम्।*
   पूजपामास विपेन्द्रान, क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः।। महाभारत वनपर्व 257/27
3. *महाभारत शान्तिपर्व 121/3*
4. *महाभारत शान्तिपर्व 121/4*
5. *महाभारत शान्तिपर्व 121/9*
6. *महाभारत शान्तिपर्व 121/18*
7. *महाभारत शान्तिपर्व 121/20*
8. *महाभारत शान्तिपर्व 121/25*
9. *महाभारत शान्तिपर्व 121/27,28*
10. *महाभारत शान्तिपर्व 121/33*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-124-129

वर्तमान भारत में महिला सशक्तिकरण

डॉ० कविता कन्नौजिया *

सारांश

प्रस्तुत शोध 'भारत में महिला अधिकार व सशक्तिकरण का वर्तमान परिदृश्य' के अर्न्तगत महिलाओं को दिए गए अधिकारो एवं उनको सशक्त बनाने वाले योजनाओ,उनके परिणाम, चुनौतियों और समाधान पर चर्चा की गई। प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतःद्वैतियक तथ्यों व अवलोकित गुणात्मक तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है। वर्तमान परिदृश्य में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी की आवश्कता अनुभव की जा रही है। महिलाएं परिवार का केन्द्र होती है। परिवार के सभी सदस्यों की निकटता सबसे ज्यादा महिलाओं से होती है । अतः महिलाएं जितनी जागरूक व विकसित होगी, परिवार भी उतना ही जागरूक और विकसित होगा तथा परिवारों के विकास और जागरूक होने से समाज व राष्ट्र का विकास होगा इस प्रकार सरकारी प्रयासों द्वारा महिलाओं की स्वशिक्षा, स्वरोजगार स्वसुरक्षा, स्वालम्बन यानि सशक्तिकरण के पैमाने पर महिलाओं के स्वयं का मापन किया जा रहा है। महिलाएं पुरूषों के समक्ष अपनी दमित नियति को अस्वीकार कर महिला सशक्तिकरण के नारे को बुलन्द करते हुए समाज में अपनी पहचान बना रही है। परन्तु वर्तमान में नारी संक्रमण के दौर से गुजर रही है। शिक्षा ने उसे विस्तार तो दिया है। पर घर परिवार की लक्ष्मण रेखा उस`अब भी घेरे हुए है। एक पाव घर से बाहर निकला हुआ है, दूसरा अब भी रसोई के चौखट के अन्दर है। विभिन्न मोर्चों पर व्यापक हिस्सेदारी के बावजूद भी बड़े पैमाने पर उसके साथ अत्याचार किये जा रहे है।देश में संकटकालीन परिस्थितियों की मार भी महिलाओं को सबसे ज्यादा झेलनी पड़ती है।

परिवार की धूरी हैं। ईश्वर की रचना के रूप में पुरूष व नारी एक दूसरे के पूरक है, दोनों का एक दूसरे के बिना अस्तित्व नही है। इस लिए समाज में नारी की स्थिति जितनी मजबूत होगी समाज उतना ही विकसित व प्रभावपूर्ण होगा । पिता रक्षति, कौमारे भर्ता रक्षति, यौवने पुत्र च स्थविरे भारे स्त्रीं स्वातन्त्रय महंति। नारी सदैव से पुरूष के संरक्षण में जीवन व्यतीत करती है। पिता बचपन में रक्षा करता हैं, पति युवावस्था में और पुत्र वृद्धावस्था में नारी का भार वहन करता है।भारतीय समाज में लगभग आधी आबादी होने के बावजूद भी महिलाओं को वास्तविक सम्मान प्राप्त नही है। सदियों से पुरूष ने उस पर दासत्व ही लादा है। सृष्टि की इस निर्मात्री को आदिकाल से आज तक पुरूष के अहंकार की चुनौती का सामना करना पड़ा है।

स्वतन्त्रता के बाद से महिलाओं की स्थिति में सुधार व विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए समानता का अधिकार दिया गया, संरक्षण हेतु समय–समय पर अनेक अधिनियम बनाये गये। भारतीय संविधान में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51

* एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग किशोरी रमण महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मथुरा (उ०प्र०)

(1) में मौलिक कर्तव्यों के अर्न्तगत महिलाओं के प्रति सम्मान का विवेचन किया गया है। महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। बहुत से वैधानिक उपायों को किया गया है। महिलाओं के अधिकारों में यौन, प्रजनन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा हिंसा सहित उनकी लैंगिकता से सम्बन्धित मामलों , उनक स्वनियन्त्रण के यथा स्वतन्त्र रूप से उनके द्वारा निर्णय लेने एवं दायित्व उठाने का अधिकार भी शामिल है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 ,दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम (संशोधित) 1986, मेडिकल टमिनेशन आफॅ प्रैग्नैंसी एक्ट 1971, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, परिवार अधिकरण नियम 1984, महिलाओं के अश्लील चित्रण पर रोक अधिनियम 1986, प्रसव पूर्ण निदान सूचक तकनीक 1994, घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 आदि महिलाओं की स्थति में सुधार लाने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए समय–समय पर अनेक कानून पारित किया गया। इन सभी कानूनों का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करना तथा उन्हें सम्मान एवं प्रतिष्ठा का उचित स्तर उपलब्ध कराना है। वर्तमान परिपेक्ष्य में महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या अपने अधिकारों को प्राप्त करने की है, तथा अधिकारों का हनन व अत्याचारों को रोकने की जद्योजेहद में जीवन यापन की है। महिलाएं आज उपभोक्ता, मैनेजर, वकील, डॉक्टर जैसे बहु आयामी भूमिकाएं निभा रही है। परन्तु महिलाओं के अधिकाश कार्यों को सरल तथा महत्वहीन समझा जाता है।

आजादी के बाद देश की सरकारी कार्यक्रमों और परियोजनाओं मे पहले तीन दशकों तक महिला कल्याण की शब्दावली का प्रयोंग किया गया। 1980 के दशक में महिला विकास की शब्दावली अधिक विकसित हुई। 1990 के दशक में महिला समानता यानि उन्हें बराबरी के हक दिलाने पर जोर दिया गया। 21सदी के आगमन पर महिला की समाज में अह्म भूमिका को व्यापक स्तर पर देखते हुए 'महिला सशक्तिकरण' शब्द पर अधिक जोर दिया गया। भूमण्डलीकरण के दौर में महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। प्रशासन,शासन, राजनीति, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य एवं व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। महिला सशक्तिकरण की शुरूआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8मार्च 1975 ई. 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' से मानी जाती है। भारत में 1975 को महिला वर्ष के रू॰ में मनाते हुए एक स्त्री विकास व्यूरों की स्थापना की गई इसके बाद वैश्वीक स्तर पर महिला सशक्तिकरण के नये–नये आयाम नैरोबी सम्मेलन 1985, जकारता घोषणा पत्र 1994, बीजिंग घोषणा पत्र 1995 से निकले महिला सशक्तिकरण किसी भी राष्ट्र द्वारा चार प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है।

1– राष्ट्र की संसद,/विधान मण्डलों,/पंचायतों में प्रर्याप्त भागीदारी,।

2– प्रशासन एवं प्रबंधन में भागीदारी का प्रतिशत ।

3– प्रोफेशनल एवं तकनीकि सेवाओं में उनकी भागीदारी का अनुपात।

4– प्रति व्यक्ति आय में उनकी तुलनात्मक आर्थिक स्थिति।

भारत सरकार द्वारा सन् 2001 को भारत में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। और एक राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति बनायी गई। जिसे पूरे देश में दश वर्षों के अवधि में लागू करने का लक्ष्य रखा गया। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कुछ विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहे है। जो इस प्रकार है–

(1) बेटी पढ़ाओं, बेटी बचाओं योजना (22जनवरी 2015)

(2) राजीव गाँधी योजना (सबला) (1 अपैल 2011)

(3) इन्दिरा गाँधी मातृत्व योजना (28 अक्टूबर 2010)

(4) कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना (2014)

(5) स्वाधार घर योजना (2001–02)

(6) स्वावलम्बन योजना

(7) आशा योजना

(8) बालिका प्रोत्साहन योजना

(9) इन्दिरा गाँधी एकलौती बालिका छात्रवृत्ति योजना

(10)स्टेप योजना

(11) राष्ट्रीय महिला कोष का गठन

यह सत्य है कि महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु अनेकानेक कानून बने है। योजनाएँ चलायी जा रही है। उससे महिलाओं को कुछ लाभ अवश्य हो रहा है। परन्तु जमीनी हकीकत यह है कि कानून तो बन गये। योजनाओं को चलाने हेतु बजट का अच्छा खासा पैसा प्रचार प्रसार में खर्च किया जा रहा है। परन्तु योजना का लाभ प्राप्त करने वाले को उसकी बारे सही जानकारी नही मिल पाती, इसलिए योजना के प्रसार प्रसार को खानापूर्ति के रूप में या केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई नीति बनती है, लेकिन उसको लागू करने की जो आवश्कताए है उपलब्ध नही होती है। अर्थात योजना से जुड़े किसी एक पक्ष पर जोर दिया जाता है। उसके दूसरे पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो लोगों को उस नीति का ज्यादा से ज्यादा लाभ नही मिल पाता। जैसे– 'बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं' योजना बेटियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए प्रारम्भ किया गया लेकिन लगभग छः वर्षों में भी बेटियों के सुरक्षा एवं संरक्षा के मामले में आशातीत सफलता नहीं मिली है। इसलिए समाज में सबसे ज्यादा जरूरी बात महिला समानता पर बात

करने की आवश्कता है। क्योंकि समाज में असमानता जितनी अधिक होगी महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के मामलें उतना ही ज्यादा होगा। जब कभी किसी महिला के साथ या किसी लड़की के साथ होता है, तो यदि वह हिंसा दलित या सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर महिला के साथ होता है, तब उस महिला को बचानें के लिए लोग कम, पुरूष को बचाने वाले ज्यादा सामने आते है। इतना ही नहीं प्राकृतिक संकट में भी महिलों की शक्ति कमजोर होती दिखाई देती है। कोरोना संक्रमण काल में महिलाओं से संबन्धित घरेलू हिंसा के प्रवृति बढ़ी हुई मिली लॉकडाउन के स्थिति में ज्यादातर पुरूष व महिलओं के रोजगार चले जाने से तनाव की स्थिति बनी घरेलू झगड़े बढ़े, आत्महत्या और विवाह– विच्छेद के केस बढ़े हुए मिले, कहने का तात्पर्य है कि संकटकालीन परिस्थियों का भी मार महिलाओं को झेलना पड़ता है। 2018 में दक्षिण भारत के बड़े हिस्से को तहस –नहस करने वाले तूफान 'गाजा' से नारियल के पेड़ के नीचे दबकर एस. विजयलक्ष्मी नामक 14 वर्ष की बालिका की मृत्यु हो गई। यह मृत्यु इसलिए हुई की उस बालिका को माहवारी के कारण स्थानीय परम्परा का पालन करते हुए घर में न रखकर घर से बाहर दूर झोपड़ी में रखा गया। यह जानने के बावजूद कि एक भंयकर तूफान आ रहा है। उस बालिका को घर के भीतर नहीं जाने दिया गया। तूफान से नारियल का पेड़ गिर गया और उसके नीचे दबकर उस बालिका की मृत्यु हो गयी। (cyclone Gaja; India girl segregated during period dies. 2018) अम्बाला शहर को साल 2021 में 'बेटी बचाओं' अभियान में बहुत बड़ा झटका लगा है। 2019 में इस अभियान में अब्बल स्थान पर आने वाला अम्बाला अब पिछड़ कर 16 नम्बर पर पहुँच गया। 2019 में प्रति हजार लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 959 रही थी। वही 2021 में घटकर 900 रह गयी। इस रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात में काफी गिरावट आई है। इसका प्रमुख कारण कोविड बताया गया। कोरोना के दौरान अधिकारी का कहना था। भ्रूण लिंग जाँच और भ्रूण हत्या करने वाले लोगों पर कम रेड कर पाये क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अधिकांश कर्मचारी कोविड के पेसेन्ट के ट्रीटमेंन्ट में लगे रहे। (ब्रज गरिमा न्यूज पेपर 18 दिसंम्बर 2021)इस प्रकार हम देख सकते है कि महिलाओं की दोयम स्थिति किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय उनकी स्थति को और भी अधिक कमजोर कर देता है। मार्च से अपैल 2020 तक 315 शिकायतें दर्ज हुई ।(Lockdown NCW Receives 315 Domestic violence complains in April 2020) जो कि पिछले महिने की तुलना में ज्यादा था। किसी भी तरह विपदा में महिलाओं के साथ उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और उस पर जातीय, नसलीय, वर्गत असमानता के कारण ज्यादा खराब प्रभाव पड़ा है अतः महिला को सशक्त बनाये जाने वाले नीतियों में संरचनात्मक ढाँचे की असमनाताओं को दूर कर सदैव बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। भारतीय समाज के अधिकांश

लोगों की सोच आज भी बेटे की चाहत ही है। बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी महिलाओं पर अधिक होती है। धर्म, परम्पराओं, नैतिकता व कानूनों की आड़ में व्यवस्था की शिकार महिलाओं को चारदीवारी में दबाया जाता है। फिर उसे आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी अधिकारों से वचिंत कर कमजोर बनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण की इस दौर में आवश्कता इस बात की है कि लैंगिक विभेद को मिटाकर समानता का भाव उत्पन्न किया जाय।आईजीसी ने अपनी बेवसाइडों के माध्यम से 30मार्च 2021 तक राज्य सरकार के नेतृत्व की संरचना पर डेटा एकत्र किया। नागालैण्ड, सिक्किम मणिपुर सहित भारत के कई राज्यों में महिला मंत्री नही हैं । ऐसा कोई राज्य नही है जहाँ महिला मंत्रीयों की संख्या ऐ तिहाई के आस–पास भी हो ''लोकनीति (सेन्टर फॉर स्टडी ऑफ डवलपिंग साइनटीज) और कोनराड एडेनॉयर स्टिफटंग'' के एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में पाया गया कि महिलाओं की चुनावी भागीदारी में उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विशेष प्रभाव होता है। उच्च सामजिक, आर्थिक, जाति की महिलाओं में राजनीतिक भागीदारी अधिक पाई गई जब की निम्न तबके की महिलाओं में यह भागीदारी अत्यधिक कम थी। इसका प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक समाज, घरेलू जिम्मेदारियां, व्यक्गित कारण, सांस्कृतिक प्रतिबन्ध एवं रूढ़िवाद, राजनीतिक की नकारात्मक छवि तथा महिलाओ के प्रति राजनीतिक दलों की उदासीनता पाई गई ।

21वीं सदी के इस युग में जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है वही दूसरी तरफ दहेज, हत्या, बलात्कार आदि अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। समाज में आज भी स्त्रियां असमानता, हिंसा,शोषण तथा पुरूष मानसिकता की शिकार होकर यातना झेलती है। कामकाजी महिलाओं को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। महिलाएं जितनी आगे बढ़ी है, स्वाधीन हुई है, उतना ही मानसिक शोषण का शिकार भी हो रही है। इसके लिए अब कोई नियम कानून की नहीं वरन् समाज को स्वयं बदलना होगा। देश के विकास को पूर्ण व चीरकालीन गति प्रदान करने के लिए महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों को सरोकार करने के लिए कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है। वर्तमान में आवश्यकता है कि संविधान और सरकार ने महिलाओं को जो अधिकार और बुनियादि सुविधाएं प्रदान की है। उनका सम्मान करे और उपयुक्त वातावरण प्रदान करे ताकि वह सम्मान पूर्वक व सुरक्षित जीवन जी सके, अन्यथा स्पर्धा के इस युग में भारत अन्य देशों से पिछड़ जाएगा। पुरूषों को भी अपनी रूढ़िवादी मानसिकता को छोड़कर महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे आने के लिए संबल प्रदान करना होगा। कुछ महिला विषयक नवीन मान्यताओं को अपनाना होगा। रूढ़िवादी विचारों का त्याग करना होगा जैसे महिला पराया धन है। या उसको घर से बाहर नौकरी पेशा के लिए निकलना अपमान है। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा एवं प्रताड़नों के सम्बन्ध

में स्थानीय संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को शिकायत करने एवं जाँच में सहयोग करने की सुविधा देना होगा। सरकार व समाज को समान रूप से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकना व महिलाओं को अत्याचार मुक्त करने के उत्तरदायित्व निभाना होगा। वर्तमान में एक समस्या जटिल होती जा रही है। जो महिलाओं द्वारा पुरूषों के शोषण से सम्बन्धित है। महिलाएं अपने कानूनों का गलत इस्तेमाल कर बदला लेने की भावना से गम्भीर चोट पहुँचाती है। बहुत से पुरूष भी पत्नियों द्वारा आर्थिक, भावनात्मक, शारीरिक एवं यौन हिंसा के शिकार होते है। इस प्रकार कुछ महिलाएं नारी स्वतन्त्रता के नाम पर अपनी इस स्वछन्दता में अपनी गरिमा को खण्डित कर रही है।

सन्दर्भ

1. *डॉ0 ओजस्विनी जौहरी, महिला सशक्तीकरण, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल 2019।*
2. *चौधरी, एम.पी. ,महिलाएं सामाजिक अधिकार ,प्रथम संस्करण ,ठाकुर एण्ड सन्स, कृष्ण कुंज एक्सटेंशन पार्ट लक्ष्मी, नगर दिल्ली। 2006*
3. *निवास, एम.एन., द चेजिंग पोजिशन ऑफ इण्डियन वूमन, पृष्ठ –7*
4. *भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2014 योजना मासिक पत्रिका, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।*
5. *खबर, एन.डी.टी.वी. कॉम, राजीव मिश्रा, संसद में महिलाएं, मई 19, 2014*
6. *वैदिक वूमन ..लर्निंग लर्नड, हिदुज्म एवाउट. कॉम*
7. *डॉ0 प्रतिमा यादव एवं डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव– भारत में महिला सशक्तीकरण, 2018*
8. *अमर उजाला, 9 मार्च 2016*
9. *ब्रज गरिमा, 18 दिसम्बर 2021 पृष्ठ– 6*
10. *प्रतियोगिता दर्पण, जनवरी 2008*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-130-134

प्रकृतिवाद के सिद्धांत एवं प्रभाव

*डॉ० अज़रा बानो **

सारांश

18वहं शताब्दी के प्रथम चरण के उपरान्त फ्रांस में कुछ ऐसे विचारक हुये जिन्होंने कुछ ऐसे नियमों की प्रतिस्थाना की जो कि इस भौतिक जगत को नियंत्रित करते थे। अपने विचारों के प्रस्तुतिकरण में वे ऐसे भी विचार प्रतिपादित कर गये हैं जो कि आधुनिक आर्थिक विज्ञान के आधार बन गये हैं। इन विचारों को प्रकृतिवादी या निर्वाधवादी के नाम से तथा इनकी विचारधार को फीज़ियोक्रसी के नाम से पुकारा गया है।

मुख्य शब्द -प्रकृतिवाद, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार

प्रो०एच०हिग्स के अनुसार– 'Physiocrates have been the subject of so many and such divergent appreciation by historians, philosphers, economists & student of political science that hardly a single general proposition of importance has been advanced with regard them by one writer which has not been contradicted by another'अर्थात् इतिहासकारों, दार्शनिकों, अर्थशास्त्रियों और राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों ने इनके विचारों की प्रशंसा विभिन्न प्रकार से की हैं और इनके योगदान के विषय में लेखकों में एक मत नहीं मिलता है।

फिजियोक्रेटी (Physiocratie)एक फ्रॉसीसी भाषा का शब्द है, जिसका निर्माण ग्रीक भाषा के फिजियस + क्रेटस (Physicus+Crates)शब्दों के मेल द्वारा हुआ है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक फ्रॉसीसी लेखक (Dupont De Nemours)ने 1768 में किया था। Physioका अर्थ प्रकृति और का Cracy अर्थ है शासन प्रणाली अर्थात् प्रकृति का शासन 'Rule of Nature.'फ्रांस के विचारकों ने ऐसे विचार प्रतिपादित किये जो कि आधुनिक आर्थिक विज्ञान के आधार बन गये है। इन विचारकों को प्रकृतिवादी Physiocratsके नाम से तथा इनकी विचार धारा को Physiocracyके नाम से पुकारा जाता है। इस व्यवस्था का प्रमुख आधार प्राकृतिक विधान है। इस विचार धारा के मूल संस्थापक फ्रैकों केने थे।

प्रकृतिवादी, वाणिज्यवादियों के विपरीत थे। इनका विश्वास था प्रकृति के नियमों पर चल कर मनुष्य अधिक से अधिक सुख एवं समृद्धि प्राप्त कर सकता है। इन सभी विद्धानों को निम्नलिखित तीन नामों से पुकारा गया हैः–

1–प्रकृतिवादी– इन विद्वानों के प्रायः सभी सिद्धान्त एवं नियम प्रकृति पर आधारित थे। प्रकृति तत्व पर अधिक बल देने के कारण इन्हें प्रकृति वादी तत्व पर अधिक बल देने के कारण इन्हें प्रकृति वादी नाम से पुकारा गया है।

* *एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, नारी शिक्षा निकेतन पी0जी0 कॉलेज, (उ०प्र०)*

2– कृषि शाखा के विचारक – इन विद्वानों ने कृषि उद्योग के महत्व भी दृष्टि से प्रथम स्थान दिया है। इसी से Adam Smithके विचारक या कृषि वादी (Agriculturists)केनाम से पुकारा और उनके विचारों को कृषि शाखा नाम से पुकारा है। प्रकृतिवादी कृषि विकास को आर्थिक विकास का साधन मानते हैं। इस सन्दर्भ में FrancoQuesnay कैने का मत है कि प्रत्ये कवह बात जो कृषि के लिये हानिकारिक है राष्ट्र तथा राज्य दोनों के ही विरूद्व है। इसके विपरीत प्रत्येक वह बात जो कृषि के लिये हितकर है, राज्य और राष्ट्र दोनों ही के लिये लाभपूर्ण होती है।

3–अर्थशास्त्रीं– ये सिद्धांत स्वयं अपने आप को अर्थशास्त्री कहलाना पसन्द करते थे। टी.शुमप्रटर के अनुसार ये फिजोक्रेटस या ही थे, जिन्होंने एक महान दरार फोड़ी जिसमें होकर आगामी समस्त प्रगति सम्भव हुई है। 'It was however, the Plysiocrstys of Economists who made the great break through which by all further progress in the field of analysis, by discovery and intellectual formulation of the circular flow of economic life.'

अर्थशास्त्रियों के रूप में प्रमुख विचारक इस प्रकार रहे है।

- Framics Quesnay (1694-1774)
- Duepont de Nemours (1793-1817)
- Anne Robert Teurgot (1727-1781)
- Mirabeau (1715-1789)
- Le Trosne (1728-1780)
- Abbe Baudean (1730-1792)

प्रमुख प्रकृतिवादी विचार या सिद्धांत

1– प्राकृतिक व्यवस्था – प्रकृतिवादी इस व्यवस्था को ''प्राकृति व्यवस्था का विज्ञान 'Science of the Natural Order'भी कहते थे। कुछ लोगों के मतानुसार प्राकृतिक व्यवस्था का अभिप्राय उस पुरानी व्यवस्था से है जिसमें मनुष्य, मनुष्य रूप में न रह कर एक पशु के सदृश्य जीवन व्यतीत करता था। दूसरा मत है कि मनुष्य समाज पर भी प्राकृतिक नियम इस तरह लागू होते हैं जो जिस तरह भौतिक पदार्थों पर होते हैं। डॉ0 केने के अनुसार ''मनुष्य और पशु–पक्षी एक से प्राकृतिक नियमों से ही नियंत्रित होकर कार्य करते हैं।'' इस विचार को रिवेरी ने इस प्रकार व्यक्त किया है ''इसकी स्थापना मनुष्यों द्वारा न होकर ईश्वर के द्वारा होती है।'' 'The social order is not the work of man, but is on the contrary, instituted by the auther of all nature himself, as all the other branches of the physical order.'इसी मत का समर्थन प्रो0 हाने द्वारा भी है ''प्राकृतिक व्यवस्था और

कृत्रिम व्यवस्था में पर्याप्त अन्तर है। कृत्रिम व्यवस्था अपूर्ण हैं क्योंकि वह मानवीय होती है।' 'प्राकृतिक व्यवस्था के दर्शन प्राप्त करने का मार्ग बताते हुये डॉ0 कैने का कथन है कि मनुष्य को उस शिक्षा तक संस्कृति को ग्रहण करना चाहिये जो ईश्वरीय ज्योति को पहचानने में सहायक होती है।

2–शुद्ध उत्पत्ति– शुद्व उपज वह मात्रा है जो कुल उत्पादन में से लागत को घटाने के बाद प्राप्त होती है। अतिरेक ही असली आय हैं। दूपों के अनुसार ''मनुष्य जाति की समृद्धि अधिकतम शुद्व उपज पर आश्रित है।'' कृषि की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुये कैने ने कहा था ''कृषि राज्य के समस्त धन तथा समस्त नागरिकों के धन का स्रोत हैं। 'प्राकृतिवादियों का विचार था कि कृषि ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जो उत्पादन का प्रमुख स्रोत था तथा अतिरेक पैदा कर के जन–जीवन में खुशहाली ला सकता है। कैने का कहना है कि ''यह भौतिक सत्य है कि पृथ्वी ही सभी वस्तुओं के स्रोत है, यह इतना स्पष्ट है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कर सकता है।''

3– समाज में धन का वितरणः–प्रकृतिवादियों ने सर्वप्रथम समाज में विभिन्न वर्गो के बीच धन अथवा वस्तुओं के वितरण की विधि का विश्लेषण किया था। प्रकृति वादी यह जानने के लिये इच्छुक थे कि समाज में धन किस प्रकार एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक पहुॅचता है। मिराबो के शब्दों में 'जब से संसार प्रारम्भ हुआ है तब से तीन महत्वपूर्ण अविष्कार ऐसे हुये है जिन्होंने राजनीतिक समाज को स्थिरता प्रदान की है।' इसमें से पहला अधिकार है लेखन कला का, दूसरा अविष्कार है द्रव्य का और तीसरा अविष्कार है आर्थिक सारणी जो प्रथम दोनों अविष्कारों की पूर्ति करती है। यह हमारे युग का एक महान आविष्कार है जिसका सफल हमारी सन्तानें भोगेंगी। इसमें एक बड़ा सत्य छिपा है और इसी आर्थिक सारणी का निर्माण प्रकृति वादियों ने किया है।

4–मूल्य सम्बन्धी विचारः– प्रकृतिवादी कृषि पदार्थों को उचित मूल्य प्रदान किये जाने के भारी पक्ष में थे किन्तु मूल्य निर्धारण में न कोई विशेष रूचि नहीं रखते थे। उनके अनुसार मूल्य दो प्रकार के हो सकते है। प्रकृतिवादी मूल्य निर्धारण के किसी सिंद्धान्त का प्रतिपादन नहीं कर सकते थे। यह कार्य कुछ समय पश्चात् एडम स्मिथ के कुशल हाथों द्वारा किया गया था

5– मजदूरी जनसंख्या तथा ब्याज सम्बन्धी विचारः– प्रकृतिवादियों का विचार था कि मजदूर अपनी आवश्यकतानुसार पर्याप्त मजदूरी प्राप्त कर लेता है। तारगो के अनुसार ''मजदूरी की अधिकता के कारण मालिक कम से कम मजदूरी देगा, किन्तु फिर भी यह मजदूरी इतनी होगी कि जो मजदूर की जीविका थोड़ी विलासता और थोड़ी बचत के लिये भी काफी होगी।'' जनसंख्या वृद्धि को

प्रकृतिवादी बुरा नहीं मानते थे। जनसंख्या का बढ़ना फ्रांस में उस समय प्रचलित विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक विधान के अनुकूल था तथा अच्छा समझा जाता था। ब्याज दर शुद्ध उपज और इसके मूल्य पर निर्भर करती है। प्रो0 कैने का कहना था कि खेती में जहां पूंजी के प्रयोग से शुद्ध उपज में वृद्धि होती है, ब्याज देना ठीक है, लेकिन उद्योगो में जहां सम्पत्ति की वृद्धि नहीं होती है, ब्याज देना उचित नहीं है।

6–विदेशी व्यापारः– प्रकृतिवादियों के मतानुसार विनियम से धन का उत्पादन नहीं होता है। क्योंकि विनियम दोनों पक्षों द्वारा होता है जो बराबर मूल्य की वस्तुओं का आदान–प्रदान करते है। ऐसी परिस्थिति में जबकि सामान्य मूल्य वाली वस्तुओं का आदान–प्रदान करते है। ऐसी परिस्थति में जबकि सामान्य वस्तुओं का आदान–प्रदान होता है, धन का उत्पादन नहीं होता। 'प्रकृतिवादियों के अनुसार विदेशी व्यापार अनुउत्पादक क्रिया है तथा एक प्रकार से समय की बर्बादी है। Riviereरिवेरी के शब्दों में ''व्यापार से सम्पत्ति में उसी प्रकार से वृद्धि होती है जिस प्रकार से एक निश्चित ढंग से रखे हुए शीशों में सामने मिली वस्तु को रखने से उसके कई रूप दिखाई पड़ते है।

7–कर प्रणालीः– देश की सम्पत्ति की सुरक्षा, शिक्षा, कृषि उत्पादन में वृद्धि, सड़का नहरों आदि जन कल्याण के कार्यों को सम्पन्न करने में लिये धन की आवश्यकता है। प्रकृतिवादियों ने राज्य की आय का मुख्य स्रोत कर ही बताया है और उनका मत है कि प्रत्येक नागरिक को प्रसन्नता के साथ यह राज्य को दे देना चाहिए। कैने के अनुसार प्रकृतिवादियों में मन के अनुसार कर केवल भू–सम्पत्ति स्वामियों से ही वसूल किया जाना चाहिये। प्रकृतिवादी परोक्ष कर के पक्ष में न होकर प्रत्यक्ष कर का ही सुझाव दिया है।

प्रकृतिवाद का महत्वपूर्ण प्रभाव –

इसके महत्व इस प्रकार है

1– एलेकजेण्डर ने लिखा है कि कैने को आधुनिक अर्थ में अर्थशास्त्र में नींव डालने वाला कहलाने का अधिकार है। Quensay has substantial claims to be regarded as the real founder of the political economy in the modern sense.

2– ये प्रकृतिवादी ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचारों का समर्थन किया।

3– प्रकृतिवादियों ने व्यापार की अपेक्षा कृषि को अधिक महत्व दिया।

4– प्रकृतिवादी व्यक्तिगत सम्पत्ति के समर्थक थे।

5– प्रकृतिवादी ही प्रथम विचारक थे जिन्होंने सुख–शान्ति के लिये प्राकृतिक नियमों को मान्यता दी थी।

6– शुम्पीटर का कहना है कि कैने ने ही सर्वप्रथम सामान्य साम्य (General Equilibrium)की धारणा का प्रतिपादन किया था।

7– प्रकृतिवादियों ने ही उत्पादन के साधनों में वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त किया।

एडम स्मिथ का कथन है कि''आर्थिक संस्थाओं का जन्म और विकास अपने स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक रूप में हुआ है, जिनके निर्माण के लिये किसी प्रकार की योजना, बाहरी सहायक बल प्रयोग एवं नियमों का आवश्यकता नहीं पड़ी है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वार्थ होता है, वह अपना भला चाहता है। इसमें किसी हस्तक्षेप या संगठन की आवश्यकता नहीं है, ''यह मनुष्य के स्वभाव मे पाई जाने वाली अदला–बदली की रूचि का आवश्यक परिणाम है।''स्मिथ के अनुसार मानव व्यवहार स्वाभाविक रूप से 6 उद्देश्यों से प्रेरित था – आत्म–अनुराग, सहानुभूति, स्वतंत्र होने की इच्छा, औचित्य भाव, श्रम की आदत और लेन–देन की प्रवृत्ति, अदल–बदल और विनिमय एक दूसरे के लिये है। इस मानव व्यवहार के स्रोतों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक ही अपना भलाई का स्वयं सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश था। अतः उसे अपनी इच्छानुसार व्यवहारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिये उसने निम्नलिखित उदाहरण दिये हैं:–

निष्कर्ष

1– आलोचकों का कहना है कि व्यक्ति केवल स्वहित से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है बल्कि कार्य करते समय उस पर अनेक बातों का भी प्रभाव पड़ता है।

2– आर्थिक संस्थाओं का जन्म प्राकृतिक एवं स्वाभाविक रूप से नही हुआ है।

3– स्मिथ ने प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से विकसित आर्थिक संस्थाओं को समाज के लिये हितकर माना है। आलोचकों ने इसे गलत धारणा कहा है और के अनुसार आर्थिक संस्थाओं के स्वाभाविक विकास की धारणा तो उचित मालूम होती है, लेकिन उनका यह लाभकारी होना पूर्णतः प्रभावित नहीं होता।

सन्दर्भ

1. *आर्थिक विचारों का इतिहास – रमेश चन्द्र शर्मा , राजीव प्रकाशन, मेरठ प्रथम संस्करण 1966*
2. *आर्थिक विचारों का इतिहास – ऐरिक रोल सेन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 1965*
3. *आर्थिक विचारों का इतिहास – सुरेश चन्द्र शर्मा ,गोयल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ, द्वितीय संसोधित संस्करण 1965*
4. *आर्थिक विचारों का इतिहास – डा0 महेश चन्द्र चतुर्वेदी एवं डा0 मिथलेश चन्द्र चतुर्वेदी साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा,*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-135-144

दक्षिण एशिया में चीन की साफ्ट पावर की नीति : एक विश्लेषण

हरेन्द्र विश्वकर्मा *

सारांश

इस शोधपत्र में चीन द्वारा प्रयोग की जा रही मृदुशक्ति (Soft Power) की नीति का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया क्षेत्र में इस रणनीति का किस प्रकार एक प्रभावी कूटनीति के रुप में बीजिंग द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, का भी विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। विदेशनीति के विश्लेषकों द्वारा प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि दक्षिण एशिया एवं दुनिया के अन्य हिस्सों में चीन के बढ़ते प्रभाव को बीजिंग द्वारा प्रयोग की गई मृदुशक्ति (Soft Power) कूटनीति–विदेशी सहायता, ऋण एवं निवेश, आदि के आलोक में समझा जा सकता है। मृदुशक्ति (Soft Power) कूटनीति को चीनी विदेशनीति के सबसे प्रमुख घटक के रुप में चिन्हित किया जा रहा है जिससे वह दुनिया में महान शक्ति का दर्जा प्राप्त करने हेतु दुनियाभर में मित्रों एवं सम्बन्धियों की एक जमात बना सके एवं चीन के आर्थिक विस्तार को कायम रखने के लिए वैश्विक प्राकृतिक संसाधन, कच्चे माल एवं विदेशी बाजारों तक अपनी पहुँच बना सके।

मुख्य शब्द– साप्त पावर, साउथ एशिया, चाइना, साफ्टलोन

साम्यवादी चीन के विचारक माओत्से तुँग ने कभी कहा था कि 'शक्ति बन्दुक की नली से निकलती है।' शीतयुद्धोत्तर काल में आर्थिक उदारीकरण के दौर में, आर्थिक शक्तियाँ आज प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रही है।[1] इस संदेश को चीन ने सबसे अच्छी तरह से समझा है। पूरी दुनिया के नीति निर्माता यह भविष्यवाणी करते हैं कि यदि 20वीं सदी अमेरिका की थी तो 21वीं चीन की सदी के रुप में जानी जायेगी। चीनी अर्थव्यवस्था की द्रुत संवृद्धि इसे एक ऐसा मुकाम देगी जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महान शक्ति के रुप में उभरेगी। कमोवेश चीन एक ऐसी स्थिति में भी है जिससे चीन ही शीतयुद्धोत्तर काल के एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सके।

इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि महान शक्तियों की मजबूती उनकी युद्ध क्षमता में दिखती है। मैकियावली तर्क देते थे कि भय, प्रेम से बेहतर होता है इसीलिए शासकों को लोगों के दिलों में भय पैदा करना चाहिए; लेकिन आज के विश्व में यह धारणा मौलिक रुप से परिवर्तित होती दिखाई पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कठोर शक्ति के महत्वपूर्ण होने के बाद दुनिया के देशों ने मृदुशक्ति (Soft Power) को विकसित करने का प्रयास किया। जिसका स्पष्ट प्रभाव विदेशनीति निर्माण में झलकता है।

**असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान ,राजकीय महाविद्यालय पचवस–बस्ती (उ०प्र०)*

विदेशनीति के प्रमुख लक्ष्य के रुप में सकारात्मक राष्ट्रीय पहचान विकसित करना, (प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान इसका प्रयोग प्रथम बार दिखा), बीजिंग के विदेशनीति निर्माण में स्पष्ट रुप से दिखाई पड़ता है।[2] चीन के राजनेता, शिक्षाजगत एवं विचार निर्माता (जनमत निर्माता) यह मानते है कि चीन की दुनिया के समक्ष एक हितकारी छवि इसके विश्वशक्ति होने में मददगार होगी।[3] वर्तमान चीनी विदेशनीति चाहे वह वैश्विक स्तर पर हो या क्षेत्रीय स्तर पर चीन को शांतिप्रिय, सहकारी, सहिष्णु, आत्मविश्वासी एवं जिम्मेदार शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास विशिष्ट रहे हैं।[4] बीजिंग विश्वस्त है कि मृदुशक्ति (Soft Power) कूटनीति न केवल इसके वैश्विक स्तर को सुधारेगी अपितु यह पड़ोसियों में शांति एवं स्थायित्व कायम करते हुए आर्थिक विकास को भी बढ़ायेगी।

मृदुशक्ति की संकल्पना

मृदुशक्ति की संकल्पना समकालीन दुनिया में महत्वपूर्ण रणनीतिक शोध हेतु मान्यता प्राप्त कर रही है। पाश्चात्य संकल्पना होने के बावजूद मृदुशक्ति धारण चीनी दार्शनिक लाओत्सू के विचारों में 7वीं शताब्दी में ही दिखाई पड़ती है।[5]आगे, 1939 में ब्रिटिश यथार्थवादी ई0एच0कार0 इस संकल्पना के जानकर समझे गये जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को– सैनिक, आर्थिक एवं विचार (मत) की शक्ति में वर्गीकृत किया।[6]

आधुनिक समय में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जोसेफ नाई द्वारा 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में यह संकल्पना विख्यात हुई। 'Soft power' वाक्यांश सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पुस्तक 'Bound to lead : The changing Nature of American power' में दिया बाद में सन् 2002 में नाई ने अपनी पुस्तक 'The Paradox of American power' में पुनः मृदुशक्ति (Soft Power) का उल्लेख किया। मृदुशक्ति (Soft Power) की सबसे स्पष्ट अवधारणात्मक झलक उनके अंतिम पुस्तक 'Soft Power : The means to success in world politics' में मिलता है।

चीन द्वारा दक्षिण एशिया में मृदुशक्ति की पहल

मृदुशक्ति (Soft Power) के अवधारणात्मक पहलुओं एवं चीन में विदेशनीति स्तर पर इसकी मान्यता के विश्लेषणोपरान्त हम देखेंगे कि कैसे चीन दक्षिण एशिया में अपने मृदुशक्ति (Soft Power) की नीति को लागू करता है। चीनी प्रीमियर ली पेंग का कथन इस संदर्भ में अति महत्वपूर्ण है, ''दक्षिण एशिया के देशों के साथ चीन मित्रतापूर्ण सम्बन्ध एवं समन्वय के नये अध्याय लिखने के लिए तैयार है।'' यद्यपि चीन ने दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों के साथ अपने सम्बन्धों में तीव्रता दर्शाया हालाँकि इसमें कुछ जटिलता भी परिलक्षित होती है। इसका प्रमुख कारण दक्षिण

एशिया के सबसे बड़े देश भारत के सम्बन्ध को कभी–कभी राजनीतिक टकराव और आर्थिक जुड़ाव के रुप में विश्लेषित किया जाता रहा है। इस तरह का विरोधाभास दक्षिण एशिया के अन्य देशों के साथ चीन के सम्बन्धो में प्रदर्शित नहीं होता है।

शीतयुद्ध के बाद एवं 21वीं शताब्दी में दक्षिण एशिया चीन के लिए रणनीतिक प्राथमिकता का क्षेत्र बनता जा रहा है। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान सम्मिलित है। चीन के लिए दक्षिण एशिया अनेक कारणों से अति महत्वपूर्ण है। तिब्बत एवं सिनजियांग से जुड़ा होने के अतिरिक्त, दक्षिण एशिया चीन के लिए प्रमुख व्यापार मार्ग, समुद्री लेन उपलब्ध कराता है। दक्षिण एशिया क्षेत्र चीन को विशाल बाजार उपलब्ध कराता है, यह क्षेत्र कच्चे माल के अपार भण्ड़ार के रुप में अपनी क्षमता प्रदर्शित कर रहा है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में चीन द्वारा किये गये अनेक प्रयास इसके मृदुशक्ति (Soft Power) रणनीति को सिद्ध करता है। दक्षिण एशिया के साथ चीन का नजदीकी जुड़ाव उसके 'पश्चिमी विकास योजना' का स्वाभाविक परिणाम है–यह ऐसी योजना है जिसके द्वारा चीनी नेतृत्व यह आशा करता है कि यह चीन में बढ़ते क्षेत्रीय असमानताओं को कम करेगा।[7]

सांस्कृतिक कूटनीति

चीन की वैभवशाली, वैविध्यपूर्ण एवं प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर इसके मृदुशक्ति (Soft Power) का महत्वपूर्ण औजार है। चीनी सरकार विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों एवं आदान–प्रदान के माध्यम से इन साधनों का सक्रिय रुप में विदेशों में निर्यात कर रही है। छठा एशिया कला महोत्सव 2004 में चीन में सम्पन्न हुआ जिसमें एशिया के 17 देशों के 1000 कलाकारों ने प्रतिभाग किया एवं इसने लगभग 5 लाख दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित किया।[8]

इसकी सांस्कृतिक प्रगति का उद्देश्य इस प्रतिकूल धारणा को वेअसर करना है जो इसे सैन्य खतरे के रुप में देखता है। चीन के ये प्रयास प्रगतिशील परिणाम दे रहे हैं। चीन में विदेशी छात्रों की संख्या पिछले दशक के 36000 से 110000 तक पहुँच गई एवं बीजिंग ओलम्पिक से पहले प्रतिवर्ष विदेशों पर्यटकों की संख्या 17 मिलियन की दर से बढ़ रही है।[9]

कनफ्युशियस संस्थान ने चीनी भाषा एवं संस्कृति को दुनियाँ के विभिन्न हिस्से में पहुँचाने का कार्य किया है जो कि चीन के मृदुशक्ति का अति महत्वपूर्ण माध्यम है। ये दक्षिण एशिया में भी प्रभावी हो रहे हैं। चीन का प्रयास दक्षिण एशिया क्षेत्र के छोटे देशों को अपने साथ जोड़े रखने का रहा है। एक कनफ्युशियस संस्थान अफगानिस्तान में भी स्थापित हो रहा है। दक्षिण एशिया में सांस्कृतिक और शैक्षिणक सम्बन्धों को गहरा करने के अलावा सी0आर0आई0 (चीनी रेडियो

इंटरनेशनल) जो कि चीन के राज्य स्वामित्व वाली विदेशी प्रसारक है, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं नेपाल में एअर कनफ्युशियस संस्थान लाँच कर रही है।[10] जबकि कनफ्युशियस संस्थान दक्षिण एशिया में गहरी जड़े जमाता जा रहा है वहीं पर भारत में चीनी भाषा का प्रभाव एवं विस्तार कठिनाइयों में है। इस तरह की पहल द्वारा चीन अपने आप को मेडिकल विज्ञान एवं तकनीकि के अध्ययन हेतु एक केन्द्र में स्थापित कर रहा है। ये साधन चीन के मृदुशक्ति (Soft Power) को महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर रहे हैं।

चीन द्वारा दक्षिण एशिया के देशों के साथ सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ाने एवं ट्रेक–2 कूटनीतिक को बढ़ावा देने के लिए अनेक समझौते किये जा रहे हैं। नवम्बर 1979 में बांग्लादेश और चीन द्वारा आपसी सहयोग का समझौता किया गया, जिसके बाद द्विपक्षीय आदान–प्रदान एवं सांस्कृतिक एवं खेल सम्बन्धी सहयोग को मजबूत करने के लिए हर 3 वर्षों में एक कार्यान्वयन कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया जा रहा है। सांस्कृतिक आदान–प्रदान के लिए बांग्लादेश–चीन के कार्यकारी कार्यक्रम का उद्देश्य कला समूहों, सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल और कलाकारों द्वारा पारस्परिक यात्राओं को प्रोत्साहित करना है।[11] नेपाल में चीन न केवल आधिकारिक बातचीत बल्कि अपने राजनेताओं, पत्रकारों और शिक्षाविदों द्वारा व्यक्तिगत यात्राओं के माध्यम से अपने लोक कूटनीति को विस्तार दे रहा है। नेपाल के साथ चीन के ट्रेक–2 कूटनीति के माध्यम से दोनों देशों के विद्वान एवं थिंक टैक के बीच नजदीकी बढ़ी है।[12]

पाकिस्तान के साथ चीन के सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। 1965 में चीन और पाकिस्तान के मध्य सांस्कृतिक आदान–प्रदान हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। अब तक दोनों देशों के मध्य दर्जन भर से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। वर्तमान समय में चीन और पाकिस्तान वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया में लोगों, क्षेत्रों एवं संस्कृतियों को जोड़ने के लिए रेशम मार्ग को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, दोनों के मध्य तीव्र स्तर पर काम चल रहा है। चीन और श्रीलंका के मध्य सांस्कृतिक आदान–प्रदान हेतु सन् 1979 में एक संस्थागत समझौता हुआ इसके द्वारा बीजिंग ने दक्षिण एशिया में श्रीलंका के साथ सांस्कृतिक कूटनीति को प्रभावी बनाया।[13] इसी क्रम में 2008 के एक समझौते द्वारा दोनों देशों के कलाकार एक दूसरे देश में निरन्तर आवागमन कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

मालदीव को अपने साथ जोड़ने के लिए खेल को चीन ने एक अलग साधन के रूप में प्रयोग किया है । दोनों देशों ने अपने खेल समितियों के मध्य पारस्परिक समझ एवं मित्रता को स्थापित करने के लिए सन् 2008 में एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया। जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है तो चीन एवं अफगानिस्तान

के मध्य सांस्कृतिक सहयोग का एक समझौता (1965 में हस्ताक्षर) भी अस्तित्व में है जो सीमा प्रोटोकाल, आर्थिक एवं तकनीकि सहयोग के सांस्कृतिक कूटनीति को भी स्थापित करता है। सांस्कृतिक कूटनीति के बिन्दुओं को देखने से स्पष्ट होता है कि औपचारिक समझौते के रुप में चीन के सांस्कृतिक सम्बन्ध बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं अफगानिस्तान के साथ मौजूद हैं जबकि इस सम्बन्ध में मालदीव और भूटान के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव तुलना में कम दिखते हैं।

आर्थिक कूटनीति

आर्थिक कूटनीति के यंत्र के रुप आर्थिक प्रलोभन प्रयोग के दो आयाम है–आर्थिक मंजूरी, व्यापार बाधा एवं अन्य आर्थिक आदान–प्रदान कठोर शक्ति की प्रकृति को दर्शाते है जबकि अनुदान एवं लोन के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता मृदुशक्ति (Soft Power) को इंगित करते हैं। इसके द्वारा सहायता देने वाले देश के लिए लेने वाला एक आदर भाव एवं आकर्षक छवि धारण करता है। द्विपक्षीय या क्षेत्रीय व्यापार और सीमा पार निवेश को सुविधाजनक बनाने के प्रयास भी अच्छी छवि बनाने में मददगार साबित होते है।

दक्षिण एशिया के साथ चीन की आर्थिक भागीदारी लगातार बढ़ रही है जो दुनिया का ध्यान अपनी और आकृष्ट कर रहा है। प्रश्न उठता है कि इस तरह के प्रलोभनों से दक्षिण एशिया के देशों को लाभ कैसे होता है? चीन का आर्थिक आकर्षण सन् 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद तीव्र गति से बढ़ा है। चीन ने दुनिया के अन्य देशों के सापेक्ष उच्च आर्थिक कार्यक्रमों को जारी रखने का संकेत दिया, इसके द्वारा चीन अपनी एक सकारात्मक छवि बना पाया। चीन की इस आर्थिक सफलता ने बीजिंग आम सहमति को घोषित करने की शक्ति प्रदान की।[14]

वास्तव में देखा जाय तो चीनी अर्थव्यवस्था द्वारा अग्रिम की तीव्र दर को बनाये रखने के लिए नये उपभोक्ता खण्डों के साथ–साथ ऊर्जा और कच्चे माल तक पहुँचने के लिए नये विदेशी बाजारों की आवश्यकता है।

वस्तुतः दो कारण हैं जिससे दक्षिण एशिया चीन के लिए अति महत्वपूर्ण है, एक,–चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के साथ राज्य के भीतर स्थिरता चाहता है, दूसरा,–व्यापार को बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ चीन की बात–चीत आवश्यक है। चीन के महत्वपूर्ण हित में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाये रखना है, क्योंकि इसके बिना कोई भी हित प्राप्त नहीं किया जा सकता है।[15] कुछ विद्वानो का मानना है कि चीन का दक्षिण एशिया के साथ जुड़ना उसके पश्चिमी विकास रणनीति का हिस्सा है।

व्यापार एवं निवेश

दक्षिण एशिया क्षेत्र में चीन के आर्थिक सम्बन्ध भारत के साथ अच्छे हैं।

इतिहास ने राजनीति के बाधाओं के द्वारा चीन और भारत के सम्बन्धों को जटिल बना दिया लेकिन शीतयुद्धोत्तर काल में आर्थिक उदारीकरण के कारण द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों में सुधार की प्रवृत्ति दिखी। द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य करने के लिए सन् 2006 में 'चीन–भारत मित्रता वर्ष' एवं सन् 2004 में 'विश्वास बहाली उपाय (CBM)' के तहत व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर संयुक्त कार्य दल स्थापित किया गया।[16] दल ने 2005 में अपनी रिपोर्ट व्यापार संवर्द्धन के अनेक सलाहों के साथ सौंपी। चीन–भारत के आर्थिक रिश्तों को उभरते द्विपक्षीय व्यापार ने गति दी। चीन भारत के वस्तु व्यापार का सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका है जबकि भारत, चीन के दस सर्वाधिक व्यापार भागीदार देशों में स्थान बना चुका है।[17]

चीन दक्षिण एशिया के छोटे देशो के साथ अपने आर्थिक प्रभाव को बढ़ा रहा है जिससे इस क्षेत्र में वह भारत के प्रभाव को कम कर सके। 2006 तक 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ बांग्लादेश दक्षिण एशिया में चीन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। सी जिनपिंग ने कहा, ''हम अपने बांग्लादेशी भागीदार अब्दुल हमीद के साथ कार्य करने के लिए तत्पर हैं ताकि दोनो देश ठत्प् निर्माण नीतियों के स्तर पर संयुक्त रूप से चीन–बांग्लादेश द्वारा मित्रता पूर्ण सहयोग को नई उँचाइयां दी जा सके।''[18] इस प्रकार चीन दक्षिण एशिया के देशों को अपने साथ जोड़े रखना चाहता है जिससे आर्थिक कूटनीति को स्थापित किया जा सके। चीन और श्रीलंका के बीच व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है यह सन् 2008 में 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस क्षेत्र में बाकी देशों के साथ बीजिंग की आर्थिक भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित है। चीन और मालदीव के मध्य लगभग 1.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है जिसमें चीनी निर्यात द्वारा लगभग 90 प्रतिशत व्यापार को अपने कब्जे में किया गया है।[19] हालाँकि वर्तमान आकड़ों की माने तो चीन और मालदीव के मध्य अब्दुल्ला यामीन के समय से लागू मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारत सहित अन्य देशों के साथ व्यापार सम्बन्धों को देखते हुए समाप्त कर सकता है।[20] चीन और नेपाल के बीच आर्थिक रिश्ते मजबूत हो रहे है जबकि भूटान के साथ यह अभी शैशवावस्था में है।

विकास सहायता एवं बुनियाद ढाँचा विकास

विकास सहायता' दक्षिण एशिया के छोटे देशों से जुड़ने का चीन का एक महत्वपूर्ण हथियार है। पाकिस्तान ऊर्जा, बुनियाद ढ़ाँचा एवं खनन क्षेत्र में पंचवर्षीय 'पाकिस्तान–चीन आर्थिक व्यापार सहयोग' योजना के तहत स्वीकार की गई परियोजनाओं के द्वारा इस तरह से सहायता को ग्रहण करने वाला सबसे बड़ा देश है।[21] इसके अतिरिक्त OBOR प्रोजेक्ट के अंतर्गत CPEC द्वारा पाकिस्तान–चीन में 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है। [22]

चीन ने दक्षिण एशिया के लोगों का सहयोग करने में काफी दिलचस्पी दिखाई है मुख्यतः प्राकृतिक आपदाओं के समय ज्यादा ही। चीन ने 2007 में बांग्लादेश में आये सीडर चक्रवात[23] से हुई बर्बादी के समय 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहयोग एवं राहत, पुनर्निर्माण हेतु बांग्लादेश को दिया था। सन् 2004 में मालदीव में आयी विनाशकारी सुनामी के समय पुनर्निर्माण के लिए पेशकश की थी। इसी समय श्रीलंका जब सुनामी जैसी विभीषिका से झेल रहा था तब चीन ने मेडिकल सहायता के अतिरिक्त आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया था। ये किसी देश द्वारा उपलब्ध कराये गये ऐसे साधन है जिससे एक देश की दूसरे छोटे देशों के दिल में जगह बनाती है।[24]

विकासशील देशों के अन्य क्षेत्रों की तरह दक्षिण एशिया भी आधारभूत ढ़ाँचे के मामले में पिछड़ा है। खराब सड़क नेटवर्क के कारण दक्षिण एशिया में अंतर्क्षेत्रीय व्यापार एवं वाणिज्य बहुत बुरी हालत में है। पूरे क्षेत्र में खराब सड़क नेटवर्क, बंदरगाह दूरसंचार एवं अपर्याप्त बिजली महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों की सरकार इन्हें दूर करने में असफल सिद्ध हुई है जिस कारणवश वे निजी तथा बाहरी निवेश एवं विकास सहायता पर ज्यादा ध्यान आकृष्ट कर रही हैं। इस संदर्भ में चीन सकारात्मक उत्तर प्रस्तुत कर दक्षिण एशिया में बुनियादी ढ़ाँचा विकास का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। बीजिंग ने बांग्लादेश के दूरसंचार बुनियादी ढ़ाँच, ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र के 5.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग 28 योजनाओं की मांग के सापेक्ष 5 परियोजनाओं के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद देने की इच्छा जाहिर की।[25]

श्रीलंका के बुनियादी ढ़ाँचे में चीन का निवेश अति महत्वपूर्ण है जिसमें चीनी मर्चेंट पोर्ट होल्ड़िग द्वारा बनाया गया हम्बन्टोटा बंदरगाह अति विशिष्ट है जिसे एक समझौते के तहत श्रीलंका सरकार ने बनाने वाली कम्पिनी को 99 वर्षो के लीज पर दे दिया क्योंकि उसका कर्ज श्रीलंका उठा नहीं पा रहा था। ये घटना चीन के दक्षिण एशिया क्षेत्र में मंसूबों का नकारात्मक चेहरा प्रदर्शित करता है।[26]

श्रीलंका के दक्षिणी सिरे पर स्थित बंदरगाह के रणनीतिक अवस्थिति के अनुसार चीन दक्षिण एशिया क्षेत्र के वाणिज्यिक तेल मार्गों पर अपनी पहुँच बना रहा है, ऐसा विश्लेषण किया जा रहा है। दक्षिण एशिया में पश्चिम की ओर पाकिस्तान में चीनी सहयोग से रेलवे विकास द्रुत गति सें चल रहा है। वर्तमान में चीन के प्रोजेक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण आधारभूत बुनियादी ढ़ाँचा विकास कार्यक्रम चल रहा है। वास्तव में पाकिस्तान के अंदर बेहतर रेलवे नेटवर्क चीन के रणनीतिक फायदे के लिए प्रयुक्त हो रहा है क्योंकि इसके द्वारा ऊर्जा संवृद्ध केन्द्रीय एशिया एवं ईरान की खाड़ी तक इसकी पहुँच अति सरल हो जा रही है।[27]

दक्षिण एशिया क्षेत्र में अपने मृदुशक्ति (Soft Power) को मजबूत करने के लिए चीन अफगानिस्तान में भी बुनियादी ढ़ाँचा निर्माण के अवसर तलाश रहा है। चीन ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में पर्याप्त लोन के रुप में आर्थिक सहायता दी है। 3.5 मिलियन के एनाक ताँबा क्षेत्र में निवेश, 400 मेगावाट का ऊर्जा प्लांट, ताजकिस्तान से अफगानिस्तान तथा अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ग्वादर तक रेल नेटवर्क को विकसित करना, आदि चीन द्वारा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है।[28]

चीन और पाकिस्तान अपने 57 बिलियन CPEC प्रोजेक्ट द्वारा अफगानिस्तान में भी निवेश करने की योजना बना रहे है। यह जुड़ाव इस क्षेत्र में भू–राजनीति को एक नई दिशा देगा। अफगानिस्तान में चीन के हितों को इस प्रकार देखा जा सकता है[29]–1.चीन अपनी सीमा को सुरक्षित रखना चाहता है एवं सिनजियांग प्रांत में चरमपंथ के 'स्पिलओवर इफेक्ट' को नियंत्रित करना चाहता है, 2. अफगानिस्तान के खनिज बीजिंग को आकर्षित करते हैं, 3. केन्द्रीय एशिया में अपने BRI प्रोजेक्ट को विस्तारित करने हेतु अफगानिस्तान एक मार्ग मुहैय्या करता है, 4. चीन का क्षेत्रीय प्रभाव में वृद्धि की इच्छा। इन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु चीन ने अफगानिस्तान में आर्थिक मदद की है।

नेपाल रणनीतिक रूप से भारत एवं चीन के मध्य अवस्थित है। नेपाल में चीन की सहायता में भी पूर्व में 1बिलियन डालर से 1.5 बिलियन डालर प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रहा है जिसमें जलशक्ति, मार्ग एवं पर्यटन का विकास शामिल है।[30] नेपाल 2016 से चीन के BRI प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में किये जा रहे निवेश का प्रत्यक्षदर्शी रहा है। रिसर्च लैब डाटा की एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में चीन की बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में वित्तीय कूटनीति में निवेशित राशि, जिसमें मार्ग एवं जलशक्ति सम्मिलित है, सन् 2000 से 2017 के मध्य कुल 1 मिलियन डालर था।[31] नेपाल के अखबार द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन नेपाल की सरकार और निजी कं0 के बीच ये करार जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, सीमण्ट उद्योग और ऊँचे स्थानों पर फूड पार्क बनाने के लिए हुए हैं।[32]

निष्कर्ष

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि चीन ने अपनी साफ्ट पावर पालिसी के अंतर्गत सांस्कृतिक कूटनीति, आर्थिक साधनो जैसे, निवेश, आर्थिक सहायता, कन्सेसनल लोन, आधारभूत संरचना में निवेश आदि माध्यमों द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी बेहतर छवि बनाने में कामयाबी हासिल की है एवं इस क्षेत्र में देशों का समर्थन प्राप्त किया है तथा भारत के लिए समस्या पैदा किया है।

सन्दर्भ

1. *Malik, J. Mohan, ed. "India's Response to China's Rise' Edited by Kevin J. cooney and Yoichiro Sato, The Rise of China and International Security. Oxon: Routledge 2009. P-178.*
2. *S. Rajaratnam school of International Studies, Singapore – 8 June, 2010, https: èèwww.Files.>isn – accessed – Dec-2017.*
3. *Guo, Sujian and Hua, Shaping "New Dimensions of Chinese foreign policy", UK, Lexington Book,2007 P-112 .*
4. *Ibid.*
5. *www..Wikipedia.orgèwikièsoft power accessed on 27Dec, 2017.*
6. *E.H. Carr, "The Twenty Years Crisis -1919 – 1939: An Introduction to the study of International Relations" New York Harper & Row, 1964, P-108.*
7. *Tang et al. "Living with China: Regional States and China through crises and Turning Points", P-18.*
8. *"Culture Minister on China's Foreign Exchanges", see on-www.:èèenglish.peopledaily.com.*
9. *Nye, S. Joseph, "The Olympics and Soft Power", 24 August 2008 see on http:èèwww.huftingtonpost.comèJosephNyeèThe_Olympics_and_Chinese _6_120909 html. Accessed at feb2018.*
10. *Confucius Institute at CRI, 10 Dec 2009, see- http:èèenglish.cri.enè 7046è2009è12è10è167s538642.htm. Accessed on - 25 feb-2017.*
11. *"Education in China", available at http:èèwww.embblizo.netècomè slembè 2016e.html - accessed- 25feb2017.*
12. *In RSIS working paper no.200 Singapore: S Rajaratnam School of International Studies,2010.*
13. *Institute of defense studies and analyses at – http:èèWWW.idsa.inè idsastrategiccommentsènepalènews-strategic-partner-of-china-n-nayak 300309. Accessed on 25Dec2016.*
14. *http:èèwww.chinaculture.orgègbèen.exchangesè2003è12è31è content è45322. Htm. – Accessed – Jan-2017.*
15. *http:èèwww.studentpulse.comèarticlesè108èchina-otfers_alternative _development_Model_in_beijing_Consensus#. Accessed Dec2016.*
16. *ISAS Working paper NO. 95, 26 october2009, at-https:èèwww.isasnus.orgèeventsèworkingpapersè94.pdf.*
17. *Current Affairs Jan2006 PP. 18-19.*
18. *Embassy of Maldives in China. See on– http:èèwww.maldivesembassy.cnèMaldives&China.asp. Accessed on Jan 2016.*
19. *Embassy of the people's Republic of China in the Islamic Republic of*

Pakistan, see http:èèpk.chineseembassy.orgèengèzbgxèt620978.htm Accessed in 2013.

20. *In RSIS working paper no.200 Singapore: S Rajaratnam School of International Studies,2010.*
21. *See at- https:èèen.wikipedia.orgèwikièbangladesh-Peoples-Republic-of-China- relations. accessed at-dec 2018.*
22. *Embassy of the People's Republic of China in the Islamic Republic of Pakistan, October, 2009, at-https:èèpk.chineseembassy orgèengèzbgxèt620978.htm. accessed 2018.*
23. *In RSIS working paper no.200 Singapore: S Rajaratnam School of International Studies,2010.*
24. *www.asiannewsnet.netènews-php2id-7488. Accessed on 28 Dec 2015.*
25. *"General Study Series", by Ganpat Singh Rajpurohit 13 Aug 2017 see on http:èègsbygsrajpurohit.blogspot.com .*
26. *Asia Times, 24 Feb 2007 – see on http:èèWWW.atimes.comèatimesè south AsiaèiB24DF02.html. Accessed 10 jan 2015.*
27. *Ambassador Masood Khan's opening statement, No.40.*
28. *Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China , 27 March 2009. See http:èèWWW.fmprc.gov.cnèengèzxxxèt555299.htm. Accessed on 8 Feb2016 .*
29. *The Sunday Guardianlive, oct 02, 2020 at-https:èèwww.thesunday.guardianlive.comèopinionèmapping-chinas-interests-and-engagements -in –afghanistan.*
30. *'The Economic Times, jan 04,2021 at-https:èèm.economictimes.comènewsè Nepal-sees-rare-protesrs–against-chinese-infrastructure-projectèarticleshowè80085820.cmsi.*
31. *Nepalnews.com.oct 2009,https:èèwww. nepalnews.comènepalnews.comèmai nèindex.phpènews-archiveè3-bussiness-a-economyè2019-china-to-increase-its-assistance-to-nepal-html.. accessed on feb, 2018.*
32. **phu usiky ds chp vkB cqfu;knh djkj gq,*& fgUnqLrku] nSfud lekpkj i=] y[kuÅ laLdj.k] cqèkokj] 21 twu 2018] ist la0 14-*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-145-148

आचार्य विनोबा भावे की नई तालीम संबंधी विचार एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

*डॉ० अभिनव सिंह **
*डॉ० इंद्रमणि ***

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कितनी नई है? यह राष्ट्र निर्माण में कितनी सहायक होगी? सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है स नई शिक्षा नीति का निर्माण राष्ट्र के बड़े–बड़े शिक्षाविदों द्वारा डॉक्टर कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में किया गया है स उल्लेखनीय है कि भारत में सर्वप्रथम 1968 में शिक्षा नीति बनी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई जिसमें 1992 में संशोधन किया गया स लगभग 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति 2020 आई जिसमें रोजगारपरक, राष्ट्रवादी और मातृभाषा परक कुछ आमूल–चूल परिवर्तन किए गए हैं परंतु यह परिवर्तन जो दिखाई पड़ रहे हैं, कोई नए नहीं हैं स इस तरह के परिवर्तनों की अनुशंसा गांधीवादी विचारको द्वारा की जाती रही है स इसी संदर्भ में आचार्य विनोबा भावे का शिक्षा संबंधी विचार का अध्ययन अत्यंत उपयोगी प्रतीत होता है उक्त शोधपत्र का निष्कर्ष विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन विधि का प्रयोग कर निकाला जाएगा। नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर अत्यधिक जोर दिया गया है–

1. प्राइमरी एजुकेशन में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा पर जोर।
2. माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा के विकल्प होंगे ।
3. रोजगारपरक (वोकेशनल) पढ़ाई पर मुख्य जोर होगा
4. शैक्षिक पाठ्यक्रमों में नए–नए कौशल को सम्मिलित किया गया है।
5. नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्र मनचाहा स्ट्रीम पढ़ सकेंगे आदि ।

उपर्युक्त बदलाव के मद्देनजर आचार्य विनोबा भावे की शिक्षा संबंधी विचार का अध्ययन अत्यंत समीचीन प्रतीत होता है जो निम्नलिखित प्रकार से किया जा रहा है।

आत्मनिर्भरता के चार सिद्धांत विचार शक्ति में आत्मनिर्भर अनुष अनुसंधान क्षेत्र में अपने पास उत्पादन में आत्मनिर्भर कृषक में अपने क्रेशरसमाज की बुनियादी आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा और मकान) के अनुरूप शिक्षा का आवाहन करते हुए विनोबा ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति त्रि–दोष युक्त है, जैसे शरीर में प्रकोप–त्रय यानी कफ, बात एवं पित्त शरीर को खोखला बना देते हैं, उसी तरह से त्रि–दोष युक्त अंग्रेंजी, शिक्षा पद्धति भारतीय सामाजिक संरचना को खोखला बना रही है

** असिस्टेंट प्रोफेसर, बी०एड० विभाग, अकबरपुर महाविद्यालय अकबरपुर, कानपुर देहात (उ०प्र०)*
*** एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग ,वीएसएसडी कॉलेज कानपुर (उ०प्र०)*

क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा सर्व सुलभ न होकर केवल 5: लोगों तक ही सीमित हैं।

अतः स्वदेशी शिक्षा का आवाहन करते हुए उसे काम–आधारित रोजगारपरक शिक्षा बनाने पर जोर दिया और कहा कि रोजगारपरक शिक्षा से पैसे का जन्म नहीं अपितु लक्ष्मी का आर्विभाव होता है जिससे सुख–समृद्धि रूपी पिपलि वृक्ष विस्तार प्राप्त करता है। निष्कर्ष शिक्षा पिपलाश्रयी होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार पीपल का वृक्ष विस्तृत संरचना प्राप्त करते हुए समस्त जीव–जन्तुओं के लिए छाया एवं फल का आधार बनता है, उसी प्रकार स्वदेशी शिक्षा भी होनी चाहिए।

उपरोक्त त्रि–दोषयुक्त शिक्षा की आलोचना एवं स्वदेशी शिक्षा का समर्थन करते हुए शिक्षण में उन्होंने क्रान्ति पैदा कर दी। विनोबा जी ने सरकार मुक्त शिक्षा का नारा देते हुए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :–

1. शिक्षण को सरकारी तंत्र से स्वतंत्र ट्रस्ट बनाना चाहिए।
2. उसका माध्यम मातृभाषा होना चाहिए।
3. उसमें दूसरी भाषा का स्थान हो, परन्तु वह लाजिमी तौर पर न हो।
4. उसमें आध्यात्मिक शिक्षण का स्थान हो।
5. शिक्षक वानप्रस्थाश्रमी हो।

शिक्षा सरकार मुक्त हो

आचार्य विनोबा भावे का मानना था कि जबसे तालीम विभाग सरकार के हाथ में आया है, तब से स्वतंत्र लोकमत का अभाव सा हो गया है, लोकशाही नाम–मात्र की रह गयी है क्योंकि सरकार जो सिखाती है वही जनता को सीखना पड़ता है, जो स्वस्थ समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अतः बुद्धि एवं शिक्षा की आजादी, जो अबतक नहीं मिली, अब मिलनी चाहिए। इस आजादी का पहला हकदार विद्यार्थी है। उनका मानना था कि विद्यार्थी के दिमाग को सरकारी तंग साँचे में नहीं कसना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा को विनोबा ने लिबरल एजूकेशन की संज्ञा दी, जो कि जनता के हाथ में होना चाहिए।

आश्रम–शिक्षा पद्धति

शिक्षा यथाशीघ्र समाजोपयोगी बने, इसके लिए विनोबा जी ने स्वयं शिक्षा की आश्रम पद्धति को अपने ही आश्रम में लागू कर स्वस्थ समाज की संरचना का भगीरथ प्रयास किया। उनकी आश्रम–शिक्षा–प्रणाली सात भागों में विभाजित थी, जो निम्नलिखित है।

■ **धार्मिक शिक्षा–**व्रत–पालन, ईश्वरोपासना, शास्त्रों का अध्ययन एवं संतों के वचनों आदि का अध्ययन।

■ **औद्योगिक शिक्षा–** कताई–बुनाई, धुनाई, खेती–बारी, बढ़ई–गीरी

आदि।

■ **भाषा संबंधी शिक्षा–** संस्कृत, हिन्दुस्तानी तथा स्व–प्रान्तीय भाषा आदि।

■ **सामाजिक शिक्षा–**समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र इतिहास आदि।

■ **व्यावहारिक शिक्षा–** गणित, हिसाब रखना, भूगोल एवं विज्ञान आदि।

■ **कलात्मक शिक्षा–** संगीत, साहित्य, चित्रकला आदि।

■ **शारीरिक शिक्षा–** खाना बनाना, पानी भरना, पीसना, आरोग्यशास्त्र एवं पाखाना सफाई आदि।

जीवन दर्शन पर आधारित नई तालीम

आचार्य विनोबा भावे ने आश्रम शिक्षा पद्धति को जीवन–दर्शन से जोड़ते हुए एक नवीन प्रकार की तालीम का उद्घोष करते हुए कहा कि नई तालीमएक जीवन दर्शन है। वस्तुतः नई तालीम में उन्होंने विद्यालयों के ज्ञान से इतर आश्रम के अनुभवजन्य ज्ञान पर बल दिया है क्योंकि उनके मन्तव्यों के अनुसार विद्यालयों में जो ज्ञान दिया जाता है, वह खोखला होता है जबकि यहाँ का ज्ञान ठोस रहता है। यहाँ का ज्ञान अनुभवजन्य होगा तो वहाँ का ज्ञान तर्कजन्य। अतः उस ज्ञान में संशय होगा और इस ज्ञान में निश्चय। जहाँ ज्ञान और कर्म का भेद ही मिट जाता है वहाँ नई तालीम आती है। जीवन–दर्शन में जो जीवन–दृष्टि है, उसे लेकर काम करना है, इससे ही नए समाज का निर्माण होगा। नई तालीम के लिए मूल उद्योग का जरिया आदि तन्त्र है तथा मन्त्र है– शरीर, परिश्रम निष्ठा और साम्य योग।

यदि आचार्य विनोबा की उक्त साम्ययोग आधारित नई तालीम की आधुनिक समाज के सन्दर्भ में विवेचना की जाय तो नई तालीम का तात्पर्य नई जीवन मूल्यों की स्थापना है। जिसमें शिक्षकों की महती भूमिका होती है। इसलिए वे शिक्षकों को गातुविद् की संज्ञा देते हुए पूरे समाज पर शिक्षकों के वर्चस्व का आवाहन किये हैं।

शिक्षकों का वर्चस्व समाज पर हो, ऐसा जगत हमें बनाना है। आज तो विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस प्रवेश करती है क्योंकि वहाँ दंगे होते रहते हैं। अशांति का दमन तो पुलिस कर सकती है, परन्तु अशांति का शमन कौन करेगा? अर्थात् वह पुलिस नहीं कर सकती है। अशांति का शमन तो विद्यार्थी और अध्यापक ही करेंगे। आज शमन–प्रक्रिया कुंठित हो गई, इसलिए दमन प्रक्रिया जोरों से चली है लेकिन उच्च शिक्षा संस्थानों के आचार्यों एवं प्रोफेसरों को मालूम होना चाहिए कि उनका कैम्पस सिर्फ कालेज एवं यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है, सम्पूर्ण भारत ही कालेज एवं यूनिवर्सिटी का अहाता है, यदि उसमें पुलिस काम करती है तो यह आचार्यों एवं प्रोफेसरों के लिए बहुत बड़ा लांच्छन है।

अतः समाज में कहीं अशांति हुई तो शिक्षक अपने विचार एवं नैतिक शक्ति द्वारा अशांति शमन करें, ताकि सरकार की दण्ड शक्ति को अशांति दमन के लिए मौका ही न मिले। अशांति शमन के लिए आचार्यों को इकट्ठा होकर व्यापक योजना करनी होगी।

आचार्य विनोबा भावे द्वारा दी गई नई तालीम संबंधी विचार पर अन्वेषण परक अध्ययन करने के उपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि आज जिस शिक्षा नीति को देश ने स्वीकार किया है उस पर विनोबा भावे के नए तालीम की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है सआचार्य विनोबा भावे सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रभक्त और राष्ट्र उन्नायक थे स राष्ट्र निर्माण से संबंधित जिस नई तालीम की शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने दिया दिया उसकी स्पष्ट छाप आज की शिक्षा नीति में दिखाई देती है स अस्तु यह स्पष्ट है कि आगे चलकर नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण में बहुत ही सहायक एवं उपयोगी साबित होगी।

इस प्रकार आचार्य विनोबा भावे के शिक्षा–विषयक उक्त विचार–विन्दुओं का विश्लेषण करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि महात्मा गाँधी की बुनियादी शिक्षा की भाँति आचार्य विनोबा ने त्रि–दोष नाशक, सरकार मुक्त, मातृभाषाई, उद्योग आध ाारित एवं सामाजिक संरचना के अनुरूप सर्वोदयी शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है।

सन्दर्भ

1. *चोलकर, पराग– 'विनोबा–विचार–दोहन', प्रकाशन–परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा पृ0 107*
2. *चोलकर, पराग– 'विनोबा–विचार–दोहन', प्रकाशन–परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा पृ0 108*
3. *राजस्वी, एम0आई0–'विनोबा भावे' प्रकाशक–मनोज पब्लिकेशन नई दिल्ली, पृ0 56*
4. *चोलकर, पराग– 'विनोबा–विचार–दोहन', प्रकाशन–परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा पृ0 112*
5. *चोलकर, पराग– 'विनोबा–विचार–दोहन', प्रकाशन–परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा पृ0 116*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-149-155

महात्मा गाँधी की समाजवाद एवं साम्यवादी विचारधारा

*डॉ० समरेन्द्र बहादुर सिंह**

महात्मा गाँधी ने लिखा है कि समाजवाद एक सुन्दर शब्द है। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें सभी सदस्य बराबर होते हैं। वर्तमान समाजवादी व्यवस्था के प्रति गाँधी आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने वर्तमान समाजवाद में व्याप्त दोषों के प्रति असंतोष व्यक्त किया। समाजवादी व्यवस्था में राज्य को सम्पूर्ण शक्ति दे जाती है और राज्य सर्वेसर्वा हो जाता है। महात्मा गाँधीजी ने इसका विरोध किया है। वे राज्य को सम्पूर्ण शक्ति नहीं देना चाहते हैं। उनका विचार है कि यदि राज्य अपने पास सम्पूर्ण शक्ति सीमित कर लेता है तो इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हास होता है। लोगों को अपनी व्यवस्था चुनने की स्वतंत्रता नहीं रहती और उनके व्यवसाय और काम करने के स्थान का निर्णय सरकार ले लेती है, जिसे उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। इससे चयन की स्वतंत्रता का हास होता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी सीमित हो जाती है। राज्य पर काम का बोझ बढ़ जाता है, जिससे वह अपने उत्तरदायित्व को सफलता से दो नहीं सकता और इससे नौकरशाही फिर उभर जाती है।

महात्मा गाँधीजी ने समाजवादियों के हिंसक और क्रांतिकारी तरीकों का भी विरोध किया है। समाजवाद अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी और हिंसक तरीके अपनाता है। यह शान्तिपूर्ण तरीकों में विश्वास नहीं करता। इससे वर्ग–संघर्ष को भी बढ़ावा मिलता है, जबकि गाँधीजी ने वर्ग संघर्ष का विरोध किया है। हिंसात्मक प्रयत्नों का भी उन्होंने विरोध किया है। सत्य और अहिंसा उनके मार्ग हैं, जिनसे प्राप्त लक्ष्यों पर उनका विश्वास है। इसलिए अगर समाजवाद तोड़–फोड़ और हिंसात्मक तरीकों से आता है, तब गाँधीजी ने इसका विरोध किया है।

महात्मा गाँधीजी उस समाजवाद के समर्थक है, जिसमें राजा और प्रजा धनी और गरीब सभी बराबर होते हैं। यह एक प्रकार का अद्वैतवाद है, जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश नहीं रहती है। गाँधीजी वर्तमान समाजवाद का विरोध करते थे और उनका पहले प्रचलित समाजवाद में विश्वास था। उन्होंने लिखा था कि सच्चा समाजवाद हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, जो हमें यह सिखा गए हैं कि सब भूमि गोपाल की है और इसमें कहीं भी सीमाए नहीं है। ये सीमाएं तो मनुष्य ने बनाई है और इसलिए वह ही इसे तोड़ भी सकता है। गाँधीजी का दृढ विश्वास था कि अहिंसा और सत्याग्रह द्वारा हम उस आदर्श की तरफ पहुंच सकते हैं, जिसमें

**असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र का०सु० साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)*

सच्चा समाज हो। इसलिए उन्होंने चरखा और कुटीर उद्योग पर विशेष बल दिया।

उन्होंने अपनी समाजवादी व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रतिष्ठित जीवन के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है, उससे अधिक भूमि किसी व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। आज आम जनता की गरीबी का यही कारण है कि उसके पास उतनी जमीन नहीं है, जितनी कि उसे जरूरत है। इसके लिए बहुत सारे सुधारों की जरूरत है और ये सुधार तुरन्त नहीं किए जा सकते। अहिंसात्मक तरीकों से ये सुधार किए जा सकते हैं।

महात्मा गाँधी जी ने जिस समाजवाद की चर्चा की है, वह वर्तमान समाजवाद से अलग हटकर एक बड़ी विशुद्ध चीज है जिसे पाने के लिए सही साधन अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि सत्य को पाने के लिए सत्य का ही आचरण करना आवश्यक होता है। सत्य और अहिंसा ही वे साधन है, जिनसे सच्चा समाजवाद आ सकता है। इसलिए केवल सत्यवादी, अहिंसक और पवित्र समाजवादी ही दुनिया में समाजवाद फैला सकता है। उनके विचार में विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जो पूरी तरह समाजवादी हो। गाँधीजी का समाजवाद समानता पर आधारित है। उनका कहना था कि सम्पूर्ण दुनिया के समाज पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि हर जगह भेदभाव है। कहीं भी समानता नहीं दिखाई देती। वह व्यक्ति ऊंचा है, वह व्यक्ति नीचा है, वह हिन्दू है. वह मुसलमान है, लेकिन गाँधीजी द्वारा लाये गए समाजवाद में सब लोग एक हो जाते हैं और एकता में समा जाते हैं।

महात्मा गाँधीजी ने आर्थिक समानता पर भी बल दिया। उनकी राय में आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि हर को उसी मात्रा में हर वस्तु मिले। उनका मतलब है कि हर एक को अपनी आवश्यकता अनुरूप मिल जाना चाहिए। इस तरह आर्थिक समानता का अर्थ हम सबको अपनी–अपनी जरूरत के अनुसार मिले, यह कह सकते हैं। उनका यह भी विचार था कि किसी को यह कहकर ऊचे वर्गों और जन–साधारण के बीच अन्तर को उचित बताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि पहले की आवश्यकताएं दूसरे से अधिक हैं। यह एक बेकार की दलील है। अमीर–गरीब के मौजूदा फर्क से दिल को बड़ी चोट पहुंचती है। प्रत्येक को संतुलित भोजन, रहने को अच्छा मकान, बच्चों को शिक्षा की सुविधाए और दवा–दारू की मदद मिलनी चाहिए। इसी प्रकार सच्चा समाजवाद आ सकता है।

आर्थिक समानता के लिए प्रयत्न जरूरी है। गाँधीजी ने लिखा है कि "अगर धनवान लोग अपने धन को और उसके कारण मिलने वाली सत्ता को खुद राजी–खुशी से छोड़कर और सबके कल्याण के लिए सबके साथ मिलकर रहने को तैयार नहीं होंगे तो यह तय समझिए कि हमारे देश में हिंसक और खुखार क्रान्ति हुए बिना न रहेगी। इसलिए उन्होंने लिखा है कि हमें इस बात पर विचार करना

चाहिए कि अहिंसा के द्वारा समान वितरण कैसे किया जा सकता है और समाजवाद की स्थापना किस प्रकार की जा सकती है। इसके लिए हर व्यक्ति को अपनी जरूरते कम–से–कम करनी होगी। इसे ईमानदारी से काम लेना होगा और जीवन के हर क्षेत्र में संयम का पालन करना होगा।

धन के समान वितरण के लिए संरक्षकता का सिद्धान्त आवश्यक है, यानि कि अमीरों को अतिरिक्त धन का संरक्षक या ट्रस्टी बनाना स्वीकार करना चाहिए। समान वितरण का सिद्धान्त कहता है कि अमीरों को भी अपने पड़ोसियों से एक रूपया भी अधिक नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये सारे प्रयत्न अहिंसा के द्वारा ही किए जाने चाहिए। हिंसा के द्वारा की गई कार्यवाही कभी समाज को लाभ नहीं पहुंचा सकती। अहिंसक उपाय ही श्रेष्ठ है, जिनसे समाज में परिवर्तन आ सकता है। धन के समान वितरण के लिए ट्रस्टीशिप के असफल होने पर गाँधीजी ने मजदूरों को असहयोग और सविनय अवज्ञा की सलाह दी है। धनवान लोग समाज के गरीबों के सहयोग के बिना धन संग्रह नहीं कर सकते। इसलिए असहयोग और सविनय अवज्ञा द्वारा वे अपने हितों को मनवा सकते हैं।

महात्मा गाँधीजी ने अपना संरक्षकता का सिद्धान्त विकसित किया है। उन्होंने अपने ट्रस्टीशिप सिद्धान्त में यह कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रचुर सम्पत्ति मिल जाती है तो उसका उस पर इतना ही अधिकार होना चाहिए कि जिस तरह दूसरे आदमी अपना गुजर करते हैं, उसी तरह वह भी करे उसकी शेष सम्पूर्ण सम्पत्ति पर राष्ट्र का हक होना चाहिए और उसी के हितार्थ उसका उपयोग होना चाहिए। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन उन्होंने किया था जब समाजवादी सिद्धान्त देश के सामने आया। उनका विश्वास था कि पूर्ण ट्रस्टीशिप के लिए कोशिश की जा सकती है और इस आधार पर दुनिया में समानता की स्थापना की जा सकती है।

महात्मा गाँधीजी का यह दृढ विश्वास था कि यदि राज्य ने समाजवाद को हिंसा के द्वारा दबाने की कोशिश की तो वह खुद ही हिंसा के जाल में फंस जाएगा और कभी भी अहिंसा का विकास नहीं कर सकेगी राज्य हिंसा का एक केन्द्रित और संगठित रूप ही है। उनका विश्वास था कि राज्य का जन्म हिंसा से ही होता है और हिंसा से उसका पीछा कभी भी नहीं छुड़ाया जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा था कि सभी पूंजीपतियों की सम्पत्ति की जांच होनी चाहिए और जहाँ आवश्यक हो वहाँ उनकी सम्पत्ति राज्य को मुआवजा देकर अपने हाथ में कर लेना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर वे यह चाहते थे कि राज्य के हाथों में शक्ति का ज्यादा केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा ट्रस्टीशिप की ही भावना का विस्तार होना चाहिए। वे राज्य के स्वामित्व की सिफारिश कम से कम करना चाहते थे।

साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स हैं। अपनी इस व्यवस्था द्वारा मार्क्स ने

पूँजीवाद को समाप्त कर सार्वजनिक हित की योजना बनाई थी। यह पूँजीवाद और साम्यवाद के बीच की वह अंतिम सामाजिक अवस्था है, जिसमें सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होता है और एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना होती है। मार्क्स को श्रमिकों से बड़ा प्रेम थां उसने यह कहा था, ''विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ।'' श्रमिकों की दशा का उत्थान ही उसका लक्ष्य था। उसने अपनी विचारों में यह बताया कि मानव समाज अपनी वर्तमान स्थितियों में किस प्रकार पहुँचा है और भविष्य में उसकी क्या दशा होगी। उसने वैज्ञानिक ढंग से इतिहास का अध्ययन किया और उसकी भौतिकवादी व्याख्या की उसने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिक व्याख्या वर्ग संघर्ष एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त के आधार पर अपने विचारों की पुष्टि की मार्क्स के समाजवाद का निर्माण सर्वहारा वर्ग की कांति के बाद होता है। उसने यह बताया कि साम्यवाद वह सीढ़ी है, जिसके द्वारा उत्पत्ति के साधनों पर समाज का अधिकार हो जाता है और मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त हो जाता है। मार्क्स ने राज्य का विरोध किया है और कहा है कि राज्य सर्वकल्याण को अपना उद्देश्य समझने वाला समुदाय न कभी रहा है और न कभी हो सकता है। राज्य हमेशा से ही शोषितों के विरूद्ध शोषकों का साथ देता रहा है शोषको का दमन करने के लिए मार्क्स की राय में राज्य पर शोषितों का अधिकार होना परम आवश्यक है। इसलिए राज्य पर अधिकार करके उस पूरे शोषको या बुर्जुआ वर्ग के स्थान पर श्रमिकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिससे राज्य शोषितों के हित में कार्य करने लगे। राज्य का प्रयोग तब खुलकर पूँजीपतियों और परजीवियों के विरुद्ध किया जाएगा इस राज्य में कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं होगी और शोषण के सारे संगठनों को मिटाना होगा ऐसे ही राज्य का नाम मार्क्स ने सर्वहारा का अधिनायकवाद दिया है। वास्तव में साम्यवाद ही मार्क्स का उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य है। यह एक वर्गविहीन, राज्यविहीन, धर्मविहीन सुखी और समृद्ध समाज की नार्क्सवादी कल्पना है। साम्यवाद एक ऐसी समाज व्यवस्था की कल्पना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सुखी और स्वतंत्र हो, संघर्ष के स्थान पर प्रेम लोगों के बीच का सम्बन्ध निर्णीत करे मार्क्स ने साम्यवाद की एक सुन्दर कल्पना की है, जिसमें न केवल भौतिक समृद्धि के लिए स्थान है, बल्कि यह एक सहयोगपूर्ण पारिवारिक जीवन के निर्माण की कामना करता है। साम्यवाद की स्थापना की कुछ विधियों है–

- समाज के सारे उत्पादन के साधनों को पूंजीपतियों और शोषकों के हाथ से छीन कर उन्हें सार्वजनिक बनाना होगा।
- पूँजीवादी और शोषक व्यक्तियों का अंत करना होगा।
- उत्पादन की वृद्धि करना और काम करने वालों को काम के अनुसार परिश्रमिक देना होगा।

- प्रत्येक के लिए श्रम अनिवार्य करना होगा।

- भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति के उन्मूलन का सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्रयोग करना होगा।
- उत्तराधिकारी प्रणाली को समाप्त करना होगा।
- सार्वजनिक स्कूलों में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी।

मार्क्सवादी समाज में सभी प्रकार के बंधन समाप्त हो जाते हैं, शिक्षा और विकास के सुअवसर प्रत्येक बच्चे के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं, जाति, धर्म रंग और राष्ट्रीयता के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं और शारीरिक एवं मानसिक श्रम को समान समझा जाने लगता है। व्यक्तिवादी जीवन के स्थान पर सामुदायिक भावना का जन्म होता है और स्वार्थ का स्थान मानव–प्रेम ले लेता है और तब प्रत्येक व्यक्ति समाज के उत्थान के लिए काम करने लगता है। काम करने के लिए किसी को प्रलोभन की आवश्यकता नहीं होती और तब राज्य का भी अन्त हो जाता है और एक वर्ग विहीन, राज्यविहीन समाज की स्थापना होती है और श्रमजीवी वर्ग की विजय के परिणामस्वरूप पूंजीवादी संस्था के रूप में राज्य नष्ट हो जाता है एवं सार्वजनिक कार्यों का राजनीतिक स्वरूप खत्म हो जाता है। यही मार्क्स का साम्यवाद है। कुछ विचारकों का मत है कि महात्मा गाँधी के विचार मार्क्स से मिलते–जुलते है। उनका कहना है कि यदि साम्यवादी विचारधारा में से हिंसा का तत्व हटा दिया जाए तो गाँधीजी के ही विचार शेष रह जाएंगे आचार्य विनोबा भावे ने लिखा है कि महात्मा गाँधी और कार्ल मार्क्स दोनों ही किसी जनता के लिए माता–पिता के समान है और दोनों ही निर्धन और पददलित व्यक्तियों का उद्धार करना चाहते है। मार्क्स की ही तरह गाँधीजी मी पूजीवादी शोष के युग को समाप्त करके एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे, जहाँ मनुष्य के अन्दर लाभ की भावना होकर पारस्परिक सहयोग, सेवा और प्रेम की भावनाओं का साम्राज्य हो। गाँधी और मार्क्स के विचारों में हम यह समानता पाते हैं कि दोनों ही विचारधाराएं पूँजीवादी शोषण का अंत चाहती है और सारे उत्पत्ति के साधनों पर सम्पूर्ण समाज का स्वामित्व स्थापित करना माँगती हैं। दोनों ही विचारधाराओं में व्यक्ति के कार्यों में राज्य का कम–से–कम हस्तक्षेप हो, यह बात देखने को मिलती है।

लेकिन महात्मा गाँधी के विचार का आधार अध्यात्म और नैतिकता है और उन्होंने साम्यवादियों के भौतिक आधार की आलोचना की है

1. महात्मा गाँधी अपरिग्रह द्वारा स्वेच्छा से निजी सम्पत्ति का अंत करना चाहते हैं, जबकि साम्यवादी बलपूर्वक निजी सम्पत्ति को समाप्त करना चाहते हैं। महात्मा गाँधी ने लिखा था कि बोल्शेविज्म का पूरा–पूरा अर्थ उन्होंने अभी तक यही

समझा है कि उसका उद्देश्य निजी सम्पत्ति की संस्था को मिटाना है. लेकिन वह हिंसा और बल का प्रयोग बड़ी आसानी से करता है। उसके इस कदम का गाँधीजी ने कड़ा विरोध किया है और कहा है कि इस प्रकार बोल्शेविक अपने वर्तमान रूप में अधिक दिन तक नहीं टिक सकता, क्योंकि हिंसा के आधार पर आधारित कोई भी व्यवस्था कभी स्थायी नहीं हो सकती।

2. महात्मा गाँधी ने आध्यात्मिकता को बड़ा महत्व दिया है। उन्होंने धन के स्थान पर नैतिकता को मानवीय जीवन का आधार स्वीकार किया है। उनका विश्वास था कि भौतिक उन्नति की अपेक्षा आध्यात्मिक उन्नति का ज्यादा महत्व है और मानवीय मूल्य जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने साम्यवादियों की इस आधार पर आलोचना की कि वे भौतिक साधनों की प्राप्ति पर अधिक बल देते हैं और उनकी प्रणाली में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। महात्मा गाँधी के अनुसार सिर्फ भौतिक आधारों पर ही जीवन का सर्वोच्च नहीं पाया जा सकता।

3. महात्मा गाँधी ने साम्यवादियों के मानव स्वभाव सम्बन्धी विचारों की भी आलोचना की है और लिखा है कि साम्यवाद जिन विचारों पर आधारित है, वह हमारे विचारों से बुनियादी तौर पर भिन्न है। साम्यवादी मनुष्य को मूलतः स्वार्थी मानते हैं, जबकि गाँधी इस बात को नहीं मानते और वे कहते हैं कि मनुष्य और पशु में बुनियादी अंतर है और मनुष्य अपनी आत्मा की पुकार को सुन सकता है, उन विचारों से ऊपर उठ सकता है जो उसमें और पशुओं में सामान्य रूप से पाए जाते हैं और इसलिए वह स्वार्थ भावना और हिंसा से भी ऊपर उठ सकता है। स्वार्थ और हिंसा पशु स्वभाव के अंग है, मनुष्य के नहीं। यही कारण है कि हमारे यहाँ ऐसे संत और महात्मा हुए हैं, जिन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों की खोज में अपने प्राण दिए हैं। इसलिए उनका मत है कि साम्यवाद का भी आधार अहिंसा और सहयोग होना चाहिए।

4. महात्मा गाँधी जी और साम्यवादियों का लक्ष्य एक ही है–एक वर्गविहीन समाज की स्थापना करना, लेकिन साम्यवादी इस वर्गविहीन समाज की स्थापना शक्ति के द्वारा करना चाहते हैं और गाँधीजी ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि साम्यवाद के अर्थ की छानबीन की जाए तो अंत में हम इस निश्चय पर पहुंचते है कि उसका अर्थ है–एक वर्गविहीन समाज की स्थापना करना। यह एक बड़ा ही अच्छा आदर्श है, लेकिन जब इस आदर्श की प्राप्ति के लिए वे हिंसा के प्रयोग की बात करने लगते हैं, तब गाँधी का मार्ग उससे अलग हो जाता है। उनका कहना है कि हम सब जन्म से समान ही है, परन्तु हमने इस बात को स्वीकार न करके भगवान की इच्छा की अवहेलना की है। असमानता की भावना एक बुराई है, पर यह बुराई तलवार से दूर नहीं की जा सकती है। उसके लिए सत्य, अहिंसा और त्याग की जरूरत है।

5. महात्मा गाँधी गाँव के असख्य व्यक्तियों को रोजगार दिलाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कुटीर उद्योगों का समर्थन किया और मशीनरी के प्रयोग का विरोध किया वे साम्यवादियों से इस आधार पर भी विरूद्ध थे कि वह बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना करना चाहता है और मशीनरी के प्रयोग को बढ़ाना चाहता है।

6. साम्यवादियों ने वर्ग संघर्ष को अनिवार्य बताया है और उनका समाज एक ऐसा समाज है, जिसमें सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होती है. जबकि गाँधी इसके विरूद्ध थे। उन्होंने हमेशा एक वर्गविहीन समाज का स्वप्न देखा और एक सर्वोदयी समाज की रचना ही उनका उद्देश्य था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विकास हो। उनके सर्वोदय का अर्थ ही था सभी का उदय।

7. महात्मा गाँधी ने साम्यवाद की इस आधार पर आलोचना की है कि साम्यवाद समानता भी हिंसा के द्वारा ही लाना चाहता है, जबकि गांधीजी का विश्वास है कि प्रेम के द्वारा लोगों को अपनी बात समझाई जा सकती है और अहिंसा के द्वारा समाज में आर्थिक समानता लाई जा सकती है।

इस तरह हम यह पाते हैं कि गाँधीवाद और साम्यवाद दोनों में लक्ष्य के समानता रहते हुए भी लक्ष्य की प्राप्ति और अन्य धारणाओं में बड़ा अंतर है। साम्यवादी केवल व्यक्ति के निकट भविष्य पर विचार करते हैं, जबकि गाँधीवाद मनुष्य के इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण पर विचार करता है।

सन्दर्भ

1. *के.एन.वर्मा, पाश्चात्य राजनीतिक विचारधाराए, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ 1981 पृ0 301*
2. *महात्मा गाँधी हरिजन सेवक 31.3. सम्पादक प्यारे लाल, अहमदाबाद 1946, पृ0 18*
3. *महात्मा गाँधी हरिजन 13:3 1937, पूव 61*
4. *गांधी, एम०के०, सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा साकेत प्रकाशन, 2019 पू०–260*
5. *दादा धर्माधिकारी, सर्वोदय दर्शन ,सर्व सेवा संघ प्रकाशन पू० – 16*
6. *कुमारम्पा, भारतन सर्वोदय पू०–3*
7. *गाँधी एम०के०, हिन्दू धर्म, पृ०–209*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-156-160

राष्ट्र निर्माण में महिला स्वास्थ्य जागरूकता की आवश्यकता

*डॉ०पुष्पेन्द्र सिंह**

सारांश

प्रकृति ने महिला को एक अहम शक्ति से नवाजा है, वह है कि महिला ही इस पृथ्वी पर नई जिंदगी को लेकर आती है। महिलाएं समाज की मूल इकाई होती हैं, वह एक परिवार से घर, घर से समाज, समाज से राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। महिलाओं की इन्हीं विशेषताओं के कारण, भारत में महिलाओं को देवी का दर्ज दिया जाता है, उनकी पूजा–अर्चना की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर महिला पोषण, स्वास्थ्य, बाल विवाह, यौन उत्पीड़न एवं हाइजीन की जानकारी का अभाव, महिलाओं के प्रति हिंसा, शिक्षा की कमी इत्यादि अनेक समस्यायें इस देवी की जमीनी हकीकत को बयान करती है, कि कहीं न कहीं हमारे समाज के लोगों की कथनी और करनी में भेद है। वर्तमान दौर में हमारे देश के कर्ण धारों, मार्ग दर्शकों को अपना समाज, राष्ट्र का भविष्य संवारने के लिए महिला स्वास्थ्य की ओर इमानदारी से प्रयास करने होंगे, जिसमें महिला शिक्षा, सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा, खाद्य एवं पोषण की जमीनी हकीकत में सुधार करना, महिलाओं के व्यक्तिगत प्रयोग में होने वाली वस्तुओं का टैक्स फ्री किया जाना और इन सब मे सबसे महत्वपूर्ण मानसिक और सामाजिक तौर पर परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक स्वस्थ महिला पर ही भावी पीढ़ी की तथा भावी पीढ़ी पर भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी होती है तभी एक सषक्त सुदृढ़ विकसित समाज एवं राष्ट्र का सपना साकार हो सकेगा।

पूर्ण स्वास्थ्य किसी व्यक्ति लिए एक ऐसी व्यक्तिगत एवं सामाजिक अनुभूति है जिसमें व्यक्ति अपने आपको सक्रिय सृजनशील, समझदार एवं योग्य महसूस करता है, जब एक व्यक्ति प्रसन्न एवं स्वस्थ होता है तो वह समाज एवं राष्ट्र के लिए अपनी शक्तिओं का सकारात्मक उपयोग करके एक नई दिशा प्रदान कर सकता है, अगर यह बात महिलाओं के संदर्भ में उपयोग में लाई जाय तो जहाँ पुरूषों के मुकाबले एक महिला को कुदरत ने एक और अहम शक्ति से नवाजा है कि महिला की दूसरी जिंदगी को इस दुनिया में लेकर आती है। महिलाओं के बिना पुरूषों समाज एवं राष्ट्र जीवन की राह और आसान नहीं होगी वे समाज की आधारभूत इकाई होती हैं, वे एक परिवार बनाती हैं, परिवार से घर बनाती है, घर से समाज और अंततः एक राष्ट्र बनाती हैं तो एक महिला का योगदान परिवार से लेकर राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय होता है।

भारत रत्न डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर की यह बात वर्तमान दौर में हमें भविष्य का आइना दिखाती है कि मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज में महिलाओं की

**सहायक प्रोफ़ेसर शारीरिक शिक्षा, इंदिरा गाँधी राजकीय महिला महाविद्यालय रायबरेली (उ०प्र०)*

प्रगति से मापता हूँ। अगर मैं विशेष तौर पर भारत के संदर्भ में महिला विकास एवं प्रगति की बात करूं तो आज न्यूज पेपर आर्टिकल मैगजीन में महिला केवल पोस्टर गर्ल बन कर रह गई है, उनके स्वास्थ्य, बीमारियों समस्याओं की बात कहीं पीछे छूट गई है इसी का नतीजा है कि आज महिलाओं के स्वास्थ्य पर खतरा और बढ़ता जा रहा है क्योंकि महिलाओं को केवल एक उपभोग की वस्तु समझा जा रहा है, वहीं तमाम सरकारी प्रयासों एवं जागरूकता कार्यक्रम नियमों के बाद भी महिलाओं का जीवन पुरूषों के मुकाबले जमीनी स्तर पर बहुत कठिन बना हुआ है। अगर किसी भी देश की महिलाओं को सशक्त नहीं किया जाता है तो इसका सीधा–सीधा अर्थ है कि देश की आधी आबादी या महिला शक्ति का अभाव है। प्राकृतिक या स्वाभाविक तौर पर महिलाएं अपनी सभी भूमिकायें बड़ी ईमानदारी एवं जिम्मेदारी के साथ निभाती हैं और एक स्वस्थ परिवार समाज एवं राष्ट्र को और मजबूत बनाने की क्षमता रखती हैं। ब्रिघम यंग एक प्रसिद्ध कहावत है कि जब आप एक पुरूष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक पुरूष को शिक्षित करते हैं वहीं जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक परिवार या भावी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं तो इस लिहाज से समाज एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए महिला विकास एवं स्वास्थ्य के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन जब बात महिला अधिकारों सुविधाओं स्वास्थ्य की आती है तो आधी आबादी के राष्ट्र या समाज निर्माण में यह बात दूर की कौड़ी या निराधार साबित होती है, इसका उदाहरण शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य में इनको दोयम दर्जे का नागरिक समझने से है लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी पुरूषों या समाज पर थोपना भी सही नहीं होगा क्योंकि स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकता की अनदेखी खुद महिलाओं द्वारा भी की जाती रही है तो ऐसे में यह प्रश्न उठना लाजमी है कि उनके स्वास्थ्य का जायजा लिया जाए क्योंकि अस्वस्थ या बदहाल महिला समाज या राष्ट्र के निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग नहीं दे सकती तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ कार्य पर भी चिंतन कर लिया जाय। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 4 एवं 5 के अनुसार भारत में विवाहित महिलाओं का लगभग 63 प्रतिशत महिलायें खुद से स्वास्थ्य संबंधी मामलों में पहल नहीं कर पाती हैं। 30 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं 15 वर्ष की उम्र से पहले ही शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि 33 प्रतिशत महिलायें शारीरिक हिंसा का 14 प्रतिशत लैंगिक हिंसा का और लगभग 7 प्रतिशत महिलायें वैवाहिक लैंगिक हिंसा का शिकार होती हैं, वहीं एक चौथाई विवाहित महिलायें शारीरिक जख्म से जूझती रहती हैं। इसमें भी सबसे चिंताजनक विषय है कि उनमें से महज 14 प्रतिशत ही इस हिंसा के खिलाफ आवाज उठाती हैं लेकिन इस सर्वे में पहले के मुताबिक महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार दर्ज किया गया है और इसकी गति अत्यंत धीमी हैं। जाहिर है कि सर्वे में सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े देश

में त्रिस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली शासन, प्रशासन की नियत पर सवालिया निशान उठाते हैं तथा शसक्त समाज में महिलाओं की स्थिति, दिशा एवं दशा पर भी डालते हैं तो इस क्रम में उन कारणों का पता लगाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिनके कारण महिलाओं की स्थिति आज भी दयनीय है–

1. महिलाओं के साथ जन्म से भेदभाव शुरू हो जाता है, अगर किसी कारण से यह जानकारी हो जाय कि माँ की कोख में बच्चा लड़की है तो जन्म से पूर्व ही भ्रूण हत्या का शिकार बनने की संभावना बनी रहती है। कहने को तो हमारे यहाँ बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है कि उनकी पूजा–अर्चना की जाती है लेकिन यह बातें केवल जुबानी जुमले तक ही सीमित रह जाती हैं।

2. लड़के–लड़कियों के बीच कुछ परिवारों में आहार कर स्तर–स्तर पर भी भेदभाव किया जाता है कि लड़के को लड़की के मुकाबले भरपेट भोजन एवं पौष्टिक आहार दिया जाता है। वहीं लड़की को दूसरे घर की संम्पत्ति समझ कर उसके आहार पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है जिससे लड़कियाँ कुपोषण का शिकार बनती है और उनके स्वास्थ्य में गिरावट आती है।

3. यूनिसेफ के एक सर्वे के मुताबिक देश में बाल अवस्था में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की मौतें ज्यादा होती हैं। महिलाओं के बदहाल स्वास्थ्य पर नजर डालें तो महिलाओं में गर्भ धारण के दौरान होने वाली देखभाल में कमी पोषण के चलते प्रजजन स्वास्थ्य का खराब होना लड़की की चाहत में परिवार के दबाव एवं कभी–कभी खुद महिला की इच्छा होने के कारण बार–बार गर्भ धारण से सम्बन्धित आम समस्यायें हैं।

4. भारत देश में जच्चा–बच्चा नाम का सर्वे 6 राज्यों–छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, उडीसा, और उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका उद्देश्य इन राज्यों की गर्भवती महिलाओं की पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित जमीनी हकीकत का पता लगाना था। इस सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गर्भवती महिलाओं में से 36 प्रतिशत गर्भधारण के दौरान एक भी जाँच की सुविधा प्राप्त नहीं होती है एवं बाल पोषण समस्या के पीछे गर्भवती महिला की खस्ता हालत और अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली भी जिम्मेदार है।

5. हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 117 देशों में भारत का 102वां स्थान बच्चों, महिलाओं में कुपोषण की जमीनी हकीकत को बयां करता है।

6. विभिन्न सर्वे के अनुसार पिछले एक दशक में भारत के बच्चों की विश्व स्तर के बच्चों के मुकाबले वजन एवं लम्बाई कमतर आंकी गयी है।

7. महिलाओं के स्वास्थ्य की खराब स्थिति के पीछे अन्य वजह–बाल विवाह, खुले में शौच, यौन हाइजीन की अपर्याप्त जानकारी अशिक्षित होना रोजगार का ना

होना स्वास्थ्य संबंधी जरूरी जानकारी ना होना स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना इत्यादि है।

8. एक अध्ययन के मुताबिक शहरों की महिलाओं का स्वास्थ्य गाँव की महिला के मुकाबले एवं एक शिक्षित महिला का स्वास्थ्य शिक्षित महिलाअें के मुकाबले बेहतर पाया गया है।

9. विभिन्न सर्वे के मुताबिक भारत में महिला संख्या बल के अनुपात में अस्पताओं में डाक्टर का ना होना, विचारों की कमी, महिला स्वास्थ्य के प्रति समाज एवं राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

10. भारत में 80 प्रतिशत से ज्यादा महिलायें मासिक चक्र के दौरान सेनेटरी नैपकिन का उपयोग नहीं करती हैं। इसके स्थान पर राख, घास इत्यादि जैसी बेहद असुरक्षित साधनों का प्रयोग करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हादसे अत्यंत खराब है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

1. हमारे देश में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता सरकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए मानसिक और सामाजिक परिवर्तन की जाने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ समस्या मानसिक तौर पर ज्यादा है। हमारे यहाँ नारी को पिछड़ा एवं दोयम दर्जे का समझा जाता है। जब तक हम खुद से यह नहीं समझेंगे कि सुरक्षित नारी भविष्य के लिए जरूरी है तब तक केवल इस प्रकार की बातों पर विचार करना कोरी कल्पना के समान है।

2. महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए खानपान और पोषण स्तर पर होने वाले भेदभाव को भी खत्म किये जाने की आवश्यकता है तथा महिलाओं को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना ताकि बाल विवाह जैसी कुप्रथा से भी निजात पाई जा सके। सही उम्र में लड़के–लड़कियों का विवाह हो ताकि भावी संतान पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके और मानवीय संसाधन बन सके इसके लिए जरूरी है कि सिविल सोसाइटी सामने आकर पहल करें जिससे सरकार और एनजीओ के प्रयासों की है।

3. सरकार भी अपने स्तर से यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में कथनी और करनी में अंतर न हो ताकि बीमार एवं जरूरतमंद महिलाओं की स्वास्थ्य एवं खाद्य जैसी मूलभूत आवश्यतायें पूरी हो सके।

4. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मनरेगा एवं रोजगार परक कार्यक्रमों में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी को सुनिश्चित किया जाय।

5. महिला हाइजीन से संबंधित और जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों नुक्कड़ नाटक साहित्य फिल्में प्रदर्शनी को भी अधिक संख्या में आयोजित किया जाय।

6. महिला हाइजीन से संबंधित वस्तुएं जैसे सेनेटरी पैड इत्यादि को टैक्स फ्री करना चाहिए।

सन्दर्भ

1. *दृष्टि आईएएस एकेडमी का भारत में महिला स्वास्थ्य की स्थिति पर ऑडियो आर्टिकल संबंधी सामग्री।*
2. *टोटल हेल्थ महिला स्वास्थ्य पर विशेष डीडी न्यूज।*
3. *The Indian express article on pregnant nursing womens health 24 Jan 2020.*
4. *NFHS 4 & 5.*
5. *www.hindikiduniya.comèessayèrole-of-women-in-society...*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-161-167

भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ

*डॉ० रीतू शाही **

सारांश

भारत लोकतांत्रिक देशों में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में वैदिक काल से ही सभा ,समिति, परिषद इत्यादि लोकप्रिय संस्थाओं का वर्णन से इस बात का प्रमाण मिलता है कि वैदिक काल से ही भारत में लोकतंत्र की परंपरा विकसित होती रही है। भारत ने ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति देशवासियों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान के फल स्वरुप लंबे समय के बाद से प्राप्त की। अंततः अनेक पेचीदगियों, जद्दोजहद ,टकराव, विचार विमर्ष के पश्चात 26 नवंबर को अपना संविधान बनाया जिसे 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में लागू किया गया। जिसमें संप्रभुता ,समाजवादी ,धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया। अपनी विकास यात्रा के दौरान नागरिकों के लिए उसने खुद की अस्मिता, मर्यादा, स्वतंत्रता ,समता की खोज एक प्रश्न के रूप में उभरा लोकतंत्र (लोकतांत्रिक मूल्य)के इस प्रश्न के उत्तर मे सर्वोत्तम विकल्प के रूप में प्रस्तुत हुआ लोकतंत्र लोगों के लिए ,लोगों द्वारा ,लोगों के विस्तृत विचार व विभिन्न पक्षों को अभिव्यक्त करता है हमारा उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना था जिसमें समस्त नागरिक अपनी क्षमताओं का पूरा लाभ उठा सकें। जिसे संविधान की प्रस्तावना नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार ,नीति निर्देशक तत्व इत्यादि प्रावधानों के द्वारा लोकतंत्र के राजनीतिक ,सामाजिक, आर्थिक आदर्शों को जमीनी हकीकत पर हासिल करने का दृढ़ संकल्प लिया गया। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद भारत ने बहुआयामी राजनीतिक ,सामाजिक ,–आर्थिक विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है फिर भी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आज आतंकवाद ,नक्सलवाद, बेरोजगारी इत्यादि गंभीर चुनौतियां भारत की उन्नति के प्रवाह को नकारात्मक रूप से बाधित कर रही है। जिसे निःसंदेह हम मजबूत राजनीतिक नेतृत्व व साझा प्रयासों से देश के सम्मुख मौजूद सभी चुनौतियों को पार कर नए भारत का निर्माण करने मे सफल होंगे।

मुख्य शब्द – भारतीय लोकतंत्र, उपलब्धियां, चुनौतियां, मानव विकास।

शोध उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों का अध्ययन कर लोकतंत्र के समक्ष उभरती चुनौतियां व प्रभाव को जानना।

शोध पद्धति – प्रस्तुत षोध प्रकाशित शोध ग्रंथों में प्रकाशित लेखों, समाचार पत्र में प्रकाषित आलेख व पत्रिकाओं में प्रकाषित लेखों के माध्यम से सूचनाओं को संग्रहित कर षोध की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है।

वर्तमान में भारत एक प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, संसदीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। देश का अपना स्वतंत्र, लिखित निर्मित संविधान है। अब यह विचार आता है कि लोकतंत्र वास्तव में क्या है ? सामान्य अर्थों में देखें तो यह एक शासन प्रणाली ही नहीं बल्कि एक विकासशील दर्शन भी है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व उसके प्राण है। भारत के संदर्भ में देखें तो यह पाते हैं कि भारत की संस्कृति के रूप में लोकतंत्र सदैव से ही उपस्थित रहा है। सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु

** असिस्टेंट प्रोफेसर ,राजनीति विज्ञान, आर.एम.पी. (पी.जी.) कॉलेज सीतापुर (उ०प्र०)*

निरामया ,वसुधैव कुटुंबकम जैसे वेदों उपनिषदों पुराणों में उल्लेखित अनेक उपदेश स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं ।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी भाषा, क्षेत्र ,रीति रिवाज में विभिन्नता के होते हुए भी देश भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से एकता के सूत्र में बंधा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य केवल स्वाधीनता प्राप्त करना ही नहीं बल्कि यह एक वैचारिक संघर्ष भी था जिसमें सामाजिक, आर्थिक ,राजनीतिक मूल्य समाहित थे। जिसे लोकतंत्र का प्राणधार माना जाता है। वंदे मातरम् जयघोष के साथ सन् 1947 में एक स्वतंत्र लोकतंत्र के रूप में भारत का उदय हुआ। लंबे संघर्षों के बाद आजादी तो हमें अवश्य मिली लेकिन देश के समक्ष बड़ी चुनौती थी आर्थिक व सामाजिक न्याय का वास्तविक जामा पहनाना अतः संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान के विभिन्न प्रावधानों के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यावहारिक पटल पर स्थापित करने का प्रयास आरंभ किया जो कि वर्तमान में परिवर्तन की प्रक्रिया निर्बाध गति से चल रही है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के लंबे वर्षों की अवधि में भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख ऐसे गौरवमयी पल भी आए जो उपलब्धियों से ओतप्रोत थे वही इसके समक्ष कुछ ऐसी चुनौतियां भी देखने को मिल रही है जो इसके विकास पहिए की गति को बाधित कर रही हैं। ऐसे में भारतीय लोकतंत्र के आत्म अवलोकन की अत्यंत आवश्यकता है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत का अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक आर्थिक दोहन किया , तथा आर्थिक व सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय लोकतंत्र ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की है।

शासन प्रणाली के रूप में दुनिया में भारत की साख विश्वसनीय परिपक्व लोकतंत्र के रूप में बनी हुई है। स्वाधीनता प्राप्ति के तुरंत बाद ही हर एक नागरिक को मताधिकार प्रदान किया गया साथ ही स्वतंत्र निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई 1952 में पहला लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ जिसमें लगभग 70 करोड़ लोगों ने मतदान किया अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और यह व्यवस्था अभी भी बनी हुई है। हमारे संविधान में अब तक 104 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं इसके बावजूद यह महत्वपूर्ण है कि हमारे देश मे आज भी वही संविधान लागू है जो सन 1950 में लागू किया गया था। भारत को छोड़कर अन्य देशों में या तो उन्हें खारिज कर दिया गया है या वहां पर सैनिक तंत्र लागू हो गया है या नए संविधान आ गया है।

भारतीय लोकतंत्र में हमेशा से ही जनादेश का सम्मान किया जाता रहा है. कोई भी राजनीतिक दल विजयी हो या पराजित लेकिन जीत सदैव भारतीय मतदाता व लोकतंत्र की ही हुई है क्योंकि मतदाता भारतीय लोकतंत्र की सबसे

बड़ी ताकत है। वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र शासन प्रणाली वर्ग विशेष, क्षेत्र विशेष की नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज की आत्मा बनकर उभरा है। जहां तक धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, हालांकि संविधान में आपातकाल के दौरान संशोधन द्वारा पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है .भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में सभी धर्मों को समान धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सभी धर्मों के प्रति सरकार का व्यवहार एक सा है । भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में एक उपलब्धि स्थानीय स्वशासन को 73 वें और 74 वें संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा देकर उसे सशक्त और मजबूत बनाकर यह सिद्ध कर दिया गया है कि वह राजनीतिक परिवर्तनों का एक बहुत सुदृढ़ माध्यम है।

सामाजिक स्तर पर भारतीय लोकतंत्र की प्राप्त सफलता का अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र में काफी प्रगति की है। भारतीय लोकतंत्र के लक्ष्य समतामूलक समाज ,सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु अनुसूचित जातियों जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाने हेतु आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया। इसके साथ ही 9 जनवरी 2019 को आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्र की आधी आबादी महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक आवश्यकताओं, परिस्थितियों के अनुसार नई– नई योजनाओं, नियमों, अधिनियमों कानूनों (हिंदू कोड बिल दहेज निषेध अधिनियम घरेलू हिंसा अधिनियम, उज्जवला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तीन तलाक दंडनीय अपराध) जैसे अनेक कानूनों, अधिनियमो ,योजनाओं को पारित किया गया जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है परिणाम स्वरूप महिलाओं का योगदान सभी क्षेत्रों में दिनों –दिन बढ़ता जा रहा है जो समावेशी लोकतंत्र व्यवस्था का सकारात्मक पहलू कहा जा सकता है ।

अभी हाल में ही वायु सेना में शक्तिशाली फाइटर विमान राफेल मे स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शिवांगी सिंह को पहली महिला फाइटर जेट पायलट बनना भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है।

लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत बच्चों वृद्धों दिव्यांगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, आवास योजना ,पीएम गरीब कल्याण योजना, जिसमें आवास योजना के अंतर्गत (उपलब्ध सूचना के अनुसार) लगभग एक करोड़ एक लाख लोगों को आवास प्राप्त हो चुका है जैसी योजनाओं को लागू कर सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। भारत के लिए बड़े गर्व का विषय है।

इसके साथ ही भारतीय लोकतंत्र ने शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है जिसे भारतीय लोकतंत्र में साक्षरता दर में निरंतर हुई वृद्धि के साथ देख

सकते हैं ।1951 में साक्षरता दर 18 .33% थी ,1971 में 34 .45% 1991 में 52 . 21% , 2011 में 74 . 0 % , 2021 में यह बढ़कर 77 .7% तक पहुंच गई है। इसके साथ 1986 के बाद देश में पहली बार शिक्षा नीति में परिवर्तन कर 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू की गई है जो महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से है।

फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन के अनुसार भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान तथा दूसरा खाद्यान्न उत्पादक आत्मनिर्भर देश बन बहुत ही गौरवमयी उपलब्धि प्राप्त की है। गौर करें देश ने बीते 75 वर्शों में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काफी प्रगति की है पहले जहां 10 में से दो बच्चों की मृत्यु जन्म के तुरंत बाद हो जाती थी अब 1000 बच्चों में 27 की मृत्यु जन्म के बाद हो रही है। 1950 के दशक मे हर साल मलेरिया से 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई ,1958 में आरंभ मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से इसे नियंत्रित कर लिया गया गया (विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार)–यह संख्या अब मात्र 77 रह गई है उल्लेखनीय है 1950– 51 में स्मॉल पॉक्स (चेचक) से 105 781 लोगों की मृत्यु हुई।1963 में प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम ने इस बीमारी को ही समाप्त कर दिया है। 1994 में शुरू पल्स पोलियो टीकाकरण ने पोलियो से मुक्ति दिलाई। 2011 में अंतिम पोलियो केस पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मिला था। वही डॉक्टरों की संख्या आबादी के पाँच गुना बेहतर की गई है साथ ही मेडिकल कॉलेज भी करीब 20 गुना बढ़ गए हैं । हालांकि इस क्षेत्र में अभी भी विशेष ध्यान और सुधार की जरूरत है।

अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रौद्योगिकी विकास सूचना के क्षेत्र मे कदम से कदम मिलाते हुए देश में इसी संदर्भ में 1955 में जहां पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था साथ ही 1954 में भाभा परमाणु सेंटर की स्थापना,1975 में आर्यभट्ट का प्रक्षेपण के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े कदम ,1984 में अंतरिक्ष में रखा गया पहला कदम, 2001 तेजस की पहली उड़ान, 2008 में चंद्रयान का पहले ही प्रक्षेपण में सफल होना, 22 जुलाई 2019 बींदकतंलंद–2 मिशन अभियान की सफलता मिलना, 2014 में पहले ही प्रयास में मंगलयान पहुंचना ,2017 में इसरो द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का कीर्तिमान स्थापित करना, 2018 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गगन यान कार्यक्रम भारत की अंतरिक्ष यात्रा भारतीय लोकतंत्र के विकास गाथा का एक बिंदु प्रदर्शित करता है।

2016 में आतंकी हमले के विरुद्ध की गई सैनिक कार्रवाई सर्जिकल स्ट्राइक ,अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति ,जन धन योजना में 1 सप्ताह के भीतर 18 09 613 0 बैंक खाते खुलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कर भारतीय लोकतंत्र ने महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है।

सुखद है कि देश में कोविड–19 महामारी से उपजी आपदा को अवसर में बदल दिया है .आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया है।

निःसंदेह भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत देश ओतप्रोत है न्यू इंडिया बनने की राह पर है परंतु आज भी बहुत से ऐसे पहलू है जो देश के विकास की राह पर बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे है। आतंकवाद देश के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है 2019 में 594 ,2020 में 244, 2021 में 196 आतंकी हमले हुए हैं आतंक से प्रभावित देशों में भारत का चौथा नंबर है देश में लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक राज्य को लगातार बढ़ रहे नक्सली हमले के संकट का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में भारत के सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है राजनीतिज्ञों, प्रशासकों, उद्योगपतियों की सांठ–गांठ से भ्रष्टाचार संस्कृति को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है देश में हो रहे घोटाले(जीप घोटाला चारा घोटाला, दूरसंचार घोटाला, हवाला कांड ,बैंक घोटाला, ईडी घोटाला, 2ळ स्पेक्ट्रम घोटाला) इत्यादि इस बात की पुष्टि करते हैं। भारत में व्यापक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार सुशासन की गुणवत्ता में एक बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है(सीपीआई 2021 सूचकांक के अनुसार)– भ्रष्टाचार सूची के 180 देशों में 85 वे स्थान पर है।

व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार के अलावा राजनीति का अपराधीकरण न आज लोकतंत्र में चुनावी राजनीति की छवि को भी दूषित किया है वरन 1967 के बाद से धीरे–धीरे चुनाव में बाहुबल ,धनबल का बोलबाला, प्रभाव बढ़ने लगा है । अब प्रत्येक चुनाव पिछले चुनाव से अधिक विशैला होता जा रहा है अर्थात् लोकतंत्र पर वोट तंत्र हावी होता जा रहा है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।

रोजगार सृजन की समस्या अभी तक बनी हुई है। रोजगार जरूरतों के कारण आर्थिक विकास पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है लगातार अवसर कम हो रहे हैं भारत में लगभग 12 करोड लोग बेरोजगार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया है जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है।

यद्यपि आज नारियों की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है लेकिन इसके साथ ही लिंग भेद, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, साक्षरता दर में कमी इत्यादि चुनौतियां आज भी मौजूद है जिसका अर्थ है भारत का धीमी गति से विकास होना क्योंकि आधी आबादी विकास के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है।

उपरोक्त के अलावा देश में जातिगत संघर्ष ,संप्रदायिकता, समुदायों के बीच एकता का अभाव, स्वार्थ सिद्धि हेतु राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग कर राजनेता आम जनमानस को वास्तविक मुद्दों से भटका कर जातिगत ,क्षेत्रगत, संप्रदायगत , हिंसा को बढ़ावा देने वाले मुद्दों पर अनावश्यक बहस कर भड़काते रहते हैं इस तरह विभाजनकारी शक्तियां भारत की एकता व अखंडता के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है।

साथ ही हमें यह विस्मृत नहीं होना चाहिए कि भारत कृषि प्रधान देश है अधिकांश भारतीयों की जीविका कृषि है वही किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या, उनकी जर्जर अवस्था मे सुधार देश के लिए बड़ी चुनौती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 37% जनता आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं।. उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को मुहैया कराना, बढ़ती महंगाई, आय में असमानता, दलबदल,संसद के कामकाज के तरीके, राजनीतिक अस्थिरता,उत्तरदायी प्रतिपक्ष का अभाव,देश में बढ़ती साइबर क्राइम की घटनाएं,130 करोड़ से अधिक आबादी वाली देश में सर्व सुलभ किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान कराना आदि देश के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह सच है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल किया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में हाल के कुछ वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी लोकतंत्र के तीव्र गति से होते विकास पथ पर अवरोधक बनी हुई है जिस पर सरकार के साथ हम सबको सुझ–बूझ के साथ एकजुट होकर चुनौतियों के समाधान के लिए अग्रणी भूमिका निभानी होगी।

सुझाव

देश में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि नागरिक समाज आगे आए नैतिकता, मानवीयतावादी मूल्यों की स्थापना से हमारा लोकतंत्र और भी सशक्त होगा। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के महत्वपूर्ण संस्था चुनाव आयोग के कमजोर नियुक्ति प्रक्रिया में भी बदलाव लाना होगा। संवैधानिक शिक्षा देश में अनिवार्य होनी चाहिए जिससे हर एक नागरिको को लोकतांत्रिक मूल्यों व कर्तव्यों का संज्ञान हो जिससे एक स्वस्थ ,आत्मनिर्भर ,नए भारत के निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभाने में तत्पर रहे चौथा स्तंभ मीडिया को भी अपनी निश्पक्ष और पारदर्शी भूमिका निभानी होगी।

निष्कर्ष

हम मानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में विश्व मंच पर उभर कर सामने आ रहा है। विश्व का महानतम लोकतंत्र होने के कारण इसमें अपार संभावनाएं हैं यह निश्चित ही अपने प्रयासों से उन मुश्किलों चुनौतियां, जो घरेलू और वाहय दोनों मोर्चों पर मौजूद है, दूर करने में सफलता प्राप्त कर निःसंदेह उन्नति के मार्ग पर और अधिक आत्मविश्वास, दक्षता ,वचनबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर होता रहेगा।

सन्दर्भ

1. *योजना जनवरी 2021*
   (भारतीय राजनीतिक चिंतन संकल्पनाएं एवं विचारक)
   संपादक– अजय कुमार इस्लाम अली , ISBN–978–81– 317– 5998(2012)
2. *अमर उजाला 30 मई 2020, पेज न9,15 अगस्त पेज संख्या 12, 22 सितंबर 2020 संख्या 1, 23 सितंबर 2021, 26 फरवरी 2022 पेज 10, 6 फरवरी 2022 पेजन.8, 14 फरवरी 2022पेज संख्या 6, 29 जुलाई 2020,26 जनवरी 2022 पेज संख्या 10*
3. *International journal of Advance Research And development issn&2455&40-30 volume2Issue&4&july-2017*
4. *International journal of All Research Education and scientific method (ljARESm)lssn &2455&6211 Volume&6 Dec-2018 -*
5. *www-deshbandhu-co-in2o17*
6. *www-amarujala-com*
7. *www-prabhathabar-com*
8. *www.ROar-media@hindi*
9. *www.hdi-handle-net|10603@182763 (Sodha anga-inflibnt-ac-in)*
10. *www.(esseayonfestonline)*
11. *www.m-jagaran-com*
12. *Tv&9Hindi&21 flracj 2021*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-168-172

सप्तकेतर कवि : काव्य वैशिष्ट्य

*डॉ० करुणा गुप्ता **

विचारों की नवीनता तथा काव्य में निरालेपन के साथ यदि सप्तकों में कुछ कवि संकलित हुए, तो सप्तकों से इतर भी विलक्षण एवं प्रयोगधर्मी कवियों की कमी नहीं थी। यह और बात है कि किन्हीं कारणों से वे सप्तकों में सम्मिलित होने से रह गए। इसका स्पष्टीकरण देते हुए तीसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है,' ऐसा दावा नहीं है कि जिस काल या पीढ़ी के ये कवि हैं उसके यही सर्वोत्कृष्ट या सबसे अधिक उल्लेख्य कवि हैं। दो–एक और आमंत्रित होकर भी इसलिए रह गए कि वे स्वयं इसमें आना नहीं चाहते थे– चाहे इसलिए कि दूसरे कवियों का साथ उन्हें पसंद नहीं था, चाहे इसलिए कि संपादक का संपर्क उन्हें अप्रीतिकर या हेय लगा, चाहे इसलिए कि वे अपने को पहले ही इतना प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मानते थे कि नए कवियों के साथ आने में उन्होंने अपनी हेठी या अपना अहित समझा। एक इसलिए रह गए कि उनकी स्वीकृति के बावजूद दो वर्ष के परिश्रम के बाद भी उनकी रचनाएं न प्राप्त हो सकीं। एक–दो इसलिए भी छोड़ दिए गए कि एकाधिक स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित हो चुकने के कारण उनका ऐसे संकलन में आना अनावश्यक हो गया था। स्मरण रहे कि मूल योजना यही थी कि सप्तक ऐसे कवियों को सामने लाएंगे जिनके स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित नहीं हुए हैं और जो इस प्रकार भी 'नए' हैं। यदि प्रस्तुत संकलन के भी दो–एक कवियों के स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं तो वह इसी बात का द्योतक है कि तीसरा सप्तक की पांडुलिपि बनने और उसके प्रकाशन में एक लंबा अंतराल रहा है। उन्हें लाने का कारण ही यह विश्वास है कि उनके अपने– अपने संग्रह छपने चाहिए।'' [1] कुछसप्तकीय की कवियों की तुलना में इनका पलड़ा भारी ही पड़ता है। जहां तक चौथा सप्तक के कवियों की तुलना का प्रश्न है वह तो इस परंपरा में लगभग न के बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र सप्तक परंपरा में आने वाले कवियों में उनका स्थान नगण्य है अपितु काव्य परंपरा में ही उनका कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। अज्ञेय ने उन्हें सप्तक परंपरा में स्थान दिया यह उनकी व्यक्तिगत सोच का परिणाम है। किंतु जब हम समीक्षक की दृष्टि से देखते हैं तो पाते हैं कि अज्ञेय जिस परंपरा को चला रहे थे चौथा सप्तक के कवियों का उसमें कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। इन कवियों में प्रयोगशील चेतना का सर्वथा अभाव है। यद्यपि उनकी कविताओं में संवेदनशीलता है, किंतु जब उद्देश्य पूरा नहीं होता तो कविता की सार्थकता क्या? उस विशिष्ट परंपरा में लिए जाने का अर्थ क्या? ऐसी स्थिति में अध्ययन विशेष के लिए मात्र तारसप्तक, दूसरा सप्तक, और तीसरा सप्तक शेष बचते

**एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग आर्य कन्या महाविद्यालय, हापुड़ (उ०प्र०)*

हैं।इन सप्तकों में आए महत्वपूर्ण कवियों के समान ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण कवि थे जो कि उपरोक्त कारणों से सप्तकों में नहीं आ सके। यहां हम उनकी चर्चा करेंगे। प्रथम चरण के सप्तकेतर कवियों मेंनागार्जुन, दुष्यंत कुमार, जगदीश गुप्त, ठाकुर प्रसाद सिंह, आदि कवि आते हैं।

आधुनिक हिंदी कविता के कवि 'नागार्जुन' वस्तुतः प्रगतिवादी कवि हैं।आगे चल कर इन्होंने स्वयं को नई कविता से जोड़ लिया नागार्जुन की कविता की पहचान है उसमें अंतर्निहित तीखा राजनीतिक व्यंग तथा गहरी क्रांतिकारी चेतना। नागार्जुन की कविता की भूमि विराट है, जो वस्तु औरों की संवेदना को अछूती छोड़ जाती है वही नागार्जुन के कवित्व की रचना भूमि है। 'युग धारा', सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, चंदना, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार– हजार बाहों वाली, आदि उनके काव्य संग्रह हैं। नागार्जुन की कविता का एक बहुत बड़ा भाग प्राकृतिक चित्रों से सजा पड़ा है जिससे उनकी ऐन्द्रियता और सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि का बोध होता है। लोकसंपृक्ति अथवा गंवई परिवेश नागार्जुन की कविता में रचा बसा है। स्त्री सौंदर्य का भी उन्मुक्त भाव से किया गया चित्रण इन की कविता में मिलता है। 'यह तुम थीं', 'तन गई रीढ़' में अनिर्वचनीय अनुभूति की अभिव्यक्ति है। जनकवि नागार्जुन की कविताओं में गहरी समाज चेतना है उनके तीखे व्यंग पथ भ्रष्ट राजनीतिज्ञों की कलई खोलते हैं। नग्न यथार्थ का चित्रण भी वीभत्स जरूर हो गया है, पर वह सशक्त व्यंग के रूप में उभरकर आता है। नागार्जुन ने मैथिली में भी कविताएं लिखी हैं। ग्रामीण जन की सहज बोलचाल की भाषा इनकी कविता की भाषा है। डॉ. नामवर सिंह लिखते हैं, ''नागार्जुन की गिनती न तो प्रयोगशील कवियों के संदर्भ में होती है न नई कविता के प्रसंग में, फिर भी कविता में रूप संबंधित जितने प्रयोग अकेले नागार्जुन ने किए हैं, उतने शायद ही किसी ने किए हों।..... और भाषा में भी बोली के ठेठ शब्दों के से लेकर संस्कृत की संस्कारी पदावली तक इतने स्तर हैं कि कोई भी अभिभूत हो सकता है।'' [2]

'जगदीश गुप्त' की कविता रोमानी भावुकता की कविता है। इनका विकास भी छायावादी कविता से नई कविता की ओर हुआ है। 'नाव के पांव', शब्ददंश, हिमबिद्ध, आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। 'नाव के पांव' की कविताएं अतिशय भावुकता से अनुप्राणित हैं। शब्ददंश का रुख नई कविता की ओर हुआ है। भावुकता की जगह बौद्धिकता ने ले ली है। जीवन और परिवेश के प्रति रागात्मक संबंध विकसित होने के कारण उसमें सहज आत्मीय उल्लास, आशा तथा उत्साह रचनात्मक स्तर से प्रक्षेपित होता है। एक उदाहरण–''चांद की निहाई पर/एक के बाद एक/लगातार घन चलते रहे/। आवाजों की तीखी चोटें/ दिशाओं को गुंजाती रहीं/ तारों की चिनगारियां छिटक–छिटट कर/सारे आसमान में फैलती

रहीं। अंधेरे के लोहार में लाचार/सुबह से ही अपनी दुकान बढ़ा दी/ताजी हवा की ठंडी सांस भरते हुए।'' [3]

हिमबिद्ध की कविताएं कवि की सौंदर्य वादी चेतना को प्रतिष्ठित करती हैं। यहां आते– आते कवि विराट एवं अद्भुत सौंदर्य से अनुप्राणित हो उठा है। ''हिमबिद्ध' में ऐसी उपरामता और 'स्थित शांति' का भाव व्यक्त हुआ है जो जीवन से तटस्थता की दृष्टि की उपज है।''[4] गुप्त जी की कविताओं में चित्रात्मकता का बाहुल्य है। यद्यपि चित्र सीधे सहज और स्पष्ट हैं फिर भी इन की काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता बन गए हैं।

डॉ0 देवराज' गहरी रूमानियत के कवि हैं। इनकी प्रयोगवादी चेतना मुक्त छंद एवं उपमानों की योजना में दिखाई पड़ती है। इनके काव्य संकलन 'उर्वशी' की कविताओं के आधार पर इन्हें नव रूमानी (नियो रोमांटिक)काव्य की संज्ञा दी जा सकती है। अपनी अलंकार प्रियता के कारण यह छायावाद के अत्यंत निकट जान पड़ते हैं। देवराज के काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता चित्रात्मकता है।

शिवमंगल सिंह सुमन' लोकप्रिय प्रगतिवादी कवि रहे हैं। स्वयं को मार्क्सवादीमानने वाले सुमन जी ने कभी भी अपनी कविताओं को प्रगतिवाद की निश्चित एवं सीमित मान्यताओं में बांधकर नहीं रखा। उन्होंने साम्यवाद को भारतीय समतावाद में परिवर्तित करने एवं अपनी समस्याओं को निजी अर्थ देने का प्रयत्न किया है। कविताओं में मनुष्य मात्र के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव दिखाई देता है। यह सहानुभूति किसी वर्ग विशेष के प्रति नहीं है। प्रेम एवं राष्ट्रीयता का स्वर भी कविताओं में मुखरित हुआ है। कवि इस देश की आध्यात्मिक विसंगति अनाचार, मिथ्या अभिमान, शोषण, विभिन्न मतभेदों, रूढ़िवादिता आदि पर भी व्यंग करता है तथा उन्हें समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध दिखता है। सुमन जी के कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं जिसमें 'हिल्लोल', 'जीवन के गान', 'प्रलय सृजन', 'विश्वास बढ़ता ही गया', 'पर आंखें नहीं भरीं', 'विंध्य हिमालय', 'मिट्टी की बारात', आदि प्रमुख हैं।

श्रम एवं प्रेम की भावना से धीरे–धीरे आगे बढ़ते हुए 'धूमिल' ने आर्थिक विसंगति को अपने काव्य का विषय बनाया। आज के यथार्थ को उन्होंने अंदर से महसूस किया। भ्रष्टाचार के प्रति कवि की गहरी सजगता दिखाई पड़ती है। 'सड़क से संसद तक', 'कल सुनना मुझे' की कविताओं में भावुकता के स्थान पर समझदारी का पुट आ गया है। यह समझदारी ही है जो व्यक्ति को यथार्थ के निकट लाती है। जनतांत्रिक शासन व्यवस्था की आड़ में भ्रष्टाचार में लिप्त शासन प्रणाली पर चोट करना एवं शहरी व्यक्ति की तन्हाई, परेशानी, बेकारी, पेचीदगी, हवश,झेंप,बेहयाई, आम आदमी की आर्थिक मजबूरी, उसकी शारीरिक रुग्णता तथा

मानसिक गिरावट और सुविधाजीवी होने पर कवि तीखा व्यंग करता है। धूमिल की चेतना में गांव और शहर दोनों का वस्तुबोध तथा जीवन अनुभव समाया हुआ था। अतः जितनी सशक्त अभिव्यक्ति गांव की हुई है उतनी ही शहरी जीवन की भी। बिम्ब योजना, भाषा का नयापन, अप्रस्तुत विधान, नाटकीयता यह सब उनकी कविता को दृढ़ आधार प्रदान करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का मानना है,–" उनकी कविता की सारी शब्दावली सामाजिक और राजनीतिक संसार की शब्दावली है। वे सही अर्थों में सामाजिक, राजनीतिक चेतना के कवि हैं।'' [5]

आधुनिक संवेदना के कवि 'राजकमल चौधरी' की कविता में आज के व्यक्ति का अकेलापन सुरक्षा तथा अनिश्चितता का भाव अभिव्यक्त हुए हैं। ''टैक्सी में भी हूं/और फुटपाथ पर खड़ा भी हूं/मैं/सोए हुए शहर की नस नस में/किसी मासूम बच्चे की तरह, जिसकी मां खो गई है/भटकता रहता हूं/मेरी नई आजादी और मेरी नई मुसीबतें उफ चीख और ठहाके/एक साथ मेरे कलेजे से उभरते हैं।''[6] उनके कविता संग्रह 'कंकावती' एवं 'मुक्ति प्रसंग' में मुक्ति प्रसंग की कविताएं वर्तमान परिवेश में जीने वाले व्यक्ति और उसकी मनः स्थिति का चित्रण करने वाली कविताएं हैं।

'माया दर्पण' से अपनी पहचान बनाने वाले कवि 'श्रीकांत वर्मा' "शहरी सभ्यता के दर्द में उलझी संवेदना के कवि हैं। उनके काव्य संसार से एक ऐसे सभ्य और भौतिकता से संपन्न आदमी की संवेदनात्मक धड़कन का बोध होता है जो न तो अपना शहर छोड़ सकता है और न गांव की ललक उसके मन में समाप्त होती है। दूसरे शब्दों में श्रीकांत सभ्यता के दर्द के कवि हैं। कहीं कोई ऐसी जगह जो आज के विश्वव्यापी खूब सभ्य आदमी को बिना ईश्वर को माने शांति दे सके। इसकी एक अनभिव्यक्त खोज उनकी कविताओं में प्राप्त होती है।" [7]

वास्तव में यदि हम श्रीकांत की कविता पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि ''इनकी कविता आज की कठोर वास्तविकता की क्रूर अभिव्यक्ति है। सामाजिक विसंगतियों पर कवि ने तीक्ष्ण व्यंग किया है। मोहभंग, अस्वीकार, मृत्युबोध, आदि बार–बार श्रीकांत की कविताओं में आते हैं। वर्तमान व्यवस्था के उद्धार के लिएवह न उत्सुक है ना प्रयत्नशील। बल्कि व्यवस्था के प्रति उसका आक्रोश उसे एक 'क्रीड़ा युक्त गंभीरता' अथवा भयावह 'सेंस ऑफ ह्यूमर' की ओर प्रेरित करता है। जिसे कवि नाटकीय विन्यास द्वारा कामदीय और त्रासदीय तत्वों के सहसंयोजन से व्यक्त करता है।'' [8]

उपरोक्त कवियों के अतिरिक्त लक्ष्मीकांत वर्मा, विपिन कुमार अग्रवाल, मलयज, दूधनाथ सिंह तथा अशोक बाजपेयी आदि ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं में प्रयोग शीलता के तत्व मिलते हैं। विचारधारा के स्तर पर लगभग सभी कवि

मार्क्सवादी हैं किंतु इनके शिल्प अथवा अभिव्यक्ति के ढंग में एक नयापन है। प्रेम, प्रकृति अथवा राजनीतिक बोध सब में एक नई ऊष्मा, एक गतिशीलता तथा गहरी सोच का पुट आ गया है। वस्तुतः कविता कई स्तरों पर में मैच्योर हो गई है। बौद्धिकता ने कविता को अमूर्त और अस्पष्ट बनाया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि कविता अपनी आत्मा को खो रही है, वास्तव में वस्तुओं के आंतरिक संश्लिष्ट संबंधों को मूर्त रूप में चित्रित करना संभव नहीं रह गया है। आज की कविता की समझ के लिए आवश्यक है आधुनिकतम वैज्ञानिक दृष्टि, इसके अभाव में पाठक कविता के भाव से अछूता रह जाएगा।

कहा जा सकता है कि सप्तकी कवियों के अतिरिक्त निश्चित ही कुछ और भी महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनकी कविता अपनी मौलिकता के कारण स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रयोगशीलता एंव विचारों की मौलिकता इन्हें भीड़ में भी अलग खड़ा कर देती है। नागार्जुन हों या दुष्यन्त कुमार, राजकमल चौधरी हों अथवा धूमिल सभी हिन्दी कविता के नये प्रतिमान गढ़ने में माहिर हैं। इनकीवैचारिक एंव भाषयी प्रयोगधर्मिता कविता को नयी उंचायी पर ले जाती है। वस्तुतः कवियों की मानसिक परिपक्वता तथा समकालीनता बोध कविताओं में स्पष्ट देखी जा सकती है।

सन्दर्भ

1. *तीसरा सप्तक, संपादक– अज्ञेय, पंचम संस्करण– 1984, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली। पृष्ठ 10*
2. *प्रतिनिधि कविताएं– नागार्जुन, संपादक– नामवर सिंह, भूमिका से, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली। पृष्ठ 9,*
3. *शब्द दंश,– जगदीश गुप्त, पृष्ठ 962*
4. *प्रयोगवाद और नई कविता, शंभू नाथ सिंह, प्रथम संस्करण 1966, समकालीन प्रकाशन, वाराणसी। पृष्ठ 242,*
5. *समकालीन हिंदी कविता ,विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, पृष्ठ 197*
6. *नींद में भटकता हुआ आदमी, नई कविता ,1960– 61 संयुक्तांक, पृष्ठ 5–6*
7. *स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता, अनंत मिश्र,, प्रथम संस्करण, प्रकाशन संस्थान, दिल्ली। पृष्ठ 197*
8. *काव्य परंपरा और नई कविता की भूमिका, कमल कुमार, प्रेम प्रकाशन मंदिर, दिल्ली। पृष्ठ 117*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-173-179

महाभारत में वर्णित अस्त्र विज्ञान एवं उनका वैशिष्ट्य

*डॉ० प्रीति राठौर**
*शिखा कुशवाहा ***

सारांश

अनादिकाल से ही समय–समय पर विश्व कल्याण एवं जनजागरण हेतु अनेकों बार क्रान्ति को पुनः–पुनः जन्म लेना पड़ा है, वह फिर चाहे समभाव सम्मेलन के रूप में हो या फिर युद्ध के रूप में। एक क्रान्ति और हमारे गले पड़ने को सतत् परिश्रम कर रही है और वह है आधुनिक युग का विज्ञान जो कहा जाता है विदेशों में बनता है अैर वहीं उसका लालन–पालन होता है। यह सब जो ताना–बाना हम भारतीयों को पढ़ाया जाता है, वह कदापि सत्य नहीं है। कभी अपनी माँ से पूछना कि तुम्हारी नानी बिना पढ़े ही कैसे बता देती थीं कि फला मास की फला तिथि को तुम्हारा जन्म होने वाला है? जो कि आज आधुनिक उपकरणों में ढूंढ–ढूंढ के बताया जाता है। यहाँ अनेकों ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जो हमें विदेशों की ओर ही आकर्षित करेंगे, तुम कभी अपने पिता से पूछना कि बाबा मुझसे सदा ये क्यों कहते थे कि सदा सत्य बोलो। आधुनिकता में खोया हुआ यह संसार और यहाँ के भिन्न–भिन्न देशों के लोग बस अपने–अपने वर्चस्व को बढ़ाने में शक्ति प्रदर्शन को आतुर दिखाई देते हैं, इन्हें देखकर भारतवर्ष के लोग भी अपने अतिशय गौरवशाली इतिहास को विस्मृत कर आधुनिक विज्ञान को ही अपना सर्वेसर्वा मान चुके हैं। इसलिए उन्हें आज यह स्मरण कराना अत्यावश्यक हो जाता है, जबकि भारत को छोड़कर सम्पूर्ण विश्व भारतीय इतिहास पुराण को अपने सांस्कृतिक विचारों में स्वीकार करने लगा है।

शब्द कुंजी– महाभारत, पाशुपत अस्त्र, रौद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, *ब्रह्मशिरा अस्त्र,* वैष्णवास्त्र,ऐन्द्रास्त्र, अग्नेयास्त्र, वायव्य अस्त्र, वरुणास्त्र।

सृष्टि और संहार एक ही नियम के दो सिद्धान्त हैं और यही सृष्टि का नियम भी है, किन्तु समय–समय पर भौतिक जगत में घटित होने वाली घटनाएँ हमें आश्चर्य में डाल देती हैं कि क्या वास्तव में उस ब्रह्म की बनाई सृष्टि को कोई भी ऐसे ही बिगाड़ सकता है भला। वर्तमान में विकसित हो चुके देश ऐसा करने के लिए सदा ही तत्पर रहते हैं, ऐसा वे विकसित किये गए परमाणु हथियारों, भयानक यान्त्रिक उपकरणों, थल, नभ एवं जल में रहकर शत्रुओं का संहार करने में सैकड़ों मील की दूरी से यह सब सम्भव होता है। भारतदेश प्रचीनकाल से ही शक्ति सम्पन्न रहा है। आधुनिकता की होड़ में दौड़ लगाते लगाते हम अपनी 5000 वर्ष पुरातन भारतीय संस्कृति एवं इसके वीरों के आभूषण स्वरूप अनेकों अस्त्र–शस्त्रों का यदि हम वर्णन करें तो रोमान्चित हुआ मन–मस्तिक किञ्चित ही विस्मत ही होना चाहिए। ये जो आज हम परमाणु बम की बात करते हैं एवं सुनते हैं उसको ही जयसंहिता/महाभारत में ब्रह्मास्त्र कहा गया है। मात्र यह ही एक नहीं है अपितु

**प्राचार्या ज्वालादेवी पी० जी० कॉलेज, कानपुर(उ०प्र०)*
**शोधार्थी, संस्कृत, ज्वालादेवी पी० जी० कॉलेज, कानपुर(उ०प्र०)*

भिन्न– भिन्न परिस्थितियों में अनेकोंबार हुए युद्धों यथा– देवासुर संग्राम हो अथवा राम–रावण युद्ध कृष्ण द्वारा कंसवध हो अथवा महाभारत युद्ध, सभी में दिव्यास्त्रों के प्रयोग का वर्णन प्राप्त होता है।

कोई भी यहाँ भगवान श्रीकृष्ण जी द्वारा अर्जुन को दिये गए गीता के उपदेश को नहीं भुला सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त अर्जुन ने अपने भाईयों के साथ मिलकर कौरवों से युद्ध किया। यदि कोई यह कहे कि हमनें कभी अपने धार्मिक ग्रन्थ पढ़े ही नही तो वह अवश्य ही कूपमण्डूक के सिवाय कुछ भी नहीं। सम्पूर्ण वेदशास्त्र विज्ञान से भरा पड़ा है, पृथ्वी, आकाश, समुद्र सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का लेखा–जोखा हमारे वेदों में है। वर्तमान समय में एक कहावत बहु प्रचलित है– *आवश्यकता आविष्कार की जननी है।* तो यह कोई नई सोंच नहीं है सहस्त्रों वर्ष पूर्व भी यही विचार धारा थी नहीं तो ऐसे महान आविष्कार न होते, जिनको आज हम भूलते जा रहे हैं। आश्चर्य तब होता है जब हम अपने पौराणिक ग्रन्थों को पढ़ते हैं कि बड़े–बड़े तपस्वी ऋषि–मुनि सदा कमण्डल में जल ले कर चलते थे और राह में कुछ भी अनर्थ होता देख वहीं खड़े–खड़े ही कमण्डल से जल हाथ में लेकर मन्त्र के द्वारा श्राप दे देते थे, *वही उनका सबसे बड़ा अस्त्र–शस्त्र जो भी समझें सब वही था।* ऐसा लगता है उनकी जिह्वा पे सदा ही माँ शारदे विराजमान रहती थीं, जैसा कि आज हमें कहा जाता है सदा सत्य बोलो क्योंकि आठ प्रहर में एकबार मां सरस्वती हमारी जिह्वा पे अवश्य विराजती हैं।

वेद–पुराणों में मन्त्र ही इतने प्रभावशाली थे कि उनका भाव पूर्वक जप उच्चारण करने मात्र से ही कार्य सिद्ध हो जाते थे, किन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने मनोभावों से त्रिदेव रूप में पूजे जाने वाले– ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपने–अपने विशिष्ट अस्त्र–शस्त्र का निर्माण लोक कल्याण की भावना से किया था। वे शस्त्र जो उनकी पहचान हैं, उनका तो विशेष महत्त्व है। जैसे–

भगवान ब्रह्मा– सृष्टि के कर्ता हैं उनके हाथों में सदा कमल पुष्प, वेद, 108 मनके वाली माला एवं कमण्डल शोभायमान रहता है, तथापि उन्होंने लोक कल्याण के दिव्यास्त्रों का निर्माण किया। जिनमें– ब्रह्मास्त्र, ब्रह्माण्ड अस्त्र, ब्रह्मशिरा अस्त्र मुख्य हैं।

भगवान विष्णु– जगत के पालनहार कहे जाने वाले भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र किसी का अपरिचित नहीं है। इसी सुदर्शन चक्र से शिशुपाल जैसे अनेकों दुष्टों का संहार करने वाले विष्णु जी ने अन्यान्य राक्षसों के विनाश के लिए नारायण अस्त्र, वैष्णवास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का निर्माण किया था।

भगवान शिव जी– सृष्टि के संहारक प्रभुपाद भगवान शंकर त्रिशूल ही जिनका स्वाभिमान है ऐसे भगवान जी ने– पाशुपत अस्त्र, रौद्रास्त्र, माहेश्वरास्त्र जैसे

महा विनाशकारी दिव्यास्त्रों का निर्माण किया। जिनकी जितनी भी वंदना की जाए कम ही है।

इन्हीं दिव्यास्त्रों का पाकर महाभारत के– भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं ने इतिहास रच डाला था, जो कभी भी हमें पढ़ाया ही नहीं जाता और न ही परिवार में इसकी वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं। सिवाय इसके कि यदि पविार में झुठ ही झगड़ा हो गया उसको महाभारत कह दिया जाता है अनायास ही। यहाँ इन्हीं के विषस में सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है।

यदि हम महाभारत युद्ध की बात करें तो वनपर्व में उल्लेख आया है कि भावी युद्ध की आशंका से युधिष्ठिर ने अर्जुन से तपस्या करके अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था–

भीष्मे द्रोणे कृपे कर्णे द्रोणपुत्रे च भारत।
धनुर्वेदष्चतुष्पाद एतेष्वद्य प्रतिष्ठितः।। [1]

आगे वे बोले – हे अर्जुन! इन्द्र को तपस्या के द्वारा प्रसन्न करो उन्हीं के पास सारे अस्त्र हैं, जो तुम पर प्रसन्न होकर अवश्य ही देंगे। इस प्रकार तपस्या के द्वारा इन्द्र को तत्पश्चात् भगवान शिव जी को प्रसन्न कर शिव जी का पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। देवों ने प्रसन्न हो कर अर्जुन को अनेकों अस्त्र–शस्त्र प्रदान किए। उनका परिचय इस प्रकार है–

1. **पाशुपत अस्त्र–** सर्वप्रथम भगवान शिव को प्रसन्न कर अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया, जिसकी विशेषता कुछ इसप्रकार है– भगवान शिव की तपस्या कर अर्जुन ने जो पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था वह बहुत ही शक्ति शाली था। इसको देते समय भगवान शिव ने अर्जुन से कहा– हे अर्जुन! यह मेरा प्रिय अस्त्र है, अनायास ही किसी प्राणी पर इसका प्रयोग वर्जित है, क्योंकि यह बहुत ही विध्वंसकारी अस्त्र विशेष मन्त्रोंच्चार से ही आह्वाहित अग्नि की वर्षा करता हुआ सम्पूर्ण सृष्टि का समूल नाश करने वाला है। जड़–चेतन का विध्वंसक यह अस्त्र सृष्टि का संहार करने के लिए ही महादेव द्वारा प्रयुक्त हुआ है। त्रिपुरदाह के लिए इसका सर्वप्रथम निर्माण एवं प्रयोग हुआ था। तब भगवान शिव ने देवों की शक्ति के साथ अपनी शक्ति मिलाकर इसको लोक कल्यान के लिए बनाया था। धनुष पे चढ़ाकर, शब्द के द्वारा, नेत्रों से यहाँ तक कि मन के द्वारा भी इसका संधान किया जाता था, किन्तु अर्जुन को यह बाण के रूप में प्राप्त हुआ था। *"पाशुपतास्त्र का आधुनिक रूप बायोलॉजिकल बम के रूप में देखा जा सकता है जिससे अनेकों रोग महामारी का रूप ले लेते हैं, जो आज वायरस के रूप में देखा जा सकता है जैसे– प्लेग, इबोला, कारोना वायरस आदि।"* [2]

2. रौद्रास्त्र– जैसा कि नाम से ज्ञात होता है रुद्र का अस्त्र अर्थात् भगवान

शिव के रुद्र रूप में उपस्थित एक अन्य प्रलयकारी अस्त्र। एक रुद्र रूप में रहते हुए आह्वाहन किये जाने पर ग्यारह रुद्रों की शक्ति से युक्त होकर महा विनाशकारी बनकर तीव्र झंझावत उत्पन्न करता हुआ विनाशलीला का विस्तार करने वाले इस अस्त्र का प्रयोग भगवान राम ने सर्वप्रथम कुम्भकर्ण का वध करने के लिए प्रयुक्त किया था–

अथ दाशरथी रामो रौद्रस्त्रं प्रयोजयन्।
कुम्भकर्णस्य हृदय ससर्ज निशिताञ्शरान्।।[3]

महाभारत युद्ध में कर्ण ने अर्जुन पर इस अस्त्र का प्रयोग किया था, जिससे अर्जुन को शिव द्वारा प्राप्त शिवकवच नष्ट हो गया था।

3. ब्रह्मास्त्र– अर्जुन उनको ब्रह्मास्त्र प्रदान किया। *ब्रह्मास्त्र को वर्तमान परमाणु बम के समान माना जा सकता है,* ब्रह्मा जी ने इसे लोक कल्याण के लिए बनाया था। विशेष मन्त्रोंच्चार से ही इसका संधान सम्भव है जो इसको छोडता है वापस बुलाने का भी मन्त्र पढता है। अर्जुन को उनके गुरु द्रोणचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रदान किया था। एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे ब्रह्मास्त्र से परास्त किया जा सकता है। इसके प्रयोग से प्रलय हो जाती है, जिस स्थान पे इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ कोसों दूर तक बारह वर्ष तक अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि दो ब्रह्मास्त्र एक साथ छोडे जाये तो पृथ्वीलोक पे महाप्रलय आ जायेगी। एकबार संधान किए जाने पर उसको चलाना अति आवश्यक हो जाता है। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में अर्जुन के विरुद्ध यह अस्त्र प्रयोग किया था दूसरी ओर से अर्जुन ने भी छोडा महाप्रलय की आशका से पितामह भीष्म ने दोनों से अस्त्र वापस लेने को कहा, जिसपर अर्जुन दे वापस ले लिया किन्तु अश्वत्थामा को इसका ज्ञान नहीं था तो वह उत्तरा के गर्भ में जा कर उसका गर्भ नष्ट कर दिया, जिसकी रक्षा भगवान श्रीकृष्ण ने की थी। द्वापरयुग में महाभारतकाल में यह अस्त्र भगवान कृष्ण, अचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, कर्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा एवं प्रद्युम्न के पास था। कर्ण को परास्त करने के लिए अर्जुन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया–

इतुच्य देवं स तु सव्यसाची नमस्कृत्वा ब्राह्मणे अमितात्मा।
तदुत्तमं ब्राह्मसह्ययमस्त्रं प्रादुश्चक्रे मनसा यद्विधेयम।। [4]
ततोमर्षी बलवान्क्रोधदीप्तो भीमोघ्ब्रवीदर्जुनं सत्यसंधम्।
ननु त्वाहुर्वेदितारं महास्त्रं ब्राह्मं विधेयं परमं जनास्तत्।। [5]

रामायण में भगवान राम के पास भी ब्रह्मस्त्र था, जिसका उन्होंने अपने जीवनकाल में अनेकबार उपयोग किया था। सर्वप्रथम वनवास के समय इन्द्र के पुत्र जयन्त द्वारा कौवे के रूप में सीता को चोंच मारने पर उस पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा तब उसकी वास्तविकता ज्ञात होने पर किसी कौवे की आंख पर संधान किया।

दूसरीबार समुद्र को सुखाने के लिए इसका अनुसंधान करना चाहा था–

अद्यं त्वां शोषयिष्यामि सपातालं महार्णव।। [5]

आगे वे कहते हैं–

शरनिर्दग्धोयस्य परिशुष्कस्य सागर।
मया शोषितसत्त्वयस्य पांसुरुपद्यते महान।। [7]
ब्राह्मेणास्त्रेण संयोज्य ब्रह्मदण्डनिभं शरम्।
संयोज्य धनुषि श्रेष्ठे विचिकर्ष महाबला।। [8]

किन्तु समुद्र द्वारा क्षमा मांगने पर वापस ले लिया था। राम–रावण युद्ध में मेघनाथ को मारने के लिए जब लक्ष्मण ने इसका प्रयोग करना चाहा तब राम जी ने कहा– लक्ष्मण इसका प्रयोग अभी न करो अन्यथा समस्त लंकापुरी का विध्वंस हो जायेगा। इसके अतिरिक्त मेघनाथ के पास भी यह अस्त्र था।

4. ब्रह्मशिरा अस्त्र– ब्रह्मशिरा अस्त्र का निर्माण भी स्वयं भगवान बह्मा जी ने शत्रु नाश एवं मानव कल्याण के लिए किया था। जिसप्रकार ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मा जी का एक मुख बना होता था तो ब्रह्मशिरा अस्त्र में उनके चारों मुख के दर्शन होते हैं, यह उससे बहुत अधिक शक्तिशाली था। इस अस्त्र को किसी भी वस्तु के रूप भले ही वह तिनका ही क्यों न हो में आह्वाहित करके शत्रु पे संधान किया जाता था। महाभारत में ऋषि अग्निवेश, द्रोण, के पास यह अस्त्र था, कर्ण और अर्जुन द्वारा युद्ध में इस अस्त्र का प्रयोग किया गया था। वर्तमान की बात करें तो आज का हाड्रोजन बम इसका उदाहरण बन सकता है।

5. वैष्णवास्त्र– यह अस्त्र भगवान विष्णु द्वारा बनाया गया दिव्यास्त्रों में सबसे अधिक तीव्र है। समस्त जीवित प्राणियों के लिए काल के समान इस अस्त्र का संधान धनुष द्वारा सर्वप्रथम आकाश की ओर छोड़ा जाता था जहाँ से वह अपने लक्ष्य पर सीधा वार करता था। समस्त जीवित प्राणियों का काल स्वरूप इस अस्त्र को विष्णु जी के अतिरिक्त और काई नहीं रोक सकता *था। वर्तमान बैलिस्टिक मिसाइल इसका एक रूप माना जा सकता है। भगवान विष्णु के वराह अवतार के समय जब पृथ्वी को समुद्र से निकाल के लाए थे, तब पृथ्वी माँ ने अपने पुत्र नरकासुर की रक्षा हेतु वर मांगा था। उस विष्णु जी ने नरकासुर को वैष्णवास्त्र दिया था। यही दिव्यास्त्र महाभारत में नरकासुर के पुत्र भगदत्त को प्राप्त हुआ था, अर्जुन से युद्ध करते हुए हतप्रभ हुए भगदत्त ने अर्जुन पे इस अस्त्र का प्रयोग किया तो श्रीकृष्ण भगवान ने उसको अपने ऊपर ले लिया, जिससे वह पुष्पहार बनकर उनके वक्षस्थल पे विराजमान हो गया था।* इसके अतिरिक्त यह अस्त्र भवान कृष्ण, परशुराम, प्रद्युम्न एवं कर्ण के पास था। रामायण कान में यह अस्त्र भगवान राम एवं

इन्द्रजित के पास था।

6. ऐन्द्रास्त्र– यह अस्त्र इन्द्रदेव का था, जो मन्त्रों के द्वारा बाण के रूप में छोडा जाता था, तब वह आसमान की ओर जाकर सीधे लक्ष्य पे ही पहुँता है। उससे असंख्य बाण आसमान से एकसाथ बरस पडते हैं। माहाभारत काल में यह अस्त्र कर्ण एवं अर्जुन के पास था, कर्ण ने अर्जुन पे यह अस्त्र प्रयोग किया था किन्तु भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया था। रामायण काल में यह अस्त्र मेघनाथ के पास था। *आज के समय में मशीनगन इसका उदाहरण है।*

7. अग्नेयास्त्र– आग्नेयास्त्र अग्निदेव का अस्त्र है, जिसका प्रयोग एक अभिमन्त्रित बाण के द्वारा होता है। इसके संधान के द्वारा चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं धधकने लगती हैं एवं जीवन प्रायः समाप्त होने लगता है। इसकी शक्ति को कम करने के लिए वारुणास्त्र या पर्जन्य अस्त्र का प्रयोग करना ही उचित है।

8. वायव्य अस्त्र– यह अस्त्र पवनदेव ने अर्जुन को दिया था, जिसको मन्त्र द्वारा संधान किया जाता था। इसका प्रयोग करने पर तीव्र झंझावत के साथ बवंडर उठता था।

9. वरुणास्त्र– जल के देवता वरुण द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया यह अस्त्र आह्वाहित होने पर चहुं ओर जल ही जल से प्रलय ला देता है। आग्नेयास्त्र की काट रूप में प्रयोग किया जाता था।

इसप्रकार देखा जाए तो हमारी सांस्कृतिक विरासत न केवल बल में अपितु विद्वता में सम्पूर्ण विश्व को नित नये संदेश देने वाली हैं। ये बात और है कि भारत देश वर्तमान में कभी भी हमारी सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने और समझने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। वास्तव में हमें स्वतः संज्ञान लेकर अपने स्तर पे इस विज्ञान को समझकर आत्मसात करके एक सुनहरे भविष्य के लिए वर्तमान पीढ़ी को जगाने का प्रयास करना अति आवश्यक हो जाता है। मेरा एक प्रयास है अपनी पुरातन सभ्यता को अपनों के बीच साझाा करके उसकी वैज्ञानिकता को प्रमाणित करना यद्यपि प्रथम प्रयास में श्रुटियों का होना सम्भावित है तथापि गागर में एक बूंद का गिरना सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है।

सन्दर्भ

1. *महाभारत अरण्यपर्व– 37/4 पृष्ठ 191 (महाभारत वनपर्व–(भाषाभाष्य समेत) भाषान्तरकर्ता और प्रकाशक, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर स्वाध्याय मंडल, औंध, जिला– सातारा संवत् 1982, शक् 1847)*
2. *श्रुति दीक्षित, 1 नवम्बर 2017, समय– 02:14*
3. *सचित्र श्रीमद्वाल्मीकि रामायण हिन्दी भाषानुवाद सहित युद्धकाण्ड सप्तृष्टितम सर्गः श्लोक संख्या 119 पृष्ठ 676 अनुवादक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा, एम0 आर0 ए0 एस0 प्रकाशक– रामनरायण लाल, पब्लिशर और बुकसेलर, इलाहाबाद,*

1927, प्रथम संस्करण 2,00

4. *पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बाई– शर्मा रामस्वरूप महाभारत कर्णपर्व भाषा अनुवाद सहित अध्याय ८६, ५१ पृष्ठ ७११*
5. *पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बाई– शर्मा रामस्वरूप महाभारत कर्णपर्व भाषा अनुवाद सहित अध्याय ८६, श्लोक संख्या ५३ पृष्ठ ७११*
6. *सचित्र श्रीमद्वाल्मीकि–रामायण हिन्दीभाषानुवाद सहित युद्धकाण्ड पूर्वार्द्ध द्वाविंशः सर्गः श्लोक संख्या 1,2 पृष्ठ 176 अनुवादक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा, एम0 आर0 ए0 एस0 प्रकाशक– रामनरायण लाल, पब्लिशर और बुकसेलर, इलाहाबाद, 1927, प्रथम संस्करण 2,000*
7. *सचित्र श्रीमद्वाल्मीकि–रामायण हिन्दीभाषानुवाद सहित युद्धकाण्ड पूर्वार्द्ध द्वाविंशः सर्गः श्लोक संख्या 1,2 पृष्ठ 176 अनुवादक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा, एम0 आर0 ए0 एस0 प्रकाशक– रामनरायण लाल, पब्लिशर और बुकसेलर, इलाहाबाद, 1927, प्रथम संस्करण 2,000*
8. *सचित्र श्रीमद्वाल्मीकि–रामायण हिन्दीभाषानुवाद सहित युद्धकाण्ड पूर्वार्द्ध द्वाविंशः सर्गः श्लोक संख्या 5 पृष्ठ 177 अनुवादक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा, एम0 आर0 ए0 एस0 प्रकाशक– रामनरायण लाल, पब्लिशर और बुकसेलर, इलाहाबाद, 1927, प्रथम संस्करण 2,000*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-180-190

जनपद अम्बेडकरनगर में श्रमशक्ति संघटन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

*दीपक विश्वकर्मा **
*डॉ० राणा प्रताप यादव ***

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में जनपद अम्बेडकर नगर के श्रमशक्ति संघटन का वर्णन जिला जनगणना हस्तपुस्तिका से प्राप्त द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर विकासखण्ड स्तर पर किया गया है। जनपद में श्रमशक्ति का प्रतिशत निम्न एवं आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत उच्च है। यही स्थिति लगभग सभी विकासखण्डों में है। परिणामतः कार्य सहभागिता दर भी निम्न है। तुलनात्मक रूप में कटेहरी विकासखण्ड में सबसे अधिक एवं जहाँगीरगंज विकासखण्ड में सबसे कम कार्य सहभागिता दर दर्ज की गयी है। जहाँ पुरूष एवं महिला कार्य सहभागिता दर में सबसे अधिक प्रतिशत क्रमशः टाण्डा एवं भियाँव विकासखण्ड का रहा है। वहीं इन दोनों वर्गों में सबसे निम्न प्रतिशत जहाँगीरगंज विकासखण्ड में दर्ज किया गया है। जहाँगीरगंज विकासखण्ड सभी वर्ग के कार्य सहभागिता दर में सबसे निचले स्थान पर रहा है। टाण्डा विकासखण्ड में पुरूष एवं महिला कार्य सहभागिता दर में अंतर सर्वाधिक पाया गया है। सबसे अधिक मुख्य एवं सीमांत श्रमिक क्रमशः टाण्डा एवं जहाँगीरगंज विकासखण्ड में तथा सबसे कम क्रमशः जहाँगीरगंज एवं टाण्डा विकासखण्ड में है। व्यावसायिक संगठन में सबसे अधिक एवं सबसे कम काश्तकार क्रमशः भीटी एवं टाण्डा विकासखण्ड में हैं। खेतिहर मजदूर सबसे अधिक जहाँगीरगंज एवं सबसे कम टाण्डा विकासखण्ड में है। पारिवारिक उद्योग कर्मी तथा अन्य कर्मियों का सर्वाधिक प्रतिशत टाण्डा में सबसे कम प्रतिशत भीटी विकासखण्ड में पाया गया है। कृषीय एवं गैर–कृषीय वर्ग के आधार पर विश्लेषण के उपरान्त देखा गया कि भीटी विकासखण्ड के 77.19 प्रतिशत कर्मी कृषीय वर्ग के हैं एवं टाण्डा विकासखण्ड में सबसे कम मात्र 49.16 प्रतिशत कर्मी ही इस वर्ग में शामिल हैं। गैर कृषीय वर्ग में सबसे अधिक कर्मी टाण्डा एवं सबसे कम भीटी विकासखण्ड में है।

मुख्य बिन्दु– श्रम शक्ति, सीमांत श्रमिक, मुख्य श्रमिक, कार्य सहभागिता दर, व्यावसायिक संरचना।

किसी देश की श्रमशक्ति संघटन से तात्पर्य विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगे उसके कार्य बल के विभाजन से है। श्रमशक्ति संघटन सामाजिक–आर्थिक विकास के साथ ही जनांकिकीय संरचना को भी वष्हद पैमाने पर प्रभावित करता है। श्रमशक्ति या कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत जब अधिक होता है तो मानव समाज में आर्थिक संवषद्धि के कारण उसका सामाजिक एवं आर्थिक विकास प्रोत्साहित होता है। ज्ञातव्य है कि आर्थिक संवषद्धि न केवल आर्थिक विकास को

** शोध छात्र, भूगोल विभाग, वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर, (उ०प्र०)*
*** असिस्टेन्ट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर, (उ०प्र०)*

जन्म देती है अपितु इसके साथ ही मानव समुदाय की सामाजिक स्थिति में भी सुधार लाती है। उच्च श्रमशक्ति अन्ततः जनांकिकीय संरचना को व्यापक रूप में प्रभावित करती है। आर्थिक संवर्षद्धि संतानोत्पत्ति में ह्रास को जन्म देती है अर्थात् आर्थिक संवर्षद्धि एवं संतानोत्पत्ति में विपरीत सम्बन्ध पाया जाता है। जैसे–जैसे समाज में आर्थिक विकास का स्तर बढ़ता जाता है वहां पर जन्म में ह्रास की प्रवर्षत्ति पायी जाती है। क्योंकि मानव अधिकतम सुख की तरफ अग्रसर होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर श्रमशक्ति का प्रतिशत कम एवं गैर श्रम का प्रतिशत अधिक होता है अर्थात् निर्भरता अनुपात में वर्षद्धि से वहां का सामाजिक–आर्थिक विकास का स्तर निम्न पाया जाता है। जो अन्ततः संतानोत्पत्ति को जन्म देती है। जिसके परिणामस्वरूप निम्न स्तरीय आर्थिक समाज में जनांकिकीय संरचना में असंतुलन उत्पन्न होता है। जनसंख्या का कोई भी पहलू क्षेत्र के आर्थिक विकास स्तर पर उतना प्रभाव नहीं डालता जितना कि श्रमशक्ति संघटन। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध पत्र में जनपद के श्रमशक्ति का अध्ययन किया गया है। जिससे विकासखण्ड स्तर पर श्रमशक्ति के भावी स्वरूप का अनुमान लगाया जा सके।

शोध उद्देश्य– श्रमशक्ति संघटन जनांकिकीय संरचना एवं सामाजिक–आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण निर्धारक है। अतः अध्ययन क्षेत्र जनपद अम्बेडकर नगर के श्रमशक्ति संघटन का विकासखण्ड स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत शोध का मूल उद्देश्य है। जनगणना 2011 में जनपद के सभी विकासखण्डों में श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत किस आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न रहा। विकासखण्ड स्तर पर कार्य सहभागिता दर, पुरूष कार्य सहभागिता दर एवं महिला कार्य सहभागिता दर की तुलनात्मक स्थिति क्या है? सभी विकासखण्ड में व्यावसायिक संघटन का स्वरूप क्या है? इत्यादि का विश्लेषण शोध पत्र के प्रमुख्य उद्देश्य हैं ताकि श्रमशक्ति के भावी स्वरूप का अनुमान लगाया जा सके।

शोध क्षेत्र– जनपद फैजाबाद के पूर्वी भाग में स्थित दो तहसील अकबरपुर एवं टाण्डा को अलग कर विधायी प्रक्रिया द्वारा सन् 1995 में एक नया जनपद बनाया गया। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर जनपद का नामकरण अम्बेडकर नगर किया गया। जो मध्य गंगा मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है एवं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। (चित्र सं0–1)। जनपद का विस्तार $26^{o}09'$ उत्तर से $26^{o}40'$ उत्तर अक्षांश एवं $82^{o}12'$ पूर्व से $83^{o}05'$ पूर्व देशांतर के मध्य है (जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, अम्बेडकर नगर, 2011)। जिसका कुल क्षेत्रफल 2350 वर्ग किलोमीटर है। जनपद के उत्तर में बस्ती, संतकबीर नगर एवं गोरखपुर जनपद, पश्चिम में फैजाबाद जनपद, दक्षिण एवं दक्षिण–पश्चिम में सुल्तानपुर तथा दक्षिण–पूर्व एवं पूर्व में आजमगढ़ जनपद

प्रशासनिक सीमा का निर्धारण करते हैं। जनपद में पांच तहसील (अकबरपुर, टाण्डा, भीटी, जलालपुर एवं आलापुर) एवं नौ विकासखण्ड (अकबरपुर, बसखारी, भीटी, भियाँव, जहाँगीरगंज, रामनगर, कटेहरी, टाण्डा एवं जलालपुर) है। जनपद की कुल जनसंख्या 23,97,888 है। जिसमें 11.71 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है। जनघनत्व 1020 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 978 महिलाएँ प्रति 1000 पुरूष एवं साक्षरता दर 72.23 प्रतिशत है (जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, अम्बेडकर नगर, 2011)।

चित्र संख्या–1

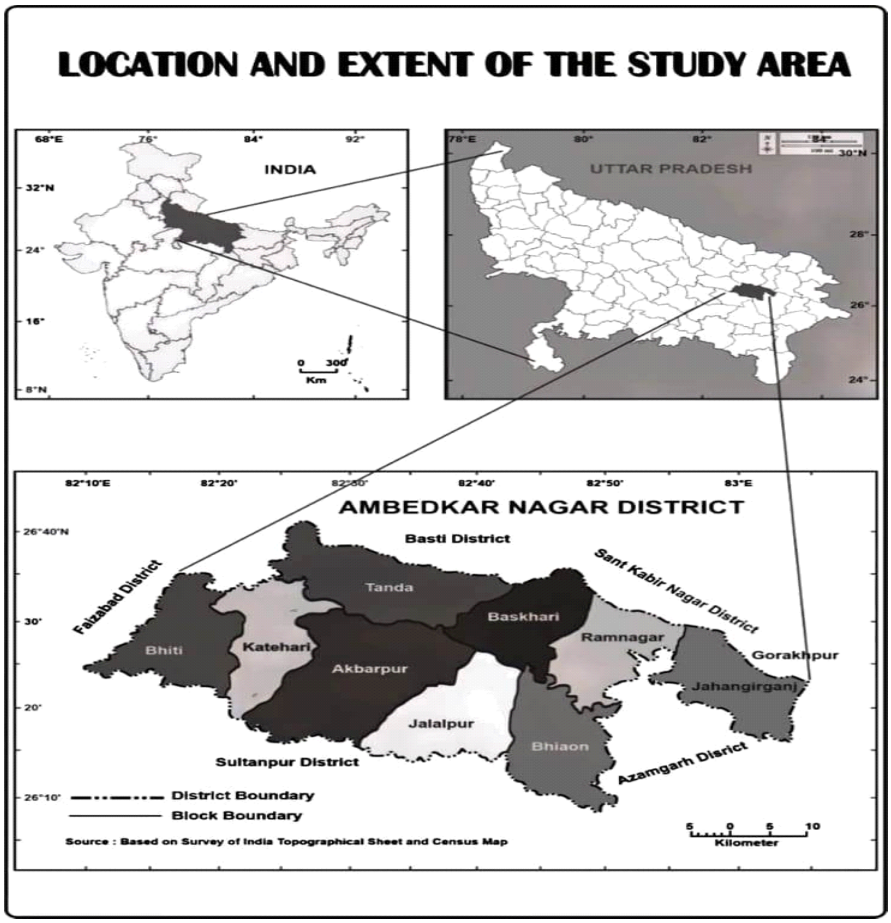

शोध विधि– प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है। यह पत्र द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। जिनका एकत्रीकरण जिला जनगणना हस्तपुस्तिका एवं सांख्यिकीय पत्रिका द्वारा किया गया है। जनपद अम्बेडकर नगर के विभिन्न विकासखण्डों के श्रमशक्ति संघटन का

वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन जनगणना 2011 के आधार पर किया गया है। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु विभिन्न गणितीय विधियों का प्रयोग किया गया है। साथ ही आवश्यकतानुसार विभिन्न आंकड़ों का आलेखीय प्रदर्शन किया गया है। जिससे आँकड़ो के मध्य अन्तर आसानी से स्पष्ट हो सके।

श्रमशक्ति संघटन– श्रमशक्ति संघटन हेतु भारतीय जनगणना विभाग समस्त जनसंख्या को दो वर्गों यथा–श्रमिक एवं गैर–श्रमिक वर्ग में विभाजित करता है। आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या या श्रमिक वर्ग में ऐसे व्यक्तियों को शामिल करते हैं जो संदर्भ अवधि के दौरान आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिये सक्षम और उपलब्ध हो। सक्रिय जनसंख्या या श्रमशक्ति को श्रम अवधि के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं। यथा– मुख्य श्रमिक एवं सीमान्त श्रमिक।

तालिका–1

जनपद अम्बेडकर नगर : श्रम शक्ति संघटन (प्रतिशत) 2011

क्र0 सं0	विकासखण्ड	वर्ग	श्रमिक	मुख्य श्रमिक	सीमांत श्रमिक	गैर– श्रमिक
1.	टाण्डा	कुल	33.08	62.93	37.01	66.92
		पुरूष	47.48	70.76	29.24	52.52
		महिला	17.86	40.93	59.07	82.14
2.	बसखारी	कुल	33.04	53.39	46.61	66.96
		पुरूष	45.31	62.33	37.67	54.69
		महिला	20.28	32.67	67.33	79.72
3.	रामनगर	कुल	31.75	53.13	46.87	68.25
		पुरूष	43.36	61.49	38.51	56.64
		महिला	20.21	35.30	64.70	79.79
4.	जहाँगीरगंज	कुल	30.16	51.80	48.20	69.84
		पुरूष	42.99	59.94	40.06	57.01
		महिला	17.36	31.68	68.32	82.64
5.	जलालपुर	कुल	32.80	55.83	44.17	67.20
		पुरूष	44.80	63.81	36.19	55.20
		महिला	20.38	37.66	62.34	79.62
6.	भियॉव	कुल	33.31	54.04	45.96	66.69
		पुरूष	43.75	60.16	39.84	56.25
		महिला	22.85	42.29	57.71	77.15
7.	भीटी	कुल	32.04	59.30	40.70	67.96
		पुरूष	44.89	67.47	32.53	55.11
		महिला	19.10.	36.98	60.02	80.90

		कुल	34.05	54.64	45.36	65.95
8.	कटेहरी	पुरूष	45.91	63.40	36.60	54.09
		महिला	22.03	36.16	63.84	77.97
		कुल	33.95	55.08	44.92	66.05
9.	अकबरपुर	पुरूष	45.64	61.50	38.50	54.36
		महिला	21.98	41.45	58.55	78.02

स्रोत : जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, जनपद अम्बेडकर नगर, 2011

मुख्य श्रमिक– वे श्रमिक जो 6 माह या उससे अधिक अवधि तक श्रम कार्य करते हैं, मुख्य श्रमिक कहे जाते हैं। (भारतीय जनगणना 2011)। जनपद में मुख्य श्रमिक कुल श्रमिकों का मात्र 56 प्रतिशत है। जबकि उत्तर प्रदेश में 67.82 प्रतिशत मुख्य श्रमिक हैं। विकासखण्ड स्तर पर देखा जाये तो विकासखण्ड टाण्डा में सर्वाधिक मुख्य श्रमिक हैं जबकि जहाँगीरगंज की स्थिति सबसे खराब है। मुख्य श्रमिकों के प्रतिशत के आधार पर सभी विकास खण्डों का क्रम निम्न है– टाण्डा 62. 93, भीटी 59.30, जलालपुर 55.83, अकबरपुर 55.08, कटेहरी 54.64, भियाँव 54.04, बसखारी 53.39, रामनगर 53.13 एवं जहाँगीरगंज 51.80 प्रतिशत। मुख्य श्रमिकों में पुरूष श्रमिक सर्वाधिक 70.76 प्रतिशत टाण्डा विकासखण्ड में ही है। इसके बाद क्रमशः भीटी 67.47, जलालपुर 63.81, कटेहरी 63.40, बसखारी 62.33, अकबरपुर 61.50, रामनगर 61.49, भियाँव 60.16 एवं जहाँगीरगंज 59.94 प्रतिशत है। वहीं महिला श्रमिकों का प्रतिशत सर्वाधिक भियाँव विकासखण्ड में 42.29 प्रतिशत है। इसके बाद अकबरपुर 41.45, टाण्डा 40.93, भीटी 39.98, जलालपुर 37.66, कटेहरी 36.16, रामनगर 35.30, बसखारी 32.67 एवं जहाँगीरगंज 31.68 प्रतिशत है (तालिका–1)। मुख्य श्रमिकों के मामले में विकासखण्ड टाण्डा की स्थिति सबसे सुदष्ढ़ एवं विकास खण्ड जहाँगीरगंज की तुलनात्मक रूप से सबसे दयनीय है।

सीमान्त श्रमिक– सीमांत श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जो 6 माह से कम श्रम कार्य में लगे रहे हैं। जनपद में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत 43.99 प्रतिशत है, जबकि पिछली जनगणना में यह 34.78 प्रतिशत था। विकासखण्ड स्तर पर सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत निम्न रहा है– जहाँगीरगंज 48.20, रामनगर 46.87, बसखारी 46.61, भियाँव 45.96, कटेहरी 45.36, अकबरपुर 44.92, जलालपुर 44.17, भीटी 40.70 एवं टाण्डा 37.01 प्रतिशत (तालिका–1)। पुरूष सीमांत श्रमिकों में सर्वाधिक प्रतिशत जहांगीरगंज एवं सबसे कम टाण्डा विकासखण्ड में रहा है। वहीं महिला श्रमिकों में सर्वाधिक प्रतिशत जहाँगीरगंज विकासखण्ड एवं सबसे कम भियाँव विकास खण्ड का रहा है। सीमांत श्रमिकों के मामले में सबसे अच्छी स्थिति टाण्डा विकासखण्ड एवं सबसे खराब स्थिति जहाँगीरगंज विकासखण्ड की रही है जहां पर सर्वाधिक सीमांत श्रमिक हैं। इसीलिए यहां पर आर्थिक क्रियाकलापों में अस्थायित्व के कारण सामाजिक–आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं है।

कार्य सहभागिता दर– किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले मानव समूह तथा उनमें कामगारों की संख्या के अनुपात को कार्य सहभागिता दर कहते हैं। अर्थात् आर्थिक रूप से उत्पादन में सक्रिय जनसंख्या एवं कुल जनसंख्या के मध्य अनुपात को कार्य सहभागिता दर कहते हैं। कार्य सहभागिता मुख्यतः किसी समाज में आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी को प्रदर्शित करता है। जहाँ पर यह भागीदारी अधिक होती है वहां आर्थिक संवर्षद्धि एवं विकास के उच्च स्तर के कारण सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अधिक सुदष्ढ़ रहती है। जहां पर आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी कम होती है वहां पर आय की प्राप्ति सीमित रहती है। इस सीमित आय पर आश्रित संख्या अधिक होने के कारण सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। दूसरे जनांकिकीय संरचना में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। कार्य सहभागिता दर निर्भरता अनुपात को भी निर्धारित करती है। जनगणना 2011 के अनुसार जनपद में कार्य सहभागिता दर 32.84 प्रतिशत है जो कि पिछली जनगणना में 33.40 प्रतिशत थी। इस प्रकार जनपद के कार्य सहभागिता दर में ह्रास देखा गया है। यदि जनपद का सूक्ष्म अध्ययन विकास खण्ड स्तर पर किया जाये तो यह ज्ञात होता है कि विकासखण्ड कटेहरी की कार्य सहभागिता दर सबसे अच्छा 34.04 प्रतिशत है। जबकि सबसे खराब स्थिति 30.16 प्रतिशत के साथ जहाँगीरगंज विकासखण्ड की है। समस्त विकासखण्ड की स्थिति क्रमशः निम्न है– कटेहरी 34. 04, अकबरपुर 33.95, भियाँव 33.31, टाण्डा 33.08, बसखारी 33.04, जलालपुर 32. 80, भीटी 32.04, रामनगर 31.75 एवं जहाँगीरगंज 30.16 प्रतिशत (तालिका–2)।

जनपद के औसत कार्य सहभागिता दर से चार विकासखण्ड यथा– जलालपुर, भीटी, रामनगर एवं जहाँगीरगंज की कार्य सहभागिता दर कम और अन्य पाँच विकासखण्ड की अधिक है।

तालिका–2

जनपद अम्बेडकर नगर : कार्य सहभागिता दर (प्रतिशत), 2011

क्र0 सं0	विकासखण्ड	कुल कार्य सहभागिता दर	पुरूष कार्य सहभागिता दर	माहिला कार्य सहभागिता दर
1.	टाण्डा	33.08	47.48	17.86
2.	बसखारी	33.04	45.31	20.28
3.	रामनगर	31.75	43.36	20.21
4.	जहाँगीरगंज	30.16	42.99	17.36
5.	जलालपुर	32.81	44.80	20.38
6.	भियाँव	33.31	43.75	22.85
7.	भीटी	32.04	44.89	19.10
8.	कटेहरी	34.05	45.91	22.03
9.	अकबरपुर	33.95	45.64	21.98

स्रोत : जिला जनगणना हस्तपुस्तिका जनपद अम्बेडकर नगर, 2011

कुल कार्य सहभागिता दर से अध्ययन क्षेत्र में एक स्पष्ट समझ विकसित नहीं हो पाती। इसीलिए कुल कार्य सहभागिता दर को पुरूष एवं महिला कार्य सहभागिता दर में विभाजित कर अध्ययन किया गया है। जनपद अम्बेडकर नगर में पुरूष कार्य सहभागिता दर 45.15 प्रतिशत है जो जनगणना 2001 में 44.80 प्रतिशत थी। इस प्रकार पिछली जनगणना की तुलना में जनपद में पुरूष कार्य सहभागिता दर में नाममात्र वर्षद्धि हुई है। सबसे अधिक पुरूष कार्य सहभागिता दर टाण्डा विकासखण्ड में तथा सबसे कम 42.99 प्रतिशत जहाँगीरगंज विकासखण्ड में है। पुरूष कार्य सहभागिता दर में विकासखण्ड की स्थिति क्रमशः निम्न है– टाण्डा विकासखण्ड 47. 48, कटेहरी 45.91, अकबपुर 45.64, बसखारी 45.31, भीटी 44.89, जलालपुर 44. 79, भियाँव 43.75, रामनगर 43.36 एवं जहाँगीरगंज 42.99 प्रतिशत (तालिका–2)।

महिला कार्य सहभागिता दर जनपद अम्बेडकर नगर में 20.24 प्रतिशत है जो कि उत्तर प्रदेश के महिला कार्य सहभागिता दर, 16.75 प्रतिशत से अधिक है। विकासखण्ड स्तर पर भियाँव विकासखण्ड महिला कार्य सहभागिता दर में सबसे ऊपर है। इसके बाद द्वितीय एवं तष्तीय स्थान पर क्रमशः कटेहरी एवं अकबरपुर विकासखण्ड है। सबसे कम जहाँगीरगंज विकासखण्ड में है। सभी विकासखण्ड का क्रम निम्न है– भियाँव 22.85, कटेहरी 22.03, अकबरपुर 21.97, जलालपुर 20.38 बसखारी 20.28, रामनगर 20.21, भीटी 19.10, टाण्डा 17.86 एवं जहाँगीरगंज 17. 36 प्रतिशत (तालिका–2)। पुरूष एवं महिला कार्य सहभागिता अंतराल के आधार पर यह ज्ञात होता है कि पुरूषों की तुलना में महिलाओं की आर्थिक क्रियाकलापों में सहभागिता कितना अधिक या कम है। सभ्य एवं विकसित समाज में पुरूष एवं महिलाओं की समान रूप से आर्थिक सहभागिता का होना अनिवार्य होता है।

पुरूष एवं महिला कार्य सहभागिता दर में सबसे अधिक अंतराल विकास खण्ड टाण्डा (29.62 प्रतिशत) में है। वहीं सबसे कम अंतराल भियाँव विकासखण्ड (20.90 प्रतिशत) में पाया गया है।

व्यावसायिक संरचना– व्यावसायिक संरचना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या को सम्मिलित करते हैं। व्यावसायिक संरचना किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को विस्तष्त आधार प्रदान करता है। सामान्यतः व्यावसायिक संरचना के अन्तर्गत प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। भारतीय जनगणना व्यावसायिक संरचना में चार प्रमुख आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित करता है। यथा–काश्तकार, खेतिहर मजदूर, पारिवारिक उद्योग कर्मी तथा अन्य कर्मी। अन्य कर्मी में विभिन्न प्रकार के कर्मियों, यथा–औद्योगिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा तथा अन्य अनेक प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है।

काश्तकार– काश्तकारी एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति पैसे, वस्तु या हिस्से के भुगतान के लिए सरकार के स्वामित्व वाली या निजी व्यक्तियों या संस्थानों से ली गयी भूमि की खेती में लगा होता है (भारत की जनगणना, 2011)। जनपद में कुल कर्मियों में 27.15 प्रतिशत कर्मी काश्तकार है। विकासखण्ड स्तर पर काश्तकारों का सर्वाधिक प्रतिशत विकासखण्ड भीटी (34.20 प्रतिशत) में रहा है। इसके बाद क्रमशः कटेहरी 33.83, भियाँव 32.97, रामनगर 30.18, जहाँगीरगंज 29.06, अकबरपुर 27.70, बसखारी 24.05, जलालपुर 23.32 तथा टाण्डा 18.83 प्रतिशत का स्थान रहा है। (तालिका–3)

जनपद अम्बेडकर नगर : व्यावसायिक संरचना (प्रतिशत), 2011

क्र0 सं0	विकासखण्ड	काश्तकार	खेतिहर मजदूर	पारिवारिक उद्योग कर्मी	अन्यकर्मी
1.	टाण्डा	18.83	30.33	10.74	40.10
2.	बसखारी	24.05	43.08	7.13	25.72
3.	रामनगर	30.18	42.60	7.25	19.95
4.	जहाँगीरगंज	29.06	43.19	6.69	21.05
5.	जलालपुर	23.32	38.12	8.99	29.57
6.	भियॉव	32.97	38.30	6.23	22.50
7.	भीटी	34.20	42.89	4.47	18.43
8.	कटेहरी	33.83	38.43	5.89	21.84
9.	अकबरपुर	27.70	36.44	6.38	29.46

स्रोत : जिला जनगणना हस्तपुस्तिका जनपद अम्बेडकर नगर, 2011

कृषक श्रमिक– एक व्यक्ति जो मजदूरी के लिए किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर कार्य करता है, उसे कृषक मजदूर या खेतिहर मजदूर कहा जाता है। एक खेतिहर मजदूर को उस जमीन पर पट्टे या अनुबन्ध का कोई अधिकार नहीं होता है जिस पर वह काम करता है। (भारत की जनगणना 2011)। जनगणना 2011 के अनुसार जनपद में 38.24 प्रतिशत कर्मी इस वर्ग में सम्मिलित थे जो अन्य वर्गों में सर्वाधिक हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कृषक श्रमिकों का प्रतिशत 30.30 प्रतिशत है। विकासखण्ड में खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत सबसे अधिक जहाँगीरगंज विकासखण्ड में एवं सबसे कम टाण्डा विकासखण्ड में रहा है। सभी विकासखण्डों में खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत क्रमशः इस प्रकार रहा है– जहाँगीरगंज 43.19, बसखारी 43. 08, भीटी 42.89, रामनगर 42.60, कटेहरी 38.43, भियाँव 38.30, जलालपुर 38.12, अकबरपुर 36.44 एवं टाण्डा 30.33 प्रतिशत (तालिका–3)।

पारिवारिक उद्योग कर्मी– नगरीय क्षेत्रों में घरों के एक या अधिक सदस्यों द्वारा घर पर या घर के परिसर के भीतर संचालित उद्योग में काम करने वाले

श्रमिक पारिवारिक उद्योग कर्मी होते है (भारत की जनगणना, 2011)। उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 5.92 प्रतिशत है। विकासखण्ड में पारिवारिक उद्योग कर्मियों का प्रतिशत क्रमशः इस प्रकार है– टाण्डा 10.74, जलालपुर 8.99, रामनगर 7.25, बसखारी 7.13, जहाँगीरगंज 6.69, अकबरपुर 6.38, भियाँव 6.23, कटेहरी 5.89 तथा भीटी 4.47 प्रतिशत (तालिका–3)।

अन्य कर्मी– उपर्यक्त तीनों वर्ग के कर्मियों को छोड़कर सभी कर्मियों को अन्य कर्मी में सम्मिलित करते हैं। जनपद के कुल श्रमिकों का 27.17 प्रतिशत श्रमिक इस वर्ग में शामिल हैं वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 34.82 प्रतिशत श्रमिक इस वर्ग में संलग्न है। विकासखण्ड स्तर पर अन्य कर्मियों में सर्वाधिक प्रतिशत टाण्डा विकासखण्ड में 40.10 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः जलालपुर 29.57, अकबरपुर 29.46, बसखारी 25.72, भियाँव 22.50, कटेहरी 21.84 जहाँगीरगंज 21.05, रामनगर 19.95 एवं भीटी विकासखण्ड में 18.43 प्रतिशत है (तालिका–3)।

व्यावसायिक संरचना को ग्रामीण एवं नगरीय अर्थव्यवस्था के आधार पर समस्त कर्मियों को दो भागों, कृषीय कर्मी एवं गैर कृषीय कर्मी में विभाजित किया जा सकता है। इसके माध्यम से प्रत्येक विकासखण्ड में अर्थव्यवस्था के स्वरूप की जानकारी हो सकती है कि अर्थव्यवस्था कृषीय है अथवा गैर–कृषीय या नगरीय प्रकृति की। व्यावसायिक संरचना के प्रथम दो वर्ग–काश्तकार और खेतिहर मजदूर को मिला दिया जाये तो अर्थव्यवस्था में कृषीय कर्मियों एवं पारिवारिक उद्योग कर्मी और अन्य कर्मी के सम्मिलित संख्या से गैर कृषीय कर्मियों का प्रतिशत पता चलेगा। इन्हीं के आधार पर अर्थव्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण होता है। जनपद अम्बेडकर नगर के कुल कर्मियों में 65.40 प्रतिशत कर्मी कृषीय क्षेत्र से एवं 34.60 प्रतिशत गैर कृषीय क्षेत्र से जुड़े हुए है। इस प्रकार अम्बेडकर नगर कृषीय अर्थव्यवस्था वाला जनपद है। कृषीय कर्मियों के प्रतिशत के आधार पर विकासखण्डों की स्थिति क्रमशः निम्नवत हैं– भीटी 77.19, रामनगर 72.28, कटेहरी 72.26, जहाँगीरगंज 72.25, भियाँव 71.27, बसखारी 67.13, अकबरपुर 64.14, जलालपुर 61.44 एवं टाण्डा विकासखण्ड में 49.16 प्रतिशत (जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, अम्बेडकर नगर, 2011)। उपर्युक्त विकासखण्डों में 6 विकासखण्ड जनपद के औसत कृषीय कर्मियों (65.40 प्रतिशत) से ऊपर अर्थात् वहां पर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न कर्मियों का प्रतिशत अधिक है। वहीं अकबरपुर, जलालपुर तथा टाण्डा विकासखण्ड में औसत से कम कर्मी प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है। जनपद में टाण्डा एकमात्र ऐसा विकास खण्ड है जहां पर लगभग 51 प्रतिशत कर्मी गैर–कृषीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। उपर्युक्त व्यावसायिक संरचना से पता चलता है कि लगभग सभी विकासखण्डों में अधिकांश श्रमिक प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है। जो विकासखण्ड में निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति में एक प्रमुख कारण रहा है।

उपर्युक्त विश्लेषणात्मक अध्ययन से पता चलता है कि जनपद में विकासखण्ड स्तर पर श्रमशक्ति की स्थिति कैसी है। अर्थात् कार्य सहभागिता की दर क्या रही है। श्रमिकों में सीमांत एवं मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत कितना रहा है एवं विकासखण्ड के व्यावसायिक संरचना में किस वर्ग में कितने श्रमिक संलग्न हैं। जनपद अम्बेडकर नगर के समान लगभग सभी विकासखण्डों में कार्य सहभागिता दर निम्न रही है। कार्य सहभागिता दर के निम्न होने के साथ ही एक विकट समस्या यह रही है कि महिला कार्य सहभागिता दर अत्यंत ही निम्न है। सबसे अधिक महिला कार्य सहभागिता दर मात्र 22.85 प्रतिशत ही रही है। अर्थात् प्रति 5 महिलाओं में सिर्फ एक ही महिला आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है। उनमें भी अधिकांश प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित है। महिला कार्य सहभागिता दर के निम्न रहने के कई कारण, यथा–पितृ सत्तात्मक सोच, महिलाओं के प्रति भेदभाव, समाज में निम्न स्थिति, शिक्षा का अभाव, रोजगार का सीमित अवसर, कौशल एवं तकनीकी शिक्षा का अभाव इत्यादि, उत्तरदायी रहे हैं। किसी भी सभ्य समाज, समान एवं संघष्त विकास के लिए पुरूष एवं महिलाओं का परस्पर समान सहभागिता आवश्यक होती है। पुरूष–महिला कार्य सहभागिता दर में अन्तराल का बड़ा होना भी जनपद में सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोण से समस्या का प्रश्न रहा है। कार्य सहभागिता के निम्न स्तरीय होने के साथ ही निर्भरता अनुपात निरंतर बढ़ता जा रहा है। जिससे सामाजिक आर्थिक स्थिति में तीव्रता से गिरावट आ रही है। इसका प्रमुख कारण तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि दूसरी तरफ मुख्य श्रमिकों का सीमांत श्रमिकों एवं सीमांत श्रमिकों का गैर श्रमिकों में रूपांतरण। व्यावसायिक संगठन में आज भी जनपद सहित लगभग सभी विकासखण्डों में कृषीय कर्मियों की प्रधानता रही है जो पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण रहा है।

जनपद एवं विकासखण्ड में उपर्युक्त समस्याओं के निवारण का प्रभावी उपाय परिवार कल्याण है क्योंकि 'परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य न केवल मनुष्य की संख्या को कम या स्थिर रखना है, प्रत्युत लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि का भी प्रयास करना होता है।' (अग्रवाल, एस0एन0, 1978)। लोगों को आर्थिक क्रियाकलापों में सम्मिलित करने हेतु विभिन्न आर्थिक नीतियों का निर्माण एवं उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाये। विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल प्रदान कर लोगों को द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न करने का प्रयास किया जाय। विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए, जिससे आर्थिक आय में वृद्धि एवं समानता हो सके। इसका लाभ यह होगा कि एक तरफ कार्य सहभागिता दर में वृद्धि होगी दूसरी तरफ निर्भरता अनुपात में कमी आयेगी और सामाजिक आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार आयेगा। जनपद के सभी विकासखण्डों में जहाँगीरगंज की श्रमशक्ति स्थिति सबसे दयनीय है। अतः इसमें सुधार हेतु प्रभावी नीतियों पर ध्यान दिया जाय।

सन्दर्भ

1. *Agarwal, S.N."India's Population problems" Tata Mcgraw Hill Publishing Company Limited, New Delhi.1978*
2. *Chandana, R.C. Population Geography, Kalyani Publication. 2012*
3. *District Census Handbook Ambedkar Nagar- 2001, 2011.*
4. *Kumar, Ravi Population Dynamics in Sultanpur District (U.P.)2018*
5. *Sankhyakiy Patrika Ambedkar Nagar- 2015-16.*
6. *Tiwari, R.C. Abhinav Prayogatamak Bhugol, Prayag Pustak Bhawan, Allahabad.2014*
7. *Venkatanarayana, Motkuri and Veslawatha, Suresh Naik (2013). Growth And structure of workforce in India : An Analysis of census data. mpra 2013.*
8. *Yadav Pradeep and K.C. Purohit (2017), Occupational structure of Deoria town (Uttar Pradesh) : An Analytical study. IJAR 2017.*
9. *Yadav, R.P. and N.L.S. Yadav , Population Growth : A Geographical study of Gyanpur Tahsil, Research Strategy, Vol-8, 107-11 2.2018*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-191-198

एसिड अटैक, एक चाह विद्रुपित करने की : एक सामाजिक विधिक अध्ययन

*डॉ० स्वप्निल त्रिपाठी**
*रमेश चन्द्र***

सारांश

एसिड हमला किसी महिला के ऊपर होने वाले सबसे घिनौना और नृशंस प्रकार की हिंसा मानी जाती है। बिना किसी गलती के एक बेगुनाह महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाना इस पुरूष प्रधान समाज में पुरूष तानाशाही का प्रतीक है। आज के समय में ऐसी घटनायें बढ़ती जा रही है अपराधियों को निर्दोष पीड़िता पर इस प्रकार की खतरनाक एसिड को फेंकना या फेंकनें के प्रयास को पूर्णतः अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है, नहीं तो निर्दोष प्राणी इसी तरह से बिना गलती के अपराधियों के शिकार होतें रहेंगे। हालांकि 2013 के आपराधिक विधि संशोधन से पूर्व इसके लिये भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में अलग से कोई प्रावधान नहीं था, परंतु इस संशोधन के पश्चात् भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दो नयी धारायें 326–क तथा 326–ख जोड़कर उसे काफी हद तक प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया है परंतु अभी भी इस समस्या से निपटने के विशिष्ट विधि के निर्माण की आवश्यकता है। इस शोध पत्र के माध्यम से इस समस्या के कारण और निवारण के साथ विधिक मुद्दों पर चर्चा की गयी है।

शब्द संक्षेप– महिला, अम्ल प्रहार, अम्ल प्रहार का कारण और इसका प्रभाव, विधिक प्रावधान एवं सहायता, न्यायपालिका की भूमिका।

प्रस्तावना

महिलाओं के साथ हिंसा होना हर एक देश का एक संवेदनशील मुद्दा है चाहे वह विकसित देश हो या विकासशील देश। जैसा कि एक सुप्रसिद्ध वाद मूलर बनाम ओरगन[1] में अभिनिर्धारित किया गया था कि महिलामानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर होती है इसी कारण उसे सदैव सहारे की आवश्यकता पड़ती है इसी कारण वह पालने से लेकर अंतिम साँस तक हिंसा का शिकार होती है।

चैम्बर लॉ डिक्शनरी[2] के अनुसार हिंसा का अर्थ है आक्रोश गाली–गलौज, चोट या बलात्कार भी है अन्य लोगों को चोट पहुँचाना हिंसा का सार है। वह या तो शारीरिक वा मानसिक हो सकती है।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी[3] के अनुसार हिंसा का अर्थ अन्यायपूर्ण या अनुचित बल का प्रयोग जो आमतौर पर रोग, उग्र या अपमान, शारीरिक बल के साथ गैरकानूनी रूप से नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से प्रयोग की जा सकती है। हिंसा के कई रूप हो सकते है जैसे – कन्या भ्रूण हत्या, वेश्यावृत्ति, वैवाहिक बलात्कार, पत्नी

**सहायक आचार्य (विधि संकाय), नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, प्रयागराज, (उ०प्र०)*
***शोध छात्र (विधि संकाय), क्रेट 2018 द्वितीय बैच, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, प्रयागराज, (उ०प्र०)*

को मारना, पीटना, वेश्यावृत्ति, छेड़खानी यौन उत्पीड़न इत्यादि उपरोक्त सभी प्रकार की हिंसा में अम्ल प्रहार को बेहद निन्दनीय और जघन्य अपराध माना जा सकता है।

अम्ल प्रहार एक सोच समझकर किया जाने वाला एक ऐसा हमला है जिसमें अम्ल को हथियार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तथा उस व्यक्ति को पीड़ा देने तथा परेशान करने के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जाता है। अम्ल हमले में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन सल्फ्यूरिक एसिड है।

एसिड हमले में आमतौर पर हमलावर महिला के ऊपरी भागों को निशाना बनाता है। जिसमें अपराधी का आशय होता है कि पीड़िता को जीवनभर के लिए शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक पीड़ा देना, हमलावर का आशय पीड़िता को जान से मारना ना होकर जीवन भर के लिये उसके ऊपर शारीरिक, मानसिक रूप से स्थायी अमिट छाप छोड़ना।

अम्ल प्रहार के प्रमुख कारण

अम्ल प्रहार के बहुत से कारण समाज में विद्यमान हैं, जिनमें से, पुरूष प्रधान समाज एवं एसिड का सस्ता होना तथा आसानी से सुलभ हो जाना, घरेलू हिंसा, सहकर्मी की ईर्ष्या, प्रेमी का प्रतिशोध, परिवार की सम्मान की रक्षा आदि।

अम्ल प्रहार का प्रथम कारण पुरूष प्रधान समाज माना जा सकता है। क्योंकि ऐसा समाज जहाँ पर स्त्री को सदैव पुरूष द्वारा नियंत्रित किया जाता है वहाँ पुरूषों को 'ना' सुनने की आदत नहीं है। इसी कारण इस प्रकार का अपराध परिणित होता है।

द्वितीय कारण है एसिड का सुलभ होना तथा इसका अत्यधिक सस्ता होना क्योंकि बाजार में बड़ी ही आसानी से इसे खरीदा जा सकता है तथा इसका अधिक मूल्य भी नहीं चुकाना पड़ता है। धरेलू हिंसा इसका तीसरा और मुख्य कारण हैं क्योंकि घर परिवार सेकम दहेज लाना, बच्चा जन्म देने की असर्मथता बालक पोषण करने से इन्कार, सेक्स करने से इंकार, सम्पत्ति विवाद आदि मामलों में घरेलू हिंसा आम बात है।ऐसे मामलों में भी अम्ल प्रहार जैसी घटनायें घटित हो सकती है जिसका स्पष्ट उदाहरण है राम चैतर बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०[4] जिसमें सम्पत्ति के विवाद में भाई की पत्नी पर एसिड फेंका गया। जिसमें उनकी मृत्यु हो गयी।

एसिड प्रहार का तीसरा मुख्य कारण ईर्ष्या हो सकती है और यह ईर्ष्या अवसाद सहकर्मी में पनप सकती है और यह प्रतिस्पर्धा की दुनिया में व्यवसाय, सेवा क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र में हो सकती है। ऐसी घटनायें किसी के उज्जवल और समृद्ध कैरियर को झटका देने के उद्देश्य से की जा सकती है। इसका स्पष्ट उदाहरण महाराष्ट्र राज्य बनाम अंकुर पवार[5] के मामलें से स्पष्ट होता है।

एसिड प्रहार का चौथा और सबसे बड़ा कारण है तथाकथित प्रेमी द्वारा प्रतिशोध की भावना से पीड़िता द्वारा प्रेम अस्वीकृत किये जाने पर अम्ल प्रहार किया जाना। प्रतिशोध की भावना को संतुष्ट किये जाने में महज कुछ क्षण लगता है पर अपराधी को यह नहीं समझमें आता कि यह कृत्य अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी हैएसिड प्रहार का पांचवा सबसे मुख्य कारण है परिवार का सम्मान क्योंकि सभी जातियों के बीच जवाबी कार्यवाही में इस विकृत हथियार के प्रयोग का उदाहरण भी मिला है।

अम्ल प्रहार के प्रभाव

अम्ल प्रहार के प्रभाव शारीरिक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, वित्तीय प्रभाव और सामाजिक प्रभाव पीड़िता पर हो सकते है।:

अम्ल प्रहार के प्रथम प्रभाव शारीरिक प्रभाव के अंतर्गत एसिड जब त्वचा पर पड़ता है तो यह त्वचा को जला सकता है या हड्डियों के विघटन का कारण बनता है चेहरे पर पड़ने पर चेहरे को विकृत कर सकता है आँख, नाक, कान को पूर्णतः नष्ट कर सकता है जिससे पीड़िता को बहुत प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना जीवन भर के लिए करना पड़ सकता है।

अम्ल प्रहार के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालता है जैसे कि व्यक्तित्व में कमी, धबराहट, हताशा, आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक एवं हीन भावना का विकास। अम्ल प्रहार के उपरान्त उसके इलाज में बहुत कठिनाई होती है तथा बहुत अधिक धन का व्यय होता है। इसके उपचार में जैसा कि सर्जरी, स्किन ग्राफटिंग, औषधि आदि में अत्यधिक धन का व्यय होता है, जिनका पूरा का पूरा खर्च पीड़िता के परिवार को वहन करना पड़ता है।

एसिड अटैक पीड़िता को सामजिक दृष्टिकोण से भी प्रभावित होना पड़ता है उन्हें अपनी शारीरिक बनावट एवं शारीरिक अक्षमताओं के कारण अपनी शिक्षा, व्यवसाय छोड़ कर एक ऐसा जीवन व्यतीत करने पर मजबूर होना पड़ता हे जो बेहद ग्लानी भरा हो सकता है।

एसिड अटैक के मामलें में विधायी प्रयास

एसिड अटैक के मामलें में पूर्व में भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कोई अलग से प्रावधान नहीं बनाया गया था। इस सदर्भ में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दो नयी धारायें 326–क तथा 326–ख जोड़ी गयी।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 326–क[6] के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग या अंगों को उस व्यक्ति पर तेजाब फेंककर या उसे तेजाब का सेवन कराकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके स्थायी या

आंशिक नुकसान या विद्रूपता कारित करेगा या दाह कारित करेगा या विकलांग बनायेगा या विद्रूपित करेगा या निःशक्त बनायेगा या वैसा कारित करने के आशय से या इस ज्ञान के साथ, कि उसे ऐसी क्षति या उपहति कारित होना सम्भाव्य है, घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से ऐसे किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से न्यून नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डित किया जायेगा,

- परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़िता के उपचार के चिकित्सीय व्यय को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा;
- परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माना का भुगतान पीड़िता को दिया जायेगा।

धारा 326–क[7] स्वेच्छया एसिड का प्रयोग कर गम्भीर चोट कारित करने के अपराध का प्रावधान करती है। इस धारा के अधीन निम्न प्रकार की चोटें आती हैं। किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक क्षति अथवा विकृति या विरूपता कारित करना जलाना।

i. कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के शरीर के अंग या अंगों को निर्योग्य कर देता है या लंगड़ा, लूला करता है, अथवा
ii. ऐसिड फेंककर या एसिड देकर या पिलाकर चोट पहुंचाता है, अथवा
iii. किसी अन्य प्रकार से चोट करना।

इस धारा के अन्तर्गत दूसरी आवश्यकता यह है कि उपरोक्त प्रकार की चोटों में से कोई भी इस आशय या ज्ञान से कारित की जा सकती है कि वह इस प्रकार की कोई चोट या ऐसी क्षति कारित करने की सम्भावना है।

उपरोक्त श्रेणी का कोई अपराध कारित करना किसी प्रकार के कारावास से दण्डनीय होगा जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा परन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकता है और अर्थदण्ड से जो दण्डनीय होगा। बशर्ते कि ऐसा अर्थदण्ड पीड़िता के उपचार के व्यय हेतु उचित औरयुक्तिसंगत होगा। बशर्ते यह भी कि इस धारा के अधीन इस प्रकार अधिरोपित अर्थदण्ड पीड़ित को दिया जायेगा। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 326–ख[8] के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकेगा या फेंकने का प्रयास करेगा या किसी व्यक्ति को तेजाब का सेवन कराने का प्रयत्न करेगा या उस व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान या विद्रूपता या दाह कारित करने या विकलांग बनाने या विद्रूपता या निःशक्त या घोर उपहति कारित करने के आशय से किन्हीं अन्य उपायों का प्रयोग करने का प्रयास करेगा, वह दोनों से ऐसे किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष से न्यून नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और

जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1–धारा 326–क एवं इस धारा के प्रयोजनों के लिए, तेजाब के अर्न्तगत ऐसा कोई पदार्थ भी शामिल है, जिसका अम्लीय या संक्षारक स्वभाव है या दाह करने की प्रकृति है, जो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के योग्य है, जिसका परिणाम क्षतचिन्ह बनने या विद्रूपता या अस्थायी अथवा स्थायी निर्योग्यता में होगा।

स्पष्टीकरण 2–धारा 326–क एवं इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान या अंगविकार का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा।

धारा 326–खः भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 326–ख[9] के अनुसार जानबूझ कर तेजाब फेंकने या फेंकने का प्रयत्न करने के अपराध का प्रावधान करती है। इस धारा के अन्तर्गत निम्न प्रकार के कार्यों को अपराध घोषित किया गया हैः

(1) किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना।

(2) किसी व्यक्ति को तेजाब पिलाने का प्रयत्न करना।

(3) किसी अन्य प्रकार के साधन का प्रयोग इस आशय से करने का प्रयत्न करनाः

(i) स्थायी क्षति या,

(ii) अस्थायी क्षति कारित करना,

(iii) विरूपता कारित करना, या

(iv) जलन (burn) कारित करना,

(v) विरूपण, निर्योग्यता या गम्भीर चोट कारित करना,

(vi) चोटें किसी भी व्यक्ति को कारित की जा सकती हैं।

कोई व्यक्ति जो उपरोक्त चोटें कारित करता है वह ऐसे प्रकार के कारावास से जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा और जो सात वर्ष तक विस्तारित हो सकता है दण्डित किया जायेगा। अपराधी अर्थदण्ड से भी दण्डनीय होगा।

व्याख्या 1– धारा 326–क और 326–ख के प्रयोजनों हेतु तेजाब में ऐसा तत्व भी शामिल है जिसे अम्लीय या काटने वाली जलन प्रवृत्ति का हो। इसका अर्थ है कि कोई तत्व जिससे शारीरिक चोट जिसे दाग पड़ जाय या विरूपित कर दे या अस्थायी अथवा स्थायी निर्योग्यता कारित करने लायक है।

व्याख्या 2–द्वितीय व्याख्या यह स्पष्ट करती है कि धाराओं 326–क और 326–ख के प्रयोजनों हेतु अस्थायी क्षति या विरूपता प्रतिवर्तित नहीं की जा सकती है।

1.5 न्यायपालिका की भूमिका–न्यायपालिका द्वारा एसिड पीड़िता को न्याय दिलाने, मुआवजा एवं चिकित्सा सहायता प्रदान किये जाने के संदर्भ में एक

महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया है जो निम्न वादो के माध्यम से स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है।

दिल्ली प्रशासन बनाम मेवा सिंह[10] इस वाद में आरोपी पीड़िता का परिचित था। एक दिन आरोपी द्वारा पीड़िता एवं उसके पिता पर कुछ आपत्तिजनक एवं अभद्र टिप्पणी की गयी। जिस पर उन्होंने उसे फटकार लगाई, जिससे खिन्न होकर उसने पीड़िता पर रात में एसिड फेंक दिया। जिस कारण वह 40 फीसदी जल गयी आरोपी को इस अपराध में संदेह का लाभ देकर सेशन न्यायालय द्वारा छोड़ा दिया गया। परंतु अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्धि करार दिया गया।

देवानन्द बनाम राज्य[11] इस वाद में आरोपी की पत्नी उसे छोड़कर अपने पिता के यहां चली गयी एक दिन आरोपी उसके घर गया उससे सबंध बनाने का प्रयास करने लगा तब उसकी पत्नी ने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने धमकी दी कि वह एसिड फेंक देगा, तथा वह तेजाब के साथ वापस आया और अपनी पत्नी पर एसिड फेंक दिया, जिससे वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी न्यायालय ने उसे दोषसिद्धि करार दिया।

सबाना खातून बनाम पश्चिम बंगाल[12] इस मामलें में एसिड पीड़िता ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें कहा गया है कि मुख्य सचिव द्वारा उसे मुआवजा देने से मना किया गया है राज्य सरकार द्वारा यह दलील दी गयी कि एसिड पीड़िता को केवल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सिफारिश पर ही मुआवजा दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की दलील अस्वीकार कर दी तथा यह अभिनिर्धारित किया कि चूकि पीड़िता के चेहरे पर तेजाब फेंका गया था इसलिये उसे रू. 0.3 मिलियन मुआवजा दिया जाये एवं सम्मानित किया जाये।

सुरेश कुमार अप्पू बनाम राज्य[13] इस मामलें में एक साफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा एक महिला से शादी का प्रस्ताव किया, जिसे महिला एवं उसके पिता द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इस पर आरोपी द्वारा उस महिला पर एसिड फेंक दिया गया।जिससे वह बुरी तरह घायल हो गयी तथा उसकी मृत्यु हो गयी। आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 326–क के अंतर्गत 2 साल की कारावास तथा 302 धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा दी गयी।

महाराष्ट्र बनाम अंकुर पवार[14] इस वाद में आरोपी द्वारा एक महिला के ऊपर इसलिये तेजाब फेंक दिया क्योंकि उसने उसके साथ शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। तेजाब फेंकने के कारण उसके श्वासन तंत्र के विभिन्न श्वासन अंग क्षतिग्रस्त हो गये तथा कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गयी।आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 326–क तथा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि करार दिया गया।

उत्तराखण्ड बनाम आजम[15] इस वाद में आरोपी तथा पीड़िता के बीच जान पहचान थी, आरोपी द्वारा पीड़िता को परेशान किये जाने पर पीड़िता के भाई ने आरोपी को पीड़िता से मिलने एवं उसके घर जाने पर रोक लगा दी इससे परेशान होकर आरोपी ने पीड़िता के ऊपर उस वक्त तेजाब फेंका जब वह कोचिंग से लौट रही थी। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 307 के अंतर्गत दोषी माना तथा यह निर्देश जारी किया कि राज्य सरकार द्वारा एसिड हिंसा के पीड़ितो के लिये आपराधिक चोट मुआवजा बोर्ड की स्थापना की जाये एवं ऐसे लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाये, कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंन्स के तेजाब नहीं बेचेगा, ऐसा पाये जाने पर ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 326–क, 326–ख, 354–क, 354–ख, 354–ग, 354–घ के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

मकबूल बनाम यूपी राज्य और अन्य[16] इस वाद में यह प्रमुख प्रश्न था कि यदि एसिड हमले से चोटे साधारण है तो क्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 326–क के अंतर्गत दोषसिद्धि प्रदान की जायेगी अथवा नहीं। इस वाद में आरोपी द्वारा पीड़िता पर कारित एसिड हमले के परिणामस्वरूप आई साधारण चोटों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 326–क अंतर्गत दोषी माना।

लक्ष्मी बनाम भारत संध[17] इस वाद में एसिड अटैक के मामलें में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश न्यायालय द्वारा दिया गया। इस वाद में लक्ष्मी का जन्म दिल्ली में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ। 2005 में उस पर तीन लोगों ने एसिड हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर तथा चेहरा क्षतिग्रस्त हो गया। 2006 में पीड़िता ने एक जनहित याचिका दायर करके भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 के प्रावधानों में संशोधन करने की मॉग की। तथा यह भी मॉग की कि एसिड पीड़िता को मुआवजा दिया जाये तथा एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाये।

2013 में सर्वोच्च न्यायालय याचिका को मंजूरी प्रदान करते हुए एसिड की बिक्री पर प्रतिबंधित लगा दिया गया तथा एसिड खरीदने के लिये एक पहचान पत्र का होना अनिवार्य बना दिया गया तथा पीड़िता को मुआवजा की राशि 50,000 से बढ़ाकर 3,00000 कर दिया गया। साथ ही साथ पीड़िता के इलाज और सर्जरी को मुफ्त कर दिया गया।

परिवर्तन केंद्र और अन्य बनाम भारत संध[18] इस मामलें में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पीड़िता को रू. 0. 3 मिलियन से भी अधिक मुआवजा प्रदान करे।

निष्कर्ष

भारतवर्ष में महिलाओं की स्थिति प्राचीनकाल में बहुत अच्छी थी, महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। यह कहा जाता था कि जहॉ महिलाओं की पूजा होती है वहॉ देवता भी निवास करते है। महिलाओं की यह स्थिति प्राचीनकाल के अंत तक बिगड़नी प्रारंभ हो गयी तथा मध्यकाल आते आते अत्यंत दयनीय हो गयी, महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा, आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अनेकों समाज सुधारकों द्वारा अनेक प्रकार के प्रयास किये गये तथा उनके स्थिति में अधिक सुधार लाने के लिए नियम अधिनियम भी बनायें गये। महिलाएँ हर एक काल में उत्पीड़न का शिकार होती रही है जिनमें से सबसे धृणित अपराध एसिड प्रहार माना गया है इसमें एक निर्दोष महिला के ऊपर उसके बिना गलती के एसिड का प्रहार किया जाता है जिससे पीड़िता शारीरिक, मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। ऐसा अपराधों के रोकथाम के लिए प्रारंभ में कोई विशिष्ट विधि नहीं थी परंतु आपराधिक विधि संसोधन अधिनियम, 2013 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संशोधन करके धारा 326–क, 326–ख जोड़ी गयी, तथा ऐसे अपराधों को रोकने का प्रयास किया गया न्यायापालिका ने भी निर्णयों के माध्यम से विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करके ऐसा अपराधों को रोकने, पीड़ितो को न्याय, मुआवजा, चिकित्सीय सहायता तथा सम्मान दिलाने का प्रयास किया।

सन्दर्भ

1. *208 यू.एस. 412*
2. *सैनफोर्ड एच. कदीश, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्राइम एंड जस्टिस*
3. *ब्लैक्स लॉ डिक्सनरी 1564 ब्रायन ए. जार्नर एड. 7वां संस्करण, 1999*
4. *क्रि० 2006 ए.पी. 766 एस.सी.*
5. *निर्णीत 8 दिसम्बर 2016, बाम्बे हाई कोर्ट www. Indian kanoon.orgèdocè73058320*
6. *आपराधिक विधि संसोधन अधिनियम, 2013 द्वारा जोड़ी गयी*
7. *आपराधिक विधि संसोधन अधिनियम, 2013 द्वारा जोड़ी गयी*
8. *आपराधिक विधि संसोधन अधिनियम, 2013 द्वारा जोड़ी गयी*
9. *आपराधिक विधि संसोधन अधिनियम, 2013 द्वारा जोड़ी गयी*
10. *5 (1969) डी.एल.टी. 506*
11. *निर्णीत 29 जून, मद्रास उच्च न्यायालय, क्रि० अपील 361/2014*
12. *1987,(1) क्राइम्स 314, 31*
13. *रिट याचिका संख्या 34704/2013, निर्णीत 28 फरवरी 2014*
14. *क्रि० 2006 ए.पी. 766 एस.सी.*
15. *अपील संख्या 12/2011 निर्णीत 12 जून 2017*
16. *2018 एस.सी.सी., एस.सी.1930*
17. *(2014) 4 एस.सी.सी. 427*
18. *रिट याचिका संख्या 867/2013, निर्णीत 7 दिसंबर 2015*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-199-205

अयोध्या के नागेश्वरनाथ मन्दिर का प्राचीन इतिहास

*डॉ० दिवाकर त्रिपाठी **
*संदीप मिश्रा ***

शिव प्राचीन काल से ही भारत के आराध्य देव रहे हैं। शिव और शक्ति की परम्परा को भारतीयों ने सिन्धुघाटी सभ्यता काल से ही समझा है और उनकी पूजा और आराधना की है। इसी क्रम में अयोध्या के नागेश्वरनाथ मन्दिर के शिवोपासना की धारा भी ऐतिहासिक युगों में क्रमशः दिखाई देती है। श्रीराम की अयोध्या में वैष्णव के साथ नागेश्वरनाथ की शैवधारा भी सहयुक्त है। भारतीय संस्कृति में अयोध्या के नागेश्वरनाथ मन्दिर में शिव की ऊर्जा, सहिष्णुता, पराक्रम, सत्य एवं सुन्दर देव के रूप में अभिव्यक्त है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में सरयू नदी के तट पर अयोध्या की राम की पैड़ी के समक्ष स्थापित नागेश्वरनाथ मन्दिर अत्यन्त प्राचीन और सिद्ध है। इसके अगल–बगल मन्दिरों की लम्बी श्रृंखला है। नागेश्वरनाथ का शिवलिंग भारतवर्ष के सभी ऐतिहासिक युगीन शिवलिंगों में प्राचीन है। सरयू की अविरल धारा के समीप भगवान शिव का यह शिवालय असंख्य शिवभक्तों की आस्था एवं श्रद्धा का केन्द्र है। मान्यता है कि श्रावण मास में यहाँ भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मलमास, शिवरात्रि में इस शिवालय में भगवान शिव के पूजन व अभिषेक से भक्त की सभी मनोकामनायें पूर्ण हो जाती हैं। प्रायः सरयू स्नान कर श्रद्धालु उसके जल से नागेश्वरनाथ का अभिषेक करते हैं।1

राम की पैड़ी पर स्थित इस मन्दिर के नाम में नागेश्वर का अर्थ होता है नागों के देवता, जो कि भगवान शिव को माना गया है। यह मन्दिर भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि शिव भगवान को समर्पित इस मन्दिर का निर्माण श्रीराम के पुत्र कुश ने करवाया था। यह मन्दिर राजा विक्रमादित्य के शासनकाल तक अच्छी स्थिति में था। 1750 ई0 में इसका जीर्णोद्धार नवाब सफदरजंग के मंत्री नवलराय द्वारा कराया गया था। शिवरात्रि का पर्व इस मन्दिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ शिव बारात का भी बड़ा महात्म्य है। शिवरात्रि के पर्व में यहाँ लाखों की संख्या में दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। नागेश्वरनाथ मंदिर के प्रबंधक सभापति तिवारी ने बताया कि शिवालय की स्थापना के विषय में बहुत से आख्यान एवं संदर्भ प्राप्त होते हैं। धार्मिक मान्यताओं

**सहायक आचार्य, इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या (उ०प्र०)*
***शोध छात्र, इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या (उ०प्र०)*

में अनुसार भगवान श्रीराम अनंत धाम जाने से पूर्व अयोध्या राज्य को 8 भागों में बांट दिया था। उन्होंने भरत के पुत्र पुष्कल तथा मणिभद्र, लक्ष्मण के पुत्र अंगद व सुबाहु, शत्रुध्न के पुत्र नील व भद्रसेन और अपने पुत्र लव तथा कुश को अपना राज्य समान भागों में बांट दिया। जिसमें कुश को कौशाम्बी का राज्य मिला। ऐसी मान्यता है कि श्रीराम के पुत्र महाराज कुश ने ही नागेश्वरनाथ मन्दिर की स्थापना की है।[2]

वैष्णव नगरी अयोध्या में प्रतिष्ठित नागेश्वर नाथ मन्दिर शैवों ही नहीं वैष्णव मतावलम्बियों की वह श्रद्धा स्थली जहां सावन माह में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा एवं विश्वास के साथ यहाँ मांगी गई हर मनोकामना नागेश्वरनाथ पूरी करते हैं। ट्रस्ट के प्रबंधक सभापति तिवारी ने बताया कि सावन के पहले सोमवार के मौके पर भगवान की भव्य झांकी सजाई जाती है। 1051 बत्ती की महाआरती की जाती है। मन्दिर ट्रस्ट सावन शुक्ल पूर्णिमा के पर्व पर लवकुश की जयंती का आयेाजन बड़े धूमधाम से करता है।[3]

नागेश्वरनाथ मन्दिर की ऐतिहासिकता

श्री राम की ऐतिहासिक नगरी में वैष्णव धर्म के साथ शैव धर्म का भी विकास हुआ। श्रीराम की जीवनधारा भी शिवोपासना से अनुस्थूत रही। शिव एवं विष्णु सहयुक्त देवता हैं। विष्णु, शिव की महिमा कहते हैं और शिव विष्णु की महिमा का व्याख्यान करते हैं। पुरातात्विक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि अयोध्या के सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी के समक्ष विख्यात नागेश्वरनाथ मन्दिर इतिहास एवं पुरातत्व की दृष्टि से बहुमूल्य है। इसके पृष्ठभाग में कालेराम का मन्दिर और थोड़ी दूर पर चन्द्रहरि महोदव का मन्दिर है। वस्तुतः सम्पूर्ण स्वर्गद्वार क्षेत्र धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर से युक्त रामायणकाल से इस समय तक के विभिन्न पुरावशेषों को अपने में समाहित किये हैं। नागेश्वरनाथ मन्दिर पहुंचने से पूर्व दिव्यकलाकुंज, रूपकलाकुंज, आदित्यराम मन्दिर, शुंगकालीन खंडहर, नागनाथ एवं सरयू मन्दिर आदि विनिर्मित है, जिससे स्थल की प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता स्वतः प्रमाणित है।

यह क्षेत्र अयोध्या का प्राचीन क्षेत्र है और सरयू नदी घाट आरम्भ में यही था। सरयू में सहस्त्रधारा तीर्थ से लेकर पूर्व दिशा में 630 धनुष तक स्वर्गद्वार का विस्तार था।

सहस्त्रधारामारम्भ पूर्वतः सरयूजले।
षट्त्रिंशदधिका प्रोक्ताधनुषां षट्शतिमितिः।।[4]

स्वर्गद्वार क्षेत्र की ऐतिहासिक महिमा है और स्वर्गद्वार सचमुच आज भी प्राचीन मन्दिरों से भरा है, जिनमें कालेराम मन्दिर, चन्द्रहरि महादेव, त्रेतानाथ का मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, वैदेही मन्दिर, गंगामहल, सरयू मन्दिर आदि उल्लेखनीय है।

स्वर्गद्वार के विषय में कहा गया है कि–

स्वर्गद्वार समं तीर्थ न भूतं न भविष्यति।
स्वर्गद्वार समं तीर्थ नास्ति ब्रम्हाण्डगोलके।।[5]

नागेश्वरनाथ मन्दिर की वास्तुकला एवं संरचना

अयोध्या का विख्यात नागेश्वरनाथ मन्दिर, शिव महिमा एवं शिवोपासना का प्रमुख केन्द्र है और देश के अधिकांश भारतीय जनधारा सांस्कृतिक, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। वर्तमान नागेश्वरनाथ मन्दिर का नवाबयुग में सफजरजंग के शासनकाल में हिन्दूमंत्री नवलराय द्वारा पुनर्निर्माण किया गया। मन्दिर के मुख्यद्वार पर बाहर उमामहेश्वर स्त्रोत एवं वेदसार शिवस्तुतः लिखा है। यहाँ आँगन में तीन नन्दी की प्रतिमाएं हैं, जिनमें एक बलुआ प्रस्तर, एक सफेद संगमरमर और एक काले प्रस्तर की है। नन्दी के पीछे दीवार के ताखे में गणेश की प्रतिमा आसीन है। बलुआ प्रस्तर निर्मित एक नन्दी की प्रतिमा शिवलिंग के अधोभाग के प्रस्तर के सदृश है। इसके पूर्व दो छोटे–छोटे शिव लिंग की स्थापना है, जो नये है। आँगन में दायीं तरफ चौकोर चबूतरे पर शिवलिंग की स्थापना है। मन्दिर में भव्य शिवलिंग 12.5 सेमी0 माप का है, जिसका अधोभाग अशोककालीन सारनाथ सिंह शीर्षक स्तम्भ के समान स्तम्भ के शीर्ष भाग को उलटकर स्थापित किया जान पड़ता है। इसमें रेखाओं का स्पष्ट आकर्षक उभार है और व्यास 70 सेमी है।

नागेश्वरनाथ मन्दिर के शिवलिंग के अधिष्ठान की ऊँचाई 57.5 है। अधिष्ठान अशोक कालीन स्तम्भों से तुलनीय है। इसी क्रम में विचार प्रासंगिक होगा कि नागेश्वरनाथ का शिवलिंग, जहाँ इस समय श्रीराम की पैड़ी के तट पर सुस्थापित है, वहीं आज से अधिक नहीं 40 वर्ष पहले प्राचीन सरयू नदी के तट पर इसकी स्थापना देखी जा सकती थी। पुरातत्त्व एवं धर्म के दृष्टिकोण से देखने पर नागेश्वरनाथ मन्दिर ऊँचाई पर बना हुआ है। अतः स्पष्ट है कि नागेश्वरनाथ मन्दिर के निर्माण–पुनर्निर्माण का क्रम अनेक बार हुआ। मन्दिर के गर्भगृह का निर्माण आधुनिक कालीन है।

नागेश्वरनाथ मन्दिर के सन्दर्भ में रघुवंश का साक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कुश द्वारा नागेश्वरनाथ मन्दिर की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में रघुवंश में संग्रहीत कुश और कुमुद्वति विवाह की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।[6]

कुश को स्वप्न आया

एक बार अर्द्धरात्रि जिस समय शयन कक्ष का दीपक स्तिमित (टिमटिमा) हो रहा था और सभी शयनावस्था में थे, उसी समय कुश को स्पप्न में एक ऐसी स्त्री दिखाई दी, जिसे पहले उन्होंने नहीं देखा था। इन्द्र के सदृश तेजस्वी शत्रुजयी कुश के आगे उनकी जयकार करती हुई स्त्री अंजलिबद्ध हो खड़ी हो गयी। स्त्री को

देखकर कुश शैय्या पर उठकर बोले ''हे शुभे! तुम कौन हो ? तुम्हारे पति का क्या नाम हैं ? यहाँ किस कार्य से आयी हो ? प्रत्युत्तर में स्त्री ने कहा कि श्री राम जिस समय वैकुण्ठधाम जाने लगे उसी समय अयोध्यापुरी के निवासियों को भी साथ लेते गये। मैं उसी अनाथिनी अयोध्यापुरी की अधिष्ठात्री देवी हूँ। प्रभु स्वामी के बिना सैकड़ों तल्लोंवाली अट्टालिकाओं के टूट जाने से मेरी निवासी भूमि अयोध्या वैसे उदास लगती है, जैसे सूर्यास्तकालीन संन्ध्या जिसमें वायु के झोंके से छितराये हुए बादल कहीं–कहीं दिखाई देते हैं। सरयू के तट पर बनी हुई बेंत की झोपड़ियाँ भी शून्य हो गयी है। अतः तुम्हारे बिना श्रीराम ने राक्षसों को मारने के लिए जो मानव–शरीर धारण किया था, उसे छोड़कर जैसे वे परमात्मा में लीन हो गये, वैसे ही आप भी इस नयी राजधानी कुशावती को त्यागकर अपनी कुल परम्परा की राजधानी अयोध्या में चलकर निवास कीजिए। कुश ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, ऐसा ही होगा। यह सुनकर प्रसन्न मन से अयोध्या की अधिष्ठात्री देवी अन्तर्धान हो गयी।[7]

कुश ने प्रातः उठने पर विस्मयजनक स्वप्न सभा में ब्राम्हणों को सुनाया। ब्राम्हणों ने कुश की प्रशंसा की और कहा कि आप धन्य हैं, जिसे कुल की राजधानी ने स्वेच्छा से पति चुना है। इसके पश्चात् कुश ने कुशावती को दान देकर, शुभ मुहुर्त में अयोध्या के लिए प्रस्थान किया।

कुशावती श्रोतियसात्स कृत्वा यात्रानुकूलेऽहनि सावरोधः।
अनुद्रतो वायुरिवाभ्रवृन्दैः सैन्यैरयोध्याभिमुखः प्रतस्थे।।[8]

कालिदास ने कुश एवं उनके सैनिकों की यात्रा का विस्तार वर्णन करते हुए लिखा है कि–

इत्यध्वनः कैश्चिदहोभिरन्ते कूल समासाद्य कुशः सरय्वाः।
वेदिप्रतिष्ठान्विततध्वाराणां यूयान् पश्यच्छतशो रघूणाम्।।

श्रीराम के बाद कुश द्वारा अयोध्या का पुररूद्धार किया गया। रघुवंश में लिखा है–

सा मन्दुरासंश्रयिमिस्तुरंगैः शालाविधिस्तम्भगतैश्च नागैः।
पूरावभाजे विपनिस्थपण्या सर्वांगनद्धाभरणेव नारी।।[9]

अयोध्या राजमहल में रहते हुए एक दिन कुश की इच्छा हुई कि जलधारा में मधमय हंसों युक्त तट की लताओं के पुण्य विकीर्ण करने वाली और गर्मी में सुखदायिनी सरयू के जल में रानियों के साथ विहार किया जाए। ऐसा निश्चय कर विष्णु के समान कुश सरयू के जल में विहरण करने लगे।

यत्कुम्भयोनेरधिगम्यः रामः कुशाय राज्येन समं दिवेश।
दस्य जैत्राभरणं विहर्तुरज्ञातपातं सलिलिममज्ज।।[10]

कुश ने कुमुद के हाथ में आभूषण देखकर धनुष प्रत्यंचा उतार लिया। कुमुद ने नतमस्तक हो कुश को प्रणाम कर कहा, कि मैं जानता हूँ कि आप राक्षसों का विनाश करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करने वाले विष्णु के दूसरे रूप अर्थात् उनके पुत्र है। अतः मैं आप से बैर कैसे रख सकता हूँ। कुश से निवेदन किया कि कुमुद्वती को आप पत्नी स्वरूप स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर कुमुद ने आभूषण कुश को दे दिया। कुश और कुमुद्वती के विवाह के उपरान्त नागेश्वरनाथ में दिव्य शिवलिंग की स्थापना कुश द्वारा की गयी। अतः स्पष्ट है कि विवाह के पश्चात् श्रीराम के पुत्र कुश द्वारा सरयू नदी के तट पर नागेश्वरनाथ मन्दिर की स्थापना हुई।[11]

शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोश्च हृदयं शिव।

ऐतिहासिक चिन्तन की धारा ने परिज्ञात है कि विष्णु एवं शिव,श्रीराम एवं शिव, हरि एवं हरतथा कुश एवं शिव के पारम्परिक ऐक्य के अनुशीलन में 'नागेश्वरनाथ मन्दिर' का ऐतिहासिक साक्ष्य है। नागेश्वरनाथ मन्दिर के अध्ययन की श्रृंखला में रूद्रयामल में संग्रहीत साक्ष्य भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

स्वर्गद्वारे नरः स्नात्वा दृष्ट्वा नागेश्वरं शिवम्।
पूजयित्वा सुविधिवत् सर्वान् कामानवारनुयात्।
स्वर्गद्वारे नरः स्नात्वा पूजयेद् वृषभध्वजम्।।[12]

तब सर्पराज कुमुद ने महाराज कुश से कहा कि मेरी बहन कुमुद्वती ने जो धृष्टता की है, उसे क्षमा कीजिए।

पपात् चरणापान्ते कंकणश्च समर्पयत्।
क्षमस्वं मम दौराम्यं भगिन्दा यत् कृतभनृप।।[13]

नागेश्वरनाथ का दर्शन करने से तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है।

सम्पूर्ण तस्य यात्रा स्यादन्यथार्द्ध फलप्रदा।
इत्युवाच कुशो राजा प्रविवेश गृहं स्वकम्।।[14]

शिवलिंग का आकार एवं पूजा

शिवलिंग शिव के निराकार रूप का प्रतीक है। लिंग साक्षात् ब्रम्ह का प्रतीक है। शिव ब्रम्ह स्वरूप और निष्फल हैं और यही यह कारण है कि पूजा में निष्फल लिंग का प्रयोग प्रावधानित है।[15] लिंग पूजन वस्तुतः आध्यात्मिक पूजन है। लिंग पूजा मानसिक एवं शारीरिक साधना है। शिव की लिंगोपासना में सर्वस्व समाहित है। सृष्टि का समग्ररूप शिवलिंग में स्थित है। लिंग के समझ नन्दी स्थापित करने की परम्परा भी गूढ़ अर्थ से युक्त है। नन्दी, शिव संसार, धर्म एवं परब्रम्ह की उपासना का प्रतीक है। नन्दी शिव के तेज को सहन करता है। शिवालय में नन्दी

प्रथमतः दिखाई देता है। नन्दी सामान्य वृषभ नहीं प्रत्युत् ब्रम्हचर्य का प्रतीक है। शिव का वाहन भी नन्दी है। शिवालय में गणेश की भी महत्ता है, क्योंकि बुद्धि एवं समृद्धि का सदुपयोग इनका सिद्धान्त है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण में लिंग निर्माण का कतिपय प्रावधान है और वहाँ शिवलिंग के तीन भाग निरूपित है। भोगपीठ, भद्रपीठ और ब्रम्हपीठ। लिंग के ऊपर का भाग 'भोग' नीचे का भाग 'अष्टकोणाकार' तथा उसके भी नीचे चौकोर होता है।[15] लिंग का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए–

वृत्तं दृश्यन्तु कर्तव्यं अष्टास्त्रं पिण्डिकागतम्।
चतुरस्त्रं तु कर्तत्यं ब्रम्हपीठगतं तथा।
अधस्ताद भद्रपीठस्य ब्रम्हपीठं विदुर्वुधाः।।

लिंग छः प्रकार के हैं जिन्हें मृणमय, लोहज, रत्नज, दारूज, शैलज एवं क्षणिक लिंग नाम से अभिहित किया जाता है। कामिकागम में लिंग निर्माण की विधि का सम्पूर्ण वर्णन है।[16]

अयोध्या में शैव धर्म का भी क्रमशः विकसित रूप परिलक्षित होता है जिसका कलात्मक साक्ष्य गोप्रतार घाट पर स्थापित पंचमुखी शिवलिंग, दुग्धेश्वरनाथ, कूटेश्वरनाथ तथा मंत्रेश्वर नाथ आदि।अन्ततः उपरोक्त अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अयोध्या के स्वर्गद्वार क्षेत्र में राम की पैड़ी के समक्ष स्थापित नागेश्वरनाथ का शिवलिंग अत्यन्त बहुमूल्य है और इसी के बगल में चन्द्रहरि महोदव भी शैवधर्म के विकास की गौरव गाथा स्वयं में समाविष्ट किये हैं।

नागेश्वरनाथ मन्दिर की स्थापना के मूल में महाराजा कुश के साथ शिव स्वयं ही है। रघुवंश के आधार पर कुश एवं कुमुद्वती विवाह स्कन्दपुराण के वैष्णवखण्ड और रूद्रयामल के साक्ष्यों के आलोक में शिव ही नागेश्वरनाथ मन्दिर की स्थापना के मूलाधार है। कला की दृष्टि में मौर्यकालीन अशोक के स्तम्भों जैसा और बलुआ प्रस्तर, से निर्मित शिवलिंग का अरघा गुप्तकालीन कला का द्योतक है।

इस सम्पूर्ण क्षेत्र में नागेश्वरनाथ की ऐतिहासिकता का साक्ष्य विकीर्ण होने के साथ–साथ वैष्णव धारा से सम्बन्धित साक्ष्यों का भी बाहुल्य है। नागेश्वरनाथ मन्दिर के आधार पर ही अयोध्या के अभिज्ञान की शुरूआत महाराजा विक्रमादित्य ने की थी। शिव प्राचीनकाल से ही भारत के आराध्य देव रहे हैं। इसी क्रम में अयोध्या में राम की पैड़ी पर स्थापित नागेश्वरनाथ मन्दिर का शिवलिंग भी न केवल अयोध्या बल्कि सम्पूर्ण भारतीय परिक्षेत्र में कला एवं पुरातत्त्व का अद्वितीय उदाहरण है।

सन्दर्भ

1. *स्कन्दपुराण, गीताप्रेस गोरखपुर, पृ0 सं0 512*
2. *कालिदास, रघुवंश, 16.62 – 791*
3. *जोशी, ई0वी0 यू0पी0 डिस्ट्रिक्स गजेटियर फैजाबाद, पृ0 सं0 354*
4. *पाण्डेय, विजय कुमार, इतिहास एवं पुरातत्त्व में अयोध्या का नागेश्वरनाथ मन्दिर, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा0) लिमिटेड, नई दिल्ली (2004) पृ0 सं0 26–27*
5. *उपरोक्त, पृ0 सं0 27*
6. *पाण्डेय, विजय कुमार, इतिहास एवं पुरातत्त्व में अयोध्या का नागेश्वरनाथ मन्दिर, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा0) लिमिटेड, नई दिल्ली (2004) पृ0 सं0 27–28*
7. *उपरोक्त, पृ0 सं0 28–29*
8. *पाण्डेय, विजय कुमार, इतिहास एवं पुरातत्त्व में अयोध्या का नागेश्वरनाथ मन्दिर, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा0) लिमिटेड, नई दिल्ली (2004) पृ0 सं0 30*
9. *उपरोक्त, पृ0 सं0 31*
10. *उपरोक्त, पृ0 सं0 32*
11. *पाण्डेय, विजय कुमार, इतिहास एवं पुरातत्त्व में अयोध्या का नागेश्वरनाथ मन्दिर, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा0) लिमिटेड, नई दिल्ली (2004) पृ0 सं0 32–33*
12. *उपरोक्त, पृ0 सं0 35*
13. *पाण्डेय, विजय कुमार, इतिहास एवं पुरातत्त्व में अयोध्या का नागेश्वरनाथ मन्दिर, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा0) लिमिटेड, नई दिल्ली (2004) पृ0 सं0 37*
14. *उपरोक्त, पृ0 सं0 38*
15. *पाण्डेय, विजय कुमार, इतिहास एवं पुरातत्त्व में अयोध्या का नागेश्वरनाथ मन्दिर, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा0) लिमिटेड, नई दिल्ली (2004) पृ0 सं0 41–42*
16. *उपरोक्त, पृ0 सं0 42*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-206-208

श्रीमद् भगवतगीता का महत्त्व महाकाव्यकाल के विशेष सन्दर्भ में

*डॉ० प्रदीप कुमार शर्मा **

*डॉ० प्रतिभा भगत ***

सारांश

गीता कृष्ण की वाणी है ।श्री मभगवतगीता मे श्री कृष्ण के शब्द से सुशोभित है। श्री कृष्ण जैसा मनोबल बढाने वाला शिक्षक सम्पूर्ण ब्रहमांण्ड मे कोई नही और अर्जुन जैसा छात्र सम्पूर्ण संसार मे कोई नही श्री कृष्ण गीता मे उपदेश देकर अर्जुन के माध्यम से सम्पूर्ण विश्व ही नही सम्पूर्ण ब्रहाम्ण्ड को यह शिक्षा प्रदान किये भगवतगीता आज भी भक्त के लिए समसामयिक बना हुआ है। श्री मदभागवत गीता आज 5000 वर्ष से भी अधिक हो गये है लेकिन इस तरह की पुस्तक सम्पूर्ण विश्व मे इतने वर्ष के उपरान्त के बाद भी नही लिखा गया। गीता मे आत्म ज्ञान दार्शनिक ज्ञान गीता सभी के लिए एवं सभी वर्ग के लिए है गीता को जो व्यक्ति जिस दृष्टिकोण से देखता है गीता वैसी ही दिखती है अगर गीता को कोई व्यक्ति अगर गीता को भक्ति योग के माध्यम से देखता है तो वह व्यक्ति को गीता भक्ति योग की तरह दिखाई देती है और अगर व्यक्ति गीता को ज्ञान योग के तरीके से गीता को देखता है तो गीता ज्ञान योग के तरीके से दिखती है। और अगर मानव गीता को कर्म योग के माध्यम से देखता है तो कर्म योग के तरीके से दिखती है और अगर तीनो योग अर्थात ज्ञान योग व कर्म योग भक्ति योग तो उस व्यक्ति को तीनो योग के जैसा गीता दिखती है । और वह अपने अन्तर आत्मा से यह अनुभव भी करता है कि जीवन मे तीनो योग एक दूसरे से जुडे है और मानव जीवन मे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से तीनो योग प्रभावी है यह अलग विषयवस्तु है । कि हम किसी एक योग को प्रधानता वरीयता दे । गीता किसी एक पंथ को लेकर नही चलती है गीता आत्मा से परमात्मा की ओर चलती है अध्यात्म की ओर चलती है गीता अध्यात्म को जानना सीखती है मनुष्य के जन्म जमान्तर की प्रक्रिया को समझता है और अन्ततः जन्मो जन्मान्तर के पापो से मुक्ति के उपाय की प्रक्रिया को समझाकर अध्यामिक मार्ग प्रशस्त करता है। भगवत गीता किसी देश स्थान को बदलने के लिए नही शिक्षा देती बल्कि भगवद गीता केवल अपने मन के भाव मे बदलने और पवित्र करने को कहती है।

प्रस्तावना

भगवतगीता सबके लिए उपयोगी है वेद मे मन्त्र है एवं ऋचायें है उपनिषद मे मन्त्र है लेकिन भगवदगीता मे सरल श्लोक है जिसको समझना और समझाना असान है ब्रहमसूत्र मे सूत्र है वेदो और उपनिषदो का सार गीता है इसके श्लोक मे एक एक श्लोक मे बहुत गूढ अर्थ छुपे है गीता को जितना अत्यधिक अध्ययन करेगे मनन करेगे उतना अधिक गीता समझ मे आयेगी । भगवदगीता का उपदेश

** शोधार्थी–इतिहास विभाग, मानसरोवर विश्वविद्यालय भोपाल(म०प्र०)*

***असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग, मानसरोवर विश्वविद्यालय भोपाल(म०प्र०)*

महान और अलौकिक है और महाभारत ग्रन्थ का गीता एक भाग है।

ईश्वर को सत् चित आनंद कहा गया है ऋगवेद मे कहा गया है कि एक ही परम उर्जा रुप है और वह प्रतिरुपो मे प्रकट होती है प्रकति अखण्ड परमसत्ता का विस्तार है वह अव्यक्त है प्रकृति व्यक्त है वायु प्रवाहो मे मधुवातायन है यह इतिहास है पुराण है और विश्वरुपा है । कृष्ण को अवतार भारत मे माना जाता है एवं सम्पूर्ण संसार ने माना है कृष्ण का अस्तित्व विराट है अनंत है असीम है। श्री कृष्ण भक्त के भाव के भूखे है।

उपनिषद मे देखा गया है भगवान कृष्ण की कई भूमिकाये है वह राजनीतिज्ञ है युद्ध संचालक है नीति उपदेशक है।

महाभारत मे भी कृष्ण मनुष्य पहले है और परमसत्ता गीता के व्याख्याता बाद मे है आदि पर्व मे पहली बार युधिष्ठर से मिले उन्होने अपना परिचय देते हुए कहा मै श्री कृष्ण हूॅ फिर युधिष्ठिर के पैर छुये ।

यह समझ लेना चाहिये कि जीवन की सभी प्रजातियां अर्जुन इस भौतिक प्रकृति मे जन्म से सम्भव है और यह कि मै बीजारोपण वाला पिता हूॅ इस ब्रहाम्ण्ड मे पिता है मै ही मातृशक्ति हूॅ और पालनकर्ता हूॅ। मै ज्ञान का लक्ष्य पवित्र अक्षर ओम हूॅ मै ऋगवेद सामवेद और ुयर्जुवेद हूॅ।

कृष्ण सभी के मूल तत्व है और बार बार यह मेरे द्वारा बनाया जाता है और उसका अंत किया जाता है इसके अलावा मै सभी अस्तित्व का बीज हूॅ। मै सभी आध्यत्मिक और भौतिक विश्व का स्रोत्र हूॅ।

कृष्ण अजन्मे है एव नियन्त्रण अनुरक्षक

भगवान का जन्म नही होता वह अजन्मा है लेकिन उनका अवतार होता है वह सभी जीवो के स्वामी है ।

वह व्यक्ति जो मेरे अजन्मे रुप को जानता है वह सभी पाप से मुक्त हो जाता है भगवान कृष्ण कहते हैं भगवान कृष्ण सर्वव्यापी है इसका अर्थ है सभी स्थान पर भगवान है।

भगवान कृष्ण सभी जन्मजन्मान्तर के रिस्ते को जानते है कृष्ण अर्जुन से कहते है कई जन्मो मे हम तुम एकसाथ थे यह मै जानता हूॅ तुम नही जानते हो।

केवल कृष्ण ही ईश्वर है जो अन्य देवी देवताओ की पूजा करते है वह मेरी ही पुजा करते है लेकिन वह गलत तरीके से करते है क्योकि मै ही भोगो का एक मात्र भोगी और स्वामी हूॅ। इसलिए जो मेरे सच्चे परमार्थिक भाव को नही पहचानते और वह आधोगति को ही प्राप्त करे है ओर उन्हें सम्पूर्ण योग का प्राप्ति नही हो पाती है।

सन्दर्भ

1. श्रीमद् भगवतगीता पृ० 10–37
2. आदिपर्व पृ० 132–20
3. श्रीभगवतगीता अधयाय पृ०10 श्लोक 41
4. श्रीभगवतगीता अध्याय पृ०9–17
5. श्रीभगवतगीता पृ०9–9
6. श्रीभगवत गीता पृ०10–39
7. श्रीभगवत गीता पृ०10–81
8. श्रीभगवत गीता पृ० 4–6
9. श्रीभगवत गीता पृ० 10–3
10. श्रीभगवत गीता पृ० 9–9
11. श्रीभगवत गीता पृ० 15–12
12. श्रीभगवत गीता पृ०10–4
13. श्रीभगवत गीता पृ०15–13
14. श्रीभगवत गीता पृ० 9
15. श्रीभगवतगीता पृ० 10–20
16. श्रीभगवत गीता पृ०18–61
17. श्रीभगवतगीता पृ०7–7
18. श्रीभगवत गीता पृ०7–26
19. श्रीभगवत गीता पृ०4–5
20. श्रीभगवत गीता पृ०9–24

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-209-213

भारत की अखण्ड मौलिक एकता (सूफी संतो के विशेष सन्दर्भ में)

हुमैरा इकबाल *

भातरवर्ष वर्तमान से ही नहीं वरन् प्राचीन काल से ही अपनी विशालता के कारण, विभिन्नता में एकता के कारण, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति के कारण सदैव से ही पर्वत की सबसे उच्चतम चोटी के समान सम्पूर्ण विश्व में आकर्षण का केन्द्र रहा है।

भारतवर्ष की जो वर्तमान स्थिति है, वह समयानुसार विभिन्न ताकतों के हस्तक्षेप से विभिन्न कालों में परिवर्तित होकर छिन्न–भिन्न होती रही परन्तु, भारत की इसी अनेकता में एकता की शक्ति ने इसे बारम्बार नष्ट होने से बचा के रखा है। भारत, राजनीतिक, सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से पुनः स्वयं को निर्मित करता है वह विश्व के नक्शे में फिर से विराजमान हो जाता है। जब आर्य आये थे, उन्होंने भारत की अनेक जातियों को एक समाज में बाँधने के लिए जाति की प्रथा निकाली। इसी प्रक्रम में भारत की एकता को खण्डित होने से बचाने के लिए अकबर के साथ–साथ सूफी संतों का प्रमुख योगदान रहा है। क्योंकि ''मुसलमानों का भारत आगमन पैगम्बर मोहम्मद साहब के जीवन काल से ही चल रहा था। जो धर्म प्रचार हेतु आते थे।''

सूफी संतो को उद्देश्य

साझा संस्कृति का एक प्रमुख तत्व है–''हिन्दू–मुस्लिम सद्भाव'' तथा संस्कृति में हिन्दू–मुस्लिम संस्कृतियों का एक–दूसरे में घुल–मिल जाना। साझा संस्कृति का मतलब, हिन्दू–मुस्लिम एकता मात्र ही नही, बल्कि ज्ञान–विज्ञान, रहन–सहन, खान–पान, ललित कलाओं आदि सभी में साझा संस्कृति की परम्परा घुली–मिली है। परन्तु इस वर्तमान स्थिति को प्राप्त करने में सूफी–संतों का बहुत बड़ा योगदान है। ''इन सूफी भक्त संतों ने भी सांस्द्वतिक समन्वय, सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता हेतु सफल प्रयास किया।'' धार्मिक सहिष्णुता और उदारता सांस्कृतिक सवांद की उपज है।

जिस प्रकार मध्य कालीन भारत में हिन्दुओं में भक्ति आन्दोलन प्रारम्भ किया। उसी प्रकार मुसलमानों में प्रेम भक्ति के आधार पर सूफीवाद का उदय हुआ। इस शब्द की उत्पत्ति 'सफा' से हुई जिसका अर्थ है – पवित्र। अन्य विचारानुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई जिसका अर्थ है– ऊन। अन्य

**शोध अभ्यर्थिनी, मध्य व आधुनिक इतिहास के०एन०आई०पी०एस०एस०, सुलतानपुर–(उ०प्र०)*

विद्वानों के विचारानुसार सूफी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द 'सोफिया' से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ है–ज्ञान। सूफी अरबी भाषा का अर्थ है, जिसका अर्थ चटाइफ है जो चटाई पर कतार में बैठकर ईश्वर उपासना करते थे। उन्हें सूफी संत कहा जाता था।

व्यापक अर्थ में सूफी, मुस्लिम विचारकों, चिन्तकों का वह वर्ग था जो सादा जीवन व्यतीत करके आत्म त्याग, परोपकार और तपस्या को प्रमुखता देते थे।

सूफियों का प्रारम्भिक इतिहास

ऐतिहासिक रुप से सूफी धारा का आस्तित्व 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य रहा। यह धारा पश्चिम एशिया अथवा मध्य एशिया से उत्पन्न हुई मानी जाती है। इसका प्रभाव भारत में 14वीं शताब्दी के बाद पड़ना प्रारम्भ हुआ। सूफियों के प्रभाव ने शासन नीति को भी प्रभावित किया।

सूफियों का आगमन

उत्तरी भारत में सूफियों के आगमन का क्रम ऐतिहासिक रुप से सुल्तान महमूद गज़नवी के मुल्तान विजय (1009ई0) से प्रारम्भ होता है। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल (1210–35ई0) में सूफियों का आगमन तीव्र गति से हो गया था, वरन उनके चरण भारत भूमि में जम गये थे। उनका राज्यकार्यों में हस्तक्षेप भी प्रारम्भ हो गया था। इल्तुतमिश को उनसे आपार श्रद्धा थी। सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन भी सूफी संतों का भक्त था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी (1316–92ई0) की ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के प्रति इतनी असाधारण श्रद्धा एवं भक्ति थी कि अपने दो बेटों खिज्र खाँ व सादी खाँ को उनकी शरण में दे दिया था। सुल्तान फिरोज तुगलक भी सूफियों का अनन्य भक्त था।

सूफी संतो की जीवन शैली

सूफी संत सादगी और पवित्रता का जीवन व्यतीत करते थे उन्होंने स्वेच्छा से निर्धनता को स्वीकार किया। वे व्यक्तिगत सम्पत्ति को आत्मिक विकास के लिए बाधक समझते थे। सुलतान की ओर से इन संतों को पद, धन, पदवी व वजीफा लेने का प्रस्ताव भी प्राप्त होता परन्तु वे स्वीकार नहीं करते थे। इन संतों की सादगी और सरल रहन–सहन के तरीके ने अन्य धर्म के लोगों को अत्याधिक प्रभावित किया।

भारत में प्रमुख सूफी सम्प्रदाय (सिलसिले)

भारत में 8वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत में सूफियों ने पर्दापण किया। मुख्य रुप से भारत में सूफियों के चार सम्प्रदाय सफल रहे। ये निम्नलिखित हैं –

1. चिश्ती सम्प्रदाय

भारत में इस सम्प्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इनके

उपदेशों के प्रमुख केन्द्र अमजेर व दिल्ली थे। ये जाति–पाति में विश्वास नही करते थे। इनके उपदेश व सिद्धांतों से प्रभावित होकर अनेक हिन्दू व मुसलमान सम्राट इनके शिष्य बन गये। इस समप्रदाय के संतों में बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो व वियोग श्रृगांर रस के महाकवि मालिक मोहम्मद जायसी के नाम उल्लेखनीय हैं।

हजरत निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर आज भी हिन्दू और मुसलमान दोनों ही अपनी श्रद्धा प्रकट करतें हैं। आज भी सबसे अधिक यही सम्प्रदाय भारतीयों में प्रसिद्ध है।

शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अपने जीवन काल में ही इतने लोकप्रिय हो गये थे कि उन्हें मोहम्मद गौरी ने ''सुल्तान–उल–हिन्द अर्थात हिन्द का अध्यात्मिक गुरु'' की उपाधि से विभूषित किया। चिश्ती सम्प्रदाय के प्रवर्तक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक हिन्दू राजा की पुत्री से विवाह करके अपने उदारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया तथा हिन्दु–मुस्लिम समन्वयवाद का मार्ग प्रशस्त किया।

2. सुहरावर्दी सम्प्रदाय

इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक संत जियाउद्दीन थे, लेकिन संस्थापक शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। वे बगदाद के निवासी थे इन्होंने सिंध से मुल्तान तक अपने मत का प्रचार किया।

3. कादरिया सम्प्रदाय

इस सम्प्रदाय के संस्थापक संत शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे इन्होंने कादरिया सम्प्रदाय का बहुत प्रचार–प्रसार किया। इस सम्प्रदाय के संत सभी देशों में पाये जाते हैं। इस सम्प्रदाय के प्रमुख संतों में फकीर मखदूम शाह विशेष रुप से उल्लेखनीय है। मुगल सम्राट शाहजहाँ के पुत्र दाराशिकोह भी कादरिया सूफी सम्प्रदाय से प्रभावित होकर इसके अनुयायी बन गये।

4. नक्शबंदिया सम्प्रदाय

इस सम्प्रदाय के महान सूफी संत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदिया थे। वे तुर्की के निवासी थे। इस सम्प्रदाय के प्रमुख संतों में ख्वाजा बाकी बिल्लाह व शेख अहमद सरहिन्दी थे।

भारत में सूफीवाद का प्रभाव

सूफीवाद का प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में हुआ। ऐसा कोई भी क्षेत्र शेष नही रहा जो अछूता रहा हो।

1. अन्य धर्मों के प्रति प्रेम भावना का विकास– मध्यकालीन हिन्दु धर्म सुधार आन्दोलन के भाँति भारत में हिन्दुओं पर भी सूफीवाद का गहरा प्रभाव पड़ा।

सूफी संतों ने इस्लाम की उदारता व विशेषताओं का प्रचार–प्रसार किया इन प्रयासों के कारण ही इस्लाम की लोकप्रियता से प्रभावित हुए बिना हिन्दु न रह सके। हिन्दू तथा मुस्लमानों के मध्य धर्मान्धता को दूर कर प्रेम, सहिष्णुता व समानता का भाव जागृत किया। सूफी संतों ने समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किये।

''दोनों भाई हाथ–पग, दोनों भाई कान,
दोनों भाई नैन हैं, हिन्दू–मुसलमान। ''

– स्वामी दादू दयाल

2. साहित्यिक क्षेत्र में –सूफी शाधकों की साहित्यिक विचार धारा ने एक बड़े समुदाय को प्रभावित किया। दोहा–चौपाई शैली की मूल परम्परा भारतीय है परन्तु उसे लोकप्रियता देने का कार्य सूफियों ने किया। इस शैली के कवियों में जायसी का नाम उल्लेखनीय है। मसनवी, रुबाई और गज़ल सूफी कवियों के माध्यम से अवतरित हुई। ''जायसी ने पदमावत में तत्कालीन शासक शेरशाह सूरी (1540–45) का उल्लेख किया। जायसी ने अपने विचारों से तत्कालीन सामाजिक धार्मिक, कुरितियों, बाह्य आडम्बरों को दूर करने का प्रयास किया। इस हेतु पदमावत, आखरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, कहरानामा–मसलानामा आदि ग्रन्थों की रचना 1527–40ई0 के बीच की। पदमावत दोहा चौपाई से आबद्ध मसनवी शैली में अवधी भाषा में जायसी द्वारा 'जायस–अमेठी' में लिखा गया था।'' इस प्रकार साहित्यिक क्षेत्र में भी सूफियों का योगदान है।

3. संगीत के क्षेत्र में –साझा संस्कृति के जनक अमीर खुसरो न ही कव्वाली, तराना का श्री गणेश किया। सरपदा, राजगिरी, जिलुफ जैसे रागों को जन्म दिया। अमीर खुसरो ने नायक गोपाल के साथ मिलकर ही सितार एवं तबला का अविष्कार किया। भारतीय संगीत की ध्रुपद परम्परा मरणोन्मुख थी, परन्तु मुगल दरबार में संरक्षण के कारण बच पाई जिसे कालान्तर में तानसेन ने चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया। जौनपुर के सुल्तान हुसैन ने प्रसिद्ध राग डसैनी, कान्हड़ा और तोड़ी का आविष्कार किया। उसके दरबार में नायक बख्श, बैजू बावरा, पांडवी, आदि थे। जहाँगीर के दरबार में खुर्रमदाद, मक्कू विलास खाँ (तानसेन का बेटा) थे।

4. भाशा के क्षेत्र में –सूफी मत में खड़ी बोली हिन्दुस्तानी भाषा व स्थानीय भाषा जैसे पंजाबी, गुजराती, आदि के विकास में भी योगदान दिया।

5. चित्रकला के क्षेत्र में– मुगलशैली का भारतीय चित्रकला पर भी प्रभुत्त्व रहा। स्वयं अबुलफजल ने सौ चित्रकारों का उल्लेख किया है। 1600ई0 में तैयार की गयी हस्तलिपि वकियाते बाबरी में 22 चित्रकारों के हस्ताक्षर हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हिन्दू चित्रकार अधिक हैं इसी प्रकार रज्मनामा में भी हिन्दू चित्रकारों की

संख्या अधिक है।

सूफीवाद की भक्ति आन्दोलन से तुलना

हिन्दू–मुस्लिम एकता को बनाये रखने के लिए जो प्रयास भक्ति आन्दोलन के संतों ने किया वही प्रयास सूफी संतों द्वारा भी किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप भारतवर्ष में सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक एकता का सूत्रपात हुआ।

हिन्दू–मुस्लिम एकता की भारत के सन्दर्भ में प्रासंगिकता

भारत देश के विकास का आधार यहाँ वर्षों से चली आ रही अनेकता में एकता है। जिस प्रकार भारत में कहीं गगनचुम्बी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तो कहीं घाटियाँ, कहीं नदियों का जाल है, विशाल मरुस्थल। इसी प्रकार यहाँ की भौगौलिक विभिन्नता के समान धार्मिक राजनीतिक, भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्नता है। परन्तु उनमें कहीं न कहीं एकता, प्रेम व समानता के गुण व्याप्त हैं। भारतीय संस्कृति के अमर गायक महाकवि कालीदास की रचनाओं में पूरे भारत की इस भौगौलिक एकता का स्पष्ट चित्रण है।

अनेके च देशा, अनेके च वेशा
अनेकानि रुपाणि भाषा अनेका''

इस सम्बन्ध में 'स्मिथ' ने कहा है कि –''इसमें संदेह नही कि भारत में मौलिक एकता रही है। यह एकता रक्त, रंग, भाषा, वेश–भूषा के भेदों का अतिक्रमण कर जाती है।''

भारत की इसी अखण्डता को बनाये रखना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। इसी एकता व अखण्डता में ही भारत देश का विकसित भविष्य छिपा हुआ है, जो एकता के सूत्र में बंधे रहने से ही फलीभूत हो सकेगा।

सन्दर्भ

1. *जायसीकृत पद्मावत (टीका) वासुदेवशरण अग्रवाल, साहित्य सदन, झाँसी–1961 पृष्ठ– 13, 43, 25*
2. *डॉ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृष्ठ–61*
3. *सुरेश आचार्य'– मुस्लिम भक्त कवियों का सांस्कृतिक समन्वय, सत्येन्द्र प्रकाशन, इलाहाबाद– पृष्ठ–92*
4. *ज़ाफर रजा – इस्लामी आध्यात्म सूफीवाद– पृष्ठ– 105*
5. *ज़ाफर रजा – इस्लामी राज्य बनाम मुस्लिम राज्य, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद संस्करण 2004 पृष्ठ– 105–106*
6. *युसुफ हुसैन – मध्युगीन भारतीय संस्कृति की कुछ झलकें पृष्ठ –37*
7. *निजामी – Studies in Medieval Indian History & Culture, Page – 203*
8. *डॉ0 ताराचन्द– The Influence of Islam on Indian culture Page. 217*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-214-218

ब्रिटिश औपनिवेशीकरण के उपरान्त कृषि का बदलता स्वरूप

डॉ० दिवाकर त्रिपाठी *
राजबीर **

सर्वप्रथम हम यहाँ औपनिवेशीकरण क्या है इसका सही स्पष्टीकरण जानने का प्रयास करेंगे इसके पूर्व यह जान लेना आवश्यक होगा कि ब्रितानिया सरकार द्वारा थोपा गया ''व्हाइट मैन बर्डन'' थ्योरी क्या है जब कभी भी ब्रिटिश सरकार वैश्विक स्तर पर अपने कालोनियल साम्राज्य के बारे में वार्ता होती तो व कहते कि हम सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक रूप से भारत को सक्षम बनाने के लिए ईशा मसीह ने हमें भेजा है इस विचारधारा से प्रभावित प्रारम्भिक स्वतंत्रता सेनानियोंमुख्यतः नरमदलीय नेताओं ने जैसे दादा भाईनौरोजी, लाला लाजपत राय तथा अन्य लोगों ने उनकी महान महिमा का गुणगान किया यहां तक कि स्वराज्य की परिभाषा को इस तरह परिभाषित किया आप मुझे पूर्ण स्वतंत्र न करके विधान सभाओं में मात्र प्रतिनिधित्व प्रदान करें। इस तरह प्रारम्भिक अवस्था में अंग्रेजों के शासन को सही ठहराया गया परन्तु यह ज्यादा दिनों तक स्थाई न रहा, 2 मई 1867 को ''इग्लैण्ड डेप्ट इण्डिया''नामक निबन्ध में धन निष्कासन की तरफ ध्यान आकृर्षित किया धन निष्कासन शब्द वाणिज्य सोच के क्रम में विकसित हुआ अर्थात जब किसी देश के प्रतिकूल व्यापार संतुलन के फलस्वरूप उनके आर्थिक संसाधनों का प्रयोग कर सोने एवं चांदी का निष्कासन होता रहे तथा वह अपने हितों की पूर्ति करता रहे। इस प्रक्रिया को दादा भाई नौरोजी ने ''बहते हुए घाव की तरह बताया'' कालान्तर में एक–एक कर तीन और निबन्ध लिखे दि वांइस एण्ड मींस ऑफ इण्डिया, ऑन दि कामर्स ऑफ इण्डिया, पावर्टी एण्ड अन ब्रिटिस रूल इन इण्डिया के माध्यम से जनमानस को परिचित कराया कि किस तरह से आर्थिक रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी सरकार गटर में ले जा रही है चाहे वह रेल निर्माण हो, ब्रिटिस अधिकारियों एवं सैन्य अधिकारियों की पेंषन हो, इग्लैण्ड में खरीदी जाने वाली शैन्य एवं अन्य सामग्रियां एवं शैन्य प्रशिक्षण आदि व्यय के माध्यम से धन निष्कासित होता रहा इस तरह से ''स्वेत सभ्यता थ्योरी'' का खण्डन कर आर्थिक राष्ट्रवाद को नई दिशा प्रदान की, औपनिवेशीकरण के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर जजमानी प्रथा पर आधारित थी। जिसमें लोग एक दूसरों को अपने–अपने उत्पादनों के द्वारा आपस में समझौता करते थे। लुहार, बढ़ई, कुम्हार आदि के

**सहायक आचार्य, इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या (उ०प्र०)*
***शोध छात्र,इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग,डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)*

माध्यम से वस्तुओं का अदला बदली पर अश्रित था।

भारतीय ग्राम अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख पक्ष यह था कि ग्रामों में आत्मनिर्भर तथा आत्मषायी समुदाय रहते थे। भारतीय ग्राम अपने आप में छोटे संसार के रूप में काम करते थे। जिनका बाह्य संसार के साथ बहुत कम सम्बन्ध होता था। केवल नमक अथवा लोहे के अतिरिक्त इनका वाह्य संसार से कुछ नहीं लेना होता था। इसकी एक अन्य विशेषता यह थी कि हस्त शिल्प तथा कृषि का आपसी समन्वय होता था।

कृषक के घर में सूत काता जाता था और ग्राम के जुलाहे से बढिया कपड़ा बन जाता था, अन्य आर्थिक अवश्यकतायें बढई, सुनार, कुम्हार, तेली, मोची इत्यादि पूरा कर देते थे। उसके बदले में उन्हे उपज भाग मिल जाता था। यह सब परम्परा पद्धति के अनुसार चलता था। भूमि पर दबाव अधिक नहीं थी क्योंकि उद्योग–धन्धे बहुत थे। ग्रामों की भूमि कृषक समाज की होती थी। इस व्यवस्था में सभी पक्ष सकारात्मक नहीं फिर भी यह अच्छी थी।

सत्रवीं शताब्दी में भारत विश्व में औद्योगिक माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। यहां से मुख्यतः सूती और रेशमी कपड़े, मसालों, नील, शक्कर, औषधियां, रत्न, दस्तकारी का बाहरी देशों में निर्यात होता था। यदि सिन्धु घाटी सभ्यता के आर्थिक क्रियाकलापों को देखें तोभारतीय लोगों की उस समय विश्व तमाम सभ्यताओं से व्यापारिक सम्बन्ध थे। 17वीं शताब्दी में भी यूरोपी लोग भारत से माल खरीदते थे और उसके बदले में बहुमूल्य धातु देते थे। जिससे भारत में सोने, चांदी की.अवाकवृद्धि हुई और एक संमृद्धिदेश बना। यहां तक की भारत को सोने की चिड़िया से समीकृत किया गया।

जिस मुगल साम्राज्य ने समकालीन संसार को अपने विस्तृत प्रदेश, विशाल सेना, सांस्कृतिक उपब्लधियों से विश्व को चकाचौंध कर दिया था अठारवहीं शताब्दी के आरम्भ में वह अवनति की ओर जा रहा था। औरंगजेब का राज्यकाल मुगलों का सांध्य काल था और ब्रितानी साम्राज्य का सूर्य कभी न अस्त होने वाला भारत में अपनी उषाकाल की किरणें बिखेर रहा था। कालान्तर में प्लासी (1757) और बक्सर (1764) के युद्धों के बाद अंग्रेजों ने भारत की संमृद्धि पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष और आत्म–निर्भरता की अर्थव्यवस्था से औपनिवेसिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होगी तथा समय–समय पर अपने हितों की पूर्ति के लिए कृषि अधोसंरचना में अमूलचूल परिवर्तन किए जिससे कृषि का स्वरूप स्वभाविक रूप से बदला।

ब्रिटिश सत्ता के पूर्व भारतीय किसान खाद्ययान फसलें जैसे गेंहू, धान, जौ, चना, राई, उड़द, अरहर सरसों आदि का उत्पादन करता था तथा वाणिज्यक

फसलों में कपास, जूट, गन्ना, तम्बाकू इत्यादि खाद्यायन फसलों में भारत पूर्व में आत्मनिर्भर था। वस्तुविनिमय के माध्यम से एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। नगदी फसलों के द्वारा धन अर्जित कर उद्योगों का भी विकास हुआ जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग प्रमुख था। लाख उत्पादन रेशमी वस्त्रों के लिए बहुत अच्छा था।

तत्कालीन समय में बंगाल का मलमल विश्व प्रसिद्व था। कश्मीर में केसर उत्पादन, गन्ना से शक्कर, गुड, सीरा आदि का उत्पादन होता था। इसके बावजूद कुछ नाकारात्मक पछ भी थे जैसे बीज गुणवक्ता पूर्ण नहीं थे। जिससे उत्पादन लागत के अनुरूप उपज नहीं होता था। कृषि यंत्रों का आधुनिकीकरण नहीं था, जिससे छिपी हुई बेरोजगारीकी आशातीत वृद्धि हुई। सिंचाई के माध्यम बेहतर नहीं थे, जिससे नियत समय पर फसलों को पानी की पूर्ति नहीं होती थी। बाढ़, सूखा तो आम बात थी। उत्पादित फसलों का भण्डारण विपणन का आभाव था जिससे जरूतमंद लोंगों को सही समय पर सुविधायें नहीं मिल पाती थी। उपयुक्त समस्याएं भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में थी।

साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए नवीन भू–धृतिपद्धतियां, स्वामित्वधारणएं, भाटकी में परिवर्तन, अधिकाधिक भू–राजस्व की मांग ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वे परिवर्तन किए जिससे समस्त देश के कृषि जगत में खलभली मच गयी तथा एक विकृत आधुनिकता सी आ गयी। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में तीन प्रकार की भू–धृति पद्धतियों अपनाई जमींदारी, महालवाड़ी तथा रैय्यतवाड़ी, स्थाई जमींदारी पद्धति बंगाल, बिहार, उड़ीशा, यू0पी0 के बनारस खण्ड, उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई तथा लगभग समस्त अंग्रेजी भारत की 19 प्रतिशत इसके आधीन की गयी। यह व्यवस्था अंग्रेजों की देन थी इसमें कई आर्थिक उद्देश्य निहित थे, इसे जमींदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी तथा स्थाई बन्दोबस्त इत्यादि भिन्न–भिन्न नामों से भी स्मरण किया जाता है। इसमें राज्यों इसके अर्न्तगत राज्यों की मांग सदैव निश्चित कर दी जाती थी। इससे पूर्व भूमि कर में परिवर्तन किए जा सकते थे। इस पद्वति के अनुसार जमींदार को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया वह भूमि को बेंच, रेहन अथवा दान में दे सकता था। इस जमींदारी व्यवस्था के अन्तर्गत एक उपनियम बनाया गया कि यदि निर्धारित तिथि में लगान राज्य को नहीं मिलता है तो उसकी जमींदारी सूर्य अस्त होने के बाद छिन जाती थी।

स्थाई बन्दोबस्त का सबसे घिनौना पक्ष यह था, कि मांग तो स्थित थी, परन्तु जो भाटक जमींदार कृषक से लेता था वह परिवर्तनशील था। अतएव कालान्तर में भाटक बढ़ा दिया गया था। भाटक न देने पर कृषको को बहुधा बेदखल कर दिया जाता था। इस व्यवस्था से न तो सरकार, न तो जमींदार, न ही किसान सन्तुश्ट थे।

रैप्यतवाड़ी बन्दोबस्त कई वर्ष कें निरंतर प्रयासों के पश्चात स्वीकार किया गया। जिस समय बंगाल में स्थाई बन्दोबस्त लागू किया जा रहा था, उस समय मद्रास प्रान्त अनिश्चय की स्थित में था। निश्चित प्रशासन एवं औपचारिक लगान नीति के न होने से वहां अनेक प्रकार की भू–धारण पद्धतियां लागू की जा रही थी, इनमें रैय्यतवाड़ी पद्धति सफल रही। 1792 सर्वप्रथम बारामहल जिले में कर्नलरीड द्वारा लागू किया गया इसमें लगान समझौता जमींदारों से न करके किसानों से किया गया जो भूमि के स्वामी थे। 1820–27 तक मद्रास के गर्वनर टामस मुनरों ने पुरानी कर व्यवस्था को अनुचित ठहराते हुए इसको लागू किया। यह व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक चलती रही तथा इसी से विस्तृत उत्पीड़न तथा कृषकों को कठिनाईयां उत्पन हुई।

इस क्रम में महालवाड़ी व्यवस्था 1892 के रेगुलेसन द्वारा इसे कानूनी रूप दिया गया, जिसका प्रणेता हाल्ट मैकेंजी था, यह व्यवस्था वस्तुतः पूर्व में अपनाई गयी। भू–धारण पद्धतियों की खामियों को दूर कर बनाई गई, इसमें लगान व्यवस्था सामूहिक गांव को देना सौंपी गयी। अंग्रेजों की लालची पश्वति अनेक भू–धारण पद्धतियां तथा ब्रिटेन में औद्योगीकरण से उपजी जरूरतों ने जैसे कच्चा माल, वैश्विक बाजार की तलास में भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण प्रारम्भ हुआ।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक कृषि एक जीवनयापन का मार्ग था न कि व्यापरिक प्रयत्न्न अब कृषि पर वाणिज्यक प्रभाव आने लगे अर्थात कुछ विशेष फसलों का उत्पादन ग्रामीण उपभोग के लिए नहीं अपितु राष्ट्रीय तथा अन्तराश्ट्रीय मण्डियों के लिए होने लगा कपास, पटसन मूंगफली, तिलहन, गन्ना, तम्बाकू जैसी वाणिज्यक फसलें अब अन्न के स्थान पर अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगी इसके अतिरिक्त मसालों, फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ने लगा यह वाणिज्यकरण सबसे अधिक चाय, रबड़, आदि के भावों से अधिक स्पष्ट था। जिनके लिए विस्तृत मण्डियां होती थी। इस वाणिज्यकरण और विशेषीकरण के कई कारण थे। यह मुद्रा अर्थव्यवस्था थी अर्थात रूढ़ि और परम्परा के स्थान पर संविदा तथा प्रतियोगिता, देशी और विदेशी व्यापार को बढ़ाना, रेलों तथा सड़क संचार साधनों से राष्ट्रीय मण्डी का विकास तथा अंग्रेजी पूँजी के आने से विदेशी व्यापार करना। भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण कृषकों के लिए एक आर्थिक विवशता थी। भूमि कर अत्याधिक था जिसे वह प्रायः नहीं दे पाता था। उसे शाहूकारों का सहारा लेना पड़ता था। जहां उसे अत्यधिक व्याज देना पड़ता था, उसके लिए अपनी फसल औने–पौने भाव पर बेंचनी पड़ती थी, कई बार तो कृषक को अपनी बेंची हुई उपज छः मास के पश्चात बड़े ही मंहगे भाव पर खरीदेनी पड़ती थी। अब भारतीय कृषि मूल्यों पर विदेशी उतार–चढ़ाव का प्रभाव भी होने लगा। 1866 के बाद जो कपास के भाव बढ़े उसका लाभ विचौलियों को हुआ न कि कृषकों को 1866 के बाद जब मन्दी आयी तो मारा

गया बेचारा कृषक जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामों में ऋणगस्तता बढ़ी, अकाल पड़े और दक्कन में कृषि दंगे हुए, वाणिव्यकरण से कृषकों को कोई लाभ न हुआ। न ही आधुनिकीकरण से कृषि के उत्पादन में बढोत्तरी हुई, ''डेनीयल भरनर'' ने वास्तव में ही 1890–97 के काल को कृषि स्थिरता का काल बताया। समुदायिक जीवन पद्धति का ह्रास जिससे संयुक्त परिवार प्रथा टूटने लगी।

उपयुक्त सन्दर्भों को ध्यान में रखते हुऐ यह कह सकते है कि किसानों को अंग्रेजों, जमींदारों, साहूकारों से दुःख उठाना पड़ा, वाणिज्यकाल से पूर्व भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। यदि इक्का–दूक्का हुए, जो वह मात्र लोगों तक अनाज पहुचाने में अस्मर्थता रही। जिसका कारण परिवाहन प्रणाली था, परन्तु वाणिज्यकरण के बाद अकालों की श्रृंखला पड़ी खाद्यानों की कमी के कारण 1866–67 में उड़ीसा में पड़ें भयंकर अकाल को उन्नसवीं शताब्दी के अकालों में ''आपदा का महासागर'' कहा गया। इस तरह ये ब्रिटेन में औद्योगीकरण ने जहां ब्रिटेन को सर्वाच्च की ओर अग्रसर किया तो भारत को निम्नतम अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया।

सन्दर्भ

1. *बी0एल0 ग्रोवर, अलका मेहता, यशपाल, :– आधुनिक भारत का इतिहास यशचन्द्र एण्ड कम्पनी राम नगर नई दिल्ली पृ0 451।*
2. *बी0 एल0 ग्रोवर, अलका मेहता, यशपाल, वही पृ0 444।*
3. *सब्यसाची भट्टाचार्यः– आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, राजकमल प्रकाशन प्रा0लि0 दरियागंज नई दिल्ली पृ0 –45।*
4. *सब्यसाची भट्टाचार्यः– वही पृ0 52।*
5. *सब्यसाची भट्टाचार्य वही पृ0 54।*
6. *सुमित सरकारः– आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन प्रा0 लि0 दरियागंज नई दिल्ली।*
7. *सुमित सरकार वही पृ0 41।*

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-219-224

भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (न्यायपालिका के विशेष सन्दर्भ में)

*श्रीप्रकाश यादव**

सारांश

भारतवर्ष में नारी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ये कहा जाता रहा है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते है। प्राचीन काल के समाप्त होते होते नारी की स्थिति दयनीय होती चली गयी तथा मध्य काल में उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गयी तथा उन्हें सिर्फ भोग विलास की वस्तु ही समझा जाने लगा। आधुनिक काल में नारी के विषय में समाज सुधार कों द्वारा विचार प्रारंभ किया गया तथा समाज में उनकी दशा सुधारने हेतु अनेकों प्रयास किया जाने लगा। भारत में आजादी के पश्चात् नारी उत्थान हेतु बहुत से नियम अधिनियम बनाये गए एवं उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विधान पालिका के साथ–साथ न्यायपालिक ने भी एक सजग प्रहरी की भूमिका का निर्वाहान किया।

शब्द संक्षेप–: नारी, नारी की स्थिति, नारी के कल्याण हेतु निर्मित विधायें, यौन उत्पीड़न की रोक थाम हेतु न्यायापालिका का प्रयास।

प्रस्तावना

नारी इस धरा की ईश्वर की बनायी सबसे खूब सूरत कला कृतियों में से एक है। उसमें सहनशीलता, मातृत्व की भावना, करूणा की सागर और संसार को गतिमान बनाये रहने का गुण उसमें अन्तर्निहित होता है, इसलिये कहा जाता है कि यदि संसार में नारी न होती तो सभ्यता का विकास न होता । भारत में नारी शक्ति का रूप माना जाता है फिर भी उसे अबला कहा जाता है, क्योकि स्त्री की उपेक्षा जन्म–से मृत्यु तक, घर, व परिवार तक में सामना करना पड़ता है। इस पुरुष प्रधान समाज में नारी को भोग के रूप में देखा जाता है मनु में कहा है कि –

"यत्र नार्यस्तुपूजयन्ते, रमेतेदेवता तत्रः देवता"[1]

"शोचन्तिजामयो यत्र विनश्यत्याशुतत्कुलमं।
न शोचन्तितु यत्रेतावघर्तेतदार्ध सर्वदा।।[2]

"पिता रक्षतिकौमार्यभर्ता रक्षतिअर्ता रक्षतिपोवने ।
पुत्रों रक्षतिवार्धक्ये न स्त्री स्वतंत्रता महीति"[3]

यौन उत्पीड़न

यौन उत्पीड़न की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन समय–समय पर

**शोध छात्र विधि विभाग नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविधालय) प्रयागराज (उ०प्र०)*

इसे परिभाषित करने का प्रयास किया जाता रहा है। जैसे कि अमेरिकी हेरिटेज शब्द कोष के अनुसार"अवांछित और आक्रामक , यौन योग अथवा यौन आक्रमण टिप्पणी नियोक्ता द्वारा इस प्रकार का आचरण अपने कार्यरत किसी महिला के साथ किया जाना यौन उत्पीड़न, कहलाता है यूरोपीय आयोग[4] के अनुसार यौन उत्पीड़न शब्द के अन्तर्गत निम्न को साम्मिलत किया जा सकता है। (1) अनुचित अवांछित आचरण । (2) पीड़िता किसी यौन आग्रह को मना कर रही है तो उसके रोजगार को प्रभावित करने वाला आचरण । (3) पीड़िता को अनुचित दबाव में लाकर यौन आग्रह की मांग को स्वीकार करवाना[5]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार "यौन उत्पीड़न महिलाओं के प्रति ऐसी हिंसा है जो उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा पर प्रभाव डालती है यौन उत्पीड़न का वातावरण कार्य करने की मनोस्थिति को भी प्रभावित करता है।[6] संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा दी गयी परिभाषा के अनुसार "लिंग आधारित कोई भी कार्य महिलाओं के प्रति हिंसा है जिसके परिणाम स्वरूप उसे शारीरिक, मानसिक व यौन क्षति पहुंचती है। ऐसे कृत्यों में धमकी व उत्पीड़न का तत्व रहता है जो महिला की निजी व सार्वजनिक जीवन की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है"।[7]

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने एक प्रमुख वाद एपेरल एक्सपोर्ट काउंसिल बनाम ए० के० चोपड़ा[8] में यौन उत्पीड़न को परिभाषित करते हुये कहा "यौन उत्पीड़न एक प्रकार का महिलाओं के प्रति भेदभाव है जो अवांछनीय यौन प्रस्तावो लैंगिक अनुमति के लिये अनुरोध और लैंगिक प्रस्तावों के साथ अन्य शाब्दिक अथवा शारीरिक आचरण से सम्बन्धित भाव भंगिमा प्रदर्शित की जाती है।"

इसके उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान[9] में यह स्पष्ट कि या है कि यौन उत्पीड़न के अंतर्गत निम्न कृत्यों को सम्मिलित कियाजा सकता है :

अश्लील इशारे करना या मौन आभासी टिप्पणी या यौन सबंध स्थापित करने के लिये किसी महिला को विवश करना या अश्लील चित्र, साहित्य आदि किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध दिखाना या मौखिक या अमौखिक कृत्य किसी महिला के साथ करना। इन कृत्यों को अम्मिलित किया जा सकता है।

लैंगिक अपराध के विभिन्न रूप

लैंगिक अपराध के निम्न रूप हो सकते है :–

हत्या, बलात्कार, यौन उत्पीड़न और मौन शोषण के अन्य रूप, अपने माता–पिता या अन्य रिश्तेदारों द्वारा बच्चों के खिलाफ अनाचार या बाल यौन शोषण या छेडछाड, जिसमें बड़ों द्वारा अनाचार किया जाता है या बाल पॉर्नग्राफी मुख मैथुन या गुदा मैथुन या अश्लीलता या वेश्यावृत्ती और दलाल या वाइब्रेटर और

अन्य सेक्सटॉयज का स्वामित्व।

लैंगिक उत्पीड़न का सामान्य अर्थ है जब कोई यौन क्रिया के लिए सहमति नहीं देता है और लैगिक उत्पीडन के किसी व्यक्ति द्वारा हाव–भाव, भाव मांगीमायें, संकेतो द्वारा यौन उत्पीड़न में शारीरिक सम्पक्र के रूप में इस तरह के अवांछनीय यौन व्यवहार शामिल हैं और अग्रिम, यौन रूप से रंगीन टिप्पणी, अश्लील साहित्यं को दिखाना चाहे शब्द या कार्य द्वारा इस तरह के जो आचरण किये जा रहे है वे भी लैगिक उत्पीड़न की कोटी में आ सकते है।

कार्य स्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न

कार्य स्थल पर हो रहे यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु न्यायापालिका का कदम बेहद सराहनीय रहा जब न्यायालय ने अपने प्रमुख वाद **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य**[10] में कार्यस्थल पर हो रहे यौन शोषण की रोकथाम हेतु विस्तृत मार्ग दर्शन दिया ।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य[11] से पूर्व का परिदृश्य

यदि अवलोकन किया जाय तो यह बात स्पष्ट होती है कि महिलाओं को अपने यौन उत्पीड़न की शिकायत हेतु भारतीय दंडसंहिता की धारा 354 व 509 का सहारा लेना पड़ता था। जहां उन्हें पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पाता था या तो वे इस बात को सिद्ध नहीं कर पाती थीं या सिद्ध हो भी जाये तो सजा दिया जाना संभवन हीं था। तथा अपराधी द्वारा किया गया कृत्य तुच्छ प्रकृतिका माना जाता तथा महिलाओं को मजबूर रहना पड़ता था। वे छोटी–छोटी बातों की शिकायत नहीं कर सकती थीं यदि करना भी चाहें तो किससे करती ।

भारत में विशाखा मामले[12] का निर्णय आने से पूर्व ऐसे मामलों को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं था। इस मामले में जो दिशा–निर्देश आये वो महिलाओं के विरुद्ध मेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सी ईडीए डब्लू) से लिया गया था। तथ ाभारतीय द्वारा प्रदत्त मूलाधिकारों को भी आधार बनाया गया था।

कार्यस्थल पर मौन शोषण के विरुद्ध विशाखा बनाम राजस्थान राज्य[13] में दिया गया दिशा–निर्देश

इस मामले में उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ श्रमजीवी महिलाओं केप्रतिकार्य स्थल पर होने वाली यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक विस्तृत मार्ग दर्शन दिया तथा यह कहा कि जब तक इस प्रयोजन के लिये विधान नहीं बनाया जाता न्यायालय द्वारा विहित मार्ग दर्शक सिद्धांत को लागू किया जाय । न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रत्येक नियोक्ता या अन्य व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि काम के स्थान या अन्य व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि कार्य स्थल चाहे

वह प्राइवेट हो या पब्लिक श्रमजीवी महिलायों के यौन उत्पीड़न का रोकने का समुचित उपाय करे।

इस मामले में महिलाओं के अनुच्छेद 14,19, और 21 में प्रदत मूल अधिकारों को लागू करने के लिये विशाखा नाम की एक गैर सरकारी ने संस्था ने लोकहित न्यायालय में दायर किया। याचिका दायर करने के पीछे प्रमुख कारण था तत्कालीन राजस्थान राज्य में एक सामाजिक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना । इस वाद में न्यायालय ने निम्नलिखित दिशा–निर्देश दियें।

I. सभी नियोक्ता या अन्य व्यक्ति जो काम के स्थान के प्रभारी है। चाहे वह प्राइवेट क्षेत्र में हो पब्लिक क्षेत्र में, अपने सामान्य दायित्वों के होते हुये महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न को रोकने के लिय समुचितक दम उठाना चाहिए।

II. जहां ऐसा आचरण भारतीय दण्ड संहिता,1860 या किसी अन्य विधि के अधीन विशिष्ट अपराध होता हो तो नियोक्ता को विधि के अनुसार उसके विरूद्ध समुचित प्राधिकारी को शिकायत करके समुचित कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिए।

III. यौन उत्पीड़न की शिकार महिला कोअपना या उत्पीड़न कर्ता का स्थानान्तरण करवानें का विकल्प होना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि किसी वृति, व्यापार पेशा को चलानें के लिये सुरक्षित काम का वातावरण होना चाहिए। प्राण के अधिकार का तात्पर्य मानव गरिमा से जीवन जीना है, ऐसी सुरक्षा और गरिमा की सुरक्षा को समुचित कानूनों द्वारा सुनिशचित करानें तथा लागू करनें का प्रमुख दायित्व विधान मण्डल और कार्यपालिका का है। किंतु जब कभी न्यायालय के समक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला लाया जाता है तो उनके मूलाधिकारों की सुरक्षा के लिये मार्ग दर्शक सिद्धांत समुचित उच्चतम न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है जब तक कि समूचित विधान न बनाया जाये।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य[14] में दिये गये निर्देशों को पहली बार **ऐपेरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल बनाम ऐ०के० चोपड़ा**[15] में लागू किया गया और यौन शोषण के लिये दोषी पाये गये कंपनी में नियुक्त एक उच्च अधिकारी को सेवा से निकाल दिया गया। न्यायालय ने यह कहा कि कार्य के स्थान पर यौन शोषण की प्रत्येक घटना से महिला कर्मचारी के अनुच्छेद 21 और 14 में प्रदत मूलाधिकारों का उल्लंधन होता है और उसे रोकनें का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य[16] मामले के वाद का परिदृश्य

यौन उत्पीड़न की रोक थाम के लिये भारत में 2005 तक कोई कानून नहीं था। 2005 में एक विधेयक संसद में लाया गया जो 2010 में बदलाव के साथ लोक

सभा में लाया गया जिसमें कार्य स्थल में 'आन्तरिक शिकायत समिति, या जिलास्तर पर स्थानीय शिकायत समिति के माध्यम से एक निवारण तंत्र भी प्रदान करता था। झूठे और दुर्भावना पूर्ण आरोपों या शिकायतों के खिलाफ की जानें वाली कार्यवाही के सबंध में एक समस्या थी। ऐसे मुद्दों के सन्दर्भ में 2011 में संसदीय स्थायी समिति ने झूठे और दुर्भाग्य पूर्ण आरोपों को हटानें के लिये सिफारिशें प्रस्तुत की।

सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए सभी कार्य स्थलों या संस्थानों में पालन करने के लिये दिशा निर्देश दिये। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत कानून की श्रेणी में रखा गया।

विशाखा मामलें के सोलह वर्ष पश्चात् कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया जिसका उद्देश्य था कार्य स्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को रोकना।

इस अधिनियम की महत्व पूर्ण विशेषतायें प्रत्येक संगठन या संस्था के कार्यालय में एक शिकायत समिति की स्थापना की जायें। शिकायत प्राप्त होने पर सीमित जॉच शुरू करने से पहले और उसके और प्रतिवादी के बीच सुलह के माध्यम से निपटाने के लिए कदम उठा सकती हैं। जब समझौता हो जाता है तब आगे कोई जॉच नहीं की जायेगी परंतु यदि सुलह नहीं होती तो जॉच आगे बढायी जायेगी। समिति के पास वही शक्तियां होगी जो सिविल न्यायालय में निहित होती है कमेटी अपनी जॉच 90 दिनों के भीतर पूरी करेगी तथा जॉच लम्बित होने के दौरान पीड़िता को कुछ राहत प्रदान कर सकती है। समिति जॉच पूरी हो जाने के पश्चात् 10 दिनों के भीतर अपनी निष्कर्ष की रिपोर्ट नियोक्ता/जिलाधिकारी और सबंधित पक्षों को उपलब्ध करायेगी जब प्रतिवादी के खिलाफ आरोप साबित हो गया तो समिति नियोक्ता/जिलाधिकारी को यौन उत्पीड़न के लिये सेवानियमों के प्रावधानों के अनुसार कदाचार के रूप में कार्यवाही करने की सिफारिश करेगी।

निष्कर्ष

भारतमें यौन उत्पीड़न एक अपराध के रूप में प्रचलित है। इसके साथ साथ महिला का यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर होना विद्यमान पाया जाता है । इस संदर्भ में महिला श्रमिकों को सकारात्मक वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सरकार को यह चाहिए कि अलग से कानून का निर्माण किया जाये जिससे कि महिलाओं को यह अभास हो कि वह भी काम काजी आबादी का एक हिस्सा है। उन्हें काम पर सुरक्षा प्रदान करना सरकार का कर्त्तव्य है।

संदर्भ

1. मनुस्मृति 3 / 56
2. मनुस्मृति 3 / 57
3. मनुस्मृति 9.3
4. Dictionary reference.com/browse /sexual harrassment
5 http//www.edu /humanylsSvaw! harrassmentexplose
6. http://www.edu /humanylsSvaw! harasementexplose
7. http:lle.n. Wiki padia, org" èwiki/ violence against women.
8. (1999) 1 एस.एस.सी. 759
9. ए.आई. आर 1997 सुप्रीमकोर्ट 3011
10. ए.आई. आर 1997 सुप्रीमकोर्ट 3011
11. ए.आई. आर 1997 सुप्रीमकोर्ट 3011
12. ए.आई. आर 1997 सुप्रीमकोर्ट 3011
13. ए.आई. आर 1997 सुप्रीमकोर्ट 3011
14. ए.आई. आर 1997 सुप्रीमकोर्ट 3011
15. (1999) 1 एस.एस.सी. 759
16. ए.आई. आर 1997 सुप्रीमकोर्ट 3011

मङ्गलम् -वर्ष 13(01) भाग-XXIV, फरवरी 2022
ISSN-0976-8149 पृ.-225-228

विवादों के समाधान में महात्मा गांधी का दार्शनिक चिन्तन

डॉ० अशोक कुमार सिंह *

सुरक्षा, शांति और सद्भावना की कामना प्राचीन काल से ही विश्व में व्याप्त रही है। ईसा मसीह से लेकर गांधी तक विष्व के सभी महान् गुरुओं ने यही संदेश दिया है। आज से हजारों वर्ष पूर्व भी भारतीय मनीषियों ने ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था जिसमें सम्पूर्ण वसुधा को एक परिवार के रूप में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रपिता की उपाधि इसी श्रृंखला का प्रतीक है। भारतीय इतिहास में लोकमान्य तिलक की मृत्यु (1920 ई0) के बाद से आजादी मिलने तक अर्थात् 1920 ई0 से लेकर सन् 1947 ई0 तक का समय गाँधी युग के नाम से जाना जाता है।

महात्मा गाँधी के तीस अमोघ शस्त्र थे सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। गाँधी जी का मानना था कि देष उन्हीं साध्यों को जो विशुद्ध रूप से शांतिपूर्ण और बैध है। गाँधी दर्शन में साधन और साध्य परिवर्तनीय है, क्योंकि उनका मानना था कि यदि हममें उदारता और सहिष्णुता नही होगी तो हम अपने मतभेदों को कभी भी सुलझा नही सकेंगे और उन्हें हमेशा विवेचन के लिए किसी तीसरे पक्ष को सौंपना होगा, जिसका अर्थ होगा तृतीय प्रभुता स्वीकारना। महात्मा गाँधी का जीवन सादगी से परिपूर्ण होने के साथ–साथ सत्य अहिंसा से ओत–प्रोत था। उनके विचारों पर जैन व बौद्ध धर्म गीता व उपनिशद का विशेष प्रभाव तो था ही साथ ही अहिंसक प्रतिकार की भावना उनमें कूट–कूट कर भरी हुई थी। जहां एक तरफ गाँधी जी के विचरों में गीता में वर्णित निष्काम कर्म योग का प्रभाव था वहीं बाइबिल के सिद्धान्त ''अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करते हैं, उन्हें भी प्यार करो, जो तुम्हारा अहित चाहते हैं, उनके प्रति भी हित की कामना करो, क्योंकि सब एक ही ईश्वर की संतान हैं।'' का उन्होंने जीवन–पर्यन्त पालन करके विश्वशांति, अहिंसा एक विश्व– बन्धुत्व का अद्भुत संदेश देने का सतत् प्रयोग किया। सत्य और अहिंसा को एक दूसरे को पूरक मानते हुए गांधी जी ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में सदैव अहिंसात्मक प्रतिरोध (Non-Violent Resistance) की ही नीति का अनुपालन किया।

सत्य और अहिंसा का दर्शन

यदि देखा जाय तो गाँधी जी का सम्पूर्ण दर्षन सत्य और अहिंसा पर

**एसो०प्रोफेसर एवं अध्यक्ष–रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग आर०आर०पी०जी० कालेज, अमेठी (उ०प्र०)*

आधारित है। गाँधी जी ने वैसे तो सत्य का कोई दर्शन नहीं किया, लेकिन अपने जीवन के हर क्षेत्र में सत्य का दर्शन किया। सत्य का वर्णन करने के लिए अहिंसा को साधन बनाया। उनका विश्वास था कि ''परमात्मा ही सत्य है'' किन्तु जब उन्होंने देखा कि समाज में जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं या नास्तिक हैं, उनके गले से यह बात नहीं उतरेगी तो इसे बदल दिया और कहा कि 'सत्य ही ईष्वर है।'

गाँधी जी की ईश्वर में अटूट श्रद्धा थी। उनका मत था कि जिस व्यक्ति में अहिंसा का भाव जितना अधिक होगा, वह उतना ही सत्य के समीप होगा और समाज का उतना ही भला कर सकेगा। गाँधी जी ने अहिंसा को तीन श्रेणियों में बांटा है–

1. जाग्रत अहिंसा (Elightened Non-violance)–जाग्रत अहिंसा उसे कहते हैं जो व्यक्ति मे आत्मा की पुकार से स्वतः उत्पन्न होती है। यह अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप होता है, जिससे नैतिक तथा दृढ़ आस्था के आधार पर अपनाया जाता है।

2. औचित्यपूर्ण अहिंसा (Reasonable Non-Violence)– इस प्रकार की अहिंसा जीवन के क्षेत्र विशेष में आवश्यकता के अनुरूप औचित्य के आधार पर एक नीति के रूप में अपनायी जाती है जो सामान्य जन के लिए लाभदायक होती हैं।

3. कायरों की अहिंसा (Non-violence coward)–कायर तथा डरपोक व्यक्तियों द्वारा अहिंसा का दम्भ भरना वास्तव में निष्क्रिय हिंसा ही है। क्योंकि कायरता और अहिंसा एक साथ नही रह सकते।

गाँधी जी ने अहिंसा को वीरों का धर्म बताते हुए कहा है कि ''कायरता को अहिंसा की आड़ में छिपाना सर्वथा निन्दनीय है। यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी है तो हम अपनी कमजोरी छिपाने के लिए अहिंसा का आवरण न पहने इससे हिंसक होना अच्छा है।'' गांधी जी का यह स्पष्ट मत था कि यदि हमें कायरता व हिंसा में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं हिंसा को स्वीकार करूंगा।

सत्याग्रह

सत्याग्रह का तात्पर्य है, सत्य के लिए आग्रह। दूसरे शब्दों में सत्य की रक्षा करने के लिए अहिंसक संघर्ष करना सत्याग्रह है। महात्मा गाँधी की संघर्ष का मूल तत्व सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह में प्रेम, अहिंसा, दृढ़ संकल्प और आत्म उत्पीड़न का अद्भुत सामंजस्य था। उनका दृढ़ विश्वास था कि किसी भी संघर्ष में सत्य की विजय होती है। इसीलिए उनका आदर्श नारा ''सत्यमेव जयते'' था। गाँधी जी का विचार था कि सत्य के लिए आग्रह करते समय उन साधनों का प्रयोग नही होना चाहिए जिससे विरोधी को शारीरिक कष्ट हो, अपितु सत्याग्रह ऐसा होना चाहिए जो

विरोधी के हृदय को विदीर्ण कर करुणा से भर दे। यह तभी सम्भव होगा जब आपके अन्दर उच्च कोटि का साहस, दृढ़ संकल्प और अनुशासन हो।

गाँधी जी ने राजनीति के युद्ध क्षेत्र में जिस सत्याग्रह रूपी हथियार की अनोखी खोज की वह उनके आध्यात्मिक दर्शन से निकला हुआ उनका अमोघ अस्त्र था। सत्याग्रह न केवल भारत की आबादी के जंग का युद्ध कौशल रहा अपितु सम्पूर्ण विश्व में आये दिन होने वाले संघर्ष को एक नयी दिशा प्रदान कर रहा है। गाँधी जी के सत्याग्रह में वह शक्ति है जो वर्तमान समय के ब्रह्मास्त्र परमाणु बम में भी नही है। क्योंकि परमाणु बम में विरोधी के उन लोगों को भी नष्ट किया जाता है जिनका कोई अपराध नही होता है, लेकिन सत्याग्रह अपराधी को बिना क्षति पहुंचाये उसे अपने अपराध कर्म को छोड़ने के लिए बाध्य कर देता है। गाँधी जी द्वारा सत्याग्रह हेतु अपनायें जाने वाले साधन निम्नलिखित हैं–

1. असहयोग आन्दोलन
2. सविनय अवज्ञा आन्दोलन
3. अनशन
4. हड़ताल
5. प्रवजन

समाज के जिस अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीति निर्माताओं को महात्मा जी ने निर्देश दिया था उसकी अवहेलना ने ही मुख्य राष्ट्रीय व्याधियों को जन्म दिया। उन्हें जटिल और असाध्य बना दिया। विज्ञान और तकनीकी रोज नई ऊँचाइयों को छूने का दाव करते हैं। हो सकता है विज्ञान और तकनीकी ने विश्व में लाखों लोगों के जीने का तरीका बदल दिया हो, लेकिन यह नही कहा जा सकता है कि यह बदलाव सकारात्मक है, अथवा नकारात्मक, पर सभ्यता को इससे कोई लाभ नहीं मिला है। जब भी तकनीकी का विकास हुआ है हिंसा ही बढ़ी है। आज तो युद्ध और हिंसा व्यापार बन चुके हैं, जिसमें कुछ बड़े खिलाड़ी ही लाभान्वित होते हैं। वर्तमान में आतंकवाद बहुत लाभदायी व्यापार हैं। पहले आतंकवादियों को हथियार बेचों, फिर आतंकवाद रोकने के लिए हथियार बेचों। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, ''आज चुनाव हिंसा और अहिंसा के बीच नही है। चुनाव अहिंसा और अनास्तित्व के बीच है। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमें रास्ता नहीं खोजना है। गाँधी हमसे निकल चुके हैं। हमें तो सिर्फ उनके पद चिन्हों पर चलना है।''

इस प्रकार स्पष्ट है कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के नैतिक मूल्यों पर आधारित गाँधी दर्शन एक ऐसे विकसित स्वस्थ्य एवं भयमुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण पर आधारित है, जिसमें संघर्ष, युद्ध शोषण अराजकता, असमानता व अन्याय से मुक्त होकर सभी राष्ट्र शक्ति सामर्थ्य को विकसित करके अपनी रक्षा

कर सकते हैं। यह विडम्बना ही है कि शस्त्र दौड़ में शामिल अधिकांष राष्ट्र नाभिकीय हथियारों को प्राप्त करने की लालसा में असुरक्षा के वातावरण में रहते हुए निरस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा व आर्थिक उदारवाद के माध्यम से सुरक्षा व शांति की तलाश हेतु व्यग्र हैं। शक्ति के भाव में चूर इन राष्ट्रों को स्वीकार करना होगा कि वर्चस्व व श्रेष्ठता स्थापित करने की उनकी संघर्ष प्रवृत्ति अंततः विनाश को ही आमंत्रण देगी। अतएव सभी राष्ट्रों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थापना हेतु गाँधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुपालन करके मैत्री, सद्भाव एवं शांति का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए, अन्यथा नाभिकीय युद्धों में सम्पूर्ण सभ्यता ही दांव पर लग जायेगी।

सन्दर्भ

1. *आर0 के0 प्रभु, एवं यू0 आर0 राव महात्मा गांधी के विचार, नेशनल बुक ट्रट, नई दिल्ली*
2. *डॉ0 विश्वनाथ नम्वणे–आधुनिक भारतीय चिन्तन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा 1899*
3. *यंग इंडिया–पृष्ठ–26, 12*
4. *डॉ0 अशोक कुमार–आधुनिक सामाजिक विचारधारा, पृष्ठ–234, 235*
5. *डॉ0 राम सूरत पाण्डेय–सामाजिक विचारधारा (उद्भव व विकास) पृ0–358।*
6. *डॉ0 डी0एन0 सिंह–रक्षा एवम् सामाजिक अध्ययन पृ0–263।*
7. *आत्म कथा– पृ0–206*

Manglam International Journal of Humanities & Social Sciences

Application for Membership

website:www.mangalamallahabad.com

Membership ID. No.- .....

(For Official Use)

PHOTO

1. Name (with title, e.g. Dr/Prof./Mr./Ms.) 2. Male/Female

2. Designation and Address-(If retired, Last address)

3. Mailing/Permanent Address-

4. Telephone (With STD code)-

Office:..... Residence:.....

Mobile No.:..... E-Mail :.....

Fax No. :.....

5. Type Of Membership

One Year :- Rs. 2000/- Three Year :- Rs. 5000/- Life Membership* :- Year:- Rs. 10,000/-

(*For Ten Year's)

New you may deposit the Membership fee directly in Maglam International Journal of Humanities & Social Scial Sciences (ISSN : 0976-8149) Account as per Following details :-

Name of Bank : State Bank of India Prayagraj Branch : Civil Lines Prayagraj

Account Holder : Manglam Sewa Samiti, Prayagraj A/c No. : 65024854963

IFC Code : SBIN 0018245 MICR Code : 211007003

Please return this form to

Dr. Dinkar Tripathi

Editor : Manglam International Journal of Humanities & Social Sciences

463/359G-2 Shivam Apartment, New Mumfordganj, Prayagraj (U.P.)- India, 211002

website:www.mangalamallahabad.com

e-mail : drdinkartripathi@gmail.com

Manglam International Journal of Humanities & Social Sciences

Subscription Order Form

website:www.mangalamallahabad.com

PHOTO

1. **Name** : .....
2. **Address** : .....
   .....
   Tel./ Mabile No. ..... **e-mail** .....
3. **Life Membership of Manglam Sewa Samiti- Yes/No (If Yes then I.D. No.....)**
4. **Tpe of Subscription :** **Individual / Institon**
5. **Period of Subscription :** **Annual / Three year's / Life time***
6. **Number of Copies Subscription :** .....

Dear Editor,

Kindly acknowledge the receipt of my Subscription and staet sending the issue (s) of Manglam International Journal of Humanities & Social Sciences (ISSN-0976-8149) at follwing Aeddres.

.....

.....

.....

The Subscription rates ars sa Follow : w.e.f. 31.08.21\012

India (Rs.)	**Members of Manglam Sewa Samiti**	**Individuals**	**Institutions**
Single Copy	Rs. 300/-	Rs. 600/-	Rs. 750/-
Anaual Copy	Rs. 500/-	Rs. 1100/-	Rs. 1500/-
Three Copy	Rs. 1500/-	Rs. 8000/-	Rs. 4500/-
Life time*	Rs. 500/-	Rs. 1100/-	Rs. 10,000/-
OTHER COUNTRIES	**Members of Sewa Samiti**	**Individuals**	**Institutions**
Single Copy	$ 65	$ 80	$ 120
Anaual Copy	$ 120	$ 150	$ 240
Three Copy	$ 360	$ 430	$ 720
Life time*	$ 3000	$ 5000	$ 10,000

(*For Ten Year's)

New you may deposit the Membership fee directly in Maglam International Journal of Humanities & Social Scial Sciences (ISSN : 0976-8149) Account as per Following details :-

Name of Bank : State Bank of India Prayagraj Branch : Civil Lines Prayagraj

Account Holder : Manglam Sewa Samiti, Prayagraj A/c No. : 65024854963

IFC Code : SBIN 0018245 **MICR Code : 211007003**

Please return this form to

Dr. Dinkar Tripathi

Editor : Manglam International Journal of Humanities & Social Sciences

463/359G-2 Shivam Apartment, New Mumfordganj, Prayagraj (U.P.)- India, 211002

website:www.mangalamallahabad.com

e-mail : drdinkartripathi@gmail.com